पांचवीं पंचवर्षीय जिला योजना

1974-75 से 1978-79

उत्तर प्रदेश सरकार

अल्मोड़ा

Sub. National Systems Unit,
Nat[illegible] Educational
Plann[illegible]istration
17-B, Sri A[illegible] New Delhi-110016
DOC. No. 12
Date 19/5/82

मुझे हर्ष है कि जिला अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी एवं अर्थ अधिकारी के प्रयासों से यह पंचम पंच वर्षीय योजना तैयार कर शासन को प्रेषित की जा रही है।

प्रस्तुत योजना निर्माण में जनपद की परिस्थितियों को परिलक्षित किया गया है और जिला परिषद की बैठकों में समय समय पर विचार विमर्श कर योजना की स्वीकृति ले ली गई है। तथा इसको अन्तिम रूप देने में जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का समावेश किया गया है।

आशा है कि योजना के पूर्ण होने पर इस पिछड़े जनपद का समुचित विकास हो सकेगा।

(गोपाल सिंह धपोला)
अध्यक्ष,
जिला परिषद, अल्मोड़ा।

दिनांक,
फरवरी 13, 1976

National Institute of Educational Planning and Administration
LIBRARY

अनुक्रमाणिका

			पृष्ठ
परिच्छेद - 1		भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति	1
2		जनसंख्या एवं व्यवसाय	2
3-		प्राकृतिक संसाधन	5
4-		पंचम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य व रणनीति	9
5-	1 (अ)	कृषि उत्पादन	11
	(ब)	फलोत्पादन	31
5-	2 (अ)	सिंचाई (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)	39
	(ब)	राजकीय लघु सिंचाई	42
	3-	भूमि संरक्षण	46
	5-	पशु-पालन	50
	7-	वन	58
	8-	कृषि ऋण	61
	9-	कृषि विपणन एवं संग्रहण	62
	10-	सहकारिता	64
	11-	पंचायती-राज	70
	12-	परियोजना एवं ग्रामीण रोजगार	78
	13-	भूमि कानून सुधार व चकबन्दी	83
	14-	बाढ़ नियंत्रण योजनायें	83
	15-	विद्युतीकरण	85
	16 (अ)	वृहत उद्योग	92
	(ब)	कुटीर व लघु उद्योग	93
	17-	खनिज विकास	96
	18-	सड़कें एवं पोत	97
	19-	पर्यटन	114
	20-	सामान्य शिक्षा	117
	21-	प्राविधिक शिक्षा	127
	22-	स्वास्थ्य	129
	23-	आहार	133
	24-	पेयजल व्यवस्था	134
	25-	आवास एवं नगरीय विकास	141
	26-	पिछड़े वर्गों का उत्थान	143
	27-	समाज कल्याण	151
	28-	शिल्पियों का प्रशिक्षण तथा श्रमिक कल्याण	155
6-		आर्थिक परिस्थिति एवं ऋण संस्थाओं का योगदान	156
7-		सामग्री की आवश्यकतायें	158
8-		रोजगार कार्यक्रम	160
9-		न्यूनतम आवश्यकताओं की राष्ट्रीय योजना	163

परिशिष्ट

विवरण पत्र-1	जिले के आधारभूत आंकड़े	166
रूपपत्र -1	पांचवीं योजना परिव्यय	178
रूपपत्र --2	पांचवीं योजना का कार्यक्रम-भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ	190

परिच्छेद-एक

भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति

हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अल्मोड़ा जनपद 1951 तक 14,182 वर्ग किलो मीटर में फैला था। वर्ष 1960 में पिथौरागढ़ जिले के बन जाने के फलस्वरूप तथा 1972 में चम्पावत तहसील के पिथौरागढ़ में विलयन के फलस्वरूप इस जनपद का क्षेत्रफल केवल 5,460 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। इस भू भाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तीन तहसील और 14 विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इस भूभाग में कुल 3,139 गाँव है जिनमें से 172 गाँव गैरआबाद है।

जनपद के उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली का जिला है। प्रायः सम्पूर्ण जिला ऊँची पर्वत श्रेणियों और गहरी घाटियों में बसा है। यहाँ संचार के साधनों की कमी है। चूँकि जिले की भौगोलिक स्थिति 1951, 1961 तथा 1972 में भिन्न भिन्न रही है। अतः विभिन्न वर्षों के आकड़ो की तुलना से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ सभी जगह उस भू भाग के आकड़े प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जो इस समय जनपद के अन्तर्गत आता है। जहाँ खण्डवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है वहाँ वर्ष 1961 व 1971 की जनगणना के आधार पर आँकड़े दिये गये है और स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जिले के क्रमिक विघटन के फलस्वरूप अब यह जिला क्षेत्रफल के हिसाब से आठों पहाडी जिलों में पाँचवां स्थान रखता है। अल्मोड़ा नगर जिले का मुख्यालय है और तीनों तहसीलों के मुख्यालय क्रमशः अल्मोड़ा, रानीखेत और बागेश्वर नगरों में स्थित है। अल्मोड़ा शहर जिले का मुख्य शहर है और यहाँ से काठगोदाम रेलकेन्द्र के लिये सीधी तथा रानीखेत होते हुये मोटर मार्ग उपलब्ध है। तीनों तहसीलें काठगोदाम, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, पौड़ी इत्यादि मुख्य स्थानों को पक्के मोटर मार्गों से जोड़ती है।

जिले के दक्षिण भाग के जंगलों में [illegible] (साल) का बाहुल्य है, जो समुद्र की सतह से 4 हजार फीट तक पाया जाता है। पहाड़ो में यह उतना ऊँचा नहीं होता है जितना कि मैदानी भागों में, और इसकी लकड़ी का उपयोग सामान्य तथा गृह निर्माण में किया जाता है। शेष जंगलों का मुख्य वृक्ष 'चीड़' है जो अन्य वनस्पतियों को उस भू-भाग से हटाने की क्षमता रखता है, जहाँ यह उगता है। चीड़ प्रायः 1600 फीट से 6000 फीट तक की ऊँचाई तक होता है। इसकी लकड़ी निर्माण कार्यों के उपयोग में लाई जाती है।

जिले में कुछ खनिज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है। इनमें मुख्य है अच्छे किस्म का चूने का पत्थर, खड़िया मिट्टी, मैग्नेसाइट, तांबा तथा जिप्सम।

साधारणतया जिला भौगोलिक आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

(1) समुद्र सतह से 2500 फिट से 4000 फिट तक का भाग।
(2) ,, ,, 4000 फिट से 6000 फिट तक का भाग।
(3) ,, ,, 6000 फिट से ऊँचा भाग।

6000 फिट से अधिक ऊँचाई वाला भाग प्रायः बर्फीली चोटियों का है जिसमें अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है और जहाँ कृषि विकास की कोई सम्भावना नहीं है। इस ऊँचे भूभाग में नन्दादेवी (25,645 फीट) त्रिशूल (23,360 फिट), नन्दाकोट (22,510 फिट) जैसे पर्वत शिखर है। 4000 से 6000 फिट तक की ऊँचाई वाला भाग फलोत्पादन के लिये उपयुक्त है जहाँ कृषि कार्य सीढ़ीनुमा खेतों में किये जाते है। बड़ी पर्वत श्रेणियाँ नदियों से विभाजित है और छोटे पर्वत श्रेणियों के बीच छोटी छोटी नदियाँ और जल-धारायें है। जिले का बहुत थोड़ा सा भाग समतल है। मिट्टी इलूवियल किस्म की है और पहाड़ों में उसकी छोटी सी पर्त है। पहाड़ों के उत्तरीय भाग दक्षिण के बजाय कम ढालू है इनमें जलवायु के प्रकोप से कम हानि होती है। घाटियों के निकट स्थानों में गूलों द्वारा सिंचाई की जाती है। असिंचित भूमि में प्रायः मडुवा मादिरा, आलू इत्यादि बोया जाता है। और इसका बहुत बड़ा भाग रबी में परती छोड़ दिया जाता है। जिले की प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सरयू, कोशी, गोमती, पिन्डर, गगास, कुंवाल इत्यादि है। इसके अतिरिक्त कई छोटी2 जल धारायें है जिनमें प्रायः वर्षभर पानी रहता है।

जिले में विभिन्न ऊँचाईयों के कारण जलवायु में भी अन्तर हो जाता है। जहाँ घाटियों में उमस भारी गर्मी पड़ती है वहाँ ऊँचे पर्वत शिखरों में ठिठुरन वाली सर्दी का प्रकोप होता है। 4000 फिट से 6000 फिट तक के स्थानों में मार्च से नवम्बर तक आबहवा साधारणतया अच्छी रहती है। जिले की वार्षिक वर्षा ऊँचाई के अनुसार 52 इंच से 62 इंच तक है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ जिले के सभी भूभागों में समान है और यहाँ के लोगों का रहन सहन तथा आर्थिक स्तर सामान्यतया समान है। अतः नियोजन की दृष्टि से जिले को अलग 2 उप सम भागों में बाँटना सम्भव नहीं है और सारे जिले को एक ही उप सम-भाग मानकर सारे विकास कार्यक्रम बनाये गये है।

'परिच्छेद-2'

जनसंख्या तथा व्यवसाय

चम्पावत तहसील को सम्मिलित करते हुये 1961 की जनगणना के आधार पर इस जनपद की जनसंख्या 6,33,407 थी जिसमें से 99-3 प्रतिशत हिन्दू थे और यह जिला जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश में 46वाँ स्थान रखता था। उपरोक्त में चम्पावत तहसील की 80,564 जन संख्या सम्मिलित थी जो अब पिथौरागढ़ जिले में मिला दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान जिले की 1961 की जन संख्या 5,52,843 थी और आबादी का घनत्व 131 प्रति वर्ग किलो मीटर था। 1971 में यह जनसंख्या 6,48,330 हो गई और घनत्व 119 प्रति वर्ग किलो मीटर हो गया। मैदानी भागों से यहाँ की जन संख्या का घनत्व कम है। जिसका कारण बीहड़ क्षेत्रों में आबादी न होना और प्रायः 53 प्रतिशत भूमि का जंगलों के अन्तर्गत होना है। इस जनसंख्या में से प्रायः 39,112 व्यक्ति तीन नगरीय क्षेत्रों में रहते है और शेष जिले के 2,967 आबाद गाँवों में रहते है। नगरीय क्षेत्र में दो नगरपालिकायें और दो कटक पालिका हैं। जिले में कुल 3,139 गाँव है जिनमें से 172 गैर आबाद है। जनसंख्या के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

जिला	कुल गाँवों की संख्या	गैर आबाद गाँव	200 की जनसंख्या से कम	जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण		
				200 से 499 तक	500से 999 तक	1000 से 1999 तक
अल्मोड़ा	3,139	172	1,821	928	198	20

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि यहाँ छोटी2 आबादी के ही अधिक गाँव है। जिले के 3,139 गाँवों में केवल 20 गाँवों की जनसंख्या 1,000 सेअधिक है। 2,000 से अधिक की आबादी वाला कोई भी गाँव नहीं है। 1961 में बागेश्वर गाँव की आबादी 2,189 थी जो अब नगरपालिका हो जाने के कारण इस श्रेणी में नही रहा। 172 गाँवों के गैर आबाद होने के कारण जिले की 609218 ग्रामीण जनसंख्या 2967 आबाद गाँवों में बसी है। जनसंख्या के छोटी छोटी बस्तियों में बसे होने के कारण उनके विकास और उत्थान के लिये व्यापक योजनायें बनानी होंगी जिससे कि किसी एक क्षेत्र के अधिक विकास और दूसरे क्षेत्र के कम विकास से असुतुलन न हो जाये। इस ध्येय से जो योजना प्रस्तुत की जा रही है उसमें गाँव अथवा गाँव समूह के चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखा गया है। पिछले दशकों में बढ़ती हुई जनसंख्या केकारण तथा अन्न व उद्योगों की कमी के कारण यहाँ के निवासियों को जीविकोपार्जन के लिये घर छोड़कर अन्यत्र सेवाओं में जाना पड़ता है जिसका कृषि कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 1961 की जनगणना के आधार पर जिलेकी 80 प्रतिशत आबादी छोटे छोटे आबादी के गाँवों में रहती है। पूर्ण आबादी का 19-5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है जो सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते है। इनमें सेकेवल 2-9 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में रहते है। राज्य के प्रति हजार पुरुषों में 909 स्त्रियों के अनुपात की तुलना में जिले का यह अनुपात 1,109 है जिससे यह आभास मिलता है कि अपने कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जीविकोपार्जनके लिये बड़ी मात्रा में पुरुषों को अपने निवास स्थान छोड कर बाहर जाना अनिवार्य हो जाता है।यदि जिले के अन्दर ही रोजगार की व्यवस्था होती और उद्योग विकसित तथा कृषि उत्पादन स्वावलम्बी होता तो यह परिस्थिति न होती। साधनों के अभाव में अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण पल्टन, पुलिस व घरेलू नौकरी की तलाश में जनपद से बाहर चले जाते है।

पहाड़ी क्षेत्रों से पुरुषों के बाहर चले जाने के कारण कृषि कार्य की देखरेख का उत्तरदायित्व भी स्त्रियों पर आ जाता है जिससे 1961 में प्रदेश के 39-1 प्रतिशत कर्मियों की तुलना में यहाँ कर्मियों का प्रतिशत 59-3 था। इन कर्मियों में से 90प्रतिशत कृषक अथवा कृषि मजदूर थे। 4-7 प्रतिशत व्यक्ति सेवाओं में, 1-8प्रतिशत उद्योग में, 1-2प्रतिशत खनिज उद्योगों में तथा 2-3 प्रतिशत अन्य कार्यों में लगे थे। कुल कर्मियों में स्त्रियों का प्रतिशत 55 था। लेकिन कृषि में इनका सहयोग 60-3 प्रतिशत था। समस्त ग्रामीण जनता का 60-3 प्रतिशत कर्मियों का था। और 39-7 प्रतिशत कार्य न करने वालों का था। कर्मियों का सबसे अधिक भाग(46-9प्रतिशत)15-34वर्ष की आयु वालों का था। 15 वर्ष से कम उम्र तथा 60 सेअधिक आयु वाले व्यक्तियों का यह प्रतिशत क्रमशः 9-2 तथा 8-2 था।

जिले की कुल जनसंख्या तीन शहरी क्षेत्रों तथा 2967 गाँवों में रहती है। यह ग्रामीण आबादी बिखरे भूखण्डों में रहती है। 1971में जिले में 28 प्रतिशत

साक्षरता है जो कि प्रदेश के 21-7 प्रतिशत की तुलना में अधिक है परन्तु महिलाओं में साक्षरता केवल 11 प्रतिशत है। यह प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में अधिक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम महिलायें शिक्षित है।

जीविकोपार्जन के लिये बहुत से व्यक्ति जनपद के बाहर नौकरी में चले जाते है और साधारणतया उनके परिवारों की स्त्रियाँ, बूढ़े व बच्चे ही घरों में रह जाते है। केवल सेना में ही ~~परिवारों~~ प्राय: 28,000 व्यक्ति इस जनपद से कार्य करने को गये है। कुछ लोग पुलिस, व्यापार तथा अन्य नौकरियों में कार्यरत होने के कारण बाहर चले गये है।

1971 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण जनशक्ति का विवरण निम्न प्रकार है:-

		कुल जनसंख्या का %
कर्मकर	2,23,219	36-64
कार्य न करने वाले	3,85,999	63-36
कुल	6,09,218	100 प्रतिशत

कर्मियों के प्रभागों का विवरण तथा उनका ग्रामीण जन संख्या का प्रतिशत इस प्रकार है:-

		प्रतिशत जनसंख्या में	प्रतिशत कर्मियों में
1- कृषक	1,90,960	31-34	85-55
2- कृषि श्रमिक	4,572	0-75	2-05
3- पशु पालन, वन, मत्स्य, वृक्षारोपण बगीचे व अन्य कार्य कलाप	2,304	0-38	1-03
उत्खनन एवं पत्थर खोदना	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4- विनिर्माण व विधियन सेवायें तथा मरम्मत			
(1) घरेलू उद्योग	2,565	0-42	1-15
(2) अन्य उद्योग	1,259	0-21	0-56
5- निर्माण	1,270	0-21	0-57
6- वाणिज्य एवं व्यापार	2,625	0-43	1-18
7- यातायात, भंडारण तथा संचार	1,099	0-18	0-49
8- अन्य सेवायें	16,567	2-72	7-42

सम्पूर्ण जनसंख्या में 14 वर्ष तक की आयु वालों का प्रतिशत 42-2 है। 14 से 59 तक वालों का 50-6 तथा 60 वर्ष से ऊपर वालों का प्रतिशत 7-2 है।

यह जिला कृषि कार्य प्रधान है हाले ही कृषि उत्पादन आवश्यकता से कम है। फलस्वरूप जनता गरीब रह जाती है। कृषि के अतिरिक्त बागवानी का अपना महत्व है। कुछ वर्षों से फलोउद्यानों का पर्याप्त विकास किया गया है और अब इस दिशा में और अधिक प्रगति की जा रही है ताकि यहाँ के निवासियों का आर्थिक स्तर सुधर सके।

4- प्रशासनिक तथा संस्थानिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद तीन तहसीलों और 14 विकास खण्डों में बाँटा गया है। अल्मोड़ा व बागेश्वर में नगरपालिकायें है। जो नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता, जल, विद्युत आदि का प्रबन्ध करती है। रानीखेत व अल्मोड़ा के कुछ भागों का नियंत्रण कैन्ट पालिका का है। द्वाराहाट में भी अब स्थानीय निकाय(नोटिफाइड एरिया)बन चुकी है।

जिला परिषद के अधीन 418 मील पैदल सड़क तथा 6 फर्लांग मोटर मार्ग है तथा 96 पुल व पुलियाँ हैं। परिषद द्वारा 26 डाक बंगले जनपद में संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद में इस समय 1231 ग्राम सभायें तथा 133 न्याय पंचायतें हैं तथा 159 पटवारी क्षेत्र हैं।

परिच्छेद-3

प्राकृतिक संसाधन (1974) की स्थिति

1- भूमि :-

जनपद का कुल क्षेत्रफल 5,46,697 हैक्टेयर है जिसमें से 22-5 प्रतिशत अर्थात 1,23,765 हैक्टेयर भूमि में खेती होती है और 11,466 हैक्टेयर कृषि योग्य बंजर है तथा 15,534 हैक्टेयर में उद्यान है। 2,68,953 हैक्टेयर वनों के अन्तर्गत तथा 7744 हैक्टेयर कृषि से भिन्न प्रयोजन में है। शेष 95,635 हैक्टेयर भूमि चरागाह व बंजर है तथा कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है। खेती छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेतों में होती है जो पहाड़ी ढलान में बनाये जाते है। निचली घाटियों में कुछ भाग समतल होता है। जिन्हें सेरा कहते है। इनकी भूमि दोमट है। इन सेरों में बहुत अच्छी उपज होती है और इनमें सिंचाई के साधन भी उपलब्ध है। परन्तु ऊंचाई वाले भागों में सिंचाई की कठिनाई है। इस ऊंचाई वाले भाग को उपराऊ के नाम से जाना जाता है। यह उपराऊं जमीन भी दो किस्म की होती है। एक अव्वल दूसरी दोयम। अव्वल में दोयम भूमि से कुछ अच्छी उपज होती है। यहाँ मिट्टी रवेदार किस्म की है और वनों के निकट-वर्ती भागों में पर्याप्त ह्यूमस रहता है।

वन विभाग की तरफ से वनीकरण एवं नवीनीकरण तथा भूमि संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। पंचायती जंगलों की देखरेख ग्राम सभाओं के द्वारा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में फलोद्यान के अन्तर्गत भूमि लाने का आन्दोलन चल रहा है। इस योजना में प्रति वर्ष प्रायः 5 लाख फलदार वृक्षों के पौधे बाँटे जाते हैं और फल पट्टी योजनायें भी बनाई गई हैं। जिले के 5000 से 7000 फिट फिट तक की ऊंचाई में उद्यान हैं। इस समय जिले में लगभग 15534 हैक्टेयर क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान हैं। जहाँ जलवायु अनुकूल होने के कारण सेब के पौधे उद्यानों में लगाये जा रहें हैं। धौलादेवी, लमगड़ा एवं कपकोट विकास खण्डों के अन्तर्गत वनों का क्षेत्रफल अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक हैं। सभी उप संभागों की भूमि के नमूने को एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। प्रायः सभी प्रकार की भूमि में एक ही प्रकार की फसल उत्पादन के तरीके अपनाये जाते हैं। सिंचित क्षेत्र में धान तथा गेहूँ उगाया जाता है और इसी क्षेत्र में रसायनिक खादों और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग अधिक किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सर्वोत्तम फसलों के बीज निकालने के प्रयोग विवेकानन्द अनुसंधानशाला में किये जाते हैं। इन बीजों का परीक्षण हवालबाग

सिंचित वर्ग में किया जाता है और परीक्षण के बाद यह बीज विकास खण्डों को दिये जाते है।

जिले की कुल 49,000 हैक्टेयर भूमि दो फसली क्षेत्र में आती है। तराई में तो सिंचाई के साधन उपलब्ध होने से प्रायः सभी कृष्ट भूमि बोई जाती है परन्तु पर्वतीय में सिंचाई साधनों की कमी के कारण कुछ ऊपरी भूमि परती छोड़ दी जाती है। ज्यों ज्यों सिंचाई के साधन बढ़ते जावेंगे त्यों त्यों दो फसली क्षेत्र में वृध्दि होती जावेगी।

हवा से भूमि कटाव की जिले में कोई समस्या नहीं है परन्तु अत्याधिक वर्षा के कारण एवं भूमि क्षालन के कारण पानी रुकने से समय-समय पर नदी के किनारे के सेरे (तलाऊं जमीन) इत्यादि की भूमि बह जाती है। इसको रोकने के लिये अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नही की गई है केवल भूमि संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अभी बड़े पैमाने में नही किया जाता है। इससे नदी के किनारों के कटाव को रोकने में विशेष प्रगति नहीं हुई है।

बागवानी विकास के लिये कुछ भूमि (जिसमें कृषि उत्पादन लाभदायक नहीं है और जो फलोद्यान के लिये उपयुक्त नहीं है) बागवानी के अन्तर्गत लाई जाने का प्रयास किया जाता है। फलपट्टी योजना के अन्तर्गत कुछ वन भूमि जिलाधीश के माध्यम से कृषकों को बागवानी के लिये दिलवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जल- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में जिले की केवल 6 प्रतिशत भूमि सिंचित थी। अब यह सुविधा प्रायः 9-3 प्रतिशत भूमि में है। सिंचाई के साधन गूल तथा हौज हैं। गूलें समतल भागों में नदियों से छोटी छोटी नहरें काटकर बनाई जाती है और स्रोतों से पानी इकठ्ठा करके सिंचाई के लिये हौजों में पानी जमा किया जाता है। पहाड़ों में जमीन के अन्दर से कुंए खोदकर पानी निकाल कर सिंचाई करना सम्भव नही है। अतः अधिकांश कृषि प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर रहती है। काश्तों के छोटे छोटे खण्डों में अलग अलग भू भागों में स्थित होने से पम्प द्वारा सिंचाई करने में अत्यधिक व्यय हो जाता है। इससे छोटे छोटे कृषक पम्पिंग सेटों का प्रयोग नहीं करते। इन्ही कारणों से स्प्रिंकलर का भी उपयोग नहीं होता है। कुछ समय पहिले हाईड्रम लगाकर पानी उठाने के प्रदर्शन किये गये परन्तु अभी कृषक कुछ व्यवहारिक कठिनाई के कारण इनका उपयोग आरम्भ नहीं कर सके हैं। जिले में अभी तक लगे पम्पिंग सेटों की संख्या नगण्य है। जो लगे भी हैं वह अधिकांश राजकीय फार्मों में अथवा भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत कुछ चुने क्षेत्रों में ही लगे हैं। साधनों की कमी के साथ साथ सिंचाई के स्रोतों में पानी की कमी का भी विशिष्ट स्थान है। अधिकांश स्रोतों में या तो पानी की कमी है अथवा उनमें गर्मियों में पानी कम हो जाता है। जिससे सिंचाई करना सम्भव नहीं होता। जिले में स्वच्छ जल के कुछ स्रोत है जिनसे नौलों व डिग्गियों में जमा किये पानी से लोग अपनी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। जल निकास की यहाँ कोई समस्या नहीं है और क्षारीय भूमि भी नहीं है।

पशुधनः- जनपद में पशुओं का बाहुल्य है पर यहाँ के पशु साधारणतया निर्बल व बहुत कम दूध देने वाले होते है क्योंकि इतना पौष्टिक चारा उपलब्ध नहीं होता कि इन पशुओं को अच्छी तरह पाला जा सके। साधारणतया प्रत्येक कृषक परिवार अपनी काश्त

को जोतने के लिये हल बैल रखते है, जिससे उन्हें पुरा शक्ति के साथ साथ अरसायनिक खाद भी प्राप्त हो जाती है। परन्तु इन पशुओं का ठीक प्रकार पोषण न होने से वे निर्बल रह जाते है।

कुक्कुट पालन को पिछले वर्षों में परियाप्त प्रोत्साहन किया गया परन्तु [illegible] वर्ष से कुकुट [illegible] बीमारियों के इस कार्यक्रम में गति रोध उत्पन्न हो गया है। 1966 की पशुगणना पर आधारित तथा 1972 एवं 1974 में पशुओं की संख्या के प्रक्षेपण निम्न प्रकार है:-

	1966	1972	1974
दुधारु पशु	2,10,654	2,22,724	2,26,751
अदुधारू पशु	2,17,751	2,30,281	2,34,444
बकरियाँ व भेड़ें	2,40,038	2,53,792	2,58,388
अन्य	1,55,821	1,64,770	1,67,749
योग:-	8,24,274	8,71,567	8,87,532
कुक्कुट	32,266	33,000	33,500

पशुपालन के सम्बन्ध में पशुचारे की समस्या कठिन है। जिसमें केवल 41,000 हैक्टेयर में स्थायी चरागाह है, जिनमें सर्दियों के दिनों में घास अपर्याप्त होती है, और पशुओं को पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता।

पशुधन की वृध्दि से भेड़ विकास की अधिक सम्भावना है। दानपुर परगने (बागेश्वर कपकोट) में बड़ी मात्रा में भेड़ पालन होता है। और भेड़ पालन इस क्षेत्र के लोगों की आजिविका के मुख्य साधन में से एक है। ये लोग साधारणतया दानपुरी, रामपुर-बुसायर व चौगरखा भेड़ व बकरियाँ पालते है। चौकुटिया, बारामण्डल व बागेश्वर पट्टियों में बकरियों का बाहुल्य है। कुछ समय से शंकर प्रजनन कार्य आरम्भ किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रायः 50 प्रतिशत भेड़ें उन्नतशील नस्ल की हो चुकी है। शंकर प्रजनन कार्यक्रम रामपुर बुसायर भेड़ों के अतिरिक्त विदेशी आयातित रेमबुली तथा रशियन मेरिनों भेड़ों के द्वारा भी करवाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप जहाँ स्थानीय भेड़ प्रति वर्ष एक किलो ग्राम ऊन दे पाती थी वहाँ अब उनसे 4 किलो ग्राम ऊन प्रति वर्ष प्राप्त किया जा रहा है। जिसकी कीमत भी स्थानीय ऊन से चौगुनी है।

गायों की नस्ल सुधारने के लिये विभाग द्वारा पर्वतीय पशु विकास योजना रानीखेत, ग्राम समूह इकाई गरुड़ तथा प्राउनस्विस से कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि आगामी 10 वर्षों में अनुमानतः 50 प्रतिशत स्थानीय गायों को उन्नत नस्लों में बदला जा सकेगा।

स्थानीय गायों के दुग्ध उत्पादन की क्षमता बहुत कम है। परन्तु उक्त वर्णित योजना के अन्तर्गत शंकर गायों से स्थानीय गायों के 1/2 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन के स्थान पर कम से कम 6 लीटर दूध प्रति दिन प्रति गाय उत्पन्न हो सकेगा।

और यदि इन पशुओं के पोषण का अच्छा प्रबन्ध हो सका तो 6 के स्थान पर 10 से 12 लिटर दूध प्रतिदिन प्रति गाय उपलब्ध होना सम्भव हो सकेगा।

वन:-

जिले के समस्त प्रकार के वनों के अन्तर्गत 2,60,553 हैक्टेयर क्षेत्रफल है और 41,800 हैक्टेयर भूमि में स्थायी चरागाह है। वन क्षेत्र के प्रबन्ध का विभाजन निम्न प्रकार है:-

वन विभाग के अन्तर्गत	1,74,910 हैक्टेयर
राजस्व विभाग के अन्तर्गत	54'473 ,,
पंचायतीराज निकायों के अन्तर्गत तथा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत	59,570 ,,

प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य स्थान चीड़ के वनों से उत्पन्न होने वाले लीसे तथा लकड़ियों का है। पाँच हजार फीट की ऊंचाई तक के सभी स्थानों में चीड़ के जंगलों की बहुतायत है जिससे लीसा एकत्रित किया जाता है। लीसे का निर्यात इस जनपद से बहुत अधिक होता है और इस व्यवसाय में हजारों व्यक्ति लगे रहते हैं। पुराने जंगलों के पेड़ काटकर ईंधन व इमारती लकड़ी के काम में लाये जाते है तथा उनके स्थान पर नये वृक्षारोपण किये जाते हैं। जिससे फलस्वरूप जंगलों का ह्रास नहीं हो पाता है। जिले की कुछ नदियों में उनकी तीव्र जलधारा के कारण लकड़ी के ढुलान की सुविधा है, जिस कारण इमारती लकड़ी व रेलवे स्लीपर्स के लिये भारी लकड़ी इन नदियों द्वारा बहा कर भेजी जाती है। चीड़ की लकड़ी जनपद से बहुत मात्रा में सहारनपुर स्टार पेपर मिल में कागज बनाने के लिये निर्यात की जा रही है।

तीव्र जल धाराओं व प्रपातों से लाभ उठाकर विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य भी सम्भव है। बागेश्वर में माइक्रोहाइडिल स्कीम पूर्व से ही कार्यरत है।

नदियों व नालों से गूल बनाकर खेतों की सिंचाई का कार्य किया जाता है। साथ ही इन नदियों से जो गूलें निकाली जाती है उन में पनचक्की भी लगा दी जाती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में अनाज पीसने के साधन सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो पाते है।

रिंगाले से चटाई-सूँ बनाने का कार्य किया जाता है। और बांस की टोकरियाँ बनाई जाती है।

इसके अतिरिक्त जनपद की वन सम्पदा में जड़ी-बूटियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

वन विभाग द्वारा आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है। इस समय इन वृक्षों के अन्तर्गत 3,226 हैक्टेयर भूमि है।

वन विभाग के लिये जितने क्षेत्रों में वनों का कटाव होता है उतने ही नये नवीन वृक्षारोपण कर लिया जाता है ताकि वन के क्षेत्र में कोई कमी नही रहे और इमारती लकड़ी ईंधन तथा औद्योगिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में कोई बाधा भविष्य में न आवे। इसके अतिरिक्त वनों की उन्नति का कार्यक्रम भी चलता रहता है। वन न विभाग द्वारा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण, आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों का वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण कार्य सम्पन्न किये जाते है।

वन विभाग द्वारा प्रशासित वनों की उचित व्यवस्था है और इनसे पर्याप्त मात्रा में लोसा, ईंधन, ईमारती लकड़ी, औद्योगिक लकड़ी प्राप्त होती है। परन्तु पंचायती वनों और राजस्व वनों के प्रशासन एवं संरक्षण की वैसी व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप अंतिम दो प्रकार के वनों से इस अनुपात में आय नहीं होती जितनी कि वन विभाग के वनों से।

खनिज संसाधन

जिले में सोप स्टोन एवं मैगनासाइट प्रचुर मात्रा में है। सोप स्टोन का निर्यात किया जाता है और मैगनासाइट के लिये झिरोली में फैक्ट्री खुल चुकी है। जिसमें राज्य सरकार के 51 प्रतिशत तथा टाटा कम्पनी के 49 प्रतिशत शेयर हैं। जिले में ~~अब तक~~ अब तक इस खनिज का कोई उपयोग नही किया जा रहा था और न कोई अन्य लघु उद्योग ही है। मैगनासाइट फैक्ट्री खोलने पर इस खनिज पदार्थ का प्राथमिक अथवा माध्यमिक विधायन होगा। उक्त फैक्ट्री के निर्दिष्ट स्थान के लिये बिजली, जल व संचार की उचित व्यवस्था की जा चुकी है।

पूर्व में कभी बागेश्वर के पास आईरन पाइराईट फूंककर लोहा प्राप्त किया जाता था परन्तु अब यह उद्योग लुप्त हो चुका है।

जनपद में खनिज पदार्थों के अन्वेषण की अभी तक कोई रिपोर्ट प्रकाशित नही हुई है। परन्तु यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि कही पर तांबा मिल सकता है।

स्थान स्थानों पर पत्थर की खानें उपलब्ध है जिनसे भवन निर्माण हेतु गुणता पूर्वक पत्थर मिल जाते है। इसी प्रकार छतों के लिये पत्थर के बड़े स्लेट भी निकाले व उपयोग में लाये जाते है।

बागेश्वर तथा कपकोट क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खड़िया मिट्टी मिलती है जिससे बर्तन, मूर्ति इत्यादि बनाई जाती है और जिसका पूरा सौन्दर्य प्रसाधन बनाने के काम में लाया जाता है।

जिले में सीमेन्ट बनाने के लिये खनिज वस्तुओं की प्रचुरता है और गुणता पूर्वक सीमेन्ट का कारखाना खोला जा सकता है।

परिच्छेद-चार

पंचम पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य व रणनीति

पंचम पंच वर्षीय योजना काल में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने को विभिन्न कार्यक्रमों के इस प्रकार संचालित करने की योजना बनाई गई है कि सब दिशाओं में सर्वांगीण विकास कर यह स्थानीय असन्तुलन दूर कर जन समुदाय का आर्थिक स्तर ऊँचा किया जावे।

भारत तथा उत्तर प्रदेश की क्रमशः 589 रूपये तथा 515 रूपये की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जिले की यह आय केवल 349 रूपये आंकी जाती है। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय के जिले वार कोई विश्वस्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है फिर भी यहाँ की उत्पादन क्षमता, आर्थिक व्यवस्था, आयात निर्यात को दृष्टिगत करते हुये इस प्रति व्यक्ति आय के अनुमान में कुछ तथ्य प्रतीत होता है। अब ऐसी आशा की जाती है कि विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक सम्पादित होने के फलस्वरूप यह प्रति व्यक्ति आय 480 रू० प्रति

व्यथित हो जायेगी ।

जिले का खाद्य उत्पादन आवश्यकता से प्रायः 15,000 हजार टन कम है। उद्देश्य यह रखा गया है कि बढ़ती आबादी का ध्यान रखा कर कर योजना के अंत तक खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो जावें। इसके साथ ही फलोद्यान विकास एवं चारा विकास एवं लघु उद्योग विकास के कार्यक्रम रखे गये है। जिसके फलस्वरूप कुछ अतिरिक्त आमदनी स्थानीय कृषकों को उपलब्ध हो जावे। कृषि, बागवानी विकास कार्यक्रमों में कैश क्राप्स के अधिक उत्पादन में विशेष बल दिया गया है।

अनुभव से ज्ञात किया गया है कि 40 प्रतिशत ढाल से अधिक ढाल की भूमि कृषि योग्य नहीं है। अतः इस भूमि को कृषि उपयोग से हटाकर बागवानी, चारा विकास व अन्य अन्य उपयोगों में लगाया जावे। साथ ही फसल चक्र इस प्रकार बदले जावें कि मडुवा का क्षेत्र कम करके उसके स्थान पर मक्का अथवा सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जावे। इस समय कुल 1,73,000 हैक्टेयर भूमि में खेती की जा रही है। (1,24,000 खरीफ 49,000रबी)और औसत उत्पादन प्रायः 8 कुन्तल प्रति हैक्टेयर होता है। वर्ष 1978-79 तक दुफसली क्षेत्र बढ़ाकर तथा उन्नत विधियों को अपना कर कृषि उत्पादन 14 कुन्तल प्रति हैक्टेयर तक बढ़ा कर 1,72,000टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि में बागवानी प्रसार कर फल उत्पादन किया जायेगा ।

विकास के लिये यह आवश्यक है इन्फ्रा स्ट्रक्चर (*Infrastructure*) का समुचित विकास हो तथा सामाजिक सेवायें व नियोजन सुव्यवस्थित किया जावे। इन के विकास के लिये अपनाई जाने वाली रणनीति तथा स्थान वर्णित है। इन कार्यों की प्राथमिकता निम्न प्रकार है:-

1- कृषि एवं फलोत्पादन में वृध्दि ।
2- सिंचाई साधनों का विस्तार व भूमि संरक्षण ।
3- पशुपालन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना ।
4- विधुत विकास जिससे उद्योगों का विकास हो सके।
5- यातायात तथा संचार व्यवस्था का विस्तार ।
6- उद्योग विकास ।
7- पेयजल योजनाओं का निर्माण ।
8- समाज सेवाओं का विस्तार ।
9- पर्यटन विकास ।

चतुर्थ योजना काल में भारत-जर्मन परियोजना का शुभारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत जर्मन विशेषज्ञों ने यहाँ की परिस्थिति का अध्ययन कर कृषि, बागवानी, पशु पालन, सिंचाई तथा चारा विकास की सम्भावनाओं पर विचार कर भारतीय अधिकारियों के सहयोग से विकास कार्यक्रम बनाये और फसल चक्र बदलने तथा विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। यह विकास नीति तथा परियोजना वर्ष 1979 तक निर्धारित कर ली गयी है।

पाँचवीं योजना के आरम्भ की स्थिति एवं सम्पूर्ण योजना तथा वर्ष 1974-75 व वर्ष 1975-76 के परिव्ययों/ लक्ष्यों और वर्ष 1974-75 के परिव्यय/उपलब्धियों का विस्तृत विवरण संलग्न सारणियों में दिया है ।

परिच्छेद -पाँच

5-1 (अ) कृषि उत्पादन:-

वर्ष 1971 की जिले की आबादी के लिये आवश्यकता से अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 16,000 टन कम है। इस कमी का मुख्य कारण सिंचाई की कमी, रासायनिक खादों का तथा उन्नतशील कृषि विधियों का न्यून उपयोग एवं पुराने ढंग से कृषि कार्यों का सम्पादित किया जाना है। जिले में केवल प्रायः 1,23,000 हैक्टेयर भूमि में कृषि होती है। जिसमें से केवल 49,000 हैक्टेयर भूमि में दुफसली क्षेत्र है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि दुफसली अथवा बहुफसली क्षेत्र की वृध्दि की जावे तथा फसल चक्रों को इस प्रकार बदला जावे कि अधिक से अधिक उत्पादन सम्भव हो। सिंचित क्षेत्र कम होने के कारण उन्नत किस्म के बीजों के क्षेत्र में वृध्दि तथा रासायनिक खादों के उपयोग में संतोषजनक प्रगति नहीं रही है। केवल 11,500 हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित है ।

1- भूमि संरक्षण एवं उत्पादन की दृष्टि से केवल 30 प्रतिशत ढाल तक ही सामान्यतः खेती की जानी चाहिये।

2- उपरोक्त निर्णयानुसार 1,12,855 हैक्टेयर जो असिंचित कृषि भूमि है उसका अनुमानित 70 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात 78,585 हैक्टेयर ही कृषि अन्तर्गत रहने दिया जायेगा और शेष 34,270 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावे अथवा चारा विकास किया जावे। इस प्रकार कृषि के अन्तर्गत केवल प्रायः 90,000 हैक्टेयर भूमि रह जावेगी। रामगंगा घाटी के अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि 30 प्रतिशत कृषि भूमि 40 प्रतिशत ढलान के ऊपर है और कृषि उत्पादन के उपयुक्त नहीं है।

3- आगामी वर्षों में ... सिंचित क्षेत्रों में वृध्दि अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया जायेगा और फसल चक्र बदलने का प्रयास किया जायेगा।

भूमि उपयोग के वर्तमान आँकड़े निम्न प्रकार है:-

1:- कुल क्षेत्रफल	5,46,097	हैक्टेयर	
2:- वनों के अन्तर्गत			
(क) सुरक्षित वन	1,74,910	,,	
(ख) सिविल वन	54,473	,,	
(ग) पंचायती वन	59,570	,,	
योग-	2,88,953	,,	
3:- कृषि के अन्तर्गत -	1,23,765	,,	
4- कृषि योग्य बंजर भूमि	14,408	,,	
5:- कृषि अयोग्य बंजर भूमि सड़क, नदी, आबादी, परती, उद्यान, चरागाह सहित ।	1,18,913	,,	(फलोद्यान 15,534 अन्य 1,03,379
योग:-	5,46,097	,,	

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर इस सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल ने भूमि के वर्तमान उपयोगों में निम्न परिवर्तन करने का निर्णय किया है और सम्बन्धित विभागों ने अपनी योजना इसी आधार पर बनाई है।

1:- सिंचाई के लिये पानी को ऊंचे क्षेत्र में पम्प द्वारा पहुँचाना ।

2:- सिंचाई के लिये प्राप्त पानी की अधिक सदुपयोग की व्यवस्था करना ।

3:- अधिक गूल, सिंचाई की नालियाँ, हौजों व जलाशयों का निर्माण करना ।

4:- दो फसली क्षेत्र का विस्तार करना ।

5:- शुष्क खेती को वैज्ञानिक पद्धतियों से अपनाना ।

6:- कृषि योग्य अकृषि भूमि को पुरानी परती भूमि को कृषि योग्य बनाना।

7:- रासायनिक उर्वरकों व उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करना ।

8:- विपणन की सुविधा एवं आर्थिक सहायता देना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि उत्पादन के लिये यह भी आवश्यक है कि संग्रहण, कृषकों के प्रशिक्षण, प्रदर्शनों और यातायात के लिये लिंक मार्गों की उचित व्यवस्था करना तथा भूमि संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है।

गेहूँ, धान, मक्का आदि के क्षेत्र में पंचम, षष्टम तथा सप्तम पंच वर्षीय योजना में 1973-74 को आधार मान कर सिंचित क्षेत्र में वृध्दि का प्रस्ताव है एवं मडुवा का क्षेत्र कम किया गया है। दीर्घकालीन योजना के निर्माण में इस तथ्य को सर्वोपरि रखा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र में वृध्दि संभव नहीं है। अतएव सघन कृषि एवं बहु फसली कार्यक्रम द्वारा ही उत्पादन में वृध्दि संभव है।

सन् 1961 में अल्मोड़ा की जनसंख्या जो सन् 1971 में बढ़कर 6-483 लाख हो गयी है वर्ष 1979 की अनुमानित जन संख्या 7-35 लाख होगी। अनुमानित खाद्यान्न की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी ।

वर्ष	अनुमानित जन संख्या	अनुमानित खाद्यान्न की आवश्यकता (टन)	अनुमानित उत्पादन	अधिक या कमी
1961	5, 52, 843	1, 21, 000	1, 05, 200	15, 800
1971	6, 48, 330	1, 45, 000	1, 29, 000	16, 000
1974	6, 79, 000	1, 49, 000	1, 35, 000	14, 000
1979	7, 35, 000	1, 80, 000	1, 72, 000	8, 000

वर्तमान समय में इस जनपद में 26 बीज भंडार है जिनके माध्यम से उन्नतशील कृषि वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास विभाग एवं कृषि विभाग के जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय प्रचार तंत्र माध्यम से कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक उपलब्धियों को कृषकों के क्षेत्र में कार्यरूप में परिणत कराया जाता है।

वर्ष 1968-69 में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के प्रसारण का दूसरा वर्ष था। गेहूँ उत्पादन में मैक्सिकन प्रजातियों की लघुस्तर पर किये गये प्रदर्शनों एवं क्षेत्रफल विस्तार की योजना के आशाजनक परिणाम उपलब्ध हुये। कुल 34, 409 हैक्टेयर गेहूँ के क्षेत्र में लगभग 1757 हैक्टेयर में मैक्सिकन गेहूँ बोया गया। फसलों के उत्पादन कार्यक्रम ने नई दिशा बदली और उर्वरकों तथा सिंचाई साधनों की भरपूर प्रयोग के व्यावहारिक परिणाम भी सामने आये। फलतः अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम

के साथ साथ उर्वरक वितरण एवं सिंचाई साधनों के विस्तार की ओर भी ठोस कार्यवाही आरम्भ की गई। वर्ष 1968-69 में 196मीटन नत्रजन 117मीटन फास्फोरस तथा 49 मी0 टन पोटास उर्वरकों का वितरण हुआ। कृषकों को कृषि साधनों की व्यवस्था के लिये तकावी ऋण वितरण का प्राविधान किया गया और 3,34,128 रूपये की तकावी [illegible] उर्वरक व बीज के रूप में वितरित की गई।

वर्ष 1971-72 तक अधिक उपज देने वाली फसलों की सघन कार्यक्रमों में परिव्याप्त प्रगति हुई है और लगभग 2,990 हैक्टेयर क्षेत्र में बौना धान 3,100 हैक्टेयर क्षेत्र में मैक्सिकन गेहूँ लगाया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय अधिक उपज देने वाली जातियों में भी काफी वृद्धि हुई। पौष्टिक आहार के कार्यक्रमों को दृष्टिगत कर सोयाबीन उत्पादन का भी कार्यक्रम आरम्भ किया गया और 334 हैक्टेयर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया। उर्वरक वितरण में भी प्रगति हुई। वैज्ञानिक खेती की उपलब्धियों का ज्ञान कृषकों को कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 27,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

<u>दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम</u> :-

कृषि उत्पादन में वृद्धि सिंचाई साधनों में वृद्धि, अधिक उपज देय जातियों के प्रयोग एवं उर्वरकों के प्रयोग करने से ही सम्भव है। क्योंकि 91 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है। अतः शुष्क खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आशा है कि नई जातियां जो इन परिस्थितियों के लिये विशेष रूप (उपराऊ जमीन) में से निकाली गई है अधिक सफल होंगी। खरीफ में असिंचित क्षेत्रफल एवं वर्षा पर निर्भर होने के कारण अधिक से अधिक क्षेत्रफल मडुवा, मादिरा व झंगोरा की खेती की जाती है। मडुवा की उन्नतशील जातियाँ विवेकानन्द अनुसंधानशाला से निकाली गई है। जिनका बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और आशा की जाती है कि असिंचित क्षेत्र में भी केवल वर्षा तक निर्भर मडुवा की अच्छी पैदावार ली जा सकेगी।

सोयाबीन की खेती पर्वतीय क्षेत्र में काफी समय पूर्व से होती आ रही है, परन्तु स्थानीय सोयाबीन का दाना काला और छोटा होता है। सोयाबीन की ब्रेग जाति बड़े होने वाली सफेद पीले रंग की होती है। सोयाबीन ब्रेग भी पहली बार 1971-72 में 334 हैक्टेयर में बोया गया और उसका 1972-73 व 73-74 का क्षेत्रफल 910 हैक्टेयर एवं 1591 हैक्टेयर हो गया है। सोयाबीन आटा, दाल, बरफी, दूध, एन्टीबायोटिक इत्यादि बनाने के काम में लाया जा सकता है। इसकी औसत पैदावार 15 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है। जब कि मडुवा की पैदावार कुल 5-6 कुन्तल है। अतः मडुवा के क्षेत्रफल को केवल सोयाबीन के अन्तर्गत लाने से तिगुनी पैदावार ली जा सकती है।

धान पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य फसल है जो कि 1973-74 में 47967 हैक्टेयर क्षेत्र में इस जनपद में बोया गया था। यह खरीफ में कुल बोये जाने वाले क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। धान भी अधिकतर असिंचित क्षेत्र में बोया जाता है। अधिक उपजदेय [illegible] धान एवं उत्तर प्रदेशीय धान के क्षेत्रफल की वृद्धि सिंचाई की क्षमता में बढ़ोत्तरी के अनुरूप बनाई गई है।

मडुवा के क्षेत्रफल को [illegible] एवं उन्नत [illegible] से परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तिलहन फसलों में सोयाबीन, तिल, अण्डी, सूरजमुखी फसलों के

अन्तर्गत चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त में 2,421 हैक्टेयर हो गया था। तिलहन फसलों में खरीफ 1972-73 से सूरजमुखी को सम्मिलित किया गया है। उत्पादित सूरजमुखी के बीजों से तेल निकालने व विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

गेहूँ रबी फसलों के क्षेत्रफल का 74 प्रतिशत भाग है। विभिन्न योजनाओं में वृध्दि के साथ-साथ अधिक उपज देय कार्यक्रम के अन्तर्गत मैक्सिकन एवं उन्नत उत्तर प्रदेशीय गेहूँ के क्षेत्र में भी वृध्दि की गई है। उत्तर प्रदेशीय गेहूँ में वी0एल0 जातियाँ अधिक सफल हुई है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्षों के अनुपात में पंचम, अष्टम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्षों के मैक्सिकन जातियों के आच्छादन के अन्तर्गत क्रमशः वृध्दि की जाने का कार्यक्रम है। रबी में केवल जौ 10-3 प्रतिशत क्षेत्र में बोया जाता है। जब कि गेहूँ का क्षेत्रफल 74 प्रतिशत है। गेहूँ के अन्तर्गत असिंचित केवल 1.5 प्रतिशत है। [illegible] जौ का वर्तमान क्षेत्रफल 56770 हैक्टेयर है।

__रसायनिक खादों का वितरण:-__

प्रथम पंच वर्षीय योजना में केवल 33 टन नत्रजन व फासफोरस तत्वों के रूप में रसायनिक उर्वरक वितरित हुआ था। जब कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में 40 मैट्रिक टन हो गया और तृतीय पंच वर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में केवल 133-4 टन नत्रजन तथा 64-8 टन फासफोरस बाँटा गया था। पंचम, अष्टम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजना कालों में नत्रजन, पी02ओ05(फासफोरस) एवं के02ओ0 (पोटास)वितरण में क्रमिक वृध्दि के लक्ष्य आयोजित किये है। बीजों की शुध्दता हेतु प्रतिवर्ष कृषि विभाग द्वारा 2 से 3 प्रतिशत उन्नत बीजों का वितरण किया जाता है। सब्जियों के उत्पादन से बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत परियाप्त सफलता प्राप्त की गई है।

द्विफसलीय क्षेत्र के अनुमानित आँकड़े निम्न प्रकार है:- (हैक्टेयर में)

वर्ष 1973-74	1978-79	1983-84	1988
49,041	62,000	65,000	70,000

द्विफसलीय क्षेत्रफल का लक्ष्य सिंचाई साधनों में वृध्दि के अनुसार बढ़ेगा। उन्नतशील जातियों कृषि यंत्रों, रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग आदि के प्रदर्शन किये जायेंगे। प्रदर्शनों की संख्या में आगामी योजनाओं में वृध्दि न करके प्रदर्शनों के क्षेत्र में वृध्दि की गई है। 3 नये बीज सम्वर्ध्दन प्रक्षेत्रों की स्थापना(कृषि के उन्नतशील बीजों के सम्वर्ध्दन के लिये इस समय जनपद में कोई भी फार्म जिला कृषि अधिकारी के अधीन नहीं है) करना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष उन्नतशील जातियों के बीजों को दूसरे जिलों से प्राप्त होने के बाद वितरित किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले में खरीफ के बाद शीघ्र रबी की बोवाई शुरू हो जाती है और मैदानी जिलों से बीज समय पर प्राप्त नहीं हो पाता एवं जो जातियाँ मैदानी क्षेत्र में अधिक पैदावार देती है उन्हें यहाँ पर बोने पर भी मैदानी क्षेत्रों के बराबर पैदावार नहीं मिल पाती है। अतः यह आवश्यक है कि यहाँ बीज सम्वर्ध्दन प्रक्षेत्रों की स्थापना की जाय। सप्तम पंच वर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक विकास खण्ड में एक बीज सम्वर्ध्दन फार्म को स्थापित करने हेतु पंचम, अष्टम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजना में क्रमशः 3, 4एवं

4 वर्ष खोलने की योजना है।

वर्ष	प्रकोष्ठों की संख्या	अनुमानित व्यय
1972-73	1	3,00,000 रुपया
1973-74	2	6,00,000 ,,
पंचम योजना	3	16,00,000 ,,
षष्ठम योजना	4	22,00,000 ,,
सप्तम योजना	4	22,00,000 ,,

खाद बीज आदि ढुलान के लिये ट्रकों की आवश्यकताः- प्रत्येक वर्ष विभाग को बीज एवं खाद ढुलान के लिये लगभग 2 लाख रुपया व्यय करना पड़ता है। जिसमें लगभग 1, 1/2 लाख रुपया ट्रकों में ढुलान करने तथा 50 हजार रुपया खच्चरों में एवं सरके बोझों से पैदल रास्तों पर ढुलान के लिये देना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि विभाग के अपने नीजी ट्रक हों तो उपरोक्त व्यय को बचाया जा सके। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण समय से ट्रक भी उपलब्ध नहीं हो पाते है। जिसके कारण प्रगति में बाधा पड़ती है।

पहाड़ी क्षेत्र एवं प्रत्येक स्थान पर सड़क का रास्ता न होने के कारण खाद का ढुलान अधिकतर खच्चर एवं सर बोझों से किया जाता है। जिसके कारण 1 कुन्तल के बोरों का ढुलान नहीं हो पाता है। काश्तकारों की जोतें छोटी होने के कारण भी उनकी खाद की माँग प्रायः 25 या 50 किलो ही रहती है। यदि 25 किलो के खाद के थैलों में खाद विक्रय किया जाय तो उसका ढुलान आसानी से किया जा सकता है तथा साथ ही साथ खाद वितरण की प्रगति में वृध्दि हो सकती है। 25 किलो के खाद के पैकिंग बनाने में खाली बोरों का व्यय, छोटा पैकिंग बनाने में खाद में क्षति एवं मजदूर का व्यय पड़ जाता है। फिर भी 1973-74 से छोटे 2 थैलों में वितरण आरम्भ कर दिया गया है।

इस जनपद में कुल 8 सहकारी भवन है। लगभग 126 भवन किराये पर लिये गये है जिसके कारण विभाग को प्रतिवर्ष 50-60 हजार रुपया गोदाम किराये का भुगतान करना पड़ता है। किराये के गोदामों की दशा भी अधिकतर ठीक नहीं है और वर्षा के कारण किसी भी कृषि सामग्री के भीगने की आशंका रहती है। अतः यह आवश्यक है कि विभाग के नीजी भवन गोदाम हेतु बनाये जायें।

मुख्य कार्यक्रम जिस पर हमें कार्य करना है वह गहुँ के बाद खाली छोड़े गये खेतों का है। इन खेतों में हम धन्द गोबी की आसानी से फसल ले सकते है तथा कुछ भागों में चारे के लिये जई व बरसीम भी ले सकते है। आधुनिक तकनीकी साधनों का पूर्ण उपयोग करके हम दो के बजाय तीन फसलें प्रत्येक वर्ष या दो वर्ष में उसी खेत में कम से कम पाँच फसल सुगमतापूर्वक ले सकते है।

उदाहरणतः-

सिंचित क्षेत्र 1) धान-सब्जी- आलू 1 वर्ष

2) धान-सब्जी-गेहूँ 1 वर्ष

असिंचित क्षेत्रः- 1) सोयाबीन-गेहूँ 1 वर्ष
2) सोयाबीन-गेहूँ-मडुआ 2 वर्ष
3) मडुआ-कुल्थी-मक्का-मटर-सोयाबीन-गेहूँ 2 वर्ष

सिंचित क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर द्विफसलीय क्षेत्रफल वर्ष 68-69 में 44,698 के विपरीत वर्ष 78-79 में 62,000 हैक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रान्तीय कृषि विभाग के अन्तर्गत पंचम पंच वर्षीय, षष्टम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजना काल में 12-12 बीज भंडारों के निर्माण कराने की योजना है। जिसमें पंच वर्षीय योजना काल में 4,80,000 रु (40,000 रूपया प्रति बीज गोदाम) की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सप्तम पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि बीज व खाद भन्डार हो जायेगी ।

भूमि उपयोगिता हेतु प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) निम्न प्रकार है (000 हैक्टेयर)

क्रमांक मद	68-69	70-71	73-74	78-79	83-84	88-89
1-बोया गया शुध्द क्षेत्र	123-765	123-765	123-765	90[illegible]	90	90[illegible]
2-एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	44	44	45	62	70 [illegible]	75 [illegible]
3-शुध्द सिंचित क्षेत्र	10	14	12	16[illegible]	19[illegible]	23[illegible]
4-कुल सिंचित क्षेत्र	17	21	23	31	35[illegible]	42[illegible]

<u>कृषि रक्षा कार्यक्रम</u> :-

इस समय, प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कृषि रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है और आवश्यक रसायन एवं उपकरण भी उपलब्ध करा दिये गये है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अंत तक (73-74) अनुमानतः कुल 38,230 हैक्टेयर पर कृषि रक्षा कार्यक्रम कराया गया ।

दीर्घकालीन योजना में दर्शाये गये भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनुमानतः वर्ष 1978-79 में 4,28,352 रूपयों की कीट एवं रोग नाशक रसायन की आवश्यकता होगी तथा वर्ष 83-84 में 5,33,700 रूपया एवं 1988-89 तक 6,28,050 रूपयों की कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होगी जिसका 30 प्रतिशत विभाग द्वारा और 70 प्रतिशत अन्य विभागों द्वारा पूर्ति की जायेगी ।

वर्ष 72-73 से इस जनपद के स्याल्दे, सल्ट एवं चौखुटिया विकास खण्डों में कुरमुला निवारण हेतु परीक्षण किये जा रहे है। सोयाबीन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा मशीनों एवं कीटनाशक दवाओं हेतु दिया जाता है ।

<u>कृषिः</u>- जिले में कुल मुख्य फसलें तथा उनकी पैदावार सिंचित व असिंचित क्षेत्र में निम्न प्रकार होती है:-

फसल का नाम	पैदावार प्रति हैक्टेयर (कुन्तल में)	
	सिंचित	असिंचित
1- धान	25	9

फसल का नाम	पैदावार प्रति हैक्टेयर (कुन्तल में)	
	सिंचित	असिंचित
2- मडुवा	-	5-6
3- झंगोरा	-	5-10
4- कोणी	-	5-10
5- उर्द	-	16-00
6- सोयाबीन	18	15-00
7- आलू	150	100
8- गेहूँ	25	10-0
9- मटर	12	8-0
10-चना	10	6-0

इस जिले में कम्पोस्ट तथा गोबर की खाद का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब जिले के प्रायः 20 प्रतिशत कृषक कुछ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे है। जिले में नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश तत्वों का गत वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा टन में		
	एन०	पी०	के०
1968-69	196-00	117-00	49-00
1969-70	236-00	155-00	75-00
1970-71	234-00	164-00	126-00
1973-74	309-00	189-00	142-00

इस जिले में भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत आ जाने से हवालबाग, बागेश्वर, गरुड़, ताकुला आदि विकास खण्डों में बहुद्देशी फसल चक्र अपनाये जा रहे है। एक वर्ष में धान, सब्जी, आलू की फसलें ली जा रही है। मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि कृषक कम से कम दो वर्ष में पाँच फसलें ले जिनमें कम से कम दो फसलें नकदी की ली जाँय। इस समय अधिक उपजाऊ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 15,257हैक्टेयर है। गत वर्षों में (68-69)(69-70)तथा(70-71)में क्रमशः प्रमाणित तथा उन्नतजातियों का बीज 675, 402 तथा 240 कि.कुन्टल बाटा गया। आगामी वर्षों में यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में बीजों का उत्पादन विकास खण्ड अधिकारियों की देखरेख में किया जाय और आपसी विनिमय द्वारा वितरित किया जाय।

कृषि अनुसंधान

विवेकानन्द अनुसंधानशाला में लगभग सभी अनाज, चारे, तेल वाली फसलों, सब्जियों तथा आर्थिक महत्व के कुछ पौधों पर पिछले 30 वर्षों से अधिक की अवधि में महत्वपूर्ण शोध कार्य होता आ रहा है और कृषि शोध में उसका न केवल पर्वतीय क्षेत्र में वरन् प्रदेश तथा पूरे देश में अग्रणीय स्थान है।

विवेकानन्द अनुसंधानशाला में कृषि शोध कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

गेहूँ की वी०एल० (विवेकानन्द लैब्रोट्री) 78 किस्म जो सामान्य किस्मों से बहुत अच्छी सिध्द हुई है और उत्तर प्रदेश की अन्य किस्मों से अधिक उपज देती है। वी०एल०61 और वी०एल०96 यह किस्में लेह (लद्दाख) और भूटान में अच्छी साबित हुई है। बौनी किस्म वी०एल०404 (2-जीन वाली) विदेशी एस०227 की तुलना में अधिक उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त तीन जीन/की कुछ बौनी किस्में अच्छी साबित हुई है।

असिंचित क्षेत्र के लिये वी०एल०-78, वी०एल०404, वी०एल०401, वी०एल० 501 आदि अच्छी किस्में है और देर से बोआई के लिये वी०एल०401, वी०एल०एस०6 और एस०308 उपयोगी सिध्द हुई है। शंकर मक्का के सम्बन्ध में इस अनुसंधानशाला में 1948 से ही कार्य आरम्भ हुआ था। 1955 में वी०एल०54 शंकर किस्म का विकास किया गया और अभी तक अन्य सभी शंकर किस्मों की तुलना में यह न केवल कुमाऊँ एवं उत्तराखण्ड में ही वरन जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उपज देती आ रही है। सन् 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बीज की सिफारिश करने वाली समिति द्वारा इस शंकर किस्म का अनुमोदन किया गया।

पिथौरागढ़ के एक कृषक ने इसे बोकर 104 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से अधिक उपज प्राप्त की और प्रथम पुरुस्कार पाया। अगाही शंकर किस्मों में वी०एल० 42 बहुत अच्छे परिणाम देती आ रही है और अब यह किस्म पहाड़ी जिलों के लिये बाँटी जा रही है। बौनी शंकर किस्मों में वी०एल०डी०1 बहुत अच्छी किस्म है।

देश भर में यही अनुसंधानशाला है जहाँ शंकर प्याज का बीजोत्पादन होता है। प्याज की शंकर किस्मों से पर्वतीय एवं मैदानी दोनों क्षेत्रों में वांछनीय परिणाम मिलते आये है। शंकर ज्वार पर भी सारे देश में सर्व प्रथम इसी अनुसंधानशाला में कार्य आरम्भ हुआ है और 1959 में ही शंकर किस्म का ज्वार विकसित किया गया। अन्य कई अगाही एवं बौनी किस्मों का विकास भी किया जा रहा है।

शंकर बाजरा की किस्मों का विकास भी सर्व प्रथम इसी अनुसंधानशाला में किया गया।

धान की वी०एल०8 किस्म पर्वतीय क्षेत्र के लिये सर्वोत्तम किस्म सिध्द हुई है। 1965 में उत्तरकाशी जिले में डारताली गाँव के कृषक श्री तारा सिंह ने 157-71 कुन्तल प्रति हैक्टेयर प्राप्त की। परिक्षण से ज्ञात हुआ कि वी०एल०8 किस्म स्थानीय किस्म की तुलना में असिंचित अवस्था में भी अधिक उपज देती है। इन फसलों के अतिरिक्त मडुवा, सोयाबीन, मसूर, जौ आदि फसलों पर भी महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है तथा अभिजनन से भी नई किस्में तैयार की जा रही है। मडुवा की किस्मों के विकास पर 1962 से ही कार्य चल रहा है और 1968-69 से चार वांछनीय किस्मों के बीज अधिक मात्रा में उत्पादन करके पर्वतीय क्षेत्र के लिये दिये जा रहे है। उत्तर प्रदेश तथा कोयम्बटूर की किस्मों के अर्न्तगत अभिजनन से प्राप्त शंकर जौ के चौथी पीढ़ी के चयनों का परीक्षण किया जा रहा है। राक-फेलर फाउन्डेशन से प्राप्त 961 किस्मों में से चयन तथा उसके अभिजनन द्वारा नई किस्मों के विकास का कार्य भी पिछले खरीफ के मौसम से आरम्भ हो गया है। अन्य छोटे अनाज की किस्मों का कार्य भी चल रहा है।

शकरकन्दी की अधिक उपज वाली तथा कुछ ऐसी किस्मों का भी प्रचलन किया गया है जिससे लगभग गाजर के बराबर ही कैरोटीन की मात्रा होती है।

चीनी उद्योग के लिये चुकन्दर (शुगरबीट) का महत्व अब समझा जा रहा है। इस अनुसंधानशाला में प्रथम बार चुकन्दर के बीज कुछ रूसी किस्मों से तैयार किये गये है। जिनकी उपज क्षमता बहुत अधिक है।

शकरकन्दी, स्टाबेरी तथा सब्जियों जैसे मटर, टमाटर, बैगन, फूल एवं पातगोभी, कद्दू आदि की उत्तम किस्मों का चुनाव हुआ है। और उनकी नई किस्में तैयार करने के लिये अभिजनन कार्य भी चल रहा है। कद्दू के फलों की किस्मों के सम्बन्ध में भी चयन एवं अभिजनन कार्य हो रहा है।

चारे और भूमि संरक्षण की दृष्टि से कई घासों मुख्य रूप से जाइन्ट स्टार घास, लव घास तथा जाइन्ट नैपियर घास का भी प्रचार इस अनुसंधानशाला द्वारा किया गया है। कुद्जू लता एक दलहनी किस्म की लता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। गर्मियों में जब कोई हरा चारा प्राप्त नहीं होता कुड्जू लता खूब हरी-भरी हो जाती है। पहाड़ी ढलानों पर लगाकर चारे, भूमि संरक्षण तथा हरी खाद के लिये इसका उपयोग किया जा रहा है।

जई की कई किस्में इस अनुसंधानशाला में परीक्षणों के परिणामों के आधार पर चारे के लिये उत्तम सिद्ध हुई है। इनमें मुख्य (1)नेनिया (2)केल (3)अलीमिलर (4) ब्राइट अल्जीरियन (5) लीबान्टे (6) ब्रूनिवाइस और (7) फ्रेस आपटरली है।

डी0एल0आई2 एक ऐसी उपज वाली और लम्बे रेसे वाली (2-75सेन्टीमीटर) किस्म है जो पर्वतीय क्षेत्र की फसल योजना में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है।

आर्थिक महत्व के पौधों में रेडीस्कल जो चूहों को मारने वाला विशिष्ट जहर का पौधा है और लेमन घास जो लेमन तेल प्रदान करती है, इस अनुसंधानशाला में उगाये जा रहे है। रेड उड के पेड़ भी उगाये गये है और इस समय भी इसके बीज तथा पौधे इस अनुसंधानशाला में उपलब्ध है। कृषकों को आधुनिक विधियाँ तथा शंकर बीजोत्पादन का प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया गया है। इस अनुसंधानशाला के बीजों की माँग सतत् रूप से बढ़ रही है जब कि साधन न होने के कारण इनका विधिपूर्वक परीक्षण न हो पाया। कई वर्षों से यहाँ के बीजों की माँग न केवल प्रदेश में बल्कि समूचे देश में रही है।

कृषि के अन्तर्गत उपज बढ़ाने का कार्य आज एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब कृषि के शोध कार्य उचित रूप से और शोध कार्य में लगे हुये कार्यकर्ताओं की तकनीकी देखरेख में किसानों तक पहुंचाया जाय। इससे पूर्व कि शोध कार्य के परिणामों को कृषकों द्वारा अपनाने की सिफारिस की जाय। यह नितान्त आवश्यक है कि परिणामों का पूर्ण एवं सर्वांगीर्ण मूल्यांकन स्थानीय ग्रामीण परिस्थितियों में कर लिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें, विभिन्न क्षेत्रों की ऊचाई, मिट्टी तापक्रम, फसलों के पकने के समय सिंचाई की उपलब्धि विशेष प्रकार की फसलों की खेती के कारण मैदानी क्षेत्रों से बहुत भिन्न है और विशिष्ट तकनीकी दृष्टिकोण की आवश्यकता इस क्षेत्र

के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये है। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में उचित विधियाँ अपनाने पर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में हर फसल अधिक उपज देती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि की जगह फलोत्पादन ही करना न सम्भव है और न वांछनीय ही है। क्योंकि इस क्षेत्र का भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। इतने बड़े व्यवसाय को किसी अन्य व्यवसाय में बदलना न संगत ही है और न आर्थिक दृष्टि से ही उपयोगी। विवेकानन्द अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा दीर्घकाल से कृषि शोध कार्य कर रही है, इतना महत्वपूर्ण कार्य और इतना तकनीकी अनुभव जो दी गई भूमिका से स्पष्ट है बेकार सा ही रहेगा, यदि इस शोध कार्य का तुलनात्मक परीक्षण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिये उचित सिफारिस न की गई। इस महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टि में रखते हुए तथा परीक्षण की अनिवार्यता को देखते हुये, एक दीर्घकालीन योजना बनाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है:-

1-पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक जिले में एक शोध उप केन्द्र की स्थापना।

2-प्रत्येक जिले में स्थापित उप केन्द्र पर तथा उसके माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये कृषकों के खेतों में परीक्षण करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पहले उप केन्द्रों के फार्मों पर (1)फसलों का जातीय परीक्षण (2)शस्य कार्य(एग्रोनामिकल) (3)उर्वरक परीक्षण(4)कीटों एवं रोगों के नियंत्रण पर परीक्षण तथा(5)खरपतवार नाशक रसायनों के परीक्षण।तत्पश्चात उप केन्द्रों के चारों ओर किसानों के खेतों में उक्तानुसार प्रसार कार्य।

3-अच्छी किस्मों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना तथा उन्नत कृषि विधियों से लाभ को दर्शाने के लिये कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करना।

4:- कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच तथा विस्तृत विश्लेषण करना।

5:- कृषकों को विभिन्न दृष्टिकोणों से आधुनिक कृषि विधियों की तकनीकी जानकारी कराना व शंकर बीज उत्पादन की तकनीक सिखाना।

6:- विभिन्न उन्नत बीजों का रसायनिक विश्लेषण द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन (क्वालिटी टैस्टिंग) का कार्य भी होगा। हर उप केन्द्र पर फसलों की किस्म का आधार-भूत बीज पैदा करना। साथ में किसानों के खेतों में भी बीजोत्पादन होगा।आरम्भ में रबी के मौसम में गेहूँ और शंकर प्याज व खरीफ में शंकर मक्का का बीजोत्पादन होगा, बाद में अन्य फसलों के बीजों की उपयोगिता एवं माँग के आधार पर उनका उत्पादन भी कृषकों के खेतों में किया जायेगा।

7:- परीक्षणों, मिट्टी विश्लेषण आदि के आधार पर विभिन्न स्थानों के लिये विभिन्न फसलों की उचित खेती की विधियों की संस्तुति करना।

8:- अनाजों तथा अन्य साधनों की फसलों की उपयुक्त किस्म के प्रचलन कराने के अलावा चारे, सब्जियों तथा अन्य महत्वपूर्ण फसलों एवं पौधों के सम्बन्ध में प्रचार करना।

इस योजना का वर्ष 1973-74 में प्रारम्भ होकर आठों पर्वतीय जिलों में इसका प्रसार पाँचवी पंच वर्षीय योजना में होगा। वर्ष 1973-74 में केवल एक उप केन्द्र की स्थापना विवेकानन्द अनुसंधानशाला के वर्तमान फार्म हवालबाग एवं लाइफस्टेट में होगी। वर्ष 1974-75 में तीन और उप केन्द्र खोले जायेंगे। वर्ष 1975-76 में तथा

वर्ष 1976-77 में दो- दो और उप केन्द्र खोले जायेंगे ।

' आलू विकास कार्यक्रम '

वर्ष 1968-69 के सर्वे के आधार पर अल्मोड़ा जनपद में कुल 1,800 हैक्टेयर भूमि पर आलू की कृषि की जाती थी तथा लगभग 13,500 टन आलू की उपज हुई। वर्ष 1968-69 में कुल 4,936 टन आलू बीज की आवश्यकता थी ।

आलू का नकदी फसल के रूप में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्वतीय क्षेत्र के ऊँचे इलाकों में रोगमुक्त आलू बीज आसानी से पैदा किया जा सकता है। आलू के उन्नतशील एवं रोगमुक्त बीज के उत्पादन के लिये एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम हैः-

1- राजकीय प्रक्षेत्र पटोरिया पर रोगमुक्त आलू एवं उन्नतशील बीजों का उत्पादन ।

2- आलू की उन्नतशील कृषि विधियों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से वर्तमान उपज का बढ़ाना।

3- रोगमुक्त आलू बीज उत्पादन के लिये रोग एवं कीटनाशक दवाइयों के महत्व का ज्ञान कराना ।

4- रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग ।

5- वर्तमान प्रक्षेत्रों के चारों तरफ कृषकों के खेतों पर आलू सघनीकरण का कार्य।

राजकीय आलू फार्म पटोरिया पर वर्तमान समय में केवल 14 हैक्टेयर भूमि पर आलू बोया जाता है। वर्तमान वर्ष में लगभग 70 टन आलू बीज पैदा किया जाता है जो कि लगभग 35 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये उपयुक्त है। चूंकि प्रक्षेत्र का क्षेत्रफल कम है इसलिये कृषकों के खेतों का चयन कर उनमें स्प्रउड बीज-वर्द्धन किया जा रहा है।

आलू बीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिये स्प्रउड एवं प्रमाणित बीज की मात्रा जो सघनीकरण क्षेत्र से पैदा की जायेगी उसे निम्न रूप में दर्शाया जा रहा है।

वर्ष	क्षेत्रफल है0में जिसपर स्प्रउड बीज पैदा होगा	क्षेत्रफल है0में जिस पर स्प्रउड बीज लगाया जायेगा ।	अनुमानित उपज टन में । स्प्रउड	प्रमाणित (उपज)	विशेष विवरण
72-73	20	-	200	-	100 कुन्तल प्रति है0
73-74	60	100	600	1000	,,
74-75	90	300	1080	3600	120 ,,
75-76	120	540	1500	6750	125 ,,
76-77	150	750	1875	9375	125 ,,
77-78	180	973	2250	11718	125 ,,
78-79	180	1125	2250	14062	125 ,,
83-84 84-85	240	1500	3000	18750	125 ,,
88-89 89-90	300	1875	3750	23437	125 ,,

वर्ष 1978-79 तक प्रायः 16000 टन रोगमुक्त एवं स्प्राउट आलू बीज उत्पन्न होने लगेगा, जब कि जनपद की वर्ष 78-79 में बीज की आवश्यकता 9000 टन ही होगी। इस तरह से लगभग 7000 टन बीज निर्यात हेतु उपलब्ध हो सकेगा। दीर्घकालीन योजना में वर्ष 88-89 तक स्प्राउट बीज पैदा करने का क्षेत्र लगभग 300 हैक्टेयर एवं प्रमाणित बीज पैदा करने का क्षेत्र लगभग 1875 हैक्टेयर तक बढ़ाया जावेगा। जिससे लगभग 25000 टन स्प्राउट एवं प्रमाणित आलू भी पैदा किया जावेगा।

... वर्ष 88-89 तक 1-4 लाख टन आलू का उत्पादन होगा जिसमें से 25 हजार टन रोगमुक्त आलू बीज पैदा होगा जबकि जनपद हेतु लगभग 13000 टन आलू बीज की आवश्यकता वर्ष 88-89 तक आंकी गई है। आलू का इस तरह से लगभग 12000 टन रोगमुक्त बीज निर्यात हेतु उपलब्ध हो सकेगा साथ ही लगभग 1-5 लाख टन खाने योग्य आलू पैदा होगा जिसमें से जिले की आवश्यकता पूर्ति के बाद पर्याप्त मात्रा निर्यात हेतु उपलब्ध होगी।

अनाज सम्बन्धी चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकनः-

कृषि के अन्तर्गत पर्वतीय भूभाग में भी लक्ष्य यह माना जा सकता है कि हम अन्न में आत्म निर्भर हों। जनपद में कृषि के अन्तर्गत 1,23,765 हैक्टेयर भूमि है जिसमें 11,500 हैक्टेयर सिंचित तथा 1,12,265 हैक्टेयर असिंचित (प्रथम श्रेणी 1,10,248 [redacted] द्वितीय श्रेणी ... 2027 हैक्टेयर जो निम्न कोटि की है) भूमि है। जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 118-9 सें०मी० है तथा भूमि हल्की, दोमट तथा कहीं कहीं भारी मिट्टी भी मिलती है। जनपद में कृषि कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार हैः-

विभागीय बीज वितरण :-

विभागीय बीज वितरण केवल नवीन जातियों के प्रचार हेतु किया जाता है जो बोये गये क्षेत्रफल का लगभग 3 से 5 प्रतिशत रहता है। विभिन्न बीजों की जातियों का वितरण उनकी स्थानीय उपयोगिता तथा माँग के अनुसार किया जाता है। इसके साथ साथ कृषकों को अपना स्वयं का बीज पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रायः बीजों का प्रबन्ध एवं वितरण ठीक समय से नहीं होता जिससे इच्छुक कृषक भी उन्नतशील बीजों का उपयोग नहीं कर पाते है।

रसायनिक उर्वरकों की वितरणः-

जैसा कि पूर्व में ही अंकित किया जा चुका है कि रसायनिक खादों का उपयोग बढ़ता जा रहा है पर यह वृद्धि सन्तोषप्रद नहीं है। रसायनिक खादों का उपयोग वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल के अनुरूप नहीं है। भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में इन खादों के उपलब्ध होने तथा ग्रामस्तरीय कर्मचारियों की संख्या प्रायः तिगुनी कर दिये जाने पर भी रसायनिक खादों का वितरण असन्तोषजनक ही रहा है जिसके कई कारण है जो निम्न प्रकार हैः-

(1) ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता।

(2) खादों के छोटे छोटे थैलों में उपलब्ध न होना जिससे कृषकों को छोटी छोटी मात्रा में खाद ले जाने में सुविधा हो और व्यय कम हो।

(अब छोटे छोटे थैलों में खाद का पैकिंग व वितरण आरम्भ कर लिया गया है।)

(3) खेतों का छोटे छोटे खण्डों में विभिन्न स्थानों में स्थिति होना(यहाँ चकबन्दी आरम्भ नहीं हुई है अतः उपरोक्त स्थिति रहती है।)

(4) सिंचाई साधनों की न्यूनता ।

(5) रसायनिक खादों का मूल्य छोटे कृषकों द्वारा वहन करने की असमर्थता ।

(6) अल्प कालीन ऋणों (सहकारिता) के नकद व वस्तुओं के बीच(खाद एवं बीज) निर्धारित अनुपात(Linkage) का पूर्ण पालन न किया जाना ।

(7) बागवानी में रसायनिक खाद का समुचित उपयोग न किया जाना ।

प्रदर्शनों का आयोजनः-

उन्नत कृषि की पध्दति को अपनाने हेतु सफल कृषि प्रदर्शन खरीफ एवं रबी फसलों में भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत आयोजित किये जाते है। पहले से प्राय लोग छोटे 2 प्रदर्शन करते थे अब सम्पूर्ण ग्राम प्रदर्शन किये जाते है परन्तु प्रदर्शनों के बाद उनका फोलोअप(follow up) . पिछली पैदावार की तुलना से नहीं की जाती है जिससे प्रदर्शन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।

कृषि प्रदर्शन वृहत रूप से इस जनपद में वर्ष 69-70 से ही अपनाये गये है और प्रत्येक वर्षों में पूर्व अनुभव के ही आधार पर कुछ परिवर्तन किये जाते रहे। वर्ष 70-71 में परियोजना के अन्तर्गत 10 प्रदर्शन 2-2 हैक्टेयर क्षेत्रफल के किये गये। तदुपरान्त 71-72 में 13 ग्रामों में सम्पूर्ण ग्राम प्रदर्शन, 21 ग्रामों में 4 हैक्टेयर के प्रदर्शन निःशुल्क खाद के भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत 445 हैक्टेयर में किये गये। इसी प्रकार 2-2 हैक्टेयर के 3 प्रदर्शन खरीफ 71-72 में और आयोजित किये गये। यद्यपि वर्ष 71-72 में प्रदर्शनों की संख्या 204 ही रही परन्तु कुल क्षेत्रफल में वृध्दि की गई। इस प्रकार वर्ष 71-72 में आयोजित प्रदर्शनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा 69-70 एवं 70-71 के अनुपात में क्रमशः 6 गुना तथा 3 गुना वृध्दि की गई।

तकावी वितरणः-(ऋण)

कृषि कार्यों को बढ़ावा देने एवं कृषकों को उत्साहित करने के लिये तकावी ऋण, खाद, बीज एवं यंत्रों के लिये वितरित करना आवश्यक है। क्योंकि यह जनपद एक पिछड़ा हुआ जनपद है, फलस्वरूप यहाँ के कृषक नकद मूल्य पर खाद, बीज एवं यंत्र नहीं खरीद सकते । अतः इस कार्य को गति देना आवश्यक है। वर्ष 69-70, 70-71 एवं 71-72 में क्रमशः 3-64 लाख, 2-83लाख एवं 2-89 लाख रूपये की तकावी इस मद पर वितरित की गई। अब संस्थागत वित्त द्वारा ऋण देने की व्यवस्था की जा चुकी है परन्तु जनपद में बैंक शाखाओं की कमी तथा बैंक के अनुबन्धन के कारण यह कृषि ऋण सुगमता से नहीं मिल पाते जिससे इच्छुक व्यक्ति इस सुविधा से वंचित रह जाते है।

उन्नतशील यंत्रों का वितरणः-

कृषि कार्यो को सुचारु एवं वर्तमान पध्दति से करने के लिये कृषि यंत्रों का मुख्य स्थान है। इस हेतु भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत एक कार्यशाला भी स्थापित हो चुकी है तथा इस जनपद के कृषक इस कार्यशाला में निर्मित कृषि यंत्रों से प्रभावित हुये

है। वर्ष 69-70, 70-71 तथा 71-72 में क्रमशः 310, 1034 एवं 1310 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है।

<u>कृषकों का प्रशिक्षण :-</u>

उन्नत ढंग से खेती करने तथा कृषि सम्बन्धी अन्य सुझाव देने हेतु कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। गत तीन वर्षों में क्रमशः 18,891, 25,579 एवं 30,692 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया तथा ग्राम सहायकों को चार दिवसीय प्रशिक्षण, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हवालबाग में दिया जाता है।

<u>'कृषि रक्षा कार्यक्रम'</u>

इस जनपद में वर्ष 67-68 में कृषि रक्षा उप केन्द्र की स्थापना की गई। इस समय प्रत्येक विकास खण्ड पर, एक कृषि रक्षा इकाई की स्थापना की जा चुकी है तथा कृषि रक्षा कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने हेतु आवश्यक कृषि रक्षा रसायन एवं मशीनें प्रत्येक इकाई पर उपलब्ध करा दी गई है। क्षेत्र में नियुक्त कृषि रक्षा कर्मचारी कृषकों को आवश्यक सलाह के साथ साथ क्रियात्मक रूप से भी प्रशिक्षण देते रहते है। समय समय पर किसी विशेष रोग कीट का प्रकोप होने पर अभियान संगठित किये जाते है जिसमें सामूहिक रूप से कृषकों को एकत्रित कर सम्मिलित रूप से कार्य कराया जाता है। विगत वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 68-69 को आधार मानते हुए कृषि रक्षा कार्यक्रम में 4 से लेकर 40 गुना वृध्दि हुई है।

पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु सम्बन्धी अलग स्थिति होने के कारण कृषि क्रान्ति में सफलता लाने हेतु यहाँ बीजों का विकास तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि यन्त्रों का बनाया जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ कर चुकी है जिससे कृषि उन्नति में बड़ी सहायता मिलेगी।

पूर्व में यहाँ कई अच्छे चाय के बगीचे थे पर अब यह-उद्योग लुप्त प्रायः हो चुका है। चाय की खेती को कुटीर उद्योग की भाँति पुनः बढ़ावा दिये जाने के बारे में भी सर्वेक्षण एवं प्राथमिक कार्य करने की आवश्यकता है।

कृषि उन्नति, सिंचाई, बैयार, बागवानी एवं विद्युत विकास के साथ-साथ कतिपय केन्द्रों का विकास होना स्वाभाविक है। बागवानी के अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात तथा संग्रह करने के लिये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के फलस्वरूप बाजारों का विकास होगा। मैगनासाइट फैक्ट्री के खुलने से एक नया केन्द्र विकसित हो जावेगा। ताकुला जो अभी तक एक छोटा सा गाँव है, इस परियोजना से लाभान्वित होगा और इसमें बाजार का विस्तार होगा। भिकियासैंण में मोटर मार्ग, विद्युत व पानी की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इससे यह एक बड़ा केन्द्र हो जावेगा। साथ ही वहाँ को बिजली की लाइन जाने से रास्ते के गाँवों को भी विद्युत शक्ति मिल सकेगी और सिंचाई के पम्प लग सकेंगे।

रामगंगा पम्पिंग योजना के पूर्ण होने पर, भिकियासैंण, मासी, चौखुटिया क्षेत्र लाभान्वित हो जावेंगे।

जिले के ऊँचे भागों में बागवानी की जो योजना चल रही है उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर फलों के पैकिंग व ग्रेडिंग के लिये छोटे-छोटे केन्द्र खुल जावेंगे।

यातायात की सुविधा प्राप्त होने के कारण, बागवानी के अतिरिक्त उत्पादन का सामुहिक निर्यात भी संभव हो सकेगा। कृषि में उन्नति के कारण अधिक उपज होने से ग्रामीण लोगों को बाहर से आयात होने वाले अन्न पर कम निर्भर रहना पडेगा उन्नत आलू बीजों तथा रसायनिक खादों के उपयोग से आलू उत्पादन में जो वृद्धि होगी और जिसका निर्यात विपणन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जावेगा उससे जनता लाभान्वित होगी। आलू के अतिरिक्त उत्पादन से आलू की चिप्स बनाने की मशीनें लग सकेंगी, सोयाबीन से बिस्कुट, दूध इत्यादि बनेगा और सूरजमुखी के बीजों का तेल निकाल कर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। मिर्च का चूरा बना कर उसका निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि पर आधारित कई लघु उद्योग खोलकर स्थानीय जनता लाभान्वित हो सकती है।

फसलवार क्षेत्र हेतु प्रक्षेपण (000 हैक्टेयर) वर्ष की अवधि में क्षेत्र

फसलें	68-69	70-71	73-74	78-79	83-84	88-89
अनाज						
गेहूँ	34-409	36-260	39-000	43-000	51-000	58-000
धान	44-422	44-724	47-967	50-293	53-000	56-000
मक्का	3-795	3-825	3-850	4-000	4-000	4-000
अन्य	74-000	74-200	67-916	51-619	47-000	42-000
योग-	156-626	159-009	158-733	148-912	155-000	160-000
दालें	6-000	6-000	6-030	8-018	8-665	8-690
तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि	0-550	0-550	2-421	20-200	21-000	25-000
अन्य वाणिज्यिक फसलें-आलू	1-800	1-850	2-000	4-000	5-500	6-500

फसलवार कुल उपज के प्रक्षेपण (000 मैट्रिक टन में)

अनाज व दालें						
गेहूँ	28-663	30-204	41-574	56-330	73-950	89-900
धान	52-418	52-774	42-547	60-352	68-900	75-600
मक्का	3-036	5-305	3-646	4-400	5-000	5-000
जौ	4-530	4-711	5-961	7-350	7-200	7-200
मंडुवा	31-050	34-500	33-609	33-464	39-000	40-800
दालें	5-600	5-900	[illegible]-095	10-117	10-762	10-789
योग-	125-297	133-094	135-432	172-013	204-812	229-289

फसलवार सिंचित क्षेत्र हेतु प्रक्षेपण अवधि में (000 हैक्टेयर)

फसलें	68-69	70-71	73-74	78-79	83-84	88-89
अनाज						
गेहूँ	8-600	7-600	8-500	11-500	14-500	17-500
धान	9-150	10-150	11-000	14-000	18-000	22-000
मक्का	0-264	0-280	0-300	0-350	0-380	0-400
दालें	0-150	0-150	0-150	0-170	0-200	0-240
तिलहन	0-050	0-050	0-100	0-300	0-400	0-500

अभी तक अधिक उपजाऊ बीजों के अन्तर्गत तथा उन्नतशील कृषि विधियों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल आच्छादित नहीं हो पाया है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होगा:-

अधिक उपजाऊ बीजों से आच्छादित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
धान	1638	2314	2990	3225	4040
गेहूँ	2288	3045	3111	5225	7208
मक्का	200	214	322	270	384

प्रादेशिक उन्नत बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
धान	2950	5295	4155	4042	5096
गेहूँ	1716	2992	3122	5731	6478
मक्का	1400	1466	1557	1313	1765

पंचम योजना काल में अधिक उपज देने वाली बीजों तथा प्रादेशिक उन्नत बीजों के क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा जिसके फलस्वरूप रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ेगा और अन्न उत्पादन में वृद्धि होगी। योजनाकाल के लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये है।

अधिक उपज देने वाली विदेशी बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

	1974-75	75-76	76-77	77-78	78-79
धान	6469	8000	8000	8000	9000
गेहूँ	11416	14000	14000	14500	15000
मक्का	493	550	550	575	665

उत्तर प्रदेशीय उन्नत बीजों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

	1974-75	75-76	76-77	77-78	78-79
धान	8216	10000	10500	11000	12000
गेहूँ	8250	8500	8500	8500	9000
मक्का	1990	2000	2000	2000	2000

उपरोक्त के अतिरिक्त तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी तथा आलू का क्षेत्रफल बढ़ाया जावेगा ताकि क्राप्स के उत्पादन व विपणन से कृषकों को लाभ होवें और उनका आर्थिक स्तर सुधरे ।

चूंकि सिंचित क्षेत्रफल में वृध्दि होगी इससे कृषकों को अभी उपलब्ध सिंचितक्षेत्रफल तथा योजनाकाल में उपलब्ध होने वाली सिंचित क्षमता का उपयोग कर उपरोक्त कार्यक्रम को सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

सिंचाई साधनों की वृध्दि के साथ साथ भूमि संरक्षण कार्य को तथा खाद-बीज व कीटाणु नाशक दवाओं को तथा अन्य कृषकों को मिलवाने के कार्यक्रम भी सुनिश्चित करवाये जावेंगे। अभी तक रसायनिक खाद वितरण की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं आंकी जा सकती है। अब खाद के पांच व दस किलोग्राम के छोटे 2 थैले बनाये जाने की व्यवस्था है जिससे कृषक सुगमता पूर्वक उन्हें दूर स्थित क्षेत्रों में ले जा कर उपयोग कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर समुचित नियंत्रण न होने के कारण खाद वितरण में उनका योगदान संतोषजनक नहीं रहा। अब ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का पुनर्गठन किया गया है और इनकी संख्या में पर्याप्त वृध्दि कर दी गई है। कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या मैदानी क्षेत्रों से तिगुनी की जा चुकी है। इन पर कृषि विभाग एवं भारत - जर्मन परियोजना का नियंत्रण रखा गया है और रसायनिक खादों के पर्याप्त स्टाक इनको दे दिये गए है। प्रदर्शनों की संख्या उत्तरोत्तर बढाई जा रही है तथा कैश क्राप्स के विपणनकी उचित व्यवस्था की जा रही है ।

कृषकों को तकावी ऋण वितरण की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा करवाई जाती है। संस्थागत वित्त द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों के लिये ऋण दिये जाने की व्यवस्था तथा अतिरिक्त उत्पादन के विपणनके लिये ग्रामों का चयन कर लीड बैंक शाखाओं को सूचित किया जा चुका है। लीड बैंक अपने क्रैडिट प्लान बना रहे है। जिले में इसकी छः शाखायें है जिनके पाँच मील के अन्तर्गत पड़ने वाले 30 ग्रामों का चयन कर लीड बैंक से कृषि ऋण व्यवस्था करने का अनुरोध किया जा चुका है। अभी तक बैंक द्वारा लगाये गए अनुबन्धों के कारण पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋणों का वितरण सम्भव नहीं हुआ है। आशा है कि निकट भविष्य में और बैंक शाखाओं के खुलने पर और बैंक द्वारा कुछ अधिक उदार नीति अपनाये जाने पर अधिक कृषकों को कृषि के ऋण उपलब्ध हो सकेंगें ।

सहकारी विभाग द्वारा जिले में बड़ी मात्रा में अल्प कालीन कृषि ऋण वितरण किये जाते है परन्तु यह सर्वविदित है कि इस धनराशि का कृषि कार्यों में उपयोग नगण्य है। वास्तव में इन कृषि ऋणों का, कृषि के लिये उपयोग करवाने के लिये यह आवश्यक है कि नकद धनराशि का कृषि उपकरणों, खाद बीज आदि में विनियोग सुनिश्चित किया जावे। अभी तक कृषक ——— सहकारिता का नकद ऋण तो ले लेते है परन्तु खाद-बीज लेने के लिये उदासीन रहते है फलस्वरूप ऋण का सदुपयोग नहीं हो पाता ।

कृषि अनुसंधान और शुष्क खेती के विस्तार के विस्तृत कार्यक्रम बनाये गए है। इनके सुनियोजित सम्पादन के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी उपलब्ध है। अब कुछ

प्रगतिशील कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करवा कर, उनके द्वारा रजिस्टर्ड बीज उत्पादित करवा कर, अन्य कृषकों के वितरण की योजना चलाई गई है। पहाड़ों में खेती छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है जिनमें प्रायः हल चलाने तक को भी पर्याप्त स्थान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों के लिये, उचित कृषि उपकरणों पर, अनुसंधान किया जा रहा है और कुछ उपयोगी यंत्र बनाये और वितरित भी किये जा चुके है। कृषि रक्षा व पौध संरक्षण के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त है।

यह उल्लेखनीय है कि समस्त पर्वतीय एवं सीमान्त प्रदेश के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों की एक समान नीति होनी चाहिए। अभी इनमें कुछ विसमता और विविधता है। इस पिछड़े अविकसित क्षेत्र के लिये भी सरकार की वही नीति होनी चाहिए जो सीमान्त जनपदों अथवा सीमान्त प्रदेशों के लिये है। कृषि कार्यों के सुनियोजित संचालन के लिये कृषि उपयोगी वस्तुओं के लिये यातायात अनुदान दिया जाना तथा विद्युत शक्ति के उपयोग के लिये अनुदान दिया जाना विचारणीय है। जिस प्रकार राज्य के कुछ जनपदों में स्माल फार्मर्स तथा मार्जिनल फार्मर्स स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। जिससे कृषकों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है उसी प्रकार इस पिछड़े पर्वतीय अंचल में भी इस प्रकार की योजनाओं को चलाया जाना न्यायोचित होगा। [illegible] प्रस्तावित योजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन में वित्त हस्तपुस्तिका की धाराओं के कारण कुछ बाधायें पड़ती है और कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है। अतः संस्तुति की जाती है कि जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार इन प्रतिबन्धों को शिथिल करने के अधिकार दिये जायँ।

परियोजनावार परिव्यय
कृषि विभाग

(हजार रु० में)

परियोजना	पाँचवी योजना	1974-75	1975-76
(1) उर्वरक एवं कीटनाशक अधिनियमों के पालन हेतु संगठन की स्थापना	20		
(2) उत्तर प्रदेश के दाल उत्पादन वाले क्षेत्रों में सघन खेती की योजना	6	1	
(3) पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना	5601	1497	
(4) पर्वतीय क्षेत्र में बीज विधायन संयन्त्र लगाने की योजना	150		
(5) पर्वतीय क्षेत्र में बीज संवर्धन प्रक्षेत्रों की स्थापना	1300	100	
(6) पर्वतीय जिलों के पिछड़े एवं अगम्य क्षेत्रों में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के लिये भंडार गृहों का निर्माण	300		
(7) पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता	100	40	
(8) पर्वतीय जिलों में कृषि सामग्री के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण	600		
(9) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि रक्षा कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण, कुरमुला कीट के नियंत्रण एवं उन्मूलन की योजना	1100	200	
(10) पर्वतीय क्षेत्रों में तिलहन, सोयाबीन और सूरजमुखी उत्पादन की योजना	250	40	
(11) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग (अल्मोड़ा) तथा पौड़ी गढ़वाल के डिप्लोमा के छात्रों को छात्रवृत्ति	308	62	
(12) पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उनके उत्पादन का अध्ययन एवं कृषि उत्पादन के सर्वेक्षण की योजना	600	70	
(13) पर्वतीय क्षेत्रों में फलों की विपणन प्रणाली एवं उत्पादन लागत की अग्रिम परियोजना	250	50	

परियोजना	पाँचवीं योजना	1974-75	1975-76
(14) पर्वतीय क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के विकास की योजना	60	15	
(15) बहुधन्धी परियोजना के अन्तर्गत अल्मोड़े जिले में सघन कृषि विकास की योजना	17594	2350	
(16) पर्वतीय क्षेत्र में कृषि तकनीकी के सुधार की योजना	35	2	
योग-	28374	4428	3471

5-1 (ख) **फलोत्पादन**

यह जिला छोटे छोटे गाँवों में बसा है जिसमें अल्मोड़ा, रानीखेत तथा बागेश्वर तीन शहर है। आबादी का 95-7 प्रतिशत जनता गाँवों में बसी है। और 4-3 प्रतिशत शहरों में। जिले के गाँवों की संख्या 3,139 है।

वर्तमान स्थिति

उद्यान अन्तर्गत क्षेत्रफलः- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में 1968 में 10,598 हैक्टेयर क्षेत्र में उद्यान लगे हुए थे जो 1972 तक 13,[illegible]68 हैक्टेयर तथा 1974 में 15,534 हैक्टेयर हो चुके है किन्तु इस क्षेत्र की व्यवस्था क्या है और लगे उद्यानों की वर्तमान दशा क्या है, इस विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आगामी योजनाओं में नये उद्यानों के विकास के साथ साथ पुराने उद्यानों के अनुरक्षण की ओर ध्यान देते रहना परमावश्यक है।

केवल 40 प्रतिशत ढाल तक ही खेती करने के निर्णय के फलस्वरूप 34,270 हैक्टेयर बचने वाले क्षेत्र में उद्यान विकास का कार्य फैलाना होगा। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण कृषकों की जोत बहुत छोटी अर्थात लगभग 0-22 हैक्टेयर प्रति परिवार है और खेतों की चकबन्दी भी नहीं हुई है। अतः उद्यानों को अभी कृषकों के खेतों में चक के रूप में लगाने के लिये भूमि सर्वे एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 की सहायता लेना आवश्यक होगा। इस क्षेत्र में उद्यान लगाने के पूर्व भूमि संरक्षण कार्य भी भूमि संरक्षण विभाग से कराने आवश्यक होंगे।

वर्तमान समय में विकास खण्डों के माध्यम से उद्यान ऋण बाँटने और फलदार पौध वितरण करना ही पर्याप्त समझा जाता है। यदि वास्तव में क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता वास्तविक रूप से बागवानी में ही उपयोग की जाती है न कि अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये।

उद्यानों की देखरेख भी प्रायः असन्तोषजनक है। अतः उद्यान विशेषज्ञों को इसके वास्तविक कारणों का पता लगाना आवश्यक है। कीड़े मकोड़े और बिमारियों की रोकथाम के लिये कार्यकर्त्ताओं का कार्यक्षेत्र छोटा कर उन्हें अधिक सक्रिय बनाना आवश्यक है।

प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण होते हुये इस जिले के निवासी अभी भी गरीबी और अभाव से जीवन यापन कर रहे है। विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतया मूल गरीबी तथा अभाव को मिटाना है और न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपलब्ध साधनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इस जनपद की विशेष भौगोलिक परिस्थिति है और प्रकृति भी हमारे अनुकूल है अतः उत्पादन तथा व्यय का लाभ अनुपात के सिध्दान्तों को सामने रखना होगा। पर्वतीय भू-भाग छोटी छोटी ढालू टुकड़ियों में विभाजित है। मैदानी समतल हिस्सा तो नगन्य है। वास्तव में यह भूखण्ड कृषि कार्यो के लिये अधिक उपयुक्त नहीं है। इनमें तो सुन्दर उद्यान एवं वन ही अधिक उपयुक्त एवं लाभदायक होंगे।

इस जनपद की विशेषता है प्राकृतिक सौन्दर्य, शीतल जलवायु तथा छोटे -छोटे ढाल वाली पहाड़ियाँ। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण एवं सम शीतोष्ण है जो कि फल व तरकारी की काश्त के लिये उपयुक्त है। इस विशेष जलवायु के कारण यहाँ लगभग उसी प्रकार के फल और तरकारियाँ उस मौसम में पैदा की जाती है जब कि मैदानी भागों में वे नही होती है। इस विशेष जलवायु की देन का लाभ उठाकर बागवानी को विशेष प्रोत्साहन देना है।

इस जिले में सिंचित भूमि कुल 9 प्रतिशत के लगभग है और 91 प्रतिशत में वर्षा आश्रित के योग्य भूमि असिंचित है। इस 91 प्रतिशत भूमि में फसलों का उत्पादन अलाभकारी व्यवसाय है जब कि इन असिंचित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण उद्यान सफलता पूर्वक स्थापित किये जा सकते है।

आंकड़ों के अनुसार विभिन्न प्रकार से आर्थिक लाभ निम्न प्रकार है:-

1- कृषि फसलों से	2000 रु०	प्रति	हैक्टेयर
2- आलू	4000 रु०	,,	,,
3- तरकारी	5000 रु०	,,	,,
4- बागवानी	10,000 रु०	,,	,,

इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में निःसन्देह जनता की आर्थिक स्थिति बागवानी से ही सुधारी जा सकती है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर ही समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में उन्नतशील धान, गेहूँ द्वारा हरित -क्रान्ति लाई गई है वैसे ही पर्वतीय क्षेत्र में यही कार्य फल व तरकारी उत्पादन से ही पूरा किया जा सकता है।

इस जिले में बागवानी यद्यपि पिछले सौ वर्षों से चली आ रही है और अंग्रेजों ने जलना, बिनसर, कौसानी, दूनागिरी, व चौबटिया आदि क्षेत्रों में सेब, आडू, नाशपाती, खुबानी, पुलम तथा चाय की काश्त प्रारम्भ की थी और उसके बाद कुछ स्थानीय पूंजीपतियों ने उनसे यह बगीचे खरीदे पर बागवानी विकास के सन् 1950 के उपरान्त ही योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाये गये और प्रथम पंच वर्षीय योजना से 1968 69 तक निम्न प्रकार से फल पौध वितरण किया गया :-

1-	प्रथम पंच वर्षीय योजना में	1,61,211 पौधे
2-	द्वितीय पंच वर्षीय योजना में	11,86,418 ,,
3-	तृतीय पंच वर्षीय योजना में	12,21,619 ,,
4-	वार्षिक योजना 66-67 में	1,12,976 ,,
5-	वार्षिक योजना 67-68 में	75,743 ,,
6-	वार्षिक योजना 68-69 में	1,97,760 ,,

चतुर्थ योजना काल में प्रतिवर्ष प्रायः 1,50,000 फल पौधों का वितरण किया गया।

यद्यपि वृक्षारोपण में क्रमशः ~~वृद्धि~~ प्रगति होती आ रही है किन्तु इन पौधों से उतनी मात्रा में फल व तरकारी नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहिये थी इसके अनेक कारण है। जिनमें मुख्यतया पौधरक्षा कार्य कार्य न किया जाना है। उर्वरकों का प्रयोग न किया जाना तथा उचित विपणन व्यवस्था का अभाव भी इसके कारण है। अगर

उपरोक्त तीन मुख्य कार्यक्रमों पर बागवानी कार्यक्रमको सघनता से केन्द्रीयभूत किया जाय तो बागवानी व्यवसाय से आशातीत सफलता मिल पावेगी। बागवानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को अपने स्वास्थ्य के लिये उचित पौष्टिक आहार मिल पाये जिससे स्वास्थ्य वृध्दि के साथ साथ भारी मात्रा में खाद्यान्न की बचत लाई जा सकती है। दूसरे छोटे2 असंक्रमकारी कृषि के भू-खण्डों में फल व तरकारी पैदा कर काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ा सकते है। सफल बागवानी से इस पर्वतीय क्षेत्रों में फलोत्पादन एक व्यवसाय का रूप धारण कर लेगा। जिससे बेरोजगारी भारी मात्रा में दूर ही नहीं होगी अपितु इस पर आश्रित अन्य व्यवसायों में भी बहुत से लोग रोजी प्राप्त कर सकेंगे।

पौष्टिक आहार की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन के लिये 85 ग्राम फल तथा 2..0 ग्राम सब्जी की आवश्यकता है। जिले के 6,40,330 व्यक्तियों को (सन् 1971 के अनुसार) वर्ष भर के लिये 2 ..,1.. टन फल और 42,300 टन सब्जी की आवश्यकता है किन्तु अभी उत्पादन की दृष्टि से यह जिला अपने पौष्टिक आहार के मापदण्ड के अनुसार अपनी आवश्यकता के लिये भी पूरी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अतः आगामी योजनाओं में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जिला अपने उपयोग तथा निर्यात के लिये फल एवं तरकारी पैदा कर सके। अब तक के अनुमानित आँकड़ों के आधार पर जनपद में लगभग 7,700 टन फल पैदा हो रहा है। इस योजना के अन्त तक यह उत्पादन प्रायः ..000 टन हो जावेगा।

फल उपयोग विभाग द्वारा निम्न प्रकार से योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैः-

1-बागवानी, पौध संरक्षण के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में एक या दो उद्यान रक्षा सचल दल केन्द्र स्थापित किये गये है जिसका उद्देश्य जनता में बागवानी का विकास कार्यक्रम का प्रचार करना है। इस निमित्त यह सचल टोली बागवानों को समुचित राय देती है जिसमें भूमि का चयन, रेखांकन-उन्नतशील किस्मों के पौधों के बीजों की उपलब्धि, पौध रक्षा कार्य, फलों का वर्गीकरण एवं विपणन में सलाह दी जाती है। इस समय जिले में 15 उद्यान रक्षा सचल दल सस्ती टोलियाँ काम कर रही है।

2-पौध शालायेंः- इस समय जिले में ... में एक राजकीय पौधशाला है। जहाँ उन्नतशील किस्म के फलदार पौध व तरकारी के बीज पैदा किये जाते है। चटेला में तरकारी के पौधों का वितरण हेतु उत्पादन किया जा रहा है।

3- प्रजनन उद्यानः- जिले में गुरुडाबाँज, गणानाथा, ^प्रसेड़ी^, ...डोल, खितलाडोल और ... में प्रजनन उद्यान स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गई है जिनमें से गुरुडाबाँज व गणानाथा में कार्य आरम्भ हो चुका है। शेष स्थानों में उद्यान ... स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

4- फल पट्टी योजनाः- बागवानी को विशेष प्रोत्साहन देने एवं उसमें सघनता लाने हेतु फल पट्टी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। अब तक निम्न फल पट्टी योजनाओं ... में कार्य आरम्भ किया जा चुका है :-

1- आरतोला-जुबाड़ान -दुड़म ।

2-चौबारस्ल-गड़ानीतियापायर ।

इन फल पट्टियों में सिविल, सेवायत, बेनाप, पंचायत एवं वन विभाग से भूमि उपलब्ध करा कर स्थानीय जनता को भूमि देना है ताकि वे उस आवंटन भूमि में उद्यान लगा सकें।

5-आदर्श उद्यानः- फल पट्टी क्षेत्र में बागवानों के मार्गदर्शन हेतु एक आदर्श उद्यान की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 5 वर्ष तक उद्यान लगाने एवं विकसित कर पुनः स्थानीय व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जावेगा। इस निमित्त आरतोला-सुयालगांव-दुड़क फल पट्टी के अन्तर्गत गुरुड़ाबांज में 20 हैक्टेयर क्षेत्र में आदर्श उद्यान स्थापित किया गया है।

6- उद्यान प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं विज्ञापन योजनाः- इस योजना के अन्तर्गत उद्यानपतियों को विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों पर तीन दिन का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है और बागवानों को जिले एवं जिले से बाहर राजकीय उद्यानों का भ्रमण भी करवाया जाता है और प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है।

7- अखरोट उत्पादन पर राज सहायताः- इस योजना के अन्तर्गत अखरोट की काश्त को बढ़ावा देना है क्योंकि अखरोट का निर्यात दिन-प्रति दिन घटता जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। इस योजना से आशा की जाती है कि व्यापक क्षेत्रफल में अखरोट की काश्त को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय आय के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।

8-उद्यान ऋणः- बागवानी विकास में प्रारम्भ में पूंजी की बड़ी आवश्यकता होती है जिसे पहाड़ का गरीब काश्तकार जुटा नहीं सकता है। यह बात ध्यान में रखते हुये शासन ने बागवानों को उद्यान ऋण की सहायता प्रदान की है। इस योजना में बागवान प्रारम्भिक पूंजी आसानी से प्राप्त कर सकता है और आसानी से उद्यान स्थापित कर सकता है। हर साल लाखों रुपये इस निमित्त प्राप्त होते है और सैकड़ों काश्तकार लाभान्वित होते है।

पिछले कुछ वर्षों से बागवानी की उन्नति की दिशा में प्रयत्न जारी रहे और जिला प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ता रहा है जो कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जावेगा:-

क्रमांक कार्य का विवरण	68-69	69-70	70-71	71-72	73-74
1- फल उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	1[illegible]558	12,442	13,033	13,868	15,534
2- सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	861	1630	1262	1581	1648
3- कीटाणुओं की रोकथाम ,,	14453	17715	19715	21715	23715
4- पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार ,,	8[illegible]5	430	433	423	332

<u>चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन :-</u>

1-बागवानी पौध संरक्षण सचल दल एवं बस्ती टोलियाँ-इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक या एक से अधिक टोलियों की स्थापना की गई है जिनमें निम्न कर्मचारी शासन से स्वीकृत हैः-

1- सहायक विकास अधिकारी (उद्यान) एवं उद्यान निरीक्षक ग्रुप 2	14
2- उद्यान पर्यवेक्षक ग्रुप 3	10
3- हैड माली	1
4- माली	77

यह स्वीकृत स्टाफ जिले में वर्तमान 15,534 हैक्टेयर क्षेत्रफल को देखते हुये बहुत कम है। उद्यान दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी अनुपात से पौध रक्षा कार्य भी बढ़ता जा रहा है। अतः यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की वृध्दि की जाय। जब तक यह नहीं होगा बागवानी विकास वह गति एवं उत्साह प्राप्त नहीं कर पायेगा जिसकी हम कामना करते है।

वर्ष 1973-74 में जिले की अनुमानित जनसंख्या 6,77,000 है और बागवानी के अन्तर्गत 15,534 हैक्टेयर में उद्यान लगे है जिनसे 77,820 क्विन्टल फल पैदा होने का अनुमान है।

2-प्रजनन उद्यानों की स्थापनाः- बागवानी विकास के लिये हमें अच्छे किस्म के फलदार पौध एवं तरकारी के बीजों की आवश्यकता होगी और इस दिशा में जब तक हम आत्म निर्भर नहीं होंगे हमें दूसरों के भरोसे रहना होगा। इस दिशा में आत्मनिर्भरता एवं आवश्यकीय अभियोजना है। धारचूला तहसील का पिथौरागढ़ जिले में विलय होने से तीन प्रजनन उद्यान इस जिले से कम हो गये है। इस जिले में वर्तमान काल में राजकीय पौधालय बर्मी और प्रजनन उद्यान गरुड़ाबाँज अपनी उत्पादन क्षमता में है। प्रजनन उद्यान गणानाथ में वर्ष 72-73 से उत्पादन प्रारम्भ किया। प्रजनन उद्यान धौलछीना भी 72-73 में उत्पादन में आ गया है। प्रजनन उद्यान डोल एवं सितलाखेत 1973-74 से उत्पादन में आ जायेंगे। इस समय बर्मी और गुरुड़ाबाँज की उत्पादन क्षमता से 650 किलो ग्राम सब्जी बीज, 32,000 फलदार पौध तथा 2,20,000 सब्जी पौध उपलब्ध हो सकेंगे। नई घाटियों में दो प्रजनन उद्यान स्थापित किये जायेंगे तथा अब तक स्थापित किये गये प्रजनन उद्यानों का सुदृढ़ीकरण करना होगा। प्रस्तावित उद्यानों एवं प्रजनन पौधालयों में केसर की काश्त, पुष्पोद्यान जैसे ग्लेडोलाई, डहलिया, लिली, ट्यूलिप्स, क्रिसेन्थिमम, आर्किड्स आदि बल्बों का उत्पादन तथा अदरख, लहसुन, हल्दी, इलायची आदि का विकास किया जायेगा। पुष्पों के विपणन के लिये तो पर्याप्त बाजार उपलब्ध है पर यह एक नया मोड़ होगा कि हम आर्थिक प्रगति में क्रान्ति ला सकें। इसी प्रकार इस क्षेत्र की अमूल्य निधि (मुश्की) (कस्तूरा) एवं शतावरी (ऐसपरगस) है और इसका उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है यदि इन दो बहुमूल्य पदार्थों के उत्पादन में वैज्ञानिक पध्दति अपनाई जाय तो निःसंन्देह यहाँ हम आर्थिक प्रगति में आगे बढ़ जावेंगे।

मौन पालन भी औद्यानिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। मौनों से उद्यान में वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 प्रतिशत परागण अधिक होता है। जिससे उद्यानों के फलों में 14 प्रतिशत की वृध्दि लाई जा सकती है तथा शहद से आय प्रथक से होगी।

3-फल पट्टी योजनाः- इस योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई आ रही है। फलस्वरूप वांछित प्रगति की जो कामना की जा रही थी वह नहीं हो पाई। प्रारम्भ में जिला उद्यान अधिकारी, उप अस्पताल एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जिस भूखण्ड की संस्तुति की गई थी उसकी उचित स्वीकृति शासन से समय पर नहीं मिल पाने के फलस्वरूप विलम्ब के कारण फल पट्टी योजना में अवरोध उत्पन्न हुआ।

फल पट्टी योजना विस्तार के निमित्त जिले के निम्न खण्डों का सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव है :-

1- वीरोंनैनीडांडा ।

2- कोटानी-दुगलोट ।

3- कनुडियाँ-शीतलखेत-पाबउ ।

4- लाडीखेत-जोनी-देवलीखेत ।

5- गातरौंगढानी-पट्टी-जोड़ ।

6- गनिला-बोटिपाल ।

4- आदर्श उद्यानः- आरतोला-गुमखाल-कुठ के अन्तर्गत एक 50 एकड़ का उद्यान स्थापित किया जा रहा है यह आशा की जाती है कि इस उद्यान की स्थापना से फल पट्टी योजना के अन्तर्गत के नये उद्यानपति आधुनिक वैज्ञानिक औद्यानिक तकनीकी कार्यक्रमों को अपना कर अपने अपने उद्यानों को लाभकर संस्थाओं में परिवर्तित करेंगे। इसकी सफलता पर आदर्श उद्यानों की स्थापना अन्य फल पट्टियों में भी की जायेगी ।

5- उद्यान प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं विज्ञापनः- इस योजना के अन्तर्गत जिले के प्रगतिशील बागवानों को विभागीय उद्यानों एवं प्रगतिशील व्यक्तियों के नीजी उद्यानों में 3 दिन का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6:- अखरोट उत्पादन योजना :- वर्ष 1971-72 के अन्तिम तिमाही में केन्द्रीय सरकार द्वारा अखरोट की भारत में वृध्दि किये जाने निमित्त अखरोट योजना स्वीकृत की गई इससे अखरोट के उत्पादन में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे अखरोट के उत्पादन के साथ साथ देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन करने का सुअवसर मिलेगा। । बिना प्रारम्भिक पूँजी के काश्तकार अपने को उद्यान लगाने में असमर्थ पाते हैं ।

कुछ वर्षों पूर्व सामूहिक उद्यान लगाये जाने पर किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व न रहने तथा उचित देखभाल की व्यवस्था न होने के कारण उनमें कोई उन्नति नहीं हुई और यह योजना सफल न हुई। स्कूलों में जो उद्यान लगे उनकी उचित देखरेख की आवश्यकता है ।

7-दीर्घकालीन परिपेक्षः- चूंकि प्रति वर्ष लाखों पौधे लगाये जायेंगे जिससे कि उद्यानों के क्षेत्र में निरन्तर वृध्दि होगी अनुमान यह है कि निम्न प्रकार से प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि सम्भावित है :-

	1973-74	1978-79	1983-84	65-8 9
1- वृक्षारोपण के अन्तर्गत सम्भावित क्षेत्रफल (है0)	15,534	20,534	22,881	26,251
2- फलों का उत्पादन(क्वि0)	1,55,000	1,90,000	2,00,000	2,50,000
3- जनसंख्या की वृध्दि	6,69,000	7,35,000	7,99,000	8,45,000
4- रोजगार का सृजन (फलोत्पादन में)	14,567	18,737	22,997	27,077

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उद्यान कार्यक्रम को स्थायी

सफलता देने हेतु उन सभी योजनाओं को इस कार्यक्रम से अनुबन्धित है भली भांति सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना होगा जिससे काश्तकारों को उनके श्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और जन साधारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त पौष्टिक पदार्थ कम से कम मूल्य पर मिल सकें। इसी पर बागवानी तथा पर्वतीय क्षेत्र की समृध्दि निर्भर करेगी। इस निमित्त फलों का वर्गीकरण हो ताकि सुन्दर स्वस्थ्य फल समय पर तोड़े जाँय और उनका संग्रहण इस प्रकार हो कि इनकी न्यूनतम बरबादी हो इसके उपरान्त विपणन की प्रणाली ऐसी हो कि शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन उपभोक्ताओं के पास पहुंच सके।

विधायन की रणनीतिः- आँधी और तूफान से घिरे हुये ओलों से, दागी चिड़ियों के खाये हुये, अपरिपक्व गिरे हुये तथा देखने में भद्दे एवं छोटे हुये फल जो हर उद्यान में लगभग 60 प्रतिशत होते है का उचित सदुपयोग किया जाना होगा। इसके लिये इन फलों का विधायन अतिआवश्यकीय है। भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत फल विधायन की योजनायें भी क्रयान्वित की जा रही है। साथ ही मध्यम किस्म के फलों के विपणन की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 73-74 में प्रायः 11 लाख रूपये के फलो का विपणन सहकारी संस्थाओं व ठेकेदारों द्वारा करवाया गया। इस वर्ष कृषि उद्योग निगम की कोशी में चलित विधायन यूनिट की स्थापना जा रही है जिसमें मध्यम किस्म के फलों का रस निकाल कर उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। फल विधायन के लिये निम्न योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैः-

1- प्रत्येक 1 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में एक विधायन यूनिट पंच वर्षीय योजना से इस जिले में कम से कम 14 विधायन ईकाई स्थापित की जायेंगी।

2- फलों को उचित ढंग से वर्गीकरण करने हेतु विधायन ईकाई या उपयुक्त स्थान के निकट एक विपणन इकाई स्थापित की जायेगी जहाँ पर संग्रहण व्यवस्था भी होगी। ये इकाईयाँ प्रारम्भ में रानीखेत, द्वाराहाट, लमगड़ा, अल्मोड़ा व बागेश्वर में खोली जायेगी।

3- फलों को अच्छी प्रकार से पैक करने निमित्त यह नितान्त आवश्यक है कि उद्यान पतियों को स्टेन्डर्ड साईज के अच्छे पैकिंग केस उद्यान क्षेत्रों के निकट उपलब्ध कराये जायें।

4- सारे फल उद्योगो को उच्च स्तर में लाने के लिये यह आवश्यक है कि पंचम, षष्टम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजनाओं में एक फल संरक्षण उद्योगशाला स्थापित की जाय। जिसमें सभी प्रकार के फल पदार्थों जैसे जैम, जैली, मारमलेड, डिब्बा बन्दी, आचार तथा विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थो,जैसे शर्बत, स्कवाश, साईडर इत्यादि और फल सब्जी तथा आलू का डिहाईड्रेशन किया जा सके। बागवानी की प्रगति को देखते हुये इन्फ्रास्ट्रेक्चर से ये उद्योगशालायें स्थापित की जाँय।

1- प्रजनन फलोउद्यानों का सुदृढ़ीकरण।

2- औधोनिक पौध संरक्षण तथा गश्ती टोलियों का सुदृढ़ीकरण।

3- विपणन एवं निर्यात योजना।

4- प्रजनन फलोउद्यानों की स्थापना।

5- फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना।

6:- फल पट्टियों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।

7:- विपणन एवं विधायन की योजना एवं सुदृढ़ीकरण ।

8:- विज्ञापन की योजना ।

इन कार्यों के सफलता पूर्वक सम्पादित होने पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का उत्थान होगा और प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो औंस फल तथा चार औंस सब्जी जो उसके लिये आवश्यक है, मिल सकेगी। विपणन विकास के साथ साथ कृषि अयोग्य भूमि का उत्तम फलोद्यानों में विकास हो सकेगा।

<u>पिछड़े समुदाय या क्षेत्र के कार्यक्रम</u>:- इस जिले में सल्ट एवं दानपुर क्षेत्र पिछड़े हुये है। सल्ट क्षेत्र में प्रजनन उद्यान सौकर के निकट स्थापित किया जा रहा है जिससे क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा मोड़ आयगा। इसके अतिरिक्त चौखुटिया में स्थापित उद्यान एवं सचल दल केन्द्र क्षेत्र की प्रगति के लिये पूर्ण रूप से कार्यरत है। दानपुर क्षेत्र में उद्यान एवं सचल दल केन्द्र कपकोट तथा राजकीय पौधालय, कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1972-73 में शामा के निकट लीती में एक प्रजनन उद्यान स्थापित किया गया है। स्याड़ी के क्षेत्र के नागरिकों के विकास के लिये भी विशेष प्रयत्न किये जा रहे है।

बागवानी विकास के लिये अभी तक जो ऋण विभाग द्वारा दिये जाते है वह अपर्याप्त है इनसे खेत बनाना, गड्ढे खोदना, घेर-बाढ़ करना और पौध खरीदना सम्भव नहीं होता । अब संस्थागत वित्त द्वारा ऋण का प्राविधान हो चुका है और जनपद में डिफरैन्शियल रेट आफ इन्ट्रस्ट की योजना भी लागू है जिसमें 4 प्रतिशत की दर से ऋण मिल सकता है परन्तु बैंक की शाखायें कम होने तथा बैंक द्वारा लगाये गये अनुबन्धों के कारण यह ऋण सुगमता पूर्वक उद्यान लगाने वालों को नहीं मिल पा रहा है इसके लिये आवश्यक है कि बैंक के अनुबन्ध कुछ शिथिल किये जाँय।

<u>राज्य सरकार के विचारणीय प्रश्न</u>:- बागवानी लगाने में सबसे बड़ी कठिनाई भूमि का बिखरा हुआ होना है। यहाँ की विकट परिस्थितियों के कारण भूमि एकीकरण किया जाना कठिन है। फलस्वरूप अधिकांश जमीन या तो बंजर है या उसके मालिक बाहर है। शासन यदि सही माने में उद्यान कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहता है तो एकमात्र विकल्प उद्यान एक्ट ही है और इस एक्ट के द्वारा 9 प्रतिशत सिंचित एवं 40 प्रतिशत ढाल के खेतों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि में उद्यान लगाने निमित्त एक्ट पारित किया जाय अन्यथा प्रगति सीमित ही रहेगी। सम्पूर्ण पर्वतीय भाग जिसमें आबादी को उद्यान एवं वनों से विकसीत किया जाय। फलोद्यान का कोई विस्तृत सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि यह विस्तृत सर्वेक्षण किया जाय जिससे क्षेत्रफल, उत्पादन एवं आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी हो जावे और उसी आधार पर अग्रिम कार्यक्रम सुनिश्चित किये जावें।

उद्यान विकास का पर्वतीय क्षेत्र के लिये विशेष महत्व है। इसके लिये फल पट्टी योजना और वृक्षारोपण की अनेक योजनायें आयोजित है। पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी बूटी का बड़ा कारोबार स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये कुछ अन्वेषण की भी आवश्यकता है। फलोद्यान और जड़ी-बूटी संग्रह तथा निर्यात के लिये यह आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों में संग्रहाकारों का प्रबन्ध किया जाये और फलों के

विधायन व विपणन का उचित प्रबन्ध होना फलों का रस निकालने और डिब्बा बन्दी का प्रबन्ध किया जावे। और स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिये उचित अन्वेषण किया जावे साथ ही फलोत्पादन को ऋण की उचित सुविधा दी जावे।

पहिले इस जिले में अच्छी किस्म की चाय उगाई जाती थी। यह उद्योग अब लुप्त प्रायः हो चुका है। चाय बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ अच्छी किस्म की चाय उत्पादन सम्भव है। अतः इस व्यवसाय की उन्नति करना स्थानीय जनता के लिये हितकर होगा। फलोत्पादन के लिये पुराने उद्यानों का जीर्णोध्दार और आधुनिक विकास के लिये अधिक दीर्घकाल ऋण का प्राविधान किया जावे।

वन सम्पदा, फल तथा सब्जी आदि को कच्चे माल के रूप में न बेच कर पल्प एवं डिब्बों में बन्द करके भेजने की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना आवश्यकीय है जिसका अन्यत्र उल्लेख है।

उद्यान एवं फलोपयोग के अन्तर्गत पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में विभागीय परिव्यय 150-62 लाख रूपया रखा गया है। इस योजना काल के लिये निम्न लिखित भौतिक लक्ष्य रखे गये है :-

1- नवीन उद्यानों के अन्तर्गत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्रफल (है०)				5000
2- शाक सब्जी	,,	,,	,,	2248
3- पुराने उद्यानों का जीर्णोध्दार	,,		,,	400
4- आलू का अतिरिक्त क्षेत्रफल	,,		,,	1250
5- पौध सुरक्षा के अन्तर्गत लाई जाने वाली भूमि				28785
6- पौध सुरक्षा की सचल इकाईयाँ 'अतिरिक्त' (संख्या में)				10

<u>5-2 (अ) सिंचाई (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)</u>

साम्प्रतिक परिस्थिति- पूर्व में काश्तकारों द्वारा निजी प्रयासों से पहाड़ों को काटकर समीपवर्ती नदी-नालों की धारा परिवर्तित कर कृषि योग्य सीढ़ीनुमा खेतों को पानी दिये जाने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास किये जाते रहे है। काश्तकारों द्वारा बनाई गई नहरों का जीर्णोध्दार एवं नवीन खेतों में नवनिर्माण से बनी नयी नहरों के उद्गम मुख्यतया कच्ची नालियों से बनाये जाते है।

पम्प सिंचाई योजनाः- इनका निर्माण उन्ही क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जल-स्त्रोत नदी आदि का तल कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा काफी नीचे है। विद्युत अथवा डिजिल शक्ति के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर नालियो द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। अभी तक इस दिशा में प्रगति सामान्य हो रही है।

हाईड्राम योजनाः- यह योजना उन्ही स्थानों के लिए अनुकूल है जहाँ स्त्रोत में पानी अधिक मात्रा में हो। पानी को नीचे गिरा कर हाईड्राम द्वारा काफी ऊचाई पर स्थित खेतों का पहुंचाया जा सकता है। इस जनपद में यह योजना प्रायोगिक तौर पर कार्य कर रही है।

व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यो द्वारा (हौजों व गूलों) प्रायः 5371 है०टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है।

क्रमिक कार्य का नाम	इकाई	1969-70 पूर्ति	1970-71 पूर्ति	1971-72 पूर्ति	1973-74 पूर्ति
1-पम्पिंग सैट	संख्या	6	4	4	-
2-गूल निर्माण	कि०मी०	55-02	56-65	44-07	62-6
3-हौज निर्माण	संख्या	223	200	201	240
4- सृजित सिंचन क्षमता	है०	289	284	247	346

चालू कार्यक्रमों का मूल्यांकन- सामूहिक सिंचाई योजनाओं हेतु पर्वतीय जनपद में ग्राम सभाओं को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान ग्राम सभा को योजना के पूर्ण होने पर भुगतान किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम सभाओं के पास प्रचुर मात्रा में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम सभायें इन योजनाओं का निर्माण स्रोतों के होते हुए भी नहीं कर पाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे बड़ी योजनायें कार्यान्वित नहीं कर पाते है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु यदि उपरोक्त सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण त्वरित योजना के अन्तर्गत हो तो अधिक मात्रा में योजनायें बनेंगी और बेकार लोगों को उन्हीं के गाँव में रोजगार मिल जायेगा। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के समस्त पानी के छोटे छोटे स्रोतों का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाना सम्भव होगा।

डिजिल व विद्युत शक्ति के अभाव तथा काश्तकारों के जोतों के छोटे छोटे भूखण्डों में बंटे होने एवं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वे पम्पिंग सैट, स्प्रिंकलर अथवा हाईड्रम नहीं बना सकते है इससे सिंचाई साधनों की वृध्दि के लिए सामूहिक अथवा व्यक्तिगत हौजों एवं गूलों के निर्माण पर ही आश्रित रहना पड़ता है।

राज्य सरकार के विचारणीय प्रश्नः- व्यक्तिगत व सामूहिक अल्प सिंचाई योजनायें पर्वतीय क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रायः टूट-फूट जाती है जिससे सिंचाई में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः ऐसी सामूहिक योजनाओं पर भी ऋण व अनुदान मरम्मत हेतु दिया जाना चाहिए साथ ही सीमेन्ट की कमी के कारण कार्य पूर्ण होने में बाधा पड़ती है अतः सीमेन्ट की उचित व्यवस्था आवश्यकीय है।

पम्पिंग सैटों में वर्तमान शासनादेशों के आधार पर 25 प्रतिशत अनुदानदेय है। पर्वतीय क्षेत्र में पम्प सैट लगाना, उसका लाना व ले जाना, चलाना व देख-रेख काफी खर्चीला है। अतः 50 प्रतिशत अनुदान पम्पिंग सैटों के लिए शासन द्वारा व्यवस्था की जाय ताकि कृषक इसकी ओर आकर्षित हों तथा निकट भविष्य में नीचे स्तर पर उपलब्ध जल का अधिक मात्रा में कृषक सिंचाई के उपयोग में ला सकें।

जनपद अल्मोड़ा की कुल 5,46,097 हैक्टेयर भूमि में 1,23,765 है० भूमि कृषि योग्य है जिसमें 11,500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है जो कुल कृषि योग्य भूमि का 9 प्रतिशत है। राजकीय सिंचाई योजना में 6,155 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है शेष भूमि में अल्प सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं तथा योजना काल से पूर्व निर्मित योजनाओं से सिंचाई होती है।

<u>संसाधनों की उपलब्धि</u>:- पर्वतीय भू-भाग में नदी-नालों व छोटी-छोटी रौलियों के अतिरिक्त जल स्रोतों का पानी भी सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। जनपद में कोसी, सुयाल, पनार, सरयू, गगास, पश्चिमी रामगंगा एवं विनोद नदी व उनकी सहायक नदियों का जल उपलब्ध है।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों के पास बहुत कम मात्रा में भूमि होने के कारण तथा चकबन्दी न होने से उनकी भूमि एक साथ नहीं है जिससे वे व्यक्तिगत योजना बनाने में असमर्थ है ।

<u>जोतवार सिंचाई कार्यों की संख्या के प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)</u>

क्रमांक कार्य का नाम	सृजित की गई क्षमता (हैक्टेयर) 1965-66	1968-69	1970-71	1973-74
1- गूल निर्माण (कि0मी0) / हैक्टेयर	1059 / 5366	1321-64 / 8947	1433-32 / 9209	1579-29 / 9353
2- हौज निर्माण (संख्या) / (हैक्टेयर)	766 / 613	1453 / 1163	1897 / 1536	2548 / 2063
3- पम्पिंग सेट (संख्या) / (हैक्टेयर)	-	11 / 19	16 / 52	21 / 110
4- गूलों की मरम्मत (कि0मी0)	-	-	-	-
5- हौजों की मरम्मत (संख्या)	-	-	-	-
6- कुल सिंचन क्षमता (हैक्टेयर में)	5979	10129	10797	11526

<u>जोतवार शुद्ध सिंचित, कुल सिंचित क्षेत्र प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)</u> (हैक्टेयर) सिंचित क्षेत्र

क्रमांक नाम कार्य	1965-66	1968-69	1970-71	1973-74
1- गूल निर्माण (हैक्टेयर में)	5366-61	8947	9209	
2- हौज निर्माण	612-80	1162-40	1536-00	
3- पम्पिंग सेट	-	19-20	51	

जोतवार शुध्द सिंचित, कुल सिंचित क्षेत्र प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) (हैक्टेयर)

सिंचित क्षेत्र

क्रमांक	नाम कार्य	1973-74	1978-79	1983-84	1988-89
1-	गूल (हैक्टेयर में)	9353	10778-60	17228-50	17713-90
2-	हौज ,,	2063	4053-40	5885-02	6795-95
3-	पम्पिंग सैट ,,	110	239-65	265-20	531-14

पंचम पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य तालिका संलग्न

क्रमांक	नाम कार्य	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	योग
1-	गूल निर्माण (कि०मी०)	68	50	45	45	45	253
2-	हौज निर्माण (संख्या)	270	232	218	217	220	1157
3-	पम्पिंग सैट लगेंगे (संख्या)	10	10	10	10	10	50
4-	सिंचन क्षमता में वृध्दि (हैक्टेयर में)	361	301	282	281	283	1508

5-2 (ब) राजकीय लघु सिंचाई :-

सामान्य परिस्थिति:- जनपद अल्मोड़ा का पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद की भूमि मुख्यतः ढालूदार पहाड़ों में स्थित है। उक्त भूमि का कुछ अंश नदियों की तलहटी पर भी स्थित है। इसमें सिंचाई तीन प्रकार से होती है। प्रथम गूलों से जो साधारणतया सामूहिक सम्पत्ति है, द्वितीय राजकीय नहरों से और तृतीय निजी हौजों, गूलों और पम्पिंग सैटों इत्यादि से। इस परिच्छेद में राजकीय सिंचाई का विवरण है। 11,500 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल में 4,262 हैक्टेयर क्षेत्र राजकीय नहरों द्वारा सिंचित है। चूंकि यहाँ पम्पिंग द्वारा सिंचाई के साधन कम है इसलिए यह आवश्यक है कि राजकीय अल्प सिंचाई कार्यों से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया जावे ताकि कृषि और अन्य नकद फसलों के उत्पादन में वृध्दि हो जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व इस जिले में राजकीय सिंचाई के साधन सीमित थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रगति निम्न प्रकार रही

क्रमांक	परियोजना	लागत (लाख रू० में)	लम्बाई कि०मी०	सिंचन क्षमता का सृजन (है० में)	अन्य
1	2	3	4	5	6

1 2	3	4	5	6
1-प्रथम पंचवर्षीय योजना	12-20	89-40	582	इन योजनाओं में चम्पावत तहसील भी है जो अब पिथौरागढ़ जिले में सम्मिलित हो चुकी है।
2-द्वितीय पंचवर्षीय ,,	13-01	90-00	810	
3-तृतीय ,, ,,	19-74	96-10	710	
4-चतुर्थ ,, ,,	52-50	85-00	978	
चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक योग-	97-45	360-50	3080	

<u>पर्वतीय नहर, टैंक तथा लिफ्ट सिंचाई योजनायें:-</u>

पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का विवरण प्रपत्र प्रथम में दिया गया है। इनमें नई नहरें, 17 टैंक व 19 लिफ्ट योजनायें प्रस्तावित की गई है। जिससे 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होगी तथा चालू रामगंगा योजनायें भी पूर्ण कराई जायेगी। यह योजनायें प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावित की गई है। जिन नदी व गधेरों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर गुरुत्व की नहरें प्रस्तावित की गई है। कुछ छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ भूमि उपजाऊ है तथा सिंचाई साधनों की जनता द्वारा माँग की गई है परन्तु पर्याप्त मात्रा में गधेरों में पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों के लिए टैंक योजनायें प्रस्तावित की गई है।

नदियों के किनारे कुछ ऊँची समतल भूमि है जिनके लिए लिफ्ट सिंचाई योजनायें प्रस्तावित की गई है। ऐसे क्षेत्र लिये गये है जहाँ बिजली उपलब्ध है या निकट भविष्य में उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा लिफ्ट 50 मीटर से अधिक नहीं है।

<u>वर्तमान राजकीय नहरों का पुनरीकरण:-</u> वर्तमान नहरों के पुनरीकरण की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनमें नहरों को बढ़ाने, पक्का करने व फील्ड गूल बनाने से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। प्रस्तावित पुनरीकरण का विवरण प्रपत्र द्वितीय में दिया गया है।

<u>योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक सुविधायें:-</u> पर्वतीय क्षेत्र के कारण इस जनपद में भवनों की बहुत कमी है। अतः सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों के निवास तथा निरीक्षण भवनों का प्राविधान योजना में किया गया है।

पंचम पंच वर्षीय योजना की सिंचाई योजनाओं की कुल लागत 12-00 लाख रूपया है व इससे 830 हैक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान 125-40 की0मी0 नहरों का पुनरीकरण व फील्ड गूलों के निर्माण से जिले में सघन खेती का विकास होगा।

<u>दीर्घकालीन परिप्रेक्षा:-</u> 1983-84 में छटी पंचम वर्षीय योजना के पूर्ण होने पर अल्मोड़ा जनपद में राजकीय नहरों से 6,150 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई होगी।

रामगंगा घाटी का क्षेत्र जो रानीखेत द्वितीय खण्ड के आधीन है, में नहर सिंचाई प्रणाली व्यापक रूप से चली है। अल्मोड़ा प्रथम खण्ड के अधीन सरयू, गोमती

गोमती और रामगंगा क्षेत्र में राजकीय सिंचाई नहरें भी हैं। पहाड़ी क्षेत्र की नहरों में पर्याप्त प्रस्तावण (सीपेज) होता है परन्तु नहरों में पानी इकट्ठा होने की समस्या नहीं होती है। नहरों द्वारा उपलब्ध पानी का पूर्ण उपयोग होता है और कम उपयोग की सम्भावना नहीं रहती है।

अधिक उपजाऊ बीजों एवं रासायनिक खादों के उपयोग से पानी की माँग बढ़ती जा रही है और पानी इकट्ठा कर रोकने के कोई साधन नहीं है। फसल बुआई व कटाई के समय नहरों की देखभाल के लिए मजदूर मिलना कठिन होता है अतः मजदूरों के एक स्थाई दल की नियुक्ति की आवश्यकता है। 4000 फीट की ऊँचाई के क्षेत्र में अब तक के फसल चक्र गेहूँ-मण्डुवा में अब सिंचाई मिल जाने से तरकारी तथा आलू उगाना आरम्भ किया जा रहा है।

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूमिगत जल संसाधन नहीं है और नदियाँ अथवा नालों से गूल बनाकर अथवा छोटे छोटे हौजों में पानी जमा कर सिंचाई की जाती है।

जिले में कई ऐसी नदियाँ अथवा बरसाती धारायें हैं जिनसे पम्प लगाकर पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। रामगंगा नदी में पानी पम्प करने की एक योजना शासन को प्रस्तुत की गई है। कोशी नदी में छोटे छोटे बाँध बनाकर पानी जमा कर पम्प करने की योजना भी विचाराधीन है।

सिंचाई विभाग द्वारा एक 30 मील लम्बी गूल निर्माण योजना एवं दूसरी 40 मील लम्बी गूल निर्माण की योजना चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रखी गई थी जिसमें से 7 योजनाओं को बाद में कार्यान्वयन की दृष्टि से हटा दिया गया है। इन योजनाओं के स्थान पर अन्य योजनायें प्रस्तावित की गई हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपद में हाईड्रम के माध्यम से बड़ी सिंचाई योजनायें प्रथम बार प्रस्तावित की गई हैं जिनमें से अल्मोड़ा जनपद के लिए रामगंगा घाटी की भी एक योजना है, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। यह योजना शासन के विचाराधीन है। इस योजना से 1693 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। यह योजना 36-40 लाख रुपये की है। इसके लिए विशेष धनराशि का प्राविधान शासन से करवाना होगा। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत कुछ योजनायें ली जायेंगी जिससे प्रायः 500 एकड़ भूमि सिंचित होगी।

इनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	सिंचित क्षमता	धनराशि (ला० रू०)
1	2	3	4	5
1-	गरूड़	रीठा माइनर	100	2-50
2-	कपकोट	गोलना पम्प सिंचाई	72	1-80
3-	कपकोट	एक्सटेन्शन एण्ड रिमोडलिंग अपर कपकोट माइनर	40	1-00
4-	कपकोट	गूलर माइनर	60	1-40
5-	बागेश्वर	दाणीधार माइनर	10	0-23
6-	बागेश्वर	करौली इरीगेशन योजना	16	0-90
7-	धौलछीना	जुगर माइनर	60	1-50

1	2	3	4	5
8-	बागेश्वर	करौली पम्प सिंचाई	84	2-00
9-	भैसियाछाना	नौगाँव गाइनरें	65	1-62
		योग-	507	12-95या 13-00

सिंचाई (राजकीय)

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाखों रुपये)

चतुर्थ योजना के अवशेष कार्य :-

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रु०)
1-	देहलर दूँगा पम्प	की०मी०	1-200	
2-	डाती गाँव	,,	2-800	
3-	हीरा मछियाकोट	,,	3-800	
4-	गड़सेर नहर	,,	2-400	
5-	सिरोली नहर	,,	4-000	
6-	आरा नहर	,,	2-800	
7-	सिमियासेण नहर	,,	4-828	
8-	सूपाकोट	,,	5-100	
9-	रामगंगाघाटी सिंचाई योजना	,,	24-10	
10-	बैजनाथ मंदिर बाढ़ नियंत्रण योजना		-	
	योग:-			9-50

नई योजनायें

क्रमांक	मद	नहरों का नाम	नहरों की लम्बाई कि०मी०	कुल लागत
1	2	3	4	5
1-	जिला अल्मोड़ा में पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लम्बी पर्वतीय सिंचाई नहरों के निर्माण की प्रायोजना	डोती, नहर, जिंगल नहर, उत्तरदुग नहर कफलकोट नहर, होराली नहर।	14-00	19-19
2-	भनपद के ताड़ीखेत, द्वाराहाट क्षेत्र की 15 कि०मी० लम्बी पर्वतीय नहरकी प्रायोजना	डोडलगाँव, तिपोला, नौगाँव, कफड़ा नहर का विस्तार, डीरी	15-00	19-95
3-	गरुड़ तथा बागेश्वर क्षेत्र के 14-17 की०मी० लम्बी पर्वतीय सिंचाई नहर।	डुमटिया, सिली, हरसीला, बहुली, गैरडोत।	14-17	19-61
4-	स्याल्दे एवं साल्ट क्षेत्र की 12-20 की०मी० लम्बी नहरों का निर्माण।	बकीलिया, डोलुना नहर का विस्तार, देघाट नहर का विस्तार और कमालडेश्वर नहर।	12-20	17-08

5-भाट एवं भिकियासैण क्षेत्र की 17-55 कि०मी०लम्बी नहरों का आधुनीकरण	नागतलिया, कुनियाचौड़ा पीनाकोट, उनियालुगाँव, अजोली कुन्द्राण तथा भिकियासैण	17-55	8-00

5(3) भूमि संरक्षणः-

भूमि एवं जल संरक्षण समस्यायेंः- जनपद पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की अधिकांश भूमि ढालु है तथा मिट्टी की गहराईयाँ सीमित है। भूमि में ढाल होने के कारण वर्षा का पानी शीघ्र बहकर अपने साथ साथ उर्वरक मिट्टी को बहा ले जाता है। भूमि में नमी संरक्षण की कमी होती है। जलसंग्रहण क्षेत्रों में असुरक्षित खेती, वनों के विनाश एवं पशुओं की अनियंत्रित चराई के कारण भूमि कटाव की तीव्र समस्या है। वर्षा में नदी नालों से, बाढ़ स्खालन तथा हलके क्षेत्रों में अकाल की समस्या है। गहरा कटाव, नदी नाले, सिलफ्स स्लाईड आदि भूमि को क्षति पहुँचाते है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों एवं भूमि कटाव के कारण वनस्पतियों की पैदावार में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। देश की बढ़ती आबादी और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि भूमि को यथासंभव उपजाऊ बनाया जावे। भूमि को उपयोग क्षमता के अनुसार किया जाय। अन्न में आत्म निर्भरता लाने के लिये पशुओं के लिये पौष्टिक चारे, जलवायु का संतुलन और उद्योग धन्धों के लिये कच्चे माल की पूर्ति हेतु वन सम्पदा आदि बढ़ाना नितान्त आवश्यक हो गया है। इस प्रकार भूमि संरक्षण विधि अपनाने से मृदा के कटाव से बचाव हेतु साथ कम वर्षा के समय भी भूमि में अधिक से अधिक नमी का संरक्षण और अधिक वर्षा के समय में, बिना भूमि कटाव के पानी के सुरक्षित निकासी की व्यवस्था से भूमि संरक्षण सफल हो पायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यों का बड़ा महत्व है। क्योंकि यहाँ की ढालु भूमि की मिट्टी बह कर चली जाती है और वर्षा का पानी मैदानी भागों में बाढ़ से भारी क्षति पहुँचा रहा है। बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है और उपजाऊ क्षेत्रों को अनुपजाऊ बना देती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का उसका क्षमतानुसार प्रयोग एवं प्रबन्ध करना परमावश्यक है।

जनपद में भूमि संरक्षण का कार्य दो विभागों के माध्यम से हो रहा है वन विभाग कालागढ़ बाँध के रामगंगा नदी के जलसंग्रहण क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसमें जनपद की पाली (रानीखेत) तहसील के ताड़ीखेत विकास खण्ड के कोसी नदी के जलसंग्रहण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्र सम्मिलित है। कृषि विभाग अल्मोड़ा और बागेश्वर तहसील तथा पाली तहसील के कोसी नदी के ढाल में भूमि संरक्षण ईकाईयों के माध्यम से कार्य कर रहा है।

सिंचित क्षेत्र प्रायः नदी नालों के किनारों पर स्थित है जो धान गेहूँ उगाने के लिये समतल बनाये गये हैं। इस भूमि का सामान्य ढाल प्रतिशत लगभग 10-15 प्रतिशत होने से खेतों के पुश्ते भी अधिक ऊँचे नहीं है और कम मात्रा में क्षतिग्रस्त होते है। अतः इस क्षेत्र में फिलहाल कोई भूमि संरक्षण कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। असिंचित क्षेत्र जो इस समय प्रायः 1,21,12,265 हैक्टेयर है में भूमि संरक्षण आवश्यक है।

<u>चालू योजनाओं में अनुदानः</u>- पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु विभाग, शासन द्वारा 750 रू०प्रति एकड़ के हिसाब से व्यय निर्धारित किया गया है। किन्तु भूमि के अत्यधिक ढाल एवं भूमि कटाव की समस्या के अधिक होने के कारण क्षेत्रों को शीघ्र संरक्षण किया जाना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र के कृषकगणों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह यह सब कार्य करा सकें। अतः कमेटी का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों एवं भूमि की दशा को ध्यान में रखते हुये इस 750 रू०प्रति एकड़ निर्धारित की गई धनराशि को वर्तमान महंगाई के समय 1000रू०प्रति एकड़ निर्धारित किया जाय तथा काश्तकारों को जो 50 प्रतिशत धन अनुदान स्वरूप प्रदत्त किया जाता है उसे बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के कार्यो को सम्पन्न करने हेतु अधिकतर कर्मचारी ग्रामीण एवं दुरस्त क्षेत्रों में नियुक्त होते है जहाँ पर उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले इन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को विशेष भत्ता दिया जाय। अधिकतर क्षेत्रीय कर्मचारी मैदानी इलाके के होते है जिस कारण क्षेत्रीय कर्मचारियों की हमेशा कमी रहती है। पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षित नवयुवकों के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि वह अपने बच्चों को मैदानी क्षेत्रों में भेजकर कृषि सम्बन्धी शिक्षा दिला सकें। इस क्षेत्र में नवयुवकों का कृषि कार्यो में शिक्षित होना आवश्यक है। अतः सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र के नवयुवकों को कृषि सम्बन्धी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जनपद में कम से कम 2 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाय जिससे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि विभाग के लिये कार्यकर्ता आसानी से उपलब्ध हो सके।

वर्तमान समय में जनपद अल्मोड़ा में तीन भूमि संरक्षण ईकाइयाँ अल्मोड़ा तथा बागेश्वर में कार्य कर रही है। मण्डल के भूमि संरक्षण इकाईयों के नियंत्रण हेतु एक मण्डलीय कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण)के कार्यालय की स्थापना वर्ष 69-70 में हुई जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है। वर्तमान समय में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा केवल कृषकों के नाप क्षेत्र में ही भूमि संरक्षण कार्य भूमि की उपयोग क्षमतानुसार जैसे-पुराने खेतों का सुधार, नये खेतों का निर्माण, उद्यानीकरण, वनीकरण, चरागाह विकास आदि कार्य किये जा रहे है। जिसमें कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा 375रू०प्रति एकड़ जो भी कम हो लाभग्राहियों को अनुदान के रूप में दिया जाता है। बेनाप, बंजर, नदी-नालों के किनारों की भूमि, भूमि संरक्षण उपचार में वंचित रहती है जो कि भूमि संरक्षण के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि भूमि एवं जल संरक्षण कार्य जल समेट क्षेत्र के आधार पर ही सम्पादन करने से पूर्णतया भूमि एवं जल संरक्षण किया जा सकता है। अभी तक भूमि संरक्षण के लिये दिये जाने वाला धन कम है। इस समस्या की व्यापकता और कृषकों के सीमित साधनों को देखकर अनुदान की राशि बढ़ाया जाना आवश्यक है।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य:- जनपद के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुये 15 वर्ष में जनपद की सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र को संरक्षित करने के लिये पांचवीं, छठवीं तथा सातवीं पंच वर्षीय योजनाओं में क्रमशः 11-11 और इकाई कार्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सातवीं योजना के अन्त में 36 भूमि संरक्षण कार्यालयों एवं उनके नियंत्रण हेतु 5 उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण कार्यालयों की स्थापना होने से ही पूर्ण कृषि क्षेत्र का संरक्षण सम्भव हो सकेगा।

जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण कार्य को सम्पन्न करने हेतु दो प्रकार की योजनायें तैयार की गई है। पहली योजना में सिर्फ नाप भूमि में ही कार्य कराये जाने का प्राविधान है दूसरी योजना सिर्फ बेनाप, बंजर भूमि नदी-नालों के किनारों की भूमि में कार्य कराये जाने की है। जिसमें सम्पूर्ण कार्य सरकारी धन से ही सम्पन्न कराया जा सकता है। यह सुझाव है कि दोनों प्रकार की योजनाओं का साथ2 चलना आवश्यकीय है क्योंकि नाप भूमि में भूमि संरक्षण विधियों द्वारा भूमि कटाव का संरक्षण हो जाता है किन्तु बेनाप भूमि में भूमि संरक्षण विधियों द्वारा भूमि कटाव का संरक्षण नहीं हो पाता है जिससे इस बेनाप, बंजर, नदी नालों की और संरक्षित भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नाप भूमि एवं कराये गये कार्यों पर ही पड़ता है।

भूमि संरक्षण की व्यापक दीर्घकालीन योजना के कार्यान्वयन के फल स्वरूप शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग के लगभग 3 हजार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण विधियों द्वारा उपचार करने हेतु दैनिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। सातवीं योजना के अन्त तक प्रायः 3 हजार श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही साथ भूमि संरक्षण विधियों के अपनाये जाने के फल से लगभग 16 प्रतिशत अतिरिक्त पैदावार में भी वृध्दि होगी।

नाप बेनाप, बंजर नदी नालों के किनारों की समस्त प्रकार की बंजर भूमि का उपचार, जलसमेट क्षेत्र के आधार पर भूमि संरक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुये कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

राज्य सरकार के विचार हेतु सुझाव :-

(क) भूमि एवं जल संरक्षण:- कार्य नाप एवं बेनाप दोनों प्रकार की भूमि में जल समेट क्षेत्र के आधार पर किया जाय।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाय।

(ग) पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कृषि क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्यों के लिये अधिकतम सीमा 750रू०प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इस धनराशि को बढ़ाकर 1,000रू०प्रति एकड़ किया जाय तथा उसका 75 प्रतिशत कृषकों को उनके कार्य के अनुसार अनुदान स्वरूप दिया जावे।

(घ) सरकारी एवं बेनाप भूमि में भूमि संरक्षण विधियों को सम्पन्न कराने हेतु समस्त व्यय शासन द्वारा ही वहन किया जाये जिससे सरकारी भूमि का भी संरक्षण हो सके और उसका मूल्य भी बढ़ सके।

(ङ) कृषि योग्य सम्पूर्ण भूमि में भूमि संरक्षण कार्य किया जाय तथा कृषि के अयोग्य भूमि के 60 प्रतिशत क्षेत्र तथा कृषि योग्य बंजर भूमि के में भी सर्वप्रथम

भूमि संरक्षण विधि द्वारा अभियांत्रिक क्रियाओं से क्षेत्र का उपचार किया जाय।

भूमि एवं जल संरक्षण कुमाऊँ प्रभाग जनपद अल्मोड़ा की दीर्घकालीन योजना ।

विवरण	इकाई	1960-61	1965-66	1968-69	1970-71
1- इकाईयों की संख्या	(संख्या में)	-	-	1	3
2- मण्डलीय कार्यालय	,,	-	-	-	1
3- उपचारित किया जाने वाला कृषि क्षेत्र (000हे०में)					
(अ) वर्ष की अवधि में		-	-	0-207	0-300
(ब) क्रमिक		-	-	0-207	0-849

		1973-74	1978-79	1983-84	1988-89
1- इकाईयों की संख्या	(संख्या)	5	16	27	38
2- मण्डलीय कार्यालय	,,	1	2	4	5
3- उपचारित किया जाने वाला कृषि क्षेत्र (000हे०में)					
(अ) वर्ष की अवधि में		1-050	4-800	8-100	11-400
(ब) क्रमिक		2-913	21-963	57-513	109-593

नोटः- ईकाइयों को प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रस्तावित किया गया है। इसके समयानुसार एवं प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित होने पर भी उपरोक्त वृद्ध रहेगें ।

भूमि संरक्षण

पंचम पंच वर्षीय योजना के तथा वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाखों रु०में)

क्रमांक/मद	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	पंचम पंच वर्षीय योजना
1-सामान्य कार्यक्रम	14-98	11-10	-	-	-	56-01
अतिरिक्त परिव्यय केन्द्र द्वारा पुरो०	21-68	22-60	-	-	-	116-36
वनों के अन्तर्गत	2-50	-	-	-	-	35-00
केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत रामगंगा प्रोजेक्ट	25-00	-	-	-	-	138-00

5(5) पशुपालन।

<u>सामयिक परिस्थिति</u> :- वर्ष 1966 में जिले में 1,15,356 प्रजनन योग्य गायें व 95,596 प्रजनन योग्य भैंसों के होते हुए भी इन पशुओं से अनुमानित दुग्ध उत्पादन केवल 91,822 लीटर प्रतिदिन ही था। मेडिकल विशेषज्ञों की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति 250 एम०एल० दूध की आवश्यकता के अनुसार इस जनपद में दूध की कुल अनुमानित आवश्यकता 1,60,000 लीटर है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में जिले में उत्पादित दूध केवल 45 प्रतिशत जन समूहों के लिये ही न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है।

विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर 34 ग्राम मांस एवं 1 अण्डा प्रति व्यक्ति प्रति दिन आवश्यकता है। जनपद में 70 प्रतिशत जनसंख्या मांसाहारी है और इनके लिए मांस एवं अण्डों का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है।

जिले में 41,557 भेड़ों से ऊन का अनुमानित उत्पादन प्रायः 415 क्विंटल प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अल्मोड़ा, श्री गाँधी आश्रम चनोदा तथा अन्य छोटी संस्थायें लगभग 900 क्विंटल प्रतिवर्ष ऊन वर्तमान में प्रयोग कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में जो ऊन उत्पादन हो रहा है वह इन संस्थाओं के लिये ही पर्याप्त नहीं है। इसलिये इन संस्थाओं को आयातित ऊन पर निर्भर रहना पड़ता है। जिले में भेड़ पालन बढ़ाने के लिये संसाधन उपलब्ध है तथा इससे जिले में कुछ व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा।

पशुओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिये उचित चारे का मुख्य स्थान है।

<u>पशु प्रजनन कार्यक्रम</u>:- जिले की स्थानीय गायों की नस्ल सुधारने हेतु निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं द्वारा शंकर प्रजनन कार्यक्रम कार्यरत है।

2-गरुड़ क्षेत्र में ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत 6 ग्राम समूह इकाईयाँ एवं 2 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र स्थापित है।

3- रानीखेत में पशु विकास योजना के अन्तर्गत 15 कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र स्थापित है।

4-भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत 6 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत है।

उपरोक्त पहली 2 योजनाओं के ~~अन्तर्गत~~ पैडिग्री जर्सी सांडों का लिक्विड वीर्य प्रयोग कर शंकर प्रजनन कार्य चल रहा है।

भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान की योजना जून 1970 से चालू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ब्राउनस्विस नस्ल के सांडों का डीप फ्रोजन वीर्य पश्चिमी जर्मनी से आयात कर स्थानीय गायों पर प्रयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रजनन कार्य के अतिरिक्त दो प्राकृतिक प्रजनन केन्द्र कपकोट एवं चल्ट में कार्यरत है जिन पर चार सांड इस कार्य हेतु रखे गये है। इसके अतिरिक्त 16 गाय सांड एवं 46 भैंसा सांड प्राकृतिक प्रजनन हेतु जिले के ~~अन्तर्गत~~ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है।

<u>कुक्कुट विकास</u>:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हवालबाग में 1000 मुर्गियों का एक क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म तथा रानीखेत में 200 मुर्गियों की एक अण्डा उत्पादन इकाई कार्यरत है। क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म पर्वतीय जिलों की कुक्कुट चूजों की आवश्यकता पूर्ति करता है। पौष्टिक

आहार योजना के अन्तर्गत जिले में तीन विकास खण्डों में निम्नलिखित कुक्कुट विकास कार्यक्रम चल रहा है:-

1-प्रत्येक विकास खण्ड में 20 कुक्कुट पालक जिनमें 10 हरिजन भी सम्मिलित है प्रशिक्षण दिया जाता है ।

2-प्रत्येक हरिजन प्रशिक्षित कुक्कुट पालक को 20 दो माह की अथवा एक माह की आयु के पक्षी खरीदने हेतु एवं मुर्गी बाड़ा बनाने हेतु 300 रूपये का अनुदान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त कुक्कुटघर बनाने हेतु, कुक्कुट उपकरण, दवायें एवं कुक्कुट आहार आदि क्रय करने हेतु पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा 7, 500रू का अनुदान दिया जाता है ।

इस समय जिले में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसका प्रबन्ध चरागाह के रूप में समुचित ढंग से किया जाता हो।यूँ प्रत्येक गाँव सभा में गोचर के नाम से कुछ बंजर भूमि चुगाने के लिये उपयोग में लाई जाती है किन्तु इसका प्रबन्ध चरागाह के रूप में लेशमात्र भी नहीं है और प्रकृति की देन से जो भी घास वर्षा में उगती है उसी पर जानवर निर्भर रहते है।शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में अधिकांश क्षेत्रों में घास बिलकुल भी नहीं होती है ।

पर्वतीय जिलों में कुक्कुट विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये कृषि औद्योगिक निगम लखनऊ द्वारा निर्मित कुक्कुट आहार पर लखनऊ से अल्मोड़ा तक के भाड़े पर सौ प्रतिशत अनुदान दिये जाने की एक विशेष योजना भी चालू है। कुक्कुट पालकों को कुक्कुट विकास कार्यक्रम पर बढ़ावा देने हेतु 500, 1000, 2000व 5000 रूपये के कुक्कुट ऋण भी दिये जाते है ।

<u>रोग नियन्त्रण कार्यक्रम</u>:- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थायें पशु चिकित्सा एवं बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्यरत है:-

1-पशु चिकित्सालय	20
2-पशुपालन केन्द्र (इन्ब्रीडिंग के अन्तर्गत)	49
3-पशुपालन केन्द्र खुरपका/रोग निवारण योजना के अन्तर्गत	4
4- ग्राम समूह इकाई	6
5- कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र पशु-विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत	53
6- भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र	8
7- भेड़ विकास केन्द्र	9
8- शीप फार्म	1

<u>चारा विकास कार्यक्रम</u>:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर बरसीम, लोबिया, जई, एम0पी0चरी आदि के बीज कृषकों को उनके खेतों पर बोने के लिये दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त काश्तकारों के खेतों पर इन अधिक उपज देने वाले पौष्टिक चारे के प्रदर्शन भी किये जाते है जिसके लिये विभाग 16 रू0प्रति प्रदर्शन देता है ।

भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत चारा विकास कार्यक्रम के लिये विशेष रूप से ध्यान दिया गया है तथा विभिन्न अधिक उपज देने वाले चारे व घासों के उत्पादन तथा इन घासों के बीज को उगाने हेतु एक शोध चारा अनुसंधान केन्द्र भी, भैसवाड़ा पर स्थित है और इसके दो उप केन्द्र हवालबाग एवं किमाड़ में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त बेनाप जमीन के कुछ प्लाटों में घेरबाड़ करने के पश्चात् एवं उन पर घास बोकर प्रदर्शित करने का कार्यक्रम भी चल रहा है ।

भेड़ विकास एवं बकरी विकास कार्यक्रम:- वर्तमान् समय में जनपद में एक भेड़ पालन फार्म क्वीर्सी में है जहाँ 350 भेड़े रहती है। इसके अतिरिक्त 8 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों पर प्रजनन हेतु 50 भेड़े प्रति केन्द्र पर रखे गये है। बकरी प्रजनन हेतु 153 बकरे भी वितरित किये गये है।

चालू योजनाओं का मूल्यांकन:- कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृध्दि हुई है तथा मैरिनो भेड़ों की शंकर किस्म के ऊन उत्पादन क्षमता प्रायः चौगुनी हो गयी है। भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता प्रदर्शित करने के लिये बीते तीन वर्षों का समय पर्याप्त नहीं है। यह एक दीर्घकालीन योजना है और इसके पूर्णलाभ भी कुछ समय बीत जाने पर ही स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगेंगे। कुक्कुट विकास में अभी भी चारे की व्यवस्था बाधक हो रही है। उचित मात्रा में, ग्रामों पर कुक्कुट आहार उपलब्ध होने पर ही कुक्कुट विकास में गति आ सकेगी ।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष:- रोग नियंन्त्रण:- निर्धारित नियमों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 10 हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय व 1 हजार पशुओं पर एक पशु पालन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में इस जनपद के पशुओं के उपचार एवं रोग नियंन्त्रण के लिये 2,37,000 पशुओं को सुविधायें उपलब्ध है। शेष पशुओं के लिये 16 पशु चिकित्सालय व 308 पशुपालन केन्द्र (सड़को के निर्माण के अनुसार) खोलना पड़ेगा।

पंचम पंच वर्षीय योजना की रणनीत व कार्यक्रम:- स्थानीय गायों को उन्नतशील साँड़ों से गर्भित करवाकर उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढाने के लिये जनपद में एक नाईट्रोजन प्लान्ट की स्थापना किया जाना आवश्यक है ताकि एकत्रित एवं आयातित वीर्य के संग्रहण एवं वितरण सुनिश्चित रूप से किया जा सके।

इसके अतिरिक्त चारा विकास करना आवश्यक है ताकि पशुओं को पूर्ण और पौष्टिक आहार मिल सके।

कुक्कुट विकास के लिये इन्टेन्सिव पोल्ट्री डिवलपमेन्ट यूनिट खोली जायेगी ताकि पर्याप्त मात्रा में चूजों व अण्डों का उत्पादन किया जा सके।

स्थानीय निम्न किस्म के गाय व भैसा साँडों के बधियाकरण कर ग्रामीणों के सहयोग से विस्तार किया जायेगा।

एक सचल पशुपालन इकाई की स्थापना की जायेगी। पशुचारा अन्वेषण केन्द्र को सड़क का निर्माण व भैसवाड़ा में भवन निर्माण किया जायेगा।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ को प्रायः 77 हजार रूपये की सहायता उपकरण आदि क्रय करने में संगठन सुदृढ़ करने के लिये दी गयी । आशा की जाती है कि इस सहायता के फलस्वरूप यह संघ अपनी प्रति दिन 211 लीटर दुग्ध वितरण की क्षमता में पर्याप्त प्रगति कर सकेगा।

पशु प्रजनन:- वर्तमान स्थिति में कुल 31 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र प्राम समूह की इकाईयों एवं नैसर्गिक प्रजनन केन्द्रों के माध्यम से लगभग 11,000 पशुओं को गर्भित किया जा सकता है तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 17,000 गायों को गर्भित करना सम्भव प्रतीत होता है। जनपद की कुल दूध की आवश्यकता की पूर्ति हेतु केवल 59,920 संकर गायें पर्याप्त होंगी। यदि उपरोक्त अनुपात में कवरिंग सम्भव होगी तो पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 33 प्रतिशत से अधिक दूध उत्पादन में वृध्दि सम्भव हो जावेगी ।

भैंसों को प्रजनन की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राकृतिक प्रजनन की सुविधा प्रदान करनी होगी। इस योजना में कम से कम 25 मुर्रा सांडों को वितरित करने का लक्ष्य है।

भेड़ पालन:- इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन पर विशेष बल दिया गया है। चौथी योजना में 40 रशियन मेरिनो भेड़ों के आ जाने पर लगभग 2,000 और भेड़ों को गर्भित किया जा सका। पांचवी योजना के पूर्ण हो जाने तक जर्मनी से आयातीत 50 भेड़ों के आ जाने पर लगभग 2500 और भेड़ों को गर्भित किया जा सकेगा। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर लगभग 5,000 उन्नत भेड़ों की वृध्दि हो जावेगी और ऊन का उत्पादन 415 क्विंटल प्रति वर्ष के स्थान पर 560 क्विंटल प्रति वर्ष हो जावेगा।

शासन के विचारार्थ सुझाव:- अविकसित चारा क्षेत्र में चुगान बिलकुल बन्द रहना चाहिये और इसमें स्थानीय तथा विदेशीय पौष्टिक घासें ही मुख्य रूप से उगाई जावें तथा चारे के वृक्ष जैसे बाँज, भीमल, खड़ीक, खैराल, पेतन आदि क्षेत्र की उपयुक्तानुसार रोपित किये जावें ताकि बाद में ये वृक्ष जानवरों को छाया प्रदान करने के साथ साथ चारा भी दे सकें।

भविष्य में किसी भी दशा में बंजर भूमि नयाबाद ग्रान्ट के रूप में स्वीकृत न की जाय क्योंकि यह भूमि, भूमि क्षमता के आधार पर वैज्ञानिक कृषि के अयोग्य होती है और प्रायः कृषक उद्यान के नाम पर नयाबाद ग्रान्ट स्वीकृत कराके कालान्तर में इसे खेती के उपयोग में लाने का प्रयास करने लगते है।

सिविल व पंचायती वनों तथा सुरक्षित वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अनुमानतः 60 प्रतिशत भाग ही चारे की उपलब्धता के लिये उचित आंका गया है क्योंकि ऐसा अनुमान है कि लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र पशुओं के चुगान और मनुष्यों के चारा कटान की पहुँच के बाहर होगी ।

बंजर भूमि के 50 प्रतिशत भाग में उन्नत घासों का रोपण कर उर्वरकों के प्रयोग तथा अन्य आवश्यक साधनों की सहायता से वर्तमान 3 क्विंटल प्रति हैक्टेयर अनुमानित घास उत्पादन को लगभग तीन गुना करने के प्रयास किये जावेंगे।

चूंकि पशुओं के लिये उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल सीमित है और उन्नत ढंग से चारे की मात्रा में वृध्दि भी किसी निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है जबकि पशु संख्या, उनकी वृध्दि पर नियन्त्रण रखे बिना बढ़ती ही जायेगी, जिससे उपलब्ध भूमि पशु धारण करने में असमर्थ रहेगी। अतः नस्ल सुधार कर प्रति दुधारू पशु के दूध का उत्पादन बढ़ाना, वृध्द, रोगी, अनुपयोगी पशुओं को क्षेत्र से हटा कर गोसदन में रखना, स्थानीय सांडों का अनिवार्य रूप से बधिया करना आदि कार्य लागू करने के प्रस्ताव किये जा रहे है।

पिछले वर्षों की तुलना में यह स्पष्ट है कि पंचम योजना में धनराशि की अधिक आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत भेड़ विकास के लिये दो फार्म साका तथा भैसोड़ा में स्थापित करने है। इन फार्मों के लिए लगभग 16 लाख रूपये की माँग का प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को भेजा गया है और इसे योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने हेतु भी 16 लाख रूपये की माँग विभाग द्वारा दी गई है। इन फार्मों के लिये जर्मनी मैरीनो किस्म के भेड़ तथा ब्राउन स्विस सांड एवं अन्य उपकरण जर्मनी से निःशुल्क प्राप्त होंगे।

पशुपालन

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के भौतिक लक्ष्य

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक
1	2	3	4
	1-सांडों का क्रय:-	संख्या में	
	(अ) क्रौस ब्रीड		4
	(ब) उन्नतशील	,,	2
	2-कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सुविधायें		
	(अ) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्रों की स्थापना	,,	-
	(ब) कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्रों की स्थापना	,,	5
	3- भारत-जर्मन-परियोजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का पुर्नगठन		
	(अ) नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	,,	16
	4-) भारत जर्मन परियोजना के अन्तर्गत सांड केन्द्र एवं वीर्य संग्रहण केन्द्र		

1	2	3	4
(अ)	सांड केन्द्र की स्थापना	संख्या	1
(ब)	वीर्य संग्रहण केन्द्र की स्थापना	"	1
(स)	खुला गोदाम एवं आवास गृहों के भवनों का निर्माण।	"	1
5-	प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	"	
6-	छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों को क्रॉस ब्रीड सहायता।		
(अ)	छोटे कृषक	"	5
(ब)	कृषि हीन	"	5
7-	इन्टेन्सीफिकेशन आफ फोडर डवलपमेन्ट प्रोग्राम		
(अ)	फोडर सीड का वितरण	(किव0 ग्रा0)	1.50
(ब)	प्रदर्शनों की [illegible]	संख्या	24
(स)	सिले प्रोसिंग [illegible]	"	5
8-	मुर्गी पालन		
(अ)	कुक्कुट फार्मों का विस्तार	"	–
(ब)	लेयरों का रखरखाव (संख्या)		250
(स)	कुक्कुट बच्चों का उत्पादन (लाख में)		–
9-	सघन कुक्कुट विकास योजना की स्थापना एवं बाजार सुविधा।		
(अ)	न्यू0आई0 पी0डी0प्रोजेक्ट की स्थापना	संख्या	1
(ब)	व्यक्तियों का प्रशिक्षण	,,	100
(स)	लेयरों का रखरखाव (लाख में)	,,	10000
10-	यूनिसेफ के सहयोग में पौष्टिक आहार एवं कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम		
(अ)	कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड	,,	2
(ब)	व्यक्तियों को प्रशिक्षण	,,	40
(स)	चूजों का वितरण (लाख में)	,,	800
11-	पर्वतीय जनपदों में कुक्कुट खाद्य के ढुलान में छूट	रुपयों में	–

1	2	3	4
	(अ) व्यक्तियों को सुविधा	संख्या	640
	(ब) धन वितरण	,,	350
	(स) कुक्कुट पालकों की क्षति पूर्ति	,,	7
	13- भेड़ एवं बकरी विकास		
	(अ) नये भेड़ केन्द्रों की स्थापना एवं ऊन विकास केन्द्र	-	-
	14- पर्वतीय ऊन एवं भेड़ विकास केन्द्र		
	(अ) शीप शियरिंग यूनिट	संख्या	1
	15- भेड़ों का निशाना		
	(अ) निशाने जाने वाले भेड़ों की संख्या	,,	27000
	16- बकरा (bucks) खरीद एवं वितरण **योजना के अन्तर्गत**		
	(अ) बकरों का क्रय	,,	40
	(ब) चिकित्सालयों की औषधि पूर्ति		-
	17- पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण		
	(अ) प्रान्तीयकरण किये गये पशुचिकित्सालयों की संख्या		
	18- पशु चिकित्सालयों में अतिरिक्त **दवाओं का प्राविधान**		
	19- बी-श्रेणी चिकित्सालय जहाँ डाक्टर **नियुक्त हैं।**	,,	2
	20- **जंगली व छोड़े पशुओं पर नियंत्रण**		
	(अ) जंगली जानवर	,,	10
	(ब) छोड़े हुए पशु	,,	40
	21- तहसील स्तरीय एक दिवसीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी का **आयोजन।**	,,	3
	22- **जिला स्तरीय भेड़ों एवं ऊन उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन।**	,,	1
	23- **दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता**	,,	3

मत्स्य पालन

पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन विकास के लिए पांचवीं योजना काल में 0-565 लाख रुपया का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है। कोई भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है ।

5(7) वन

<u>वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफलः</u>- राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र का दो तिहाई भाग(60प्रतिशत) वनों के अन्तर्गत होना चाहिये किन्तु इस समय जनपद में लगभग 53 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों के अन्तर्गत है, अतः यह सम्पूर्ण क्षेत्र(सिविल तथा पंचायती वनों का मिला कर) वनों के अन्तर्गत ही रहने दिया जायेगा। सिविल वन और पंचायती वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध की आवश्यकता तो अवश्य है किन्तु इनकी कार्य योजना तभी बनाई जा सकती है जब इनका स्थलीय निरीक्षण हो सके। अतः इस बारे में शासन के निर्णय के पश्चात् ही आवश्यकतानुसार कार्य योजना अधिकारियों की नियुक्ति सम्भव होगी ।

चूंकि वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्राथमिक उद्देश्य उनमें अधिकतम वृक्षों का उत्पादन होता है और अधिकतम उत्पादन के लिये वृक्षों [illegible] वृक्षों की सघनता में वांछित वृध्दि करनी होती है जिसके फलस्वरूप घास की मात्रा व उसकी किस्म उसी अनुपात में कम होने लगती है। अतः इन वनों में मुख्य रूप से लकड़ी का ही उत्पादन होगा और इनमें चारे की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति की आशा करना उचित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में वन वृक्षों और घास के उत्पादन के कार्य साथ-साथ नहीं चल सकते। सिविल वनों और पंचायती वनों में कुछ क्षेत्र पेड़ों से रिक्त है क्योंकि इनके संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः क्षेत्र की उपयुक्तानुसार उनमें घास आदि चारे के वृक्ष उगाने की योजना अवश्य चलाई जा सकती है किन्तु इस सम्भावना का पता पूर्ण सर्वेक्षण के बाद ही लग सकता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन, उद्यान विकास विभागों के कार्यों के कार्यान्वयन के उपरान्त प्रायः66,000 हैक्टेयर में चारागाह विकास और 34,000 हैक्टेयर भूमि में उद्यान विकास होगा तो यह क्षेत्र भी स्थायी रूप से सुरक्षित रहने के फलस्वरूप वर्षा में पर्याप्त आवरण रखेंगे और इसी प्रकार जनपद का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वन तथा अन्य प्रकार के स्थायी वनस्पतिक आवरण के अन्तर्गत आ जायेगा जो राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य से मेल खाती है।

<u>चीड़:-</u> चीड़ पहाड़ों के जंगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत है। इसके तनों से लीसा निकालने, एकत्रीकरण व परिवहन में जिले के हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त जंगल काटने व वृक्षा रोपण कार्यक्रमों में बहुत व्यक्तियों का व्यवसाय उपलब्ध हो जाता है। बाँज के वृक्ष 4,000 फिट की ऊँचाई से उगने आरम्भ हो जाते है । 6000 से 8000 फिट की ऊँचाई वाले वन प्रायः बाँज के ही होते है। इसकी लकड़ी से ईंधन प्राप्त किया जाता है और पत्तियाँ पशु चारे के रूप में काम में लायी जाती है ।

वनों पर आधारित निम्न उद्योग सुगमतापूर्वक चलाये जा सकते है और इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

1- तारपीन तेल, बिरौजा बनाना ।

2- वार्निश बनाना ।

3- लकड़ी के पैकिंग केस बनाना ।

4- पैन्सिल बनाना ।

5- लकड़ी के दरवाजों के चौखटे इत्यादि बनाना ।

6- टेरीलीन व पौलीथीन बनाना ।

7- कागज बनाना ।

8- औषधीय रैजिंग बनाना ।

9- रेलवे स्लीपर व बिजली के खम्भे बनाना ।

<u>वन योजनाओं का मूल्यांकन</u>:- कुछ समय से वन विभाग आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाली प्रजातियों तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण कर रहा है जिससे कुछ आर्थिक लाभ हो सके। अब वन विभाग कुछ स्थानीय उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार लीसा तथा लकड़ी आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने लगा है जिससे वनों पर आधारित यह उद्योग विकसित होने लगे हैं। वन विभाग अपने कर्मचारियों के लिये वनों में अपने कर्मचारियों के रहने के लिये आवास की व्यवस्था करता है और प्रत्येक वर्ष वन विभाग के लिये नई सड़कों का निर्माण व पुनर्निर्माण करता है ।

पंचायती राज संस्थाओं को उनके वन क्षेत्रों में उत्पादित लीसे पर कुछ रोयल्टी दी जाती है परन्तु यह रोयल्टी बड़े विलम्ब से मिलती है।

अभी वन विभाग सहारनपुर की स्टार पेपर मिल को लकड़ी देने को वचन बद्ध है। स्थानीय जनता इसके विरुद्ध है। यह उचित होगा कि यहाँ की वन सम्पदा को स्थानीय व्यवसायों की उन्नति के लिये ही उपयोग किया जावे।

<u>दीर्घ कालीन परिप्रेक्षा</u>:- वन सम्पदा का औद्योगिक विकास के लिये जनपद में कोई भी व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाली वन सम्पदा जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होती है उनकी अनुमानित वर्तमान तथा दीर्घकालीन अवधि के अन्त में उपलब्धि तथा माँग के अनुमान निम्न प्रकार है:-

उद्योग	वन सम्पदा	उपलब्धि		माँग	
		1973-74	1988-89	1973-74	1988-89
1	2	3	4	5	6
लीसा तथा उससे सम्बन्धित उद्योग	(लीसा क्विं०)	76691	9[illegible]	80000	95000
इमारती लकड़ी	लकड़ी (घन मी०)	60937	79000	62000	92000
कागज हेतु लकड़ी	,, ,,	25000	25000	30000	35000
श्रमिकों को रोजगार					
(1) लीसा उत्पादन (संख्या)		3000	3500	-	-
(2) लकड़ी उत्पादन (संख्या)		1000	1500	-	-

दीर्घकालीन योजना के अन्त में इस जनपद में उभर कर आने वाले व्यावसायिक केन्द्र निम्न प्रकार होंगेः-

किरौली, चितई, चनोदा, कालिका, द्वाराहाट, बागेश्वर, गरुड़ व मासी ।

<u>विकास कार्यों हेतु रणनीतिः-</u> जिला स्तर पर कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धी शिक्षा का प्रबन्ध करना उचित होगा। इस सम्बन्ध में वन सम्पदा निम्न प्रकार अपना अंशदान देगी। शिक्षा के मार्ग में भवन निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, बैठने के लिए मेज-कुर्सी पढ़ने के लिये श्यामपट, लेखन सामग्री के लिए पेंसिल और कागज, जन स्वास्थ्य के लिए पानी एवं जल संसाधन ।

वन सम्पदा के एकत्रण, संग्रहण व निष्पादन से रोजगार का सृजन होगा। वनों पर आधारित उद्योगों का विकास होगा जिससे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी

वर्तमान स्थिति में, लोहे और सिमेन्ट के अभाव में वन की लकड़ी ने सभी विद्युत संचार हेतु तथा जल संरक्षण व सिंचाई योजनाओं में तथा लकड़ी के पुल व स्लीपरों द्वारा यातायात योजनाओं में अपना योगदान देती है।

योजना काल में वनों के संरक्षण, विस्तार एवं विकास पर ध्यान दिया गया है। वन विभाग के संचार साधनों का विस्तार किया जायेगा।

<u>राज्य सरकार के लिए विचारणीय प्रश्नः-</u> इस सम्बन्ध में राज्य सरकार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आवश्यक क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही करें। जनता के अधिकारों के निर्धारण सम्बन्धी इस प्रकार की नीति अपनाई जाय कि जनता को असुविधा भी न हो और साथ ही राष्ट्र के व्यापक हितों को भी हानि न हो ।

वनों का प्रबन्ध सघन रूप से किया जाय तथा उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाय जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक स्तरों को छोटा किया जाय तथा कम उत्पादन देने वाली प्रजातियों के स्थान पर तथा खाली स्थानों पर मूल्यवान तथा अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाय एवं जहाँ पर वन सम्पदा निकालने के लिए सड़कें नहीं वहाँ पर सड़कें बनाई जाँय तथा भूमि संरक्षण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य किया जाय।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के दोनों तरफ की कुछ भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण के लिये सौंप दिया जावे ताकि सड़कों को भूमि कटाव से आरक्षित किया जा सके।

अभी तक वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें व पुलें मौसमी होती है जो प्रायः हर वर्ष पुनः बनाई जाती है। इन सड़कों को पक्का करने तथा पुलों को भारी ट्रकों के बोझ वहन करने उपयुक्त बनाये जाने पर विचार करना आवश्यक होगा ।

5(8) कृषि ऋण

सामान्यतया कृषि विभाग द्वारा तकावी ऋण दिया जाता है और अल्प सिंचाई कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान सामुदायिक विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। इन ऋणों से कृषक अपनी कृष्ट भूमि का विकास करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार बागवानी विकास के लिये भी ऋण दिये जाते हैं जिसे ऋण पाने वाले घेरबाढ़ गड्ढा खोदने एवं पौधे खरीदने में लगाते हैं। भूमि संरक्षण के लिये भी अनुदान दिया जाता है जिससे कृष्ट भूमि का सुधार कर उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

सब से अधिक ऋण सहकारी बैंक द्वारा दिये जाते हैं। इनमें भी सबसे बड़ा अनुपात अल्प कालीन कृषि ऋणों का है। यह सर्व विदित है कि सुगमता से मिलने वाले इस कृषि ऋण का कृषि कार्यों के लिए बहुत कम उपयोग होता है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके कि यह ऋण कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में व्यय न हो सके तो कृषि उत्पादन के लिये एक बहुत बड़ा मार्ग खुल जावेगा। इस अल्प कालीन कृषि ऋण के अतिरिक्त मध्य कालीन व दीर्घकालीन ऋण भी सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को कृषि सुधार के लिए उपलब्ध है।

संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा डिफरेन्शियल रेट आफ इन्ट्रस्ट पर लीड बैंक द्वारा कृषकों, बागवानों व पशुपालकों को ऋण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। परन्तु लीड बैंक की सीमित शाखायें होने तथा बैंक द्वारा लगाये अनुबन्धों के कारण बहुत थोड़े कृषक छोटी छोटी मात्रा में इन कृषि ऋणों को पा सकते हैं। अब बैंक अपना सर्वेक्षण कर रहा है और सम्भावतः उनकी सर्वे रिपोर्ट पूर्ण हो जाने तथा और बैंक शाखा खुल जाने के कारण बड़ी मात्रा में अधिक कृषकों को आवश्यकतानुसार सुगम ब्याज दर पर कृषि, पशुपालन तथा फलोद्यान विकास के लिए ऋण मिलना सम्भव हो सकें।

लीड बैंक ने कृषकों को भेद मूलक ब्याज की दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध करवाने के लिये खरीफ 1975 में एक अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप बैंक के अधिकारी गाँवों में जा कर नियोजन कार्य कर्त्ताओं के सहयोग से खरीफ में 1478 व रबी में 1360 खातों में क्रमशः 3-68 लाख व 4-42 लाख रुपयों के कृषि ऋण सीमायें स्वीकृत कर सकें।

जनपद के क्रेडिट प्लान के अनुसार पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 335-32 लाख रूपये के कृषि ऋणों की आवश्यकता होगी (274-34 लाख रु० कार्यशील पूँजी तथा 60-98 लाख रूपये के टर्म लोन)।

5(9) कृषि-विपणन एवं संग्रहण

जिले के सभी विकास खण्डों में बाजार है । ये छोटे छोटे ग्रामीण बाजार है जिनमें ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न, तेल, नमक, कपड़ा आदि उपलब्ध हो जाते है। जिले के मुख्य बाजार अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, गरुड़, बागेश्वर व चौखुटिया में है। इन बाजारों में रामनगर, हल्द्वानी व टनकपुर की तीन मण्डियों से सामान ला कर क्रय विक्रय किया जाता है।

जनपद खाद्यान्न के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है और आलू, कुछ फल, जड़ी-बूटी तथा सब्जियों के अतिरिक्त यहाँ से किसी अन्य कृषि वस्तु का निर्यात नही होता। अतः विपणन व संग्रहण की समस्या जटिल नहीं है।

बाहर से आयात किया जाने वाला खाद्यान्न सरकारी गोदामों अथवा व्यापारियों के निजी गोदामों में संग्रहित कर आवश्यकतानुसार बेचा जाता है। रसायनिक खाद, व बीज के संग्रहण के लिये कृषि विभाग के अपने अथवा किराये के मकान है जिनमें आवश्यक वस्तुऐं संग्रहित की जाती हैं।

कुछ समय पूर्व सोयाबीन विकास योजना को आरम्भ किया गया तथा पिछले वर्ष से सूरजमुखी उत्पादन योजना लागू की गई। फलस्वरूप सोयाबीन का पर्याप्त उत्पादन होना आरम्भ हो गया है और इसके क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृध्दि की जा रही है। अभी तक कृषि विभाग उत्पादित सोयाबीन खरीद कर इसे बीज के रूप में वितरित कर रहा है। बाद में अधिक उत्पादन होने के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में सोयाबीन एन्टीबायोटिक फैक्ट्री ऋषिकेश तथा भविष्य में खुलने वाली सोयाबीन दूध व बिस्कुट की फैक्ट्रियों को दिया जायेगा। अभी पंचायती उद्योग के अन्तर्गत सोयाबीन एवं सूरजमुखी का तेल निकालने के लिये एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जिसके बायलर के अतिरिक्त सभी उपकरण प्राप्त हो गये है। यह फैक्ट्री इन वस्तुओं का तेल निकालकर इसे 1 या 2 किलो ग्राम के प्लास्टिक के डिब्बों में रख कर बेचेगी ।

जनपद में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है परन्तु इसकी माँग इतनी अधिक होती है कि उसके विपणन अथवा संग्रहण की आवश्यकता ही नही रहती । रबी का जो आलू होता है वह प्रायः बीज के लिये ही रखा जाता है जिसे काश्तकार अपने ही पास सुरक्षित रखने की क्षमता रखते है। जिस समय यहाँ आलू की कमी होती है उसी समय मैदानी भागों से आलू आयात किया जाना आरम्भ हो जाता है जिसके कारण यहाँ के आलू को शीत गृहों में रखकर उपयोग में लाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नही हो सकता क्योंकि ऐसा करने से शीत गृहों में रखा आलू मैदानी आलू से महँगा हो जायेगा।

जिले में आलू, सब्जी तथा फलों के संरक्षण के लिये कोई शीत ग्रह नहीं है न ही इनकी कोई आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि उत्पादन इतना

नही है कि बारहों महिने तक शीत गृह कार्यरत रह कर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो सके।

फलों के विपणन व संग्रहण की व्यवस्था आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से फलोद्यानों का पर्याप्त विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप फलोउत्पादन में वृध्दि हुई है और चूँकि फल शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। अतः इसका सामयिक विपणन आवश्यक है अन्यथा उत्पादक को उचित मूल्य नही मिल पायेगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ भी और फलउत्पादक व्यापारियों व्दारा शोषित किये जाते रहे है।

इस गतिरोध को दूर करने के लिये वर्ष 1972-73 में पर्वतीय विकास निगम ने कुछ कदम उठाये भी परन्तु किन्ही कारणों से उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली ।

वर्ष 1973-74 में नैनीताल में हुई मण्डलीय गोष्ठी के निर्णयानुसार जिला स्तर पर सहकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के माध्यम से अतिरिक्त फल विपणन की व्यवस्था की गई और 11-41 लाख रूपये की लागत के फलों का विपणन सुनिश्चित किया गया ।

अच्छे किस्म के फलों के विपणन की कोई समस्या नही होती परन्तु मध्यम व निम्न श्रेणी के फलों के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं और इनके यातायात, संग्रहण और विपणन में कठिनाई होती है। यहाँ ऐसे उद्योग भी नहीं है कि इन फलों का रस निकाला जा सके अथवा उनके आचार, मुरब्बे बनाकर बेचा जा सके।

इस कमी को देखते हुए कृषि उद्योग निगम व्दारा कौसी में एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जहाँ दोयम किस्म के फलों का रस निकाल कर उनका उपयोग किया जा सकेगा और उत्पादक को उचित मूल्य भी मिल जायेगा। इस फैक्टरी का भवन निर्माणाधीन है और आशा है कि अगस्त 1974 तक जब फल तैयार होने का समय आयेगा तब तक फैक्ट्री कार्यरत हो जायेगी ।

5(10) सहकारिता

आर्थिक स्थितिः- स्थानीय ग्राम समूहों में इस समय प्रायः बिचौलियों के द्वारा ही ऊँची कीमत पर अपनी आर्थिक सेवायें अर्पित की जा रही है। उत्पादन वृध्दि के साथ-साथ ये बिचौलिये विभिन्न उत्पादन अंशदों का शोषण भी करते है। विस्तृत प्रयासों के फलस्वरूप बढ़े हुए उत्पादन के लाभ का अधिकांश भाग इस प्रकार बिचौलियों को चला जाता है क्योंकि जितना अधिक विभिन्न प्रकार का उत्पादन होगा उतना ही बिचौलियों के लिये शोषण का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। हमें शनैः शनैः इन बिचौलियों के शोषण को सुनियोजित ढंग से अप्राप्त कर देना है ताकि विकसित स्रोतों के माध्यम से की गई उत्पादन वृध्दि का पूर्ण लाभ उत्पादक को ही प्राप्त हो सके।

अल्मोड़ा जनपद उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में सदैव पराश्रितापेक्षी रहा है। यहाँ का सामाजिक ढाँचा, यातायात के साधनों से विहीन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, कृषि के परम्परागत पुराने तरीके अपनाने वाला यह भूभाग आर्थिक विकास में पिछड़ा है।

पिछले कुछ वर्षों से फलोद्यानों, आलू व साग-सब्जी उत्पादन कार्यों का विकास हुआ है और अब इन वस्तुओं के सुव्यवस्थित विपणन का कार्य भी किया जा रहा है। मिर्च व वन सम्पदा इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में होती है और इन वस्तुओं का विपणन भी सुनिश्चित किया जाता है।

उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण इस जनपद के कृषकों द्वारा उत्पादन हेतु लिये गये ऋणों को चुकता न कर सकने के कारण उन पर ऋणों के भार है। उन्हें अपने ऋण को चुकता करने के लिये महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता है और उनकी इच्छानुसार अपनी उपज का विक्रय करना पड़ता है। कभी-कभी तो ऋण भार से दबे कृषकों को अपनी उपज फसल के तैयार होने से पूर्व ही अग्रिम रूप में बहुत कम कीमत पर बेच देनी होती है।

फल एवं साग-सब्जी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती है। अतः उत्पादन से उपभोग होने तक विपणन की समुचित व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये अभी तक यातायात, भण्डारण, तकनीकी ज्ञान व वर्गीकरण आदि की कोई सुविधा सुलभ नहीं है। उक्त सुविधाओं के अभाव में फसल व साग-सब्जी जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विपणन लाभकारी नहीं हो पाता।

उत्पादन वृध्दि केन्द्रों को उन स्थानों पर इस विधि से निर्धारित कर प्रस्तावित करना होगा जहाँ कि विभिन्न उत्पादकों को उनकी माँग पर सस्ती व प्रभावकारी सेवायें सुगमता से सुलभ हो सकें। ऐसा करने से न केवल आर्थिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा अपितु उनके हृदय में यह भावना जागृत होगी कि वे इन उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था से जुड़े हुए है और फलस्वरूप अधिक उत्पादन हो सकेगा तथा इस आर्थिक उपलब्धि से वे भविष्य के प्रति आशावान होंगे। ये केन्द्र उत्पादन में आत्म निर्भरता के क्षेत्र की ओर व्यापक रूप से अग्रसर होने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ उत्पादन व विपणन प्रणाली के विषय में हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि सहकारी सहयोग और संगठन से ही अधिक लाभ सम्भव है।

<u>गत योजनाओं का मूल्यांकन:-</u>

व नैनीताल बैंक की दो शाखायें व्यवसायिक बैंक :- स्टेट बैंक आफ इन्डिया की 6 शाखायें ही जनपद के व्यवसायिक बैंक है। स्टेट बैंक आफ इन्डिया की 6 सर्वांगपूर्ण शाखायें अल्मोड़ा, रानीखेत, गरुड़, द्वाराहाट, चौखुटिया, बागेश्वर में कार्यरत है और नैनीताल बैंक की केवल दो शाखायें अल्मोड़ा व रानीखेत में कार्यरत है। बैंक शाखाओं की वृद्धि की ओर अत्यन्त ही मन्द प्रगति हुई है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेतृत्व बैंक की प्रति शाखा जनसंख्या का औसत 1,00,000 है।

धन के विनियोग हेतु क्षेत्र की अदृश्य सम्भावनाओं का अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है और न प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनी है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्टेट बैंक में जमा धन व ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है:-

	1970	1972 (लाख रुपये)	1974
जमा धन	77	218	225
ऋण	2	4	18
ऋण निक्षेप अनुपात	2-60	1-83	8-00

इस प्रकार यह क्रैडिट डिपोजिट रेशियो (credit deposit ratio) बहुत कम है।

<u>सहकारी बैंक :-</u> सन् 1952 में इस जनपद में सहकारी बैंक की स्थापना हुई जिसकी अब सात शाखायें कार्यरत है, इस प्रकार व्यवसायिक व सहकारी बैंक मिलाकर औसतन 50 हजार प्रति शाखा के हिसाब से बैंकिंग सुविधायें सुलभ करा रहे है। नेतृत्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर डाकघर बचत बैंक 3,555 की जनसंख्या को बैंकिंग की सेवायें प्रदान कर रहे है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग व्यवसाय इस जनपद में उतना विकसित नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ग्रामीण लोगों के धन के विनियोग एवं अन्य लाभप्रद बैंकिंग कार्य में लगाने की सम्भावनायें साधनों के अभाव में न्यून है। बैंकों के कार्यालय अभी तक शहर और कुछ कस्बों में ही है और अब भी निकटतम बैंक कार्यालय ग्रामों से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जिसके कारण इस पर्वतीय भू-भाग में ग्राम वासियों की वित्त संस्था की सेवायें आसानी से सुलभ नहीं हो पाती। फलस्वरूप वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु महाजनों व ग्रामीण व्यापारियों आदि की कृपा पर निर्भर रहते है।

बैंक की शाखा खोलने के लिये कुछ प्राथमिक आवश्यकतायें चाहिये जैसे परिसम्भावनाओं का विकास, व्यापारिक परिसम्भावनायें, मोटर मार्ग से सम्बन्ध, विद्युतीकरण, टेलीफोन सुविधायें, जलपूर्ति, पुलिस स्टेशन और बैंक कार्यालय हेतु उचित भवन तथा कर्मचारियों हेतु समुचित आवास व्यवस्था आदि। सामान्यतया इसकी कमी है और बैंक शाखायें कम है।

संस्थागत वित्त का इस योजना में विशिष्ट स्थान होगा। इस योजना

के सभी कार्य सरकारी धन से होना सम्भव नहीं है और पूर्ण धन का एक बहुत बड़ा भाग संस्थागत वित्त द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा जिसके लिये लीड् बैंक व अन्य बैंकों की अतिरिक्त शाखा खोलना आवश्यक होगा ताकि आने वाली योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।

देशी बैंक :- इस जनपद में सर्वश्री दुर्गा लाल मोहन लाल साह, अन्ती राम साह एण्ड सन्स दो देशी बैंकों का कार्य करते है। ये अधिकतर गरीबों की आपत्ति का फायदा उठाकर बहुत अधिक ब्याज की दरों पर ऋण देते है।

व्यवसायिक एवं जिला सहकारी बैंक का सचल निक्षेप:- वर्ष 1968 से वर्ष 1970 तक सेंट्रल बैंक की सूचना के आधार पर व्यवसायिक व जिला सहकारी बैंक की निक्षेप निम्नानुसार बताई गई है:-

वर्ष 1967

	खातों की संख्या	निक्षेप खातों में
1- व्यवसायिक बैंक	5,068	125-37 लाख रू0
2- जिला सहकारी बैंक	1,296	20-50 ,,

वर्ष 1970

1- व्यवसायिक बैंक	6,976	184-76 ,,
2- जिला सहकारी बैंक	3,101	36-32

डाकघर:- डाकघर ही एक ऐसी संस्था है जिसके कार्यालय जनपद में काफी मात्रा में फैले हुए है। प्राप्य निक्षेप प्रायः इन्ही डाकघरों में जमा होता है। सैनिकों की जमा पूँजी भी यहीं रखी जाती है जिससे निक्षेपों में काफी वृध्दि हो जाती है।

जिला सहकारी बैंक :- जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण 25-25 लाख रूपए प्रति वर्ष से बढ़ कर 60 लाख रूपये तक पहुँच गया है। सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। ऋण-ग्रहताओं की वास्तविक संख्या 42,600 है। दिया गया अल्पकालीन ऋण यदि वास्तव में कार्य उत्पादन में लगाया जावे तो कृषि की उन्नति होना स्वाभाविक है परन्तु यह ऋण पूर्णतया कृषि कार्यों में नहीं लगता ओर ऋण का रासायनिक खाद व बीजों से कोई निश्चित सामन्जस्य नहीं रहता। यदि नकद व वस्तु का लिंकिज(Linkage)50 प्रतिशत भी हो जावे तो यह ऋण सार्थक सिध्द हो सकेगा।

भूमि विकास बैंक:- भूमि विकास बैंक द्वारा सिंचाई, पशुपालन-बीज, गोदाम, भूमि सुधार कूल निर्माण, नलों आदि के लिये दीर्घकालीन ऋण वितरण किया जा रहा है।

किसानों को कृषि प्रसार कार्यों के लिये उर्वरक, बीज, कृषि यन्त्र आदि के रूप में अनुदान के आधार पर तकावी ऋण वितरण किया जा रहा है।

रणनीति व दीर्घकालीन योजना:- अल्मोड़ा जिला पर्वतीय भू-भाग होने के कारण यहाँ विषम परिस्थितियाँ है। प्राकृतिक दृष्टि से इस जिले को दो भागों में बाँटा जा सकता है (1) पहाड़ी भाग तथा (2) नदियों की घाटियाँ। नदियों की घाटियों वाला भाग

उपजाऊ है जहाँ अच्छी खेती हो सकती है। इनमें राम गंगा, गोमती, सरयू की घाटियाँ प्रमुख है। जिले के भैसियाछाना, धौलादेवी, लमगड़ा, कपकोट, ताकुला, हवालबाग, ताडीखेत, स्याल्दे व सल्ट विकास क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है तथा बागेश्वर, गरुड़, द्वाराहाट, चौखुटिया और भिकियासैण में नदियों की घाटियाँ है।

नदियों की घाटी वाला भाग पर्वतीय भाग के मुकाबले में अधिक उन्नत है तथा यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति भी पर्वतीय क्षेत्र में बसने वालों से अच्छी है और वे सहकारिता से प्राप्त साधनों व ऋणों का उपयोग अधिक करते है।

पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर भाग, चीड़ देवदार-बांज आदि के जंगलों से घिरा है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय लीसा निकालना, लकड़ी काटना-पशुपालन तथा मजदूरी करना है। सेना, पुलिस व अन्य सेवाओं में भी यहाँ के लोग अधिक है। यहाँ लोग ऊन कताई-बुनाई का कार्य भी करते है पर इस क्षेत्र में सहकारिता का योगदान सीमित है केवल गरुड में एक सहकारी उद्योग संघ यह कार्य कर रहा है।

सम्पूर्ण जिला खाद्यान्न के मामले में मैदानी जिलों पर निर्भर रहता है। यहाँ फलोत्पादन, आलू उत्पादन तथा सब्जी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है परन्तु इसके लिए सहकारी संघों ने अभी तक कोई लाभप्रद योजनायें क्रियान्वित नहीं किये है। वर्ष 1973-74 में फलोत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये सहकारी समितियों ने कुछ कदम उठाये और प्रायः दो लाख रूपये के फलों का विपणन करवाया परन्तु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है जो इस योजना में सम्पादित किया जायेगा। कुमाऊँ सहकारी संघ द्वारा अभी तक खाद्यान्न, वनस्पति घी व कपड़ों के वितरण की व्यवस्था की जाती है अब इस दिशा में और प्रगति लाने की योजना है।

पर्वतीय भाग में बहुमूल्य वनोषधि प्राप्त है और इनको खोजने व संग्रहण की आवश्यकता है। अभी तक रानीखेत सहकारी ड्रग फैक्ट्री इन वनोषधियों का संग्रहण व विधायन कर रही है। अब इस फैक्ट्री के पुर्नगठन की व्यवस्था की जा रही है। जिले के ग्रामीण भागों में कोई व्यवस्थित बाजार नहीं है निवासियों को 10, 12 मील तक आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के क्रय हेतु जाना पड़ता है। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यर्थ नष्ट होता है। अवगठित होने वाली साधन सहकारी समितियों के द्वारा जो कि 5-6 मील की दूरी पर होगी यह समस्या हल की जा सकती है।

जिले में खाद्यान्न रखने हेतु गोदामों की कमी है तथा राजकीय विभागों के भी अधिकांश किराये पर लिये गये है। सहकारी क्षेत्र में 15 गोदाम बन चुके है तथा पाँचवी योजना में तीन और गोदाम निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रमुख स्थानों में उपभोक्ता भण्डार तथा साधन समितियों की दुकानें खोलने का लक्ष्य है। यह योजना है कि प्रत्येक साधन समिति जिसकी संख्या 96 होगी उपभोगता वस्तुओं का विक्रय करेगी।

यह आवश्यक है कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग भी सहकारिता के साधनों से किया जाय।

जिले में ग्रामीण स्तर पर जो साधन समितियाँ, बहु-धन्धीय समितियाँ तथा

उपभोक्ता भण्डार कार्यरत है। जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ, जिला केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार है। जिले की ग्रामीण समितियाँ इन जिला स्तरीय संघों के सदस्य है। जिला स्तरीय संघ अपने से सम्बन्धित समितियों के हितों के लिये कार्य करते है। जिला सहकारी बैंक जिले की सर्वोच्च संस्था है। यह प्रत्येक समिति की आर्थिक माँग की पूर्ति करता है तथा उनकी देखरेख भी करता है।

इन समितियों के कार्य संचालन हेतु प्रत्येक समिति का अपना संचालन मण्डल होता है इनके संगठन, निर्माण, देखभाल हेतु सहकारी विभाग है। सहायक निबन्धक जिले की समितियों की देखभाल करते है तथा उनका पथ प्रदर्शन करते है। उनके सहायतार्थ ग्रुप प्रथम, द्वितीय के निरीक्षक एवं प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (सह०)नियुक्त है। इनके अधीन सहकारी पर्यवेक्षक है। जो सहकारी बैंक के अधीन है और बहुधा संचालकों के प्रभाव में कार्य करते है जो कभी कभी जन-हित में नहीं होते। अतः यह आवश्यकीय प्रतीत होता है कि सहकारी पर्यवेक्षक राजकीय हों।

सहकारी समितियों के द्वारा इन पर्वतीय तथा घाटियों में बसने वाले लोगों को अल्पकालीन ऋण तथा मध्यकालीन ऋण का वितरण किया जा रहा है ताकि उत्पादन में वृध्दि हो सके। दीर्घकालीन ऋण का भी वितरण करने का प्राविधान है परन्तु यह कुछ व्यवहारिक कठिनाई के कारण उचित मात्रा में बंट नहीं पा रहा है।

सम्भाव्य सेवायोजन:- वर्तमान समय में सहकारिता के अन्तर्गत लगभग 22 राजकीय व्यक्तियों को तथा संस्थाओं में लगभग 400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा कितने ही व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त है। योजना के अन्तर्गत ऋण, क्रयविक्रय विधायन तथा उपभोक्ता कार्यों में वृध्दि करने तथा सुसंगठित करने के कम से कम 1000 सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा।

पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम:- पिछड़े समुदाय में मुख्यतः अस्कोट विकास क्षेत्र जन-जाति भोटिया तथा अन्य विकास क्षेत्रों में बसे हरिजन व्यक्ति है। इनमें अधिकांश गरीब है। भोटिया समुदाय का मुख्य कार्य ऊनी सामान बुनना है तथा निगाले की चटाईयाँ और टोकरियाँ आदि बनाना है। हरिजनों में अधिकतर मकान, सड़कें आदि बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति है। सहकारिता के माध्यम से इन्हें सामूहिक तौर से कार्य करने में अधिक लाभ हो सकता है। सहकारी समितियों से ऋण लेने हेतु हिस्साधन लेने के लिए बहुत से लोगों के पास धन नहीं है। अतः योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों का हिस्सा क्रय करने हेतु धन देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही इन विकास क्षेत्रों में स्थित श्रम सहकारी समितियों के द्वारा इन्हें रोजगार दिया जा सकता है। अतः इन समितियों को सुसंगठित करने पर बल दिया जायेगा। इस प्रकार की 17 समितियाँ जिले में है।

योजना के अन्तर्गत जो ऋण तथा अनुदान ग्रामीण गोदामों हेतु दिये जाते रहे है वे अपर्याप्त है। अतः कम से कम 6 ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु प्रत्येक वर्ष ऋण तथा

अनुदान की व्यवस्था आवश्यकीय है।

दीर्घकालीन ऋण का वितरण अन्य साधनों से न होकर केवल भूमि विकास बैंक द्वारा ही होना हितकर सिध्द होगा क्योंकि इससे हैसियत से अधिक ऋण दिये जाने की सम्भावना घट जायेगी और एक ही दर पर ऋण दिया जा सकेगा।

सहकारिता

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य

(परिव्यय लाख रूपये में)

क्रमांक मद	इकाई	लक्ष्य
1- स्वावलम्बी समितियाँ	संख्या	2
2- सदस्यता में वृध्दि	,,	3000
3- हिस्सा धन में वृध्दि	रूपया	0-60
4- अमानतों में वृध्दि	,,	0-20
5- ऋण वितरण		
(अ) अल्पकालीन	,,	20-00
(ब) मध्यकालीन	,,	7-40
(स) दीर्घकालीन	,,	-
6- जिला सहकारी बैंक में हिस्सा धन	,,	1-00
7- जिला सहकारी बैंक में अमानत	,,	6-00
8- ग्रामीण गोदामों का निर्माण	संख्या	2
9- जिला सहकारी बैंक की शाखा	,,	1
10- क्रय विक्रय समिति का गठन	,,	1
परिव्यय		
1- साधन सहकारी समितियों को अनुदान	रूपया	1-27
2- बैंक को अनुदान	,,	0-06
3- बैंक में हिस्सा धन	,,	0-60
4- समितियों में हिस्सा धन	,,	0-50
5- ग्रामीण गोदामों को ऋण/अनुदान	,,	1-51

5(11) पंचायती राज

अल्मोड़ा जनपद प्रशासनिक व्यवस्था हेतु तीन तहसीलों व 14 विकास खण्डों में विभाजित है।

जनपद में 3139 आबाद ग्राम हैं जिनमें 1231 ग्राम सभायें गठित की गई हैं। इन 1231 ग्राम सभाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र व सस्ता न्याय सुलभ करने की दृष्टि से 130 न्याय पंचायती क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

जनपद में इस समय दो नगरपालिकायें अल्मोड़ा तथा बागेश्वर तथा दो कटकपालिकायें अल्मोड़ा व रानीखेत तथा एक टाउन एरिया द्वाराहाट है। जिले का सम्पूर्ण शेष ग्रामीण भाग जिला परिषद के अन्तर्गत आता है। नगरीय तथा ग्रामीण आबादी क्रमशः 39,112 तथा 6,09,218 है।

<u>2- अवस्थापना</u>:- पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 से इस आकांक्षा से हुई कि प्रत्येक ग्राम को एक गणतन्त्रीय ढाँचे में ढाल कर उन्हें स्वावलम्बी तथा साधन सम्पन्न प्रजातन्त्र की बुनियादी इकाई के रूप में विकसित किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वशासन की इन इकाइयों को ग्राम्य क्षेत्रों में शासन प्रबन्ध के लिये व्यापक अधिकार दिये गये लेकिन इन अधिकारों के अनुरूप उन्हें उचित व्यवस्था नहीं मिल सकी। फलतः साधनों की कमी के कारण प्रबल इच्छा होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र विकास सम्बन्धी अपनी अनेकों परियोजनाओं को साकार न कर सकीं। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में पंचायतों को विभिन्न छोटी-छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन का ही कार्य दिया गया था जिसे उन्होंने सफलता पूर्वक सम्पन्न किया। पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को कुछ विशिष्ट कार्यक्रम सौंपे जायेंगे ताकि वे स्वयं सुदृढ़ होने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान दे सकें। वर्तमान योजना में धन इन संस्थाओं को हर प्रकार से विकसित कर प्रभावशाली ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये उपयोग करना है ताकि एक ओर ये संस्थायें शासन से ऋण तथा अनुदान प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें तथा दूसरी ओर कुछ ऐसी परियोजनायें भी अपने हाथ में ले जिन्हें आत्म स्वावलम्बन के आधार पर वे अपने ही साधनों से परिचालित कर सकें।

<u>चालू योजनाओं का मूल्यांकन</u>:- चतुर्थ योजनाकाल के अन्तिम वर्षों में पंचायतों ने ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रारम्भ किया और 125 जन साक्षरता केन्द्र स्थापित कर लगभग 400 प्रौढ़ों को साक्षर करने का बीड़ा उठाया। इसी प्रकार दो पंचायत उद्योग प्रारम्भ किये और उत्पादन परिसम्पदा के सृजन व विकास की पाँच परियोजना को कार्यान्वित कर अपने आय के साधनों में वृद्धि करने का ठोस प्रयास किया। इस कार्य के लिये उन्हें शासन से 16,000 रुपये का दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार शासकीय आय, जन साधन तथा स्वतः के साधनों से पंचायतों ने योजना काल में निम्न मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये हैः-

<u>1-कृषि उत्पादन एवं लघु सिंचाई</u>

(क) हौज व डिग्गी निर्माण	संख्या	768
(ख) गूल निर्माण	मीटर	5,99,127
(ग) गूल मरम्मत	,,	1,50,510
(घ) वृक्षा रोपण	संख्या	1,73,917
(ङ) कम्पोस्ट गड्ढे	,,	722
2- यातायात		
(क) सड़क निर्माण	मीटर	55,07,967
(ख) पुल व पुलिया निर्माण	संख्या	610
(ग) खड़ंजा निर्माण	मीटर	33,584
3- स्वच्छता		
(क) पेयजल डिग्गी नौला मरम्मत	संख्या	662
(ख) नल योजना निर्माण (ग्रामों की संख्या)		153
(ग) पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालय	संख्या	203
4- अन्य कार्य		
(क) प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण	संख्या	642
(ख) प्राइमरी पाठशाला भवन मरम्मत	,,	64
(ग) पंचायत घर निर्माण	,,	421
(घ) पंचायत घर मरम्मत	,,	13
5- सामुदायिक श्रवण योजना		
(क) रेडियो सेट वितरण	संख्या	426

जनपद में, वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार पंचायतों के सिविल जंगलों में प्राप्त होने वाले लीसे की रौयल्टी तथा सिविल जंगलों की बिक्री का 40 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है और यह भी केवल उन्हीं ग्राम सभाओं को जिनके अन्तर्गत सम्बन्धित सिविल जंगल स्थित है। पिछले तीन वर्षों में इस मद में पंचायतों को 3,13,900 रु० प्राप्त हुआ।

वैसे तो जनपद में वन पंचायतों की संख्या पर्याप्त है किन्तु वन पंचायतों की आय का कोई भाग ग्राम सभाओं को प्राप्त नहीं होता है अपितु उनकी पूरी आय वन पंचायत के खाते में जमा की जाती है जिसे वे ही व्यय करते हैं। इस आय को भी ग्रामीण परियोजनाओं हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यदि सिविल जंगलों से प्राप्त होने वाली आय का शत-प्रतिशत भाग ग्राम सभाओं को दे दिया जाय तो ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और वे विकास कार्यों में और सक्रिय योगदान कर सकती हैं। ग्राम सभाओं को कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क लगाने के कुछ अधिकार दिये गये हैं।

लेकिन वे इतने सीमित है कि उनसे ग्राम सभाओं की औसतन आय लगभग 40 रु० प्रति वर्ष ही हो पाती है। ग्राम सभाओं के वार्षिक व्यय का औसतन लगभग 550 रुपया होता है। अतः यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं की स्थिति सुधारने हेतु उन्हें कर लगाने के व्यापक अधिकार प्राप्त हो तथा उन्हें शासन से प्रति वर्ष कुछ निश्चित अनुदान प्राप्त हुआ करे। मालगुजारी पर पंचायतों को आठ आना प्रति रुपया तक कर लगाने का अधिकार दिया जाना और साथ ही साथ मालगुजारी का कम से कम 50 प्रतिशत भाग पंचायतों को विकास कार्यों के लिये हस्तान्तरित करने का अधिकार होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों का विक्रय करने का अधिकार पंचायतों को दिये जाने से भी उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना है कि विकास कार्यों तथा ग्राम्य विकास की छोटी-छोटी परियोजना को आयोजित, क्रियान्वित तथा उनका व्यवस्थित रूप से संचालन करने हेतु लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों पर विकास कर आरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा हो सके तो इससे ग्राम्य विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।

वर्तमान समय में कुछ गांव के ग्रामों को सम्मिलित कर ग्राम सभा गठित की गई है और कुछ ग्राम सभाओं पर एक न्याय पंचायत का गठन हुआ है और उसी प्रकार कुछ न्याय पंचायतों पर एक क्षेत्र समिति का गठन हुआ है। एक क्षेत्र समिति में आने वाले समस्त ग्राम सभाओं के प्रधान सम्बन्धित क्षेत्र समिति के सदस्य होते है। ग्राम सभाओं के कार्य के सुचारु रूप से संचालन करने के निमित्त हर न्याय पंचायत क्षेत्र के एक पंचायत सेवक की नियुक्ति की गई है तथा खण्ड स्तर पर एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) नियुक्त है।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत दो शाखाओं प्रशासनिक तथा न्यायिक में विभक्त है। प्रशासनिक कार्य ग्राम सभाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है तथा न्यायिक कार्य न्याय पंचायत द्वारा सम्पन्न होता है।

वस्तुतः ग्रामीण विकास के लिये ग्राम स्तर पर ग्राम सभायें, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र समितियाँ तथा जिला स्तर पर जिला परिषद उत्तरदायी है लेकिन इन त्रिस्तरीय संस्थाओं में आपस में कोई सामन्जस्य नहीं है। इन संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण भी विभिन्न विभाग व अधिकारियों द्वारा होता है। चूंकि ये संस्थायें एक दूसरे की पूरक व पोषक है इसलिये यह वान्छनीय है होगा कि इनमें पूर्ण तालमेल हो तथा इनकी देखरेख व पथ प्रदर्शन के लिये जो प्रशासनिक ढाँचा हो वह भी ग्राम स्तर से लेकर क्षेत्र, जिला तथा प्रादेशिक स्तर तक एक ही हो।

दीर्घावधि दृष्टिकोणः- अब पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें छोटे छोटे उद्योगों को आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय और उनके उत्पादनों की उचित मूल्य मिलने की व्यवस्था की जाय। इससे निकट भविष्य में शनैः शनैः पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी ही और इससे साथ ही साथ जनता के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की भी पूरी सम्भावना है।

होगी। हमारा लक्ष्य है कि पंचायतें सफल आर्थिक इकाईयों के रूप में उभरें ताकि वे ग्रामीण विकास व प्रशासन की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा सकें। इन सब प्रयासों से निश्चय ही पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि होगी जिसका उपयोग योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा। सार्वजनिक भूमि, जलस्रोत व जंगल (सिविल व पंचायती वन) के रख-रखाव तथा उनका योजनाबद्ध ढंग से विकास व उपयोग कर पंचायतें अपने साधनों में वृद्धि करेंगी/अथवा प्राप्त करेंगी। विभिन्न अवसरों पर ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग विशेष श्रमदान का योग आयोजित कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा।

<u>जिला योजना के लिये प्राथमिकतायें</u>:- पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिक स्थान दिया जायेगा फिर उन कार्यक्रमों का स्थान होगा जिनके द्वारा पंचायतों की आय के स्रोतों में वृद्धि हो। ऐसे कार्यक्रम में उत्पादक परिसम्पदा योजना, पंचायत उद्योगों का विकास व विस्तार, हाट-बाजार व मेलों की विकास योजनायें आदि सम्मिलित हैं। स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, संयोजक मार्गों का निर्माण, जन साक्षरता योजनायें आदि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हाथ में ली जायेंगी। अन्य स्थानीय जन उपयोगी कार्यक्रमों को पंचायतें अपने ही संसाधनों के माध्यम से पूर्ण करा सकती हैं। ये पूर्व की भाँति कार्यान्वित होती रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पेयजल योजनायें तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव हेतु प्रत्येक गाँव सभा में एक विशेष कोष की स्थापना की जायेगी इस कोष की आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं पर कर लगा कर की जायेगी।

<u>कार्यक्रम</u>:- पंचायतों द्वारा वर्तमान समय में विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें से मुख्य मुख्य कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>(1) सार्वजनिक स्वास्थ्य</u>:- इसके लिये पंचायतें स्वच्छ व शुध्द जल की व्यवस्था के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं का निर्माण व उनकी मरम्मत व स्वच्छता की व्यवस्था प्रस्तावित करती हैं। इसके साथ ही ग्रामों की स्वच्छता, पी0आर0ए0 टाइप शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था की जाती है। मलीन बस्तियों के सुधार तथा आवश्यकतानुसार गलियों में खड़ंजा बिछाने का कार्यक्रम का ध्यान रखा जायेगा।

<u>(2) यातायात की सुविधा</u>:- यातायात की सुविधा के लिये कच्ची व पक्की सड़कों के निर्माण की व्यवस्था/व छोटे पुलों के निर्माण के कार्य सम्पन्न करातीं हैं। इसके अतिरिक्त संयोजक मार्गों का निर्माण कर उन्हें निकटस्थ स्थायी मार्गों से जोड़ने का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

<u>(3) सिंचाई व्यवस्था</u>:- सिंचाई सुविधाओं से वंचित भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिये पंचायतों द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त कर सिंचाई गूल, हौज तथा पम्पिंग सेटों व पाइप लाइनों की स्थापना की जाती रहेगी।

<u>(4) वृक्षारोपण</u>:- ईंधन व चारा वृक्षों के रोपण में भी पंचायतों द्वारा विशेष योगदान दिया जा रहा है जिससे पशुओं के चारे व ईंधन की समस्या के हल होने के साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के द्वारा सुरक्षित किया जायेगा।

<u>(5) जन जागरुकता कार्यक्रम</u> :- पंचायतें जन जागरुकता की शिक्षा के लिये सतत् प्रयत्नशील है और इस समय शिक्षा विभाग द्वारा [illegible] योजना के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा प्रौढ़ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

<u>(6) पंचायत कार्यालय भवन निर्माण</u>:- पंचायत कार्यालय भवन में भी पंचायतें बड़े मनोयोग से कार्य कर रही है।

<u>(7) पंचायत उद्योगों की स्थापना</u>:- पंचायतें अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये पंचायत उद्योगों की स्थापना की ओर सक्रिय है। इस समय दो पंचायती उद्योग है और 10 और आरम्भ किये जायेंगे। इस प्रकार 12 नवीन उद्योग स्थापित हो जायेंगे।

<u>(8) हाट बाजार तथा मेले लगाने की परियोजना</u>:- पहाड़ी क्षेत्रों में नियमित रूप से साप्ताहिक एवं मासिक हाट तथा बाजार नहीं लगा करते है केवल मेलों के अवसर पर कुछ चुने हुए स्थानों पर मेले तथा बाजार लगा करते है। प्रस्तुत परियोजना में लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में चुने हुए स्थानों पर हाट बाजार लगाये जायें।

<u>(9) प्रधानों के प्रशिक्षण की योजना</u>:- इस योजना के अधीन प्रति वर्ष 300 प्रधान, सरपंच, सहायक सरपंचों को सप्त दिवसीय प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि योजना के अन्त तक 1500 पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

<u>(10) ग्रामीण खेलकूद तथा क्रीड़ा स्थलों की योजना</u>:- ग्रामीणों में खेलकूद की भावना जागृत कर उनके विकास की व्यापक प्रबन्ध किया जायेगा जिले में योजना-काल तक 20 क्रीड़ा स्थलों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। इन क्रीड़ा स्थलों के लिये शासन से 500 रू० प्रति क्रीड़ा स्थल की दर से अनावर्तक साज-सज्जा हेतु अनुदान प्राप्त करना होगा।

<u>योजना के लिये संसाधन</u>:- पंचायत विभाग द्वारा जो योजनायें वर्तमान समय में चलाई जा रही है उनमें से कुछ के लिये अनुदान की व्यवस्था पूर्व की भांति की जाती रही व पंचायतों को आर्थिक रूप में सुदृढ़ बनाने के लिये पूर्व प्रस्तरों के अनुसार सुविधा प्रदान की जाये। कुछ योजनाओं के संचालन के लिये शासन से अनुमानित अनुदान तथा ऋण प्राप्त होगा। कुछ योजनायें पंचायतों के कोष में उपलब्ध धन तथा जनता के श्रमदान द्वारा पूर्ण करायेंगी। ग्रामीणों पर कर कर व लाइसेन्स शुल्क लगा कर योजना के लिये धन जुटाया जायेगा। सिविल वनों की बिक्री, रैजिन रोयल्टी, वन पंचायतों की आय का एक भाग योजना की आर्थिक आपूर्ति हेतु सहायक सिद्ध होगें। राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिये वित्त निगम स्थापित किया जाने वाला है इसके लिये जिले में अंशदान क्रय करने हेतु नियत लक्ष्य की पूर्ति कर शेयर क्रय कर लिये गये है। आशा है कि जिले की पंचायतों को अपने योजना के कार्यान्वयन हेतु इस प्रस्तावित वित्त निगम से समुचित आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

1- राजस्व का 25 प्रतिशत भाग शासन द्वारा पंचायतों को हस्तान्तरित करने

का विचार किया जाने वाला है. इससे भी पंचायतों के साधनों में वृध्दि होगी जो कि योजना के लिये सहायक सिध्द होगा।

शासन के विचारणीय सुझावः- यदि शासन द्वारा लाख रायल्टी व सिविल वन बिक्री की आय का शेष 60 प्रतिशत भाग ग्राम सभाओं को दे दिया जाय जिनके पास अपने सिविल जंगल नहीं है तो ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति में कुछ निश्चित सुधार अवश्य हो सकता है। इसी प्रकार पंचायतों की आय अर्जन व वृध्दि हेतु कुछ ठोस साधन उपलब्ध होने चाहिये जिनसे उन्हें कुछ निश्चित आर्थिक आय हो सकें।

जनपद में बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिलाने के लिये दो योजनायें है, प्रथम योजना के अन्तर्गत शैक्षिक योग्य बेरोजगारों को आंशिक रोजगार दिलाने के लिये प्रौढ़ अध्यापकों की नियुक्ति है और दूसरी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना के अन्तर्गत संयोजक मार्गों का निर्माण है। आशा है कि इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 500 व्यक्तियों को प्रति वर्ष रोजगार मिलता रहेगा। इसके अलावा पंचायत उद्योगों के संवर्धन से प्रति वर्ष लगभग 50 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। पंचम योजना काल में इस प्रकार 2800 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

जनपद की पंचायतों में पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व का पूर्ण ध्यान उनकी जनसंख्या के आधार पर रखा गया है और उसी के अनुसार ग्राम पंचायतों में पदों का निर्धारण किया गया है। इस वर्ग की जनसंख्या लगभग 1,27,000 है जो कि जिले की सम्पूर्ण आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है। इस सम्प्रदाय की मुख्य समस्या आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी तथा शिक्षा का अभाव है। इनमें अधिकांश व्यक्ति भूमिहीन है। भूमि हीनों को ग्राम सभाओं की अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु पंचायतें प्रयत्नशील है। इस वर्ग के बेरोजगारों का रोजगार पंचायतों द्वारा अपने सीमित साधनों की पृष्ठभूमि में प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाता है। योजनाओं के सफलतापूर्वक सम्पादन के लिये सर्व प्रथम पंचायत पदाधिकारियों के व्यापक प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है क्यों कि सभी योजनागत एवं आयोजनेत्तर परियोजनाओं का संचालन इन्ही पंचायत पदाधिकारियों के माध्यम से होता है। इसमें कोई संदेह नही कि यदि पंचायत पदाधिकारी प्रशिक्षित होंगे तो योजनाओं के प्रति उनका योगदान उतना ही लाभदायक एवं मूल्यवान सिध्द होगा और वे अपने प्रयासों में अधिक सफल हो पायेंगे। वर्तमान् समय में चल रहे उत्पादक परिसम्पद योजना के स्वरूप में केवल इतना परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सभाओं को दिये जाने वाले न्यूनतम ऋण की सीमा 3500 रुपया की अपेक्षा 5000 रुपया रखी जाय ताकि कम आबादी वाले ग्राम सभायें भी इस परियोजना से लाभान्वित हो सकें। जन-साक्षरता कार्यक्रम जो कि पिछले वर्ष से प्रारम्भ हुआ है के अधीन प्रौ० शिक्षक को 60 रू०प्रति मासिक मानदेय के स्थान पर 100रू० मासिक देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा संयोजक मार्ग निर्माण परियोजना के लिये पहाड़ी जिलों को मैदानी जिलों की अपेक्षा डेढ़ गुना अधिक धन आवंटित होना चाहिए ताकि इस परियोजना के अधीन 5 कीलोमीटर

तक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। इसी प्रकार पंचायत कार्यालय भवन निर्माण परियोजना कार्यक्रम को इस प्रकार लिया जाना चाहिए जिससे आगामी पाँच वर्षों में उन सभी न्याय पंचायत मुख्यालयों में पंचायत भवन निर्मित हो सकें जिनमें इस समय कोई सार्वजनिक भवन नहीं है। वर्तमान समय में जिस अनुपात से धन का आवंटन हो रहा है उससे अगले 20 वर्षों के भीतर सभी न्याय पंचायत मुख्यालय में भवन निर्मित नहीं हो पायेंगे।

जनपद में जल सम्पदा का बाहुल्य है और उसका उचित उपयोग ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जा कर उनके संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है।

पंचायत राज विभाग द्वारा पंच वर्षीय योजना के जिलेवार/कार्यक्रमवार लक्ष्य के आंकड़े नहीं उपलब्ध कराये है अतः इस योजना में दिखाये गये पंचायत कार्यक्रमों को संशोधित करना सम्भव नहीं है।

पाँचवीं योजना काल में कुल 2.31 लाख रु० पंचायत कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस धनराशि में से वर्ष 1974-75 के लिए 0.24 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रादेशिक विकास दल

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (लाख रु० में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1-	श्रमदान शिविर द्वारा सड़क निर्माण	कि०मी०	7	0-112
2-	स्वयं सेवकों की वर्दियाँ	संख्या	72	0-039
3-	युवक गोष्ठी	,,	50	0-010
4-	ग्रामीण खेलकूद आयोजन	,,	14	0-021
5-	तैराकी शिविर	,,	1	0-008
6-	समाज सेवा कार्य	,,	-	0-010
7-	साईफन पुलिया निर्माण	,,	-	0-090
8-	हथियारों के लिये	,,	-	0-087
9-	युवक दलों की सहायता	-	-	0-021

5(12) परियोजना एवं ग्रामीण रोजगार

कृषि के क्षेत्र में पहाड़ी जलवायु व वातावरण में उन्नतशील किस्मों की वनस्पति विकास एवं चारा विकास पर विवेकानन्द अनुसंधानशाला में अनुसंधान किये जाते है। हवालबाग ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में एक कार्यशाला स्थापित की गई है जहाँ उन्नतशील यन्त्रों आदि के विकास पर कार्य किया जाता है। ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र में दो वर्ष का कृषि एवं उद्यान का डिप्लोमा कार्य भी आयोजित है। भारत जर्मन परियोजना को दिनांक 31 जुलाई, 1971 को भारत सरकार व जर्मनी के संघीय गणराज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य हुए अनुबन्धन के आधार पर तीन वर्ष के लिये लागू की गयी जिसकी अवधि बाद में 1975 तक बढ़ा दी गयी। इसमें कृषि विकास एवं चारे की फसलों, पशुपालन एवं पशु पोषण, फल सब्जी एवं आलू का उत्पादन कृषि जल व्यवस्था, सिंचाई तथा कृषि अभियन्त्रण एवं यान्त्रीकरण के सम्बन्ध में कार्य चालू है। वर्तमान समय में इस परियोजना के अन्तर्गत राजकीय एवं व्यक्तिगत गाड़ियों की मरम्मत के लिये एक कार्यशाला कार्यरत हो चुकी है।

ट्रकों एवं ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये जिले के किसी भी विकास खण्ड में सुविधा उपलब्ध नहीं है पर अल्मोड़ा एवं रानीखेत में एक-एक व्यक्तिगत गैरेज उपलब्ध है। दिनांक 1-4-72 से भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत उपरोक्त व्यवसायिक वर्कशाप अल्मोड़ा-(पातालदेवी) में प्रारम्भ किया गया है।

भारत-जर्मन परियोजना सम्बन्धी वर्तमान अनुबन्ध भारत-सरकार तथा पश्चिमी जर्मनी सरकार के मध्य दिनांक 31-7-69 को किया गया। अनुबन्ध के अन्तर्गत जर्मन विशेषज्ञों का प्रथम दल फरवरी /मार्च 1970 में यहाँ पहुँचा। द्वितीय दल का आगमन सितम्बर 1970 में हुआ। अनुबन्ध में अंकित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यारम्भ सितम्बर, 1970 में हुआ। इस प्रकार वर्तमान अनुबन्ध वास्तविक रूप से लगभग 3, 3/4 वर्ष पूर्ण कर चुका है। पृष्ठभूमि पर योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिये। यद्यपि अनुबन्ध के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी स्पष्ट उद्देश्य अलग उल्लेखित नहीं है तथापि अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख है:-

1- कृषि विकास एवं चारा उत्पादन ।

2- पशुपालन एवं पशु पोषण ।

3- फलों, साग-सब्जियों का व आलू का उत्पादन एवं प्रोसेसिंग ।

4- कृषि रक्षा एवं व्याधियों का नियंत्रण ।

5- कृषि जल व्यवस्था, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण ।

6- कृषि अभियन्त्रण एवं यंत्रीकरण ।

अनुच्छेद 3(1) में कार्यक्रमों को सम्पन्न कराने के लिये जर्मन सरकार द्वारा अपने व्यय पर नियुक्त किये जाने वाले विशेषज्ञों की संख्या का उल्लेख है। अनुच्छेद 3(3) में कई अन्य सामग्रियों को स्पष्ट किया गया है जिन्हें जर्मन सरकार अपने व्यय

पर प्रदान करेगी। यह निम्नलिखित है:-

(अ) प्रायोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक प्रयोजनों के लिये उत्पादन वृध्दि के साधन जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, भूमि परिक्षण व सिंचाई के उपकरण।

(ब) कैस कन्द्रीय वाहन ।

(स) एक विस्तार मृदा परिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ।

(द) कृषि यंत्रों तथा मोटर वाहनों के लिये एक जीर्णोध्दार कार्यशाला की स्थापना ।

(य) पारस्परिक सहमति पर कार्यक्रमों के विस्तार हेतु अन्य आवश्यक उपकरण ।

इस योजना के अन्तर्गत जर्मन विशेषज्ञ यहाँ आये और भारतीय अधिकारियों की सहायता से यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन कर कृषि क्रान्ति करने का संकल्प किया। पश्चिमी जर्मन सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कुछ रसायनिक खाद दी जिसके दामों के अनुसार भारत सरकार ने धन देकर एक काउन्टर पार्ट फण्ड की स्थापना की इसी धनराशि से भारत जर्मन परियोजना का संचालन किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में फसल चक्र बदलने का प्रयास तथा उन्नत बीजों तथा रसायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया। उपजाऊ क्षेतों में सामान्यतया दो वर्षों में तीन फसल लेकर एक बार खेत पड़ती छोड़े जाते है। अब प्रयास यह किये जा रहे है कि इस पड़ती भूमि का क्षेत्र कम किया जावे और तीन वर्षों में इसमें एक बार चारा अथवा आलू उगाया जावे। फलस्वरूप जनपद का दुफसली तथा बहुफसली क्षेत्र बढ़ रहा है जिससे कृषि उत्पादन में वृध्दि होना स्वाभाविक है। अभी तक कृषि विभाग द्वारा कृषकों के खेतों में उन्नत बीज, खाद व उन्नत विधियों के प्रदर्शन कर उनका उपयोग लाभदायक सिध्द करने के प्रयास किये जाते है। भारतजर्मन परियोजना में समस्त गावों को ही प्रदर्शन गाँव बनाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम में आशातीत सफलता मिली है और कृषक इन प्रदर्शनों की सफलता से प्रभावित हुए है । इसके साथ-साथ ही भारतजर्मन परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई की भी व्यवस्था की गयी है। जिसमें छोटे डिजिल चलित पम्प लगाकर जलग्राहीन नालों द्वारा सिंचाई की गई ह और एक प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में कृषकों को सब्जी एवं अधिक उपजाऊ बीज को अन्तर्गत लाने को प्रोत्साहित किया गया। कुछ नई किस्म की रसायनिक खादों, बीजों व चारों के बीजों का वितरण एवं उत्पादन भी सुनिश्चितकराया गया है।

कृषि के अतिरिक्त बागवानी एवं चारा विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। कीटनाशक दवायें समय पर पहुचाने की व कीटनाशकों की समुचित व्यवस्था की जाती है।

हवालबाग कृषि फार्म में बनाये गये कृषि यंत्रों, का पहाड़ी स्थानों में उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। जनपद के मुख्यालय में अभी तक मोटर व अन्य मशीनों की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस योजना के अधीन पातालदेवी

नामक स्थान पर एक कार्यशाला का समारम्भ कर लिया गया है और यह सेवा अब सुगमता पूर्वक स्थायी रूप से उपलब्ध होने लग गयी है।

पशु विकास का इस योजना में विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित कर इसकी उप शाखा अन्यत्र खोली गयी है। जर्मनी से डीप-फ्रोजन-सीमन' निर्यात किया जाता है जिसे तरल नाईट्रोजन द्वारा सुरक्षित रखकर पशुपालकों तक पहुचाया जाता है और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत किस्म के पशु उत्पन्न किये जाते है। कोसियाड़ा में एक पशु फार्म और गर्मी में 'रैनुली' भेड़ फार्म स्थापित किया जा चुका है। अभी तक तरल नाईट्रोजन बाहर से मंगाया जाता है अब इस इस जनपद में तरल नाईट्रोजन बनाने की व्यवस्था की जा रही है जो पंचम पंच वर्षीय योजना काल में ही कार्यान्वित हो जायेगी।

कृषि, बागवानी, पशु विकास के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जनता को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जायें। इस परियोजना के विस्तार से इस ध्येय की भी पूर्ति हो रही है।

<u>ग्रामीण रोजगार</u>:- जिले में कोई कारखाना अथवा बड़ा उद्योग न होने के कारण अकुशल श्रमिकों का सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार दिलाने में कोई विशेष उपलब्धि उल्लेखनीय नहीं है। सेवा योजन सम्बन्धी मुख्य समस्या कम पढ़े-लिखे अथवा हाई स्कूल तथा इन्टर तक पढ़े लिखे लोगों की है जो शारीरिक श्रम करने से हिचकिचाते है। सेवायोजन कार्यालय में सामान्यतया सरकारी कार्यालयों के निम्नकोटि के पदों के लिये ही अभ्यार्थी अपना नाम रजिस्टर करवाते है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी इस कार्यालय द्वारा रजिस्टर किये जाते है और उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कई कार्य सम्पादित किये जा रहे है तथा इन कार्यों में प्रतिवर्ष । हजार व्यक्तियों को रोजगार दिये जायेगें।

गाँवों में भूमि हीन कृषक सामान्यतया गाँवों में ही लोहार, बढ़ई, कृषि श्रमिक अथवा निर्माण कार्यों में लग कर जीविकापार्जन करते है। कुछ भूमि हीन व्यक्ति दूसरों के कृषि कार्य (हल चलाना आदि) करते है, फलस्वरूप उन्हें कुछ नकद मजदूरी और फसल कटाई के समय अनाज दिया जाता है।

वर्ष 1971-72 में भारत-सरकार ने त्वरित योजना का श्रीगणेश किया जिसके लिये प्रति वर्ष प्रत्येक जनपद को प्रायः 12-50 लाख रूपये मिले जिससे प्रायः 1,0000 व्यक्तियों को रोजगार दिलवाना था।

अल्मोड़ा जनपद में इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य भी किये गये जिनके सम्पादन में बड़ी सफलता मिली। इसके अतिरिक्त हरिजन कल्याण के लिये कुछ त्वरित योजनायें भी स्वीकृत हुई है और जिला परिषद के लिए मार्गों तथा पंचायती टैस्ट-मेदों के लिये धन दिया गया। धन के उपयोग और उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

	1971-72	1972-73	1973-74
आवंटित धनराशि (रू०)			
व्यय (रू०) में			
व्यक्तिगत दिवस प्रयुक्त उपलब्धियाँ:-			
सड़क निर्माण कि०मी०	6-50	15-9	शून्य
पुल निर्माण (संख्या)	2	-	-
रपटा बनाना (संख्या)	22	3	-
इम्बैंकमेन्ट बनाना (संख्या)	3	-	-
वनीकरण (है०)	79	66	6
सिंचाई डिग्गी बनाना (संख्या)	5	-	-
मूल मरम्मत (कि०मी०)	-	4-3	-
प्रा०पा०भवन निर्माण (संख्या)	8	8	11
खेल के मैदान बनाना	1	1	-

हरिजन कल्याण त्वरित योजना

	1972-73	1973-74
प्राविधान (रू०में)	3,05,310	78,500
व्यय ,,	2,93,655	-
पेयजल योजना निर्माण (संख्या)	65	

जिला परिषद लिंक मार्ग निर्माण (1972-73 में)

प्राविधान (रू०)	14,81,000
व्यय ,,	
लिंक मार्ग निर्माण (कि०मी०)	

पंचायती टेस्ट वर्क्स (1972-73)

मार्ग निर्माण (कि०मी०)	32
प्राविधान रू०	
व्यय	

यह उल्लेखनीय है कि त्वरित योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों को एक समान धनराशि स्वीकृत की गई और सभी में प्रायः 1000 व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था करनी थी परन्तु पर्वतीय अंचल में यातायात की कठिनाई के कारण सामग्री

के मूल्य बढ़ जाते है और यदि सामग्री एवं रोजगार का अनुपात निश्चित रखा जाय तो कम व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा अथवा कार्य कम होगा । अतः यह राज्य सरकार का विचारणीय प्रश्न है कि भविष्य में पहाडी क्षेत्रों को इस प्रकार की योजनाओं के लिये अधिक धन दिया जावे अथवा यातायात के व्यय में अनुदान दिया जावे ।

भरत जर्मन परियोजना का कार्यकाल 31 अगस्त 1975 तक ही था लेकिन पश्चिमी जर्मन सरकार ने मार्च 1975 में एक मूल्यांकन समिति अल्मोडा में उक्त योजना की उपलब्धियों और कठिनाईयों का सिंहावलोकन करने भेजी। मूल्यांकन समिति ने क्षेत्रान्तरगत भ्रमण करने और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श बाद योजना का कार्यकाल तीन साल और बढाने की संस्तुति की जिसके फलस्वरूप इन तीनों वर्षो की एक योजना बनाई गयी है जिसका विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार हैः-

परिव्यय लाख रू0 में

मद	वर्ष 1975-76	वर्ष 1976-77	वर्ष 1977-78
1- कृषि	25-970	31-188	18-200
2- पौध सुरक्षा	0-760	0-640	0-640
3- आलू	1-000	5-750	1-500
4- मृदा परीक्षण	0-315	0-165	0-165
5- कृषि अभियंत्रण	0-500	-	-
6- उद्यान	6-677	9-697	1-647
7- लघु सिंचाई	2-250	7-000	3-000
8- पशु पालन	15-690	9-894	8-253
9- वानकी	0-230	0-230	0-230
10-ऋण एवं सहकारिता	5-320	0-320	0-320
11-अन्य	8-500	-	-
योग-	67-212	64-884	33-955

5(13) भूमि कानून सुधार व चकबन्दी

पहाड़ी क्षेत्रों में खेती छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा खेतों में होती है और यह खेत प्रायः अलग-अलग भू-भागों में स्थित होते हैं। इस पर भी प्रति व्यक्ति कृषि भूमि .2 हैक्टेयर आती है। स्वाभाविक है कि इतनी छोटी जोत के विभिन्न भू-खण्डों में होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में बाधा होती है। इसके कारण तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव से प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन कम होता है।

अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि पड़ताल भी पूर्ण नहीं हुई है और पटवारी के खसरे/ खतौनी के अतिरिक्त गाँवों में भूमि उपयोग के कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन के तथा विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग में लायी जाने वाली भूमि के भी कोई विश्वस्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं अनुमान ही हैं और जब तक पूर्ण पड़ताल से आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक उपलब्ध आंकड़ों को ही सही माना जावे।

पिछले वर्षों में कृषकों को अपनी खेत सही मिल चुकी है परन्तु चकबन्दी का कार्य यहाँ आरम्भ नहीं हुआ है और कृषि भूमि अभी भी विभिन्न स्वामित्व के विभिन्न खण्डों में बंटी हुई है।

राज्य सरकार के विचारणीय समस्याः- पहाड़ों में प्रायः खेतों में कृषि होती है परन्तु इस ढाल के एक सीमा के ऊपर होने पर ढलान इतना अधिक हो जाता है कि वर्षा में भूमि कटाव और भूस्खलन अत्यधिक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अधिक ढलान में खेती न कर बागवानी अथवा चारा उत्पादन कर उस ऊँचे ढलान के क्षेत्र का भूमि संरक्षण होगा ही साथ ही उस ऊँची भूमि के नीचे का भाग भी सुरक्षित हो सकेगा। अत्यधिक ढलान पर खेती न करने के लिये शासकीय आदेश प्रसारित करने के पहिले सर्वेक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कितने ढलान तक खेती बिना क्षति के सम्भव हो सकती है।

5(14) बाढ़ नियंत्रण योजनायें

इस जिले की बड़ी नदियों में बाढ़ आने से प्रतिवर्ष उपजाऊ भूमि व ग्रामों को क्षति पहुंचती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि वैसे ही कम है, अतः भूमि व ग्रामों की सुरक्षा के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजनायें प्रस्तावित की गयी है। कुछ प्रस्तावित योजनायें जो नीचे दी गयी हैं के पूर्ण करने की लागत लगभग 8-60 लाख रुपये होगी तथा उससे 42 हैक्टेयर क्षेत्र का बचाव होगा।

क्रमांक	योजनाओं का नाम	लागत (लाख रुपया)	लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1-	भानी बाढ़ नियंत्रण योजना	0-60	10
2-	गोलना बाढ़ नियंत्रण योजना	0-00	12
3-	मेहनरबूँगा बाढ़ नियंत्रण योजना	2-00	20
4-	अप्रत्याशित	5-00	-
		योग-8-60	42

उपरोक्त योजनायें वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित योजनाओं का विवरण प्रपत्रावलीन में दिया गया है।

पंचम पंच वर्षीय योजना काल में इस जनपद के लिये सरयू नदी पर बागेश्वर में बाढ़ नियंत्रण की योजना प्रस्तावित की गई है। चतुर्थ व पंचम पंच वर्षीय योजना काल में जो भाग बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत लिया जाना था उसमें कुल 1,51,000 रुपया व्यय होने का विभागीय अनुमान था तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 26 हजार रुपये व्यय किये जा चुके है। अतः शेष 125000 रुपये पंचम पंच वर्षीय योजना काल में व्यय कर उक्त योजना को पूर्ण किया जावेगा।

पूर्व में प्रस्तावित योजनाओं को धन का प्राविधान होने पर अथवा दीर्घकालीन योजना काल में कार्यान्वित किया जावेगा।

योजनायें

क्रमांक	योजना का नाम	संक्षिप्त विवरण
1-	भानी बाढ़ नियंत्रण योजना	सरयू नदी पर ग्राम की सुरक्षा हेतु दिवाल तथा स्पर्श बनाये जावेंगे। इससे लगभग 10 हैक्टेयर उपजाऊ भूमि की सुरक्षा की जावेगी।
2-	गोलना बाढ़ नियंत्रण योजना	सरयू नदी पर गोलना ग्राम की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दिवाल तथा स्पर्श बनाये जावेंगे। इससे लगभग 12 हैक्टेयर उपजाऊ भूमि की सुरक्षा की जा सकेगी।
3-	मेहनरबूँगा बाढ़ नियंत्रण योजना	सरयू नदी पर मेहनरबूँगा ग्राम की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दिवाल तथा स्पर्श बनाये जावेंगे। इससे लगभग 20 हैक्टेयर उपजाऊ भूमि की सुरक्षा की जा सकेगी।
4-	भविष्य की योजनायें	इन नदियों पर बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई जावेगी जिससे ग्रामों की उपजाऊ भूमि का कटाव अथवा बहाव रोका जावेगा।

कुल अनुमानित लागत- का योग- 1-25लाखरु०

5(15) विद्युतीकरण

शक्ति उत्पादन के लिये जिले में कई जल प्रपात है तथा पूर्वी रामगंगा, सरयू एवं पिण्डर जैसी हिमालय अनपोषित नदियों से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। अन्य छोटी नदियों में बैक डाम निर्मित कर सिंचाई तथा माइक्रो-हाइडिल योजनायें आरम्भ की जा सकती है। पांचवीं योजना में 225 अतिरिक्त ग्रामों को विद्युत शक्ति उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार 1979 तक 439 स्थानों का विद्युतीकरण हो जायेगा।

आज के युग में कोई भी क्षेत्र बिना विद्युत के उन्नति नहीं कर सकता। इस जनपद में वर्ष 68-69 तक केवल 12 स्थानों में बिजली थी वर्ष 69-70 में तीन और ग्रामों को प्रकाश मिला। वर्ष 73-74 में जहाँ 231 ग्रामों को विद्युत देने का लक्ष्य था वहाँ विभाग द्वारा 214 स्थानों को विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकी थी।

विद्युत, सिंचाई तथा पेयजल की सम्भावनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण विशेषज्ञों द्वारा कराया जाना आवश्यक है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में 12,000से 13000 फिट की ऊँचाई से नदियाँ प्रवाहित होती है। अतः जगह-जगह पर पानी को रोककर विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है तथा पानी सिंचाई व पीने हेतु उपलब्ध हो सकता है।

विद्युत शक्ति के सम्बन्ध में उपभोग के आंकड़े निम्न प्रकार है:-

(वर्ष 1972-73)

	विद्युत वाले ग्रामों का प्रतिशत	हजार किलोवाट			
		घरेलू एवं वाणिज्य	कृषि	अन्य	योग
अल्मोड़ा	3-8. (120 ग्राम)	988	-	1951	2939

मुख्य हाईट्रान्समिशन लाइनें निम्न क्षेत्रों में बिछी है:-

(1) द्वारसों-रानीखेत-अल्मोड़ा 37-5 के0वी0लाईन

(2) रानीखेत-पिलखोली 11 ,, ,,

(3) रानीखेत-चौबटिया-मजखाली 11 ,, ,,

(4) रानीखेत-मजखाली 11 ,, ,,

(5) रानीखेत-द्वाराहाट 11 ,, ,,

(6) रानीखेत-कालधार 11 ,, ,,

उक्त के लिये शक्ति शारदा ग्रिड से बोहनामहल्दवानी-काठगोदाम सब स्टेशनों से प्राप्त होती है जो बरेली व नैनीताल जिलों में स्थित है।

मुख्य 37-5 के०वी० सब-स्टेशन अल्मोड़ा एवं रानीखेत में स्थित है। इसके अतिरिक्त बागेश्वर व गरुड़ शहरों को वहाँ स्थित माइक्रो-हाइडिल स्टेशनों से विद्युत मिलती है। पिछले तीन वर्षों में क्षेत्र में 37-5 के०वी० तथा 11 के०वी० ट्रान्समिशन लाईनों के अभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की प्रगति कम रही।

माइक्रो हाइडिल क्षेत्र में ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग या लोवोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है।

इन जैनरेटिंग प्लान्टों में जल की कमी के कारण जैनरेटिंग कैपेसीटी बढ़ाना सम्भव नहीं है। यह क्षेत्र शारदा ग्रिड से नहीं जुड़े है और इन क्षेत्रों की बढ़ती हुई माँग को माइक्रो हाइडिल प्लान्टों से पूर्ण नहीं किया जा सकेगा।

अल्मोड़ा-काफलीगैर-रानीखेत-वाली की 37-5 के०वी० लाइनें जो अब निर्माण-ग्रस्त है पूर्ण होने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में सुगमता से विद्युत कार्य बढ़ाया जा रहा है।

अल्मोड़ा तहसील-	11 के०वी० अल्मोड़ा -दन्या लाईन ।
	11 ,, अल्मोड़ा-लमगड़ा लाईन ।
	11 ,, अल्मोड़ा-कौसानी लाईन ।
रानीखेत तहसील	11 ,, रानीखेत-चौखुटिया लाईन ।
	11 ,, रानीखेत-भालरोजखान लाईन ।
	11 ,, रानीखेत-भुजान लाईन ।
	11 ,, मजखाली-बिलखेत लाईन ।
	11 ,, द्वाराहाट-स्याल्दे-बूँगीधार लाईन ।
	11 ,, द्वाराहाट-भिकियासैण-मानिला लाईन ।
	11 ,, द्वाराहाट-ताली-जालली-ईड़ा लाईन ।
बागेश्वर तहसील-	11 ,, बागेश्वर-गरुड़ लाईन ।
	11 ,, बागेश्वर कपकोट लाईन ।
	11 ,, गरुड़-ग्वालदम लाईन ।
	11 ,, काफलीगैर-बागेश्वर लाईन ।

चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में ट्यूबवैल के लिये बोरिंग नहीं किया जाता है इसलिए ट्यूबवैलों के लिये विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले 10 वर्षों की-लोड स्ल-मेन्ट के अनुसार ही विभिन्न तहसीलों, विकास खण्डों में लाईनों के बिछाने व सब स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

यदि उद्योग व कृषि के लिये पावर कनेक्शन की अनुमति देने के लिये जिले का मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को सक्षम कर दिया जाये तो इससे सुविधा होगी।

यह जनपद पिछली चार पंच वर्षीय योजना काल में विद्युत के क्षेत्र में अविकसित रहा। अल्मोड़ा तथा रानीखेत के शहरी क्षेत्रों को 37-5 के०वी० शक्ति वाली,

भनाली-रानीखेत-अल्मोड़ा लाईन के शारदा ग्रिड प्रणाली से जोड़ने तथा बागेश्वर में एक लघु विद्युत स्टेशन स्थापित करने के अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतिकरण की दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। दिनांक 31-3-72 को गांवों के विद्युतीकरण का प्रतिशत प्रदेशों के 27 प्रतिशत की तुलना में केवल 1-7 था। इससे स्पष्ट है कि इस जिले में विद्युत उपयोग प्रायः नगण्य रहा। यही कारण है कि आबादी का एक बड़ा भाग विद्युत तथा इसके बहुमुखी उपयोगों से वंचित है। विद्युतीकरण की इस धीमी प्रगति का मुख्य कारण इस जिले का पिछड़ापन, यातायात के साधनों का अभाव, बड़े उद्योगों के न होने आदि थे। प्रथम तीन पंच वर्षीय योजना कालों में जिले की खनिज सम्पदा के उत्खनन तथा इस पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। विद्युत के लिये कम माँग भी इस धीमी प्रगति का कारण रही।

<u>चतुर्थ योजना पर दृष्टिपातः</u>- अल्मोडा में नवम्बर, 69 में एक विद्युत खण्ड के स्थापित होने पर विद्युत के अधिकतम प्रसार तथा गावों के त्वरित विद्युतिकरण के प्रयास किये गए जिसके फलस्वरूप तीन महत्वपूर्ण कस्बे भुजगाली, द्वाराहाट तथा चौखुटिया को ग्रिड प्रणाली से जोड़ दिया गया तथा विद्युतकृत कस्बों की संख्या 1968-69 में 12 की तुलना में 1973-74 में 214 हो गई। ये आंकड़े चम्पावत तहसील के अतिरिक्त है जो अब पिथौरागढ़ जिले का एक भाग बन गई है।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जिले में 54 कीलो मीटर 37-5 के0 वी0 लाईन थी, दो ट्रान्सफिरशन केन्द्र क्रमशः रानीखेत व अल्मोड़ा में थे। वर्ष 1971-72 में वर्तमान ट्रान्सफिरशन के केन्द्रों से विद्युत का प्रसार किया गया जबकि विद्युतीकृत क्षेत्रों की संख्या बढ़ने लगी।

इस समय जिले में 214 स्थानों में विद्युत वितरण होता है।

जिले में शक्ति उत्पादन के लिये जल की प्रचुरता है। एक बड़े जल विद्युत केन्द्र का निर्माण 13000 फिट ऊंचाई पर पिण्डारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिण्डार नदी के जल को रोक कर किया जा सकता है। इस दिशा में समुचित सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है। पूर्व में बनाई गयी पंचम योजना में 691 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

पिछड़े क्षेत्र होने के कारण जिले के लोग गरीब है। लोग बिजली के फिटिंग का कार्य एक साथ उठाने में असमर्थ हैं। नए कनैक्शनों की गति को तेज करने के लिए बिजली की फिटिंग के कार्य का बिजली के बिलों के साथ मासिक किस्तों में लिया जाना उचित होगा।

यद्यपि विद्युतीकरण की गति को तेज कर लिया गया है लेकिन यह देखने में आया है कि लोग अधिक संख्या में अपने घरों के लिये बिजली के कनैक्शन नहीं ले रहे है न ही ग्राम सभायें रोशनी के लिये कनैक्शन लेने की दिशा में कोई उत्साह दिखा रही है। इसके कारण परिषद को बहुत कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस धीमी प्रगति का एक कारण जहाँ लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति है वहाँ दूसरा कारण उनके घरों में बिजली के फिटिंग के लिए अधिकार प्राप्त विद्युत ठेकेदारों का अभाव भी है।

तीसरा कारण विधुत की ऊँची दरें है। पर्वतीय लोगों में विधुत को लोकप्रिय बनाने के लिये अधिकार प्राप्त विधुत ठेकेदारों के द्वारा ही बिजली के फिटिंग के नियमों में कुछ शिथिलता की जावे ताकि लोग आसानी से यह कार्य करवा सकें। इस समय जिले में लाइसेन्सयुदा ठेकेदारों की कुछ सामान्य है और वे 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिये भी बहुधा तैयार नहीं होते हैं।

66/33 किलोवाट शक्ति का एक स्टेशन अल्मोड़ा में स्थापित किया जा सकता है। दो ट्रांसमिशन केन्द्र भाक्लीगैर तथा भवाली में कार्य करना आरम्भ कर रहे है जो कि क्रमशः 37-5 तथा 33 किलोवाट की लाइनों से अल्मोड़ा तथा रानीखेत से जुड़े है।

पाँचवीं योजना के प्रस्तावों के आधार :- राज्य सरकार के द्वारा जिलों की योजनायें बनाने के लिए प्रदत्त पूर्व निदेशों के अनुसार योजना के अंत तक 100 प्रतिशत ग्रामों का विधुतीकरण का लक्ष्य रखा गया था जो अत्यधिक था। मार्च 1972 के अंत तक इस जनपद के केवल 1-7 प्रतिशत ग्रामों का विधुतिकरण हुआ था। जून 1972 में नैनीताल में पाँचवीं योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी में यह विचार किया गया था कि पाँचवीं योजना के अंत तक इस क्षेत्र के 75 प्रतिशत गाँवों का विधुतीकरण हो जायेगा। पर्वतीय जिलों का विधुतीकरण का वर्तमान स्तर बहुत ही गिरा हुआ है तथा विधुत प्रसार के कार्यों में अनेक कठिनाइयाँ है।

ऐसा विचार किया गया था कि छटी योजना के अंत तक 100 प्रतिशत गाँवों के विधुतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए जिस पर पंचम तथा षष्टम योजनाओं में क्रमशः 557-0तथा 540-0लाख रूपया व्यय होने का अनुमान था।

योजना के दौरान निर्माण कार्यक्रम :-

उपरोक्त से स्पष्ट हो जावेगा कि पाँचवीं योजना के अंत तक ग्रामीण विधुतीकरण में दुगुनी वृध्दि हो जावेगी। चार सौ से अधिक ग्रामों के विधुतीकरण किये जाने के कारण अधिक विधुत शक्ति की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि विधुत शक्ति उसी अनुपात में बढ़ाई जावे। 132 कि0वा0भवाली-अल्मोड़ा लाइन जिसकी क्षमता चौथी योजना के अंत तक 66 कि0वा0बढ़ा दी जायेगी तथा 37-5 कि0वा0क्षमता वाली वर्तमान भवाली-रानीखेत लाइन जिले के लिए आवश्यक विधुत प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भवाली-अल्मोड़ा लाइन की क्षमता 132 कि0वा0से बढ़ाने तथा अल्मोड़ा में 132 कि0वा0के एक सब स्टेशन का निर्माण अत्यन्त आवश्यक होगा। यह तभी सम्भव होगा जब हल्द्वानी तथा भवाली के बीच वर्तमान 66 कि0वा0वाली लाइन को 132 कि0वा0वाली लाइन में बदल दिया जाय। जनपद की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर स्पष्ट होगा कि जिले के 132 कि0वा0भवाली-अल्मोड़ा लाइन छटी पंच वर्षीय योजना की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जिले में विधुत प्रसार के लिए वर्तमान 37-5 कि0वा0वाली लाइन के स्थान पर 66 कि0वा0वाली भवाली-रानीखेत लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। इससे हल्द्वानी तथा भवाली के बीच 132 कि0वा0क्षमता के दोहरे परिपथ निर्माण तथा भवाली सब स्टेशन के विस्तार की

आवश्यकता पड़ेगी ताकि जिले के दूर इलाकों तक विद्युत का समुचित तथा पर्याप्त मात्रा में वितरण किया जा सके। अभी तक जिले में चार प्रसारण केन्द्र है, पांचवीं योजना के अंत तक 33 कि०वा० के ट्रान्समिशन केन्द्रों का निर्माण कर इनकी संख्या बढ़ानी होगी जो निम्न प्रकार है:-

ट्रान्समीशन केन्द्र	तत्सम्बन्धी विद्युत पथ
1- बागेश्वर	काण्डीगैर-बागेश्वर ।
2- ताड़ीखेत	भमाली-रानीखेत लाईन पर पिलखोली में टेपिंग
3- ईड़ा	रानीखेत-मासी लाइन पर ईड़ा में टेपिंग ।
4- कपकोट	काण्डीगैर-बागेश्वर-कपकोट ।
5- दन्या	अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ 66 किलोवाट वाली 66 के०वी०लाईन पर दन्या में टेपिंग।
6- भैसियाछाना	दन्या-भैसियाछाना ।
7- जैती	दन्या-जैती ।

ये ट्रान्समीशन केन्द्र इस प्रकार बांटे गये है कि इनसे अधिक से अधिक क्षेत्रों तक बीजली पहुंचाई जा सके तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों वाले स्थानों को शक्ति उपलब्ध हो सके।

कार्य का वार्षिक विवरण:- विवरण निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था:-

क्र० कार्य	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
1- 33कि०वा० सब स्टेशन	बागेश्वर	कपकोट पिलखोली	ईड़ा	दन्या भैसियाछाना	जैती
2- 11कि०वा०की लाईन इस पर लाईन सहित। (कि०मी०)	125	125	140	140	150
3- स्थान जिनका विद्युतीकरण होगा।	134	250	250	250	250

धनाभाव के कारण 1978-79 के अन्त तक केवल 225 और गाँवों का विद्युतीकरण सम्भव होगा।

कुछ आवश्यक कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया है।

11. के०वी०मुख्य लाइनें जो कि पंचम पंच वर्षीय योजना काल में निर्मित की जाने हेतु प्रस्तावित है ।

1- बर्सी-धपर-अदियाकोट	16 कि०मी०
2- दुग्नी-गोगिना-कुमालीकम लाईन	15 कि०मी०
3- हल्ला देशी-सा-मानती-बेटाधर-बाहरगढ़ी लाइन	20 कि०मी०

4- ज्वाली-जनेतीनैलवाली लाईन ।	10 कि0मी0
5- लेली-गुराबिमि-जलधाना-नैसानी-लाईन।	12 कि0मी0
6- मण्डलसेरा-भौरो-गौना-नैसरगोली-लाईन	15 कि0मी0
7- जदौरा-रावलसेरा-नैन तोला लाईन	16 कि0मी0
8- करौलीनैवपली-दोफाड़-नलेडा लाईन	14 कि0मी0
9- विजौरीम्वल-ओडालसो-हरखार-लाईन	10 कि0मी0
10- गरुड-नैनतोली-बोहिना लाईन	10 कि0मी0
11- जैतार-नैतिलवारी-भरे लाईन	8 कि0मी0
12- उज्याला-भनीगाँव लाईन	8 कि0मी0
13- जतिया-गाया-भल्ला लाईन	6 कि0मी0
14- जोगेश्वर-धारी-लाईन	10 कि0मी0
15- सोमेश्वर-लोद-दाराहाट लाइन	15 कि0मी0
16- दौलाघट-बैंसडोल लाईन	35 कि0मी0
17- जैती-शहरफाटक-नैरगाँव लाईन	10 कि0मी0
18- जैती-चौडाुरी-नटवालगाँव डुगरा लाइन	8 कि0मी0
19- जैती-बुभाऊ-दड़ौ लाईन	5 कि0मी0
20- जलना-जसकोट-बनकोटी-लाइन	6 कि0मी0
21- वाडछीना-बमनस्वाल-भरेगाँव लाईन	8 कि0मी0
22- धन्याा-चमतोला लाईन	10-5कि0मी0
23- धन्याा-कुल्टा-कनैली लाईन	8 कि0मी0
24- धन्या दातिली-धौली-पाली-रंगोड़ लाईन	9 कि0मी0
25- भौजिधाना-स्यालगूंठ-हरड़ा लाईन	10 कि0मी0
26- अर्दी-ओडाली-नैरोद लाईन	6-5 कि0मी0
27- चिलियानौला-पनघट-रतखाली-पीपली लाईन	7 कि0मी0
28- ईड़ा-नौगाँव-बोरपानी लाईन	10 कि0मी0
29- चिलडोली-नैवल्लेडा लाईन	6-5 कि0मी0
30- भतरौंजडान-भिकियासेण लाईन	15 कि0मी0
31- ईड़ा विनायक-बेसानी-जुनुती लाईन	15 कि0मी0
32- भाजी-चौडाुटिया लाईन	7 कि0मी0
33- चौडाुटिया-रामपुर-मुवालडाल लाईन	16 कि0मी0
34- चौडाुटिया-हाटजयरामवाडाली-जुनौली लाईन	15 कि0मी0
35- आदिगाँव-तिमिलडाल-जौराजी लाईन	5 कि0मी0
36- स्याल्दे-सैराड़ीपिछट-गुरुटी-तुलपुधानी लाईन	15 कि0मी0
37- स्याल्दे-नराईडोल लाईन	13 कि0मी0
38- भतरौंजडान-भौनडाल-अगोली-तल्ली लाईन ।	23 कि0मी0
39- देघाघल-सीताकोट लाईन	16 कि0मी0
40- नौला-जदौली-रौतेला-दमरा लाईन	9 कि0मी0
41- देघाघल-बड़गाँव-सेठानी लाईन	10 कि0मी0

42- मोहान-सादर लाईन 6 कि0मी0

43- दुधारी-दुनागिरी लाईन । 5 कि0मी0

44- नगवालीमोडार-जुनवाली-चमोली-लाईन। 9 कि0मी0

विद्युत

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाख रूपयों में)

क्रमांक मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1- ग्रामों का विद्युतीकरण			
(अ) नार्मल प्लान	संख्या	94	-
(ब) आर0ई0सी0	,,	-	-
2- 11 के0वी0 लाइन का निर्माण			
(अ) नार्मल प्लान	कि0मी0	30	-
(ब) आर0ई0सी0	कि0मी0	60	-
3- निजी नलकूप तथा पम्पिंग सैटों का विद्युतीकरण	-	-	-
4- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	40	-

विद्युतीकरण योजनाओं पर प्रथम वर्ष 74-75 में 32-11 लाख रूपया लगेगा। तथा पांचवीं योजना काल में कुल 149-00 लाख रूपया व्यय किया जावेगा।

5(1.6)(अ) वृहद उद्योग

चतुर्थ योजना के आरम्भ में जिले में कोई वृहद उद्योग नहीं था। अब किरोली में मैगनासाइट का वृहद उद्योग स्थापित किया जा रहा है। इस उद्योग में कार्य आरम्भ हो चुका है, सड़कें बन गई है, खानों में खुदान हो रहा है तथा कारखाना कार्यशील हो चुका है।

किरोली मैगनासाइड फैक्ट्री टाटा कम्पनी तथा प्रादेशिक सरकार के पारस्परिक सहयोग से वर्ष 1972-73 में स्थापित की गई। इसमें राज्य सरकार व टाटा कम्पनी के क्रमशः 51 व 49 प्रतिशत शेयर है। यह कारखाना तासुला विकास खण्ड के किरोली नामक स्थान में स्थापित किया गया है जहाँ के लिये यातायात, तार, विद्युत की व्यवस्था की जा चुकी है। मैगनासाइड की खानें फैक्ट्री से कुछ दूर बेलपहाड़ में है और वहाँ भी सड़क बन चुकी है। इस फैक्ट्री की स्थापना से आस-पास के मजदूरों को रोजगार मिल गया है। फैक्ट्री में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उद्योग

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य

(लाख रुपये में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1-	ऊन विकास			
(अ)	कार्डिंग प्लान्ट लगाना	संख्या	1	
(ब)	कताई व बुनाई केन्द्र	,,	4	
(स)	स्टाफ नियुक्ति का व्यय	(लाख रुपये में)		2.25 ~~2-85~~
2-	लघु उद्योग की नई इकाइयों की स्थापना	संख्या	100	

5-16(ख) कुटीर व लघु उद्योग

यहाँ कुटीर उद्योग की प्रगति भी अभी तक उत्साहवर्धक नहीं रही है। इसके विकास के लिये प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों को साधन जुटाने और अपना कारोबार स्थापित कर उसे स्वतंत्र रूप से चलाने के लिये आर्थिक सहायता का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

कुटीर उद्योग में जिला अभी पिछड़ा है। बेलबफाड़ कैमनासाइड फैक्ट्री (वृहद उद्योग) की स्थापना से रोजगार की वृद्धि अवश्य होगी परन्तु उपलब्ध जनशक्ति के अनुपात में यह कम है। रानीखेत ऊन फैक्ट्री कुछ वर्ष पूर्व से कार्य कर रही है और उसमें प्रायः 37 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। जड़ी-बूटी संग्रहण की योजना के विस्तार के फलस्वरूप अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में अभी तक जिले में 97 छोटे औद्योगिक प्रोजेक्ट आरम्भ किये जा चुके है। इनमें मुख्यतः बेकरी, ड्राइक्लीनिंग, छपाई, होजरी, साबुन, तारपीन तेल, जूता बनाने, आरा मशीन व लोहे के फर्नीचर बनाने के कारोबार है। दर्जीगिरी, लोहारगिरी, होजरी प्लास्टिक का सामान बनाने, लकड़ी, ऊन व कपड़े का सामान बनाने तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने के लिये 7 अन्वेषण तथा प्रदर्शन केन्द्र पिछले वित्तीय वर्ष में स्थापित किये जा चुके है। इनमें प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध है और ध्येय यह है कि प्रशिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद उचित आर्थिक सहायता मिलने पर स्वतंत्र रूप से अपना उद्योग स्थापित कर सकें। इस प्रकार आशा है कि उक्त केन्द्र के प्रशिक्षार्थी 10 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक की पूंजी के निजी उद्योग स्थापित कर पायेंगे। जिले में खनिज पदार्थ, वन सम्पदा तथा जड़ी-बूटियों की प्रचुरता होने पर यह अनुमान है कि इनमें अवलम्बित उद्योगों में प्रायः तीन हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अतः इन उद्योगों का ध्यान पंचम पंच वर्षीय योजना काल में रखना आवश्यक है।

भेषज अन्वेषण शाला ने अभी तक 400 से अधिक मूल्यवान औषधि प्रजातियों के जिले में उपलब्ध होने की जानकारी की है। इन वनौषधियों के एकत्रिकरण, निर्यातन और विपणन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त कर एक लाभदायक उद्योग स्थापित हो रहा है। जड़ी-बूटी संग्रह कार्य मुख्यतः वनों में होता है अतः वन विभाग तथा संग्रह कार्य-कर्ताओं में तालमेल होना आवश्यक है। नयाबाद नियमों के अन्तर्गत अथवा वन विभाग के अन्य नियमों के अन्तर्गत जड़ी-बूटी कृषिकरण के लिये भूमि उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है।

चालू योजनाओं का मूल्यांकन:- इस जिले में मुख्यतः लीसा, लकड़ी का फर्नीचर, बर्तन निर्माण, जड़ी-बूटी व ऊन कताई बुनाई उद्योग है इनमें अधिकतर उद्योग पूरे जिले में फैले हुए है। उपरोक्त सभी उद्योग काफी छोटे पैमाने पर चलते है। पूंजी की कमी के कारण इन उद्योगों में मशीनों का अधिक उपयोग नहीं होता है।

हस्त निर्मित कागज, जड़ी-बूटी, फल संरक्षण एवं पिरूवा मेंहदी के उद्योगों के विस्तार की यहाँ सम्भावना है। ग्रामीण औद्योगिक परियोजना के अन्तर्गत जिले

का सर्वेक्षण किया गया है। अभी तक कोई उल्लेखनीय सहकारी उद्योग नहीं चल रहे हैं जिनको चलाने के लिये परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण, अनुदान और अन्य तकनीकी सहायता द्वारा विकसित करने की योजना है।

इस जनपद में एक औद्योगिक संस्थान है जो कि इस समय कृषि विभाग के पास है। इस औद्योगिक संस्थान में 12 शेड व एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र है परन्तु किन्हीं कारणों से यह औद्योगिक संस्थान सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सका। फलस्वरूप इसे भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत लेकर इसमें एक कार्यशाला का निर्माण किया गया है जहाँ मोटरों, ट्रकों और अन्य कृषि उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था है। इस कार्यशाला के आरम्भ होने से वाहनों की मरम्मत के साधन सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो गये हैं। हवालबाग में कृषि यंत्र निर्माण शाला भी कार्यरत है जो पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि यंत्रों का निर्माण करती है।

इस जनपद में अभी तक कोई भी शक्तिचालित (पावरलूम) करघों का उद्योग नहीं करता। समस्त कताई-बुनाई का कार्य हाथ से होता है।

रेशम उत्पादन योजना के अन्तर्गत कीट पालन का कार्य बागेश्वर व गरुड़ में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त उद्योग के विस्तार के लिये और भूमि क्रय करने का प्रस्ताव है।

रेशम उद्योग के अलावा कौसानी में बांज के जंगलों में टसरकीट पालन का कार्य भी पिछले वर्ष में आरम्भ किया गया है इस योजना के जिले में विस्तार के लिये संगठन किया जा रहा है।

अभी तक हस्तकला उद्योग के लिये ऋण दिया जाता है। अब ग्रामीण औद्योगिक परियोजना के अन्तर्गत इस उद्योग के विस्तार के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

युद्ध में घायल, अपंग तथा वीरगति प्राप्त सैनिकों और उनके परिवारों को रोजगार की उचित व्यवस्था करने हेतु एक स्मॉल इन्डस्ट्रीयल कालोनी स्थापित की जानी चाहिए। उनमें कुक्कुट पालन से लेकर नायलॉन के कपड़े के उत्पादन की व्यवस्था की जाये।

लघु उद्योग, खादी एवं हथकरघा के
पंचम पंच वर्षीय योजना के आर्थिक लक्ष्य
(लाख रुपयों)

	वर्ष 1974-75	75-76	76-77	77-78	1974-79
संस्थागत	6-05	4-57			25-95
विभागीय	4-47	2-16			36-29
केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	4-80	3-92			55-99
केन्द्रीय सेक्टर	6-67	8-33			40-00
योग	21-99	18-98			158-16

उद्योग हेतु विकसित होने वाले 'ग्रोथ' सेन्टर्स

1- स्याल्दे	चतुर्थ योजना
2- तामाढौन	-
3- देघाट	-
4- जौंकर	पंचम योजना
5- भिकियासैंण	चतुर्थ योजना
6- भातरौंजखान	,,
7- मासी	,,
8- चौखुटिया	,,
9- द्वाराहाट	,,
10- कफड़ा	,,
11- सौनी	,,
12- ताड़ीखेत	,,
13- कालिखा	,,
14- रानीखेत	,,
15- पनियाली	,,
16- जिलुलाखेत	,,
17- कठपुड़िया	,,
18- कोसी	,,
19- स्यालीधार	,,
20- लोधिया	,,
21- हवालबाग	,,
22- पातालदेवी	,,
23- चितई	,,
24- पीलखोना	,,
25- बाड़ेछीना	,,
26- जैनी	,,
27- करसाली	पंचम योजना
28- कफड़खान	,,
29- पनुवानौला	चतुर्थ योजना
30- जागेश्वर	,,
31- कुंजाखान	,,
32- धन्धा	पंचम योजना
33- ध्याड़ी	,,
34- दसौली	,,
35- जलना	चतुर्थ योजना
36- लमगड़ा	,,
37- शहरफाटक	पंचम योजना
38- जैती	चतुर्थ योजना
39- मोरनौला	पंचम योजना
40- ताकुला	चतुर्थ योजना
41- रनमान	,,
42- सोमेश्वर	,,
43- चनौदा	,,
44- कौसानी	,,
45- गरुड़	,,
46- बैजनाथ	,,
47- डंगोली	,,
48- बज्यूला	,,
49- बागेश्वर	,,
50- कापड़ा	,,
51- सानिउड्यार	पंचम योजना
52- कपकोट	चतुर्थ योजना
53- असों	,,
54- भराड़ी	पंचम योजना
55- मुहान	,,

5(17) खनिज विकास

सोपस्टोन, मैगनेसाइट, इमारती पत्थर के अतिरिक्त जनपद में अभी तक किसी अन्य खनिज पदार्थ के उपलब्ध होने के कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले है। कहा जाता है कि लोहा और तांबा भी यहाँ मिल सकता है परन्तु इसके उचित मात्रा में होने की कोई पुष्टि भूमि-विज्ञान विभाग द्वारा अभी तक नहीं हुई है।

यहां पत्थरों की खानों का उपयोग सदियों से किया जा रहा है सोप स्टोन का उपयोग भी कुछ वर्षों से हो रहा है परन्तु मैगनासाइट का उपयोग पिछले दो वर्षों से ही आरम्भ हुआ है।

पिथौरागढ़ जिले और उससे लगे इस जनपद के क्षेत्र में सीमेन्ट की फैक्ट्री लगाये जाने के लिये अभी वस्तुयें उपलब्ध है और आशा है कि शीघ्र ही सिमेन्ट की फैक्ट्री बन भी जायेगी।

खनिज विकास के लिये अभी पूर्ण अन्वेषण व सर्वेक्षण की आवश्यकता है। सर्वे के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि कौन-कौन से खनिज किन-किन मात्राओं में मिल सकेंगे और उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकेगा।

5(1.8) सड़क व गाँव

<u>वर्तमान स्थिति</u>:- भारत की स्वतंत्रता के पूर्व इस जनपद में केवल तीन मोटर सड़कें थी (1) अल्मोड़ा-रानीखेत-हल्द्वानी, (2) अल्मोड़ा-गरुड़ एवं (3) अल्मोड़ा-रानीखेत-रामनगर। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् कई महत्वपूर्ण मोटर मार्गों का निर्माण हुआ है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है :-

1- अल्मोड़ा-घाट- पिथौरागढ़ ।
2- अल्मोड़ा-कौसानी ।
3- अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर ।
4- बागेश्वर-कांडा-गंगोलीहाट ।
5- भिकियासैण-बागेश्वर-कालकोट वन विभाग की ।
6- अल्मोड़ा-पौधार ।
7- बाड़ेछीना-धौलछीना ।
8- रानीखेत-द्वाराहाट-चौखुटिया ।
9- गनाई-भतरौंजखान ।
10-बागेश्वर-बाड़ी-सासा ।
11-शीतलाखेत-कटपुड़िया-दौलाघट ।
12-गनाई-पनुवाखाल ।
13-द्वाराहाट-दूनागिरी ।
14-गरुड़-ग्वालदम ।

इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, धारचूला व गंगोलीहाट तथा बेरीनाग तक सड़कें बन जाने के कारण यहाँ से मुनस्यारी, धारचूला, गंगोलीहाट इत्यादि स्थानों पर पहुँचना सुगम हो गया है ।

यातायात के इस प्रकार विस्तार हो जाने पर भी जिले में मोटर मार्गों की कमी है और एक बड़ी जनसंख्या तथा कई ग्राम समूह इस सुविधा से वंचित है। इसका मुख्य कारण जिले की प्राकृतिक बनावट है। हिमालय पर्वतमाला से दक्षिण को निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बीहड़ प्रदेश में वनों और घाटियों के कारण दूरवर्ती गावों को मुख्य मोटर मार्गों व पुलों से जोड़ना नितान्त आवश्यक है ताकि वहाँ के निवासियों को अपने आर्थिक विकास में सहायता मिल सके और उनका जीवनस्तर ऊँचा उठ सके।

यातायात के साधनों का विकास पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यातायात की सुगमता के अभाव में इन पर्वत क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति होना सम्भव नहीं है। मोटर मार्गों के निर्माण के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि टनकपुर-बागेश्वर रेल मार्ग का निर्माण आवश्यक है। ब्रिटिश शासन काल में इस रेल मार्ग के निर्माण के लिये सर्वेक्षण भी हो चुका था। अब सामयिक परिस्थितियों को परिलक्षित करके तथा कफलीगैर मैग्नासाइट फैक्ट्री स्थापना के फलस्वरूप इस रेल मार्ग का निर्माण होना और भी आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में ही इन मोटर मार्गों का निर्माण होना आवश्यक था

(1) जोरनौला-देवीधुरा ।

(2) नारायण तेवाड़ीदेवाल-भारदेवी-कफड़खान-बिनसर ।
(निर्माणाधीन)

(3) ताकुला-रनमन (निर्माणाधीन)

(4) भराड़ी-लोहारखेत ।

(5) अल्मोड़ा-पौधार (निर्मित)

पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 500 तक की आबादी वाले ग्रामों के समूहों में सड़क की सुविधा प्राप्त करवाने की व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम में निहित है।

यातायात साधन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यातायात के अभाव में पर्वतीय क्षेत्र में वांछित आर्थिक उन्नति होना सम्भव नहीं है। अल्मोड़ा जनपद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैदानी भागों में मोटर मार्गों के अतिरिक्त अन्य साधन जैसे रेल, नौका और वायु परिवहन आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल व मोटर मार्ग ही एक मात्र यातायात के साधन है। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इस जनपद में मार्गों का विकास हुआ है किन्तु आवश्यकता को देखते हुए यह विकास अपर्याप्त है। बम्बई प्लान के अधीन निर्धारित मोटर मार्ग पहाड़ी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकेत है। इस प्लान के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद में कुल 860 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में यहाँ इससे भी अधिक लम्बाई के मोटर मार्ग है फिर भी कई ग्राम व ग्राम समूह मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित है।

वर्तमान् मार्गो से 50 प्रतिशत जनसंख्या ही लाभान्वित है।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जनपद में कुल 772 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग थे। चतुर्थ योजना काल के स्वीकृत मार्गों के पूर्ण होने पर तथा त्वरित योजना में निर्मित 29 कि0मी0मार्गों को जोड़कर इस समय जनपद में 1076 कि0मी0 मोटर मार्ग हो गये। वर्ष 1973-74 के अन्त तक जनपद में 1229-15 किलोमीटर समतल सड़कें हो गयी ।

इस जनपद में 64 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग का रख रखाव जिला परिषद अभियन्त्रण सेवा एवं नगरपालिका, अल्मोड़ा तथा छावनी पालिका रानीखेत द्वारा किया जाता है। वन विभाग द्वारा निर्मित कुछ मौसमी मोटर मार्गो का उपयोग वन सम्पदा को सुरक्षित करने तथा उत्पादन को बाहर ले जाने के लिये किया जाता है।

<u>चालू योजनाओं का मूल्यांकन</u>:- इस समय नवीन मार्गों के निर्माण के अतिरिक्त 188 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार तथा पैदल पुलों का तथा 5 मोटर मार्गों के पुलों का कार्य निर्माणाधीन है।

उत्तर प्रदेश मार्ग निधि से वित्त पोषित परियोजना के अधीन 173-94 लाख रूपये के मार्ग निर्माण के कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 17-66 लाख रू0 31-3-73 तक व्यय हो चुका है और 31-3-74 तक 90 लाख रूपये के व्यय

होने की सम्भावना थी।

कुमायूँ जनपदीय क्षेत्र के स्तर पर इस प्रदेश की योजनाओं का प्रारूप उद्देश्य पत्र जून 1973 में तैयार किया गया था जिसमें सन्निहित संस्तुतियाँ संक्षेप में निम्नानुसार हैः-

1-500 से अधिक जनसंख्या के ग्राम समूह को पूरे वर्ष यातायात योग्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाय।

2-चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के सभी अपूर्ण कार्य उच्च प्राथमिकता देकर 31-3-76 तक सम्पन्न कर दिये जाँय।

3-सभी पंचम श्रेणी के वर्तमान मोटर मार्ग प्रथम श्रेणी स्तर के अनुरूप चौड़े कर दिये जाँय।

4- सभी कच्ची सड़कें पक्की कर दी जायेंगी और उनमें डामर कर दिया जाये।

5-मार्ग निर्माण के लिए विशेष यन्त्र जैसे स्टोन क्रशर मशीन, रोड रोलर, पानी के पम्प, सिमेन्ट-कंकरीट, मिक्सचर आदि क्रय किये जाँय।

6-मशीनों और यंत्रों की मरम्मत के लिये जनपद के मुख्यालय में कर्मशाला की स्थापना की जाय। (यह अब हो चुकी है।)

7-वर्षाकाल में लोगों के रख-रखाव के लिये प्रत्येक जनपद में कुछ बुल-डोजर क्रय किये जाँय।

उपर्युक्त संस्तुति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मार्गों की संस्तुति स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को फलोधान, वनों पर आधारित उद्योग, पर्यटन एवं क्रय विक्रय के रूप में विकसीत होने वाले केन्द्रों की आवश्यकतानुसार की गई है। जनपद की विशेष भौगोलिक परिस्थिति से यह सुगमता पूर्वक सम्भव नहीं है कि 500 की जनसंख्या के सभी ग्राम अथवा समूह को मोटर मार्गों से जोड़ा जा सके। प्रस्तावित मार्गों के निर्माण पर भी ऐसे कुछ ग्राम मोटर मार्ग के केवल 4 से 5 की०मी० दूरी पर रह जायेंगे। इन ग्रामों को 6 फुट चौड़े पैदल लिंक मार्गों से मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है। ऐसे पैदल मार्गों के विवरण को अभी अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं है।

<u>दीर्घकालीन योजना</u>:- पंचम पंच वर्षीय योजना काल में बड़ी बड़ी नदियों पर 53 पैदल पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है जो नदी के दोनों ओर स्थित ग्राम वासियों के लिये कृषि, पाठशाला एवं बाजार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यातायात के दीर्घकालीन योजना के कार्यान्वयन का कुछ स्थाप सामयिक मूल्यों के आधार पर निम्न प्रकार हैः-

क्रमांक	कार्यों का विवरण	लागत लाख रूपये में
1	2	3
1-	मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुधार-	624

1	2	3
	2- नये मार्गों का निर्माण (बिना मेटलिंग)	1018
	3- मोटर पुलों का निर्माण	32
	4- पैदल पुलों का निर्माण	72
	5- विशेष यंत्र आदि	86
	6- 1-3 मीटर चौड़ा, 200 कि0 मी0 लम्बी पैदल सड़क का निर्माण 50 हजार रू0 प्रति कि0 मी0 की दर से	100
	7- नवीन निरीक्षण भवन, विश्राम गृह भांडारगृह, श्रमिक गृह एवं पुराने निरीक्षण एवं विश्राम गृहों का सुधार ।	50
	8- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के सभी अप्राप्त कार्य	108
	योग-	2090
	9- निम्नतम आवश्यकताओं पर आधारित निर्माण कार्यों पर व्यय	11-97 करोड़
	कुल व्यय-	32-87 करोड़

प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सुधार के प्रस्ताव:-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0 मी0	अनुमानित कीमत (लाख रू0में)
1	2	3	4
1-	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग (प्रान्तीय मार्ग 37) मील 146 से 164 तक का मेटलिंग व पेन्टिंग	30	30
2-	अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग मील-1-15	26	55
3-	बागेश्वर-कपकोट मार्ग का चौड़ा करना मेटलिंग व पेन्टिंग	4	7
4-	मझखाली-रानीखेत मोटर मार्ग का चौड़ा करना मेटलिंग व पेन्टिंग	23	50
5-	कौसानी-बैजनाथ-गरुड़-ग्वालदम मार्ग का चौड़ा करना मेटलिंग व पेन्टिंग (5 कि0मी0 नये मार्ग का निर्माण करना होगा)	10	24

1	2	3	4
6-	अल्मोड़ा-धौरा मार्ग के 6 कि0मी0 से 17 तक का चौड़ा करना (मेटलिंग व पेन्टिंग)	11	24
7-	कपकोट-शामा-तेजम, मोटर मार्ग का चौड़ा करना, मेटलिंग व पेन्टिंग	44	90
8-	मर्चुला-मानिला मोटर मार्ग को चौड़ा करना, मेटलिंग व पेन्टिंग	37	78
9-	मोतियापाथर-कोरनौला मोटर मार्ग का चौड़ा करना, मेटलिंग व पेन्टिंग	9	19
10-	बागेश्वर-अलकोट मोटर मार्ग के मील 1 से 23 तक मार्ग एवं पक्की सतह को चौड़ा करना (जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत)	37	40
11-	भिकियासैण-गनाई मोटर मार्ग के पक्की सतह को चौड़ा करना	32	43,
12-	अल्मोड़ा-बागेश्वर के मील 19 से 50 तक चौड़ा करना, मेटलिंग व पेन्टिंग	50	90
13-	बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग के पक्की सतह को चौड़ा करना ।	24	24
14-	अल्मोड़ा-धौरना एवं अल्मोड़ा-कोसी मिलाने वाली मोटर मार्ग को पक्की सतह को चौड़ा करना ।	7	10
15-	धौरा-लमगड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग	30	40
	योग-	375	624

जिला अल्मोड़ा की योजना में प्रस्तावित मोटर मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	मोटर मार्ग का नाम
1-	ताकुला	रनमन-गणनाथ-ताकुला ।
2-	बागेश्वर	दोफाड़-बनलेख-धरमगाड़ ।
3-	धौलादेवी	आफलीडांगन-बेलछीना-गुना दिइय धानौली सनलखेत ।
4-	भिकियासैण	भिकियासैण-घटकोट-विनायक-बसौलछीना-बीड़ाताल-जालीखान-द्वाराहाट।
5-	ताड़ीखेत	सौनी-पोलीखेत-...डांगन-भिकियासैण ।

क्रमांक विकास खण्ड का नाम	मोटर मार्ग का नाम
6- सल्ट	कफलखुला-मौलेखाल-दिगोलीखान (जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत)
7- धौलादेवी	पनुवानौला-भृकुटी जागेश्वर।
8- ताड़ीखेत	रानीखेत-क्साईखान-पन्तकोटली तक लिंक।
9- कपकोट	भराड़ी-सुमगढ़-दलनागाती। इस मोटर मार्ग की 10 कि0मी0 लम्बाई, ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत है।
10-ताकुला	कठपुड़िया-... करोली।
11-ताकुला	कफड़खान-विनसर-काडीधार।
12- हवालबाग	कूँट-कोसी।
13-द्वाराहाट	दूनागिरी (कुकुछीना)-रतखाल।
14- धौलादेवी	सुवाखान-दुगा छणोंज।
15- द्वाराहाट	दूनागिरी (कुकुछीना)-भटकोट।
16- द्वाराहाट	द्वाराहाट-...-विमाण्डेश्वर-डूड़ा (इस मार्ग की 5 कि0मी0 लम्बाई का कार्य जिले की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हो गया है।
17- भैसियाछाना	कफड़खान-लाउड्यार।
18- स्याल्दे	सराईखेत-ओलियालखाल।
19- चौखुटिया तथा गरुड़	चौखुटिया-तड़ागताल-कौसानी।
20- बागेश्वर	बागेश्वर-दफौट-गुरना-बनकोट।
21-धौलादेवी और लमगड़ा	पेटशाल से ... होते हुये बननस्याल-भाटगाँव लमगड़ा।
22-द्वाराहाट	सुराईखेत से विमाण्डेश्वर।
23-स्याल्दे	देघाट-सराईखेत।
24-भिकियासैण	पपेत मोहन से रीठा महादेव (जानौलिया तक)

जिला अल्मोड़ा की योजना में प्रस्तावित पुलों की प्राथमिकता के आधार पर सूची।

क्रमांक विकास खण्ड का नाम	मार्ग का नाम
1- हवालबाग	कठपुड़िया-बैलाघट मार्ग में स्थित।
2- बागेश्वर	बागेश्वर-चौकड़ी ... (यू0पी0आई0रफ के अन्तर्गत निर्मित)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	मार्ग का नाम
3-	कपकोट	भराड़ी-लोहारखेत मार्ग से विछात (ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन लो०नि०वि० से ।०) ।
4-	कपकोट	——— त्वरित योजना ———
5-	कपकोट	———"———
6-	कपकोट	भराड़ी-सुमगढ़-खाद्रतुंगा छाती मार्ग।
7-	धौलादेवी	काफलीखान-चैलछीना-गुनादित्य-कनोली-सिमलखेत मार्ग।
8-	सल्ट	मरचूला-भैरोंखाल ।

<u>जिला अल्मोड़ा की योजना में प्रस्तावित पैदल पुलों की प्राथमिकता के आधार पर सूची ।</u>

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नदी का नाम	स्थान जहाँ पुल बनाना है।
1	2	3	4
1-	हवालबाग	कोसी	कफलरघाट के निकट ।
2-	स्याल्दे	विनोद	स्याल्दे-कैहड़गाँव के बीच।
3-	सल्ट	बदनगाड़	थ्याड़ी के निकट ।
4-	कपकोट	सरयू	उत्तरोड़ा असों के निकट ।
5-	भैसियाछाना	पैंगण	जैंज के निकट ।
6-	धौलादेवी	सुआल	बजनसुआल के निकट ।
7-	ताकुला	विनसरगाड़	पंगलाकोटली के निकट ।
8-	लमगड़ा	पनार	मरई ग्राम के निकट ।
9-	द्वाराहाट	गगास	बाना के निकट ।
10-	गरुड़	टीटीगाड़	भतड़िया के निकट ।
11-	चौखुटिया	रामगंगा	डाँग के ग्राम के निकट ।
12-	भिकियासैण	गगास	भिकियासैण के निकट ।
13-	ताड़ीखेत	जगथेरे	पीपली व गुप्तेश्वर के निकट।
14-	बागेश्वर	गोमती	छोली व शीटिसिल के बीच।
15-	हवालबाग	कोसी	बिलोला (जैंज) के निकट ।
16-	स्याल्दे	विनोद	ताराछीन के पास विनाली पर ।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नदी का नाम	स्थान जहाँ पुल बनाना है।
17-	सल्ट	वदनगाड़	मौगिडा के निकट
18-	कपकोट	पुगर	जखानी के निकट ।
19-	भैसियाछाना	सरयू	चिठुलिया के निकट ।
20-	धौलादेवी	जुआल	नाकोट के निकट ।
21-	ताकुला	कोसी	कोठली के निकट ।
22-	लमगड़ा	पनार	रमेश्वर के निकट ।
23-	द्वाराहाट	रिस्कन	मलोली के निकट ।
24-	गरुड़	गोमती	पिंगलों के निकट।
25-	चौखुटिया	रामगंगा	मल्ला कटकोट के मध्य ।
26-	भिकियासैण	गगास	मनोलीया के निकट रीठामहादेव पर।
27-	ताड़ीखेत	कुलगाड़	तिपौला के निकट ।
28-	बागेश्वर	पुंगर	कनलेखा के निकट ।
29-	स्याल्दे	विनोद	रीठेश्वर शैली पाठली के बीच।
30-	सल्ट	नयेड़	छतोड़ के निकट ।
31-	कपकोट	बेलगधेरा	कपकोट के निकट ।
32-	भैसियाछाना	विनजर	जनी के निकट ।
33-	धौलादेवी	जटापु	मेलपड़ के निकट ।
34-	ताकुला	मनसारीगाड़	रमपारागाँव के निकट ।
35-	लमगड़ा	चागड़ी	मिजोला ग्राम के निकट ।
36-	द्वाराहाट	गगास	प्याऊं महादेव के निकट ।
37-	गरुड़	कोयली	तिलेश्वर के निकट ।
38-	चौखुटिया	रामगंगा	असेठी के निकट ।
39-	भिकियासैण	जालरीगधेरा	वित्लेश्वर के निकट ।
40-	ताड़ीखेत	गगास	विलोरमहादेव के निकट ।
41-	कपकोट	खरगाड़	खरगाड़ में जुपी मासती पेटागाड़ के निकट, ।
42-	कपकोट	रामगंगा	पोगीना मालिके के निकट ।
43-	धौलादेवी	-	दुनाड सिटिंग दसोली मन्दिर के निकट ।
44-	धौलादेवी	पिलगधेरा	पिलग्वानी पिलगधेरा ।
45-	धौलादेवी	-	लालीखेतनैलनिडधा ।
46-	धौलादेवी	जटापु गंगा	कोटेश्वर-जटापु गंगा आमडाली के पास ।
47-	धौलादेवी	सरयू	आराघाट-सरयू ।

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	नदी का नाम	स्थान जहाँ पुल बनाना है।
48-	भैसियाछाना	जैगण	पारकोट-बेदीबगड़-जैगण।
49-	भैसियाछाना	जैगण	थाना-जैगण।
50-	भैसियाछाना	बगेड़	छालिमार-बगेड़ गधेरा।
51-	भैसियाछाना	रूपा गधेरा	इड़लुगड़ा के पास रूपा गधेरा।
52-	भैसियाछाना	सरयू	शक्तेश्वर सरयू नदी।
53-	[illegible]	-	रीठा महादेव पर।

<u>रणनीति</u>:- यातायात के साधन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यातायात की सुलभता के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों में वांछित आर्थिक उन्नति होना सम्भव नहीं है। अल्मोड़ा जनपद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैदानी भागों में मोटर मार्गों के अतिरिक्त यातायात के अन्य साधन जैसे रेल, नौका और वायु परिवहन आदि की सुविधायें उपलब्ध है परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में मोटर मार्ग ही एक मात्र यातायात का साधन है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस जनपद में मार्गों का विकास हुआ है परन्तु आवश्यकता को देखते हुए यह विकास अपर्याप्त है।

वर्तमान एवं नवनिर्मित मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण कार्य भी इस योजना काल में सम्पन्न किये जायेंगे। सभी नये मोटर मार्गों को 20 फिट चौड़े (प्रथम श्रेणी) बनाने का प्रस्ताव है। पंचम पंच वर्षीय योजना के कच्चे मोटर मार्ग आगामी योजना काल में पक्के कर दिये जायेंगे। पंचम पंच वर्षीय योजना काल में कुल 113 की0मी0 लम्बे मोटर मार्ग, 32 कि0मी0 लम्बे पैदल मार्ग के निर्माण कार्य का प्रस्ताव है।

चम्पावत तहसील के पृथक्कीकरण के पश्चात् अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल 5460 वर्ग की0मी0 तथा 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 6,48,330 है। यह जनपद विकास की दिशा में हर दृष्टि से अभी पिछड़ा है।

अल्मोड़ा जनपद में 500 और उससे अधिक जनसंख्या के लगभग 510 ग्राम समूह है जिनमें से लगभग 170 ग्राम समूह वर्तमान मोटर मार्गों से या तो सीधे जुड़े है या उनसे लगभग 3 की0मी0 दूरी पर है, 74 ग्राम समूह निर्माणाधीन मोटर मार्गों से जोड़े जायेंगे, 266 ग्राम समूह इस समय मोटर यातायात से वंचित है।

इसके अतिरिक्त इस जनपद में 64 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग का रख-रखाव जिला परिषद अल्मोड़ा ओ0जी0वी0आर0नगरपालिका अल्मोड़ा/एवं नगरपालिका, रानीखेत द्वारा किया जाता है। जिले में लगभग 300 की0मी0 लम्बे कच्चे मोटर मार्गों का रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है। यह मोटर मार्ग केवल अच्छे मौसम

में ही यातायात के योग्य हैं। इन मोटर मार्गों का उपयोग वन क्षेत्रों के अतिरिक्त भाग से उत्पादन को बाहर ले जाने के लिये किया जाता है।

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गों के निर्माण की योजना इस आधार पर बनाई गई है कि जिले के शेष 500 से और उससे अधिक जनसंख्या वाले 266 ग्राम समूहों को मोटर मार्ग से जोड़ा जा सके। या वह ग्राम समूह प्रस्तावित मोटर मार्ग से लगभग 5 की०मी०0 लम्बाई पर रह जाँय। जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सब ग्राम समूहों को मोटर मार्गों से सीधे जोड़ना सम्भव नहीं है। इस आधार पर जिला, अल्मोड़ा में 75 छोटे-बड़े अतिरिक्त मोटर मार्गों की आवश्यकता होगी जिनकी लम्बाई 1671 की०मी० होगी। इन मार्गों में से 984 की०मी० मुख्य मार्ग एवं 687 लम्बे लिंक मार्ग है। न्यूनतम कार्यक्रम तथा सामान्य कार्यक्रम की पूर्ति के लिए आवश्यक मोटर मार्गों और पुलों के निर्माण की लागत लगभग 32-87 करोड़ रुपये होगी। ~~पंचम पंच वर्षीय योजना~~ काल में सड़कों के लिए 506.46 लाख रुपयों का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

<u>न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर नये मोटर मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव</u>

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	मोटर मार्ग की लम्बाई की०मी०	20 फुट चौड़े मुख्य मार्ग एवं 16 फुट चौड़ा लिंक मार्ग / कच्ची सड़क बनाने की अनुमानित लागत (लाख रूपये)	ग्राम समूहों के नाम जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक और मार्गों से जुड़ेंगे।
1	2	3	4	5	6
1-	ताकुला	बनयन-गणानाथ-ताकुला (मुख्य मार्ग)	25-00	50-00	काण्डे, धापलागूठ लोहना, बजेल, सीतवालगाँव
2-	बागेश्वर कपकोट	दोफाड़-बनलेख धरमघर (मुख्य मार्ग)	52-00	104-00	रिखुड़िया।
3-	धौलादेवी	काफलीखान-भनोली-सिमलखेत	50-00	100-00	दुनाड़ पाली, बेसड़ जनपा, चगेठी, डुंगरा भनोली, पीलड़ीगूंठ दमोड़ा।
4-	भिकियासैण व द्वाराहाट	भिकियासैण-द्वाराकोट-विनायक भौलीछीना घोड़ाखाल-जालीखान -गनेली।	60-00	120-00	ईड़ा, बमराड़, रिखाड, खारुड़ी, बौली बिनार, थलैड़ा, नौवाड़ा, गैतोली, नागरकन, कुटली।
5-	ताड़ीखेत	सौनी, धौलीखेत-टाना कड़ाकोट	18-00	36-00	सेनरी, टाना, नौगाँव, नेटी, कड़ाकोट।
6-	लमगड़ा / गल्ट	सरचुला-शौनटाण्डा (मुख्य मार्ग)	15-00	30-00	जामड़ी-शौनटाण्डा।

1	2	3	4	5	6
7-	चौगुटिया स्याल्दे	चौगुटिया-जौरासी-उपराड़ी, मुनसेरा बरगल-चिनतोली (मुख्य मार्ग)	60-00	120-00	जौरासी, उपराड़ी ।
8-	बागेश्वर ताकुला	बागेश्वर-गुरेछीना-बैगनियाँ (मुख्य मार्ग)	40-00	80-00	जौलकाण्डे, धारी, चामी, सिउनी, दाड़ी-मदॉक, चौड़ा, अघौड़ा, बैगनियाँ।
9-	भैंसियाछाना	रु० पुडियाछीना-बोहला-असों-भैंसियाछाना (मुख्य मार्ग)	22-00	44-00	बोहला, रैंगोली, असों, भैंसियाछाना।
10-	कपकोट	कपकोट-करमी (मुख्य मार्ग)	30-00	60-00	करमी, तोली, पेठिंग, बघर, बीड़ाबगड़ ।
11-	धौलादेवी भैंसियाछाना	पनुवानौला-तेलपड़-हरड़ा (मुख्य मार्ग)	32-00	64-00	चमुवागूठ, नेलपड़।
12-	कपकोट	भराड़ी-सुमगढ़-सूपी-झाली (मुख्य मार्ग)	52-00	104-00	सुमगढ़, सूपी, झाली बैड़ेत, पैठी, बौड़ा।
13-	हवालबाग	कूंट-धामस (मुख्य मार्ग)	5-00	10-00	धामस ।
14-	धौलादेवी	सुवाखान-दोड़म-खातेबाड़ी (मुख्य मार्ग)	24-00	48-00	दोड़म, पलौली, नौगाँव, जाखातेबाड़ी
15-	द्वाराहाट	सलना-छतगुल्ला-असगोली-सीमलगाँव काण्डे-पैठानी (मुख्य मार्ग)	28-00	56-00	पैठानी, सलना, छतगुल्ला, असगोली, सीमलगाँव, काण्डे, नैनी ।
16-	भैंसियाछाना	कफड़खान-पूनाकोट-लिंक मार्ग	10-00	20-00	[illegible]ल्ला, ना[illegible]ते[illegible]देवाल, सेल, गूंठ।
17-	स्याल्दे	डोटियालखाल-सराईखेत (मुख्यमार्ग)	25-00	50-00	इकरौली, [illegible]गाँव मटखानी, सराईखेत [illegible]नाड़ीथान-कुसियाचौन।
18-	गरुड़ बौगुटिया	गरुड़-आड़ा-भगरतोला-भतड़िया-पनतोली, नौगाँव-पिण्डारकोट-वनरकोट-धनाड़-कोटयूड़ा (मुख्यमार्ग)	77-00	154-00	आड़ा, भगरतोला, भतड़िया, नौगाँव, कोटयूड़ा, वनरखोत।
19-	बागेश्वर	बागेश्वर-खालडोबा-रतमोली (मुख्यमार्ग)	40-00	80-00	गुरना, जैठाई, रतमौली, मालता, नौगाँव।
20-	कपकोट	झाली-वाछम-सौराग-नीलपाड़ा (मुख्य मार्ग)	30-00	60-00	वाछम, सौराग, बधियाकोट।
21-	ताड़ीखेत	रीची-चापड़ (मुख्य मार्ग)	35-00	70-00	स्यालता, लछीना, मसोली, बरड़ी, बमेड़ी, बिसालकोट, चापड़ ।

1	2	3	4	5	6
22-	हवालबाग	कोसी-मनाऊँ-गुरूना-चिनौना (मुख्य मार्ग)	18-00	36-00	मनाऊँ, गुरूना, डांगीकोला, चिनौना।
23-	धौलादेवी	बुबाखान-कलफड़-जारावगड़ (मुख्य मार्ग)	20-00	40-00	कफलानी, गल्ली।
24-	गरुड़	कन्धार, पिंगलों-मैगड़ी-छ्त्याड़ी-मदकोट (मुख्य मार्ग)।	38-00	76-00	कलसारी, मैगड़ी, छ्त्याणी, मदकोट, पिंगलों।
25-	बागेश्वर	विजयपुर-नरगोली (मुख्य मार्ग)	32-00	64-00	डान्तोली, सिमकना, खानीडियार, भोड़तलाड़, रावतसेरा नरगोली।
26-	भैसियाछाना	काफलीगैर-नौगाँव (लिंक मार्ग)	11-00	17-60	ओड़ालीजखेद, धौलेजर, सुत, नौगाँव।
27-	ताकुला	जोशीगाँव-पालड़ीकराला (लिंक मार्ग)	8-00	12-80	चौगाँवछीना, पालडीकराला।
28-	भिकियासैण	घट्टी-बासोट-सौरे (मुख्यमार्ग)	20-00	40-00	कोटा, गुवाई, सीमू, बासोट, मभड़ा, सौरे
29-	स्याल्दे	टीटेश्वर-पीपलगाँव-घुगुतीकैलानी (लिंक मार्ग)	18-00	28-80	घुगुतीकैलानी, पीपलगाँव, रिखौन
30-	बाराहाट	गगास-कोट-स्याली (लिंक मार्ग)	20-00	32-00	कोट, स्याली, डोटलगाँव, भनरगाँव बासुलीसेरा।
31-	सल्ट	डोटियालगाँव-विनौली (मुख्यमार्ग)	35-00	70-00	कणीधार-देसरवगड़ तकनाड़, चौना, उजराड़, रणकोन, विनौली।
32-	लमगड़ा / धूपकोट	गोलना-हरजीला-कानयालीकोट-जगथान	30-00	60-00	परकुनी, बयई, कानकानियालीकोट, जमटी, जगथाना, लौती, हरजीला।
33-	हवालबाग	बिसाई-सल्ट, कटेना (लिंकमार्ग)	11-00	17-60	सल्ट, कटेना।
34-	ताड़ीखेत	ताड़ीखेत-कोटली-बसौली (लिंक मार्ग)	30-00	48-00	धौड़ाकोठारा, सरना जजगोली, सौला, सुनेटी, चौगाँव, कोटली।

1	2	3	4	5	6
35-	गरुड़	कौसानी-डोबा-लखानी-कफवारी (लिंक मार्ग)	1[illegible]	30-40	डोबा, नौटर, कफ्वारी, लखानी।
36-	द्वाराहाट	बौरीछीना-सुभैला, रैना-कुवाली भिण्डारकोट (मुख्य मार्ग)	22-[illegible]	44-00	सुभैला, भिण्डारकोट, कुवाली, रैना, सुरना, सिलंगाँव
37-	सल्ट	परकिन्डा-नैनवालपाली-सनड़ा (लिंक मार्ग)	15-00	24-00	रैणकानुर, सीना, सनड़ा, नैनवालपाली।
38-	स्याल्दे	चलसरा, अगासपुर, चक्रगाँव (लिंक मार्ग)	20-00	32-00	अगासपुर, असगोली, कोलानी, चक्रगाँव।
39-	भिकियासैण	पाटिया-बौरा-कजान (लिंक मार्ग)	16-00	25-60	बैत, नैकाना, बलसनौला, पाजन।
40-	ताकुला	बिजौरा, कासुली (लिंक मार्ग)	8-00	12-80	पदसील, कटली।
41-	धौलादेवी	पोखरीनिचल ,,	13-00	20-80	हुनाड़ै, चिल।
42-	भैंसियाछाना	भैंसियाछाना-हरड़ा ,,	14-00	22-40	नाली, ल्वेटा, हरड़ा।
43-	लमगड़ा	छणोंज-सालडसाह जनाखारकोट	13-00	20-80	जनाखारकोट सागरसाह।
44-	चौखुटिया	चौखुटिया-खीड़ा ,,	24-00	38-40	खीड़ा, क्वगड़ी, सिलाड़।
45-	हवालबाग	हवालबाग-पाखुड़ा-पिलखोली क्यून स्यूनराकोट (लिंक मार्ग)	12-00	19-20	स्यूनराकोट, पाखुड़ा।
46-	ताड़ीखेत	ताड़ीखेत-टाना-पनियाली ,,	16-00	25-60	पछुली, कपीना-पाण्डेकोटा, बगोली, टाना, पल्याली।
47-	स्याल्दे) चौखुटिया)	मासी-गैरखेत-कहड़गाँव ,,	25-00	40-00	सहस्यारी, कहड़गाँव
48-	द्वाराहाट	मैनाली-गवार-बयेला ,,	8-00	12-80	गवार, बयेला, मैनाली।
49-	सल्ट	भैंसिया-रणधमाल ,,	15-00	24-00	डाहरागाँव, गेठिया रणधमल।
50-	गरुड़	बैजनाथ-बिलखोली-बरसों, अयारखोली वज्यूला, जखेड़ा ,,	14-00	22-40	बरसों, अयारतोली, ग्रा. वज्यूला, जखेड़ा।

1	2	3	4	5	6
51-	ताकुला	गणानाथ-नाईडोल (लिंक)	8-00	12-80	नाईडोल
52-	धौलादेवी	बलनी छीना-सहरगाँव बमनस्वाल (लिंक)	18-00	28-80	सहरागाँव, बमनस्वाल
53-	बागेश्वर	दालीघाट-हड़बाज (लिंक)	11-00	17-60	पन्द्रहपाली, हड़बाग।
54-	भैसियाछाना	धनीआगर-डुंगरी (मुख्य मार्ग)	24-00	48-00	डालाकोट, दसौं डुंगरी।
55-	चौखुटिया	चौखुटिया-टिम्टा (लिंक मार्ग)	10-00	16-00	टिम्टा।
56-	ताडीखेत	सीतलाखेत-खटिला (मुख्य मार्ग)	25-00	50-00	नौगाँवपजीना, गुड़स्यारी, औलियागाँव सूरी, नटीला, कालनूसियाली, गाड़ी।
57-	सल्ट	सखेड़-बमौड़ा (लिंक)	12-00	19-20	जाखा, बमौड़ा।
58-	स्याल्दे	देघाट-घमियाड़ी-कफलगैर (लिंक मार्ग)	16-00	25-60	घमियाड़ी, कफलगैर
59-	ताडीखेत व द्वाराहाट	दजोला-बमस्यों-अभियाखाण्डे सिनौली (लिंक मार्ग)	20-00	32-00	सिनौली, अभियाखाण्डे कालनूसियाली।
60-	गरुड़	डंगोली-स्याहीं-मिलकोट धेटी-कुलाव (लिंक)	16-00	25-60	अगस्यारी, धेटी, कुलाव।
61-	धौलादेवी	दन्याँ-सयोली-जलफड़ (लिंक)	22-00	35-20	टकोली, सयोली।
62-	लमगड़ा	धापखान-उन्यूड़ा-भोगदूधली (लिंक मार्ग)	25-00	40-00	उन्यूड़ा, भोगदँधोली
63-	कपकोट	रमाड़ी-लाथी-कोती (लिंक)	25-00	48-00	रमाड़ी, नाम्ती चौड़ाबगड़, कोती
64-	ताडीखेत	पन्थकोटली, मगचौड़ा (लिंक)	5-00	8-00	सेरोली, मगचौड़ा।
65-	सल्ट	छिनौना-भौपा (लिंक)	14-00	22-40	बसल्टा, भौपा
66-	स्याल्दे	तुराचौरा-डुंगरी-तुलबुधानी (लिंक)	18-00	28-80	डुंगरी, तुलबुधानी।
67-	धौलादेवी	कोती-धूरा (लिंक)	10-00	16-00	धूरा।
68-	भैसियाछाना	धौलछीना-द्यारी (लिंक)	15-00	24-00	द्यारी।

1	2	3	4	5	6
69-	लमगड़ा	जैती-दाड़मी- बाराकोट (लिंक)	27-00	43-20	दाड़ीमा, बाराकोट
70-	धौलछिना	उडुलीखानन्द वैराली-दाइसओखाली (लिंक)	16-00	25-60	दाईसओखाली।
71-	रूपकोट	लीती-गोगिना (लिंक)	17-00	27-20	गोगीना ।
72-	ताडीखेत	पंतकोटुली-बलना (लिंक)	10-00	16-00	बलना
73-	सल्ट	शशिखाल-पाली-धनियाल (लिंक)	10-00	16-00	पालीधनियाल ।
74-	सल्ट	नौपटवा-मथाड़ी (लिंक)	10-00	16-00	मथाड़ी ।
75-	ताडीखेत	ताडीखेत-जैलोली (लिंक)	12-00	19-20	जैलोली ।
		योग-	1671-00	3367-20	

मुख्य मार्ग	984 किमी०	1968-00
लिंक मार्ग	687 ,,	1099-20
या		30-67 करोड़ रूपया

यातायात-मोटर मार्ग निर्माण प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)

क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	वर्ष 69 की स्थिति	वर्ष 72 की स्थिति	वर्ष 74 की स्थिति	वर्ष 74-79
1-	मोटर मार्ग निर्माण	किमी०				
क-	कच्ची		124	200	457	439
ख-	पक्की		648	675	772	885

सम्भावय सेवायोजन :-

प्रस्तुत योजना में दी गई परियोजनाओं की लागत का 60 प्रतिशत श्रम मूल्य आंका गया है। श्रमिक दर 6 रुपया दैनिक एवं 200 कार्य दिवस वार्षिक के अनुमान से योजना काल में 15,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

राज्य सरकार के विचारणीय प्रश्नः-

नियोजन कार्यों के शीघ्र एवं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक है कि धन का सामयिक प्राविधान हो जावे और समस्त नियोजन संस्थाओं में पूर्ण रूप से तालमेल हो। इसके लिये सारे नियोजन का ढांचा दो हिस्सों में विभाजित किया जावे जिनमें से एक योजना बनाने के समस्त पहलुओं की ओर ध्यान देवें और दूसरा इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी रहे। अतः योजना निर्माण का काम ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद द्वारा किया जावे। इनका कार्यान्वयन अन्य नियोजन विभागों द्वारा किया जावे। वित्त हस्त पुस्तिका के नियमों में उचित संशोधन किया जाना आवश्यक है ताकि धन का सामयिक प्राविधान हो सके और उसके उपयोग में वित्तीय नियमों के कारण कोई कठिनाइयाँ न आ सकें।

कार्य समाप्ति की दिशा में भूमि अधिग्रहण की वर्तमान प्रणाली के कारण बहुधा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वन विभाग की भूमि के हस्तान्तरण एवं वृक्षों के निस्तारण में विलम्ब के कारण भी कार्य की प्रगति में अवरोध होता है। अतः यह वाछनीय है कि वर्तमान् प्रणाली में समुचित संशोधन किया जाय।

इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिये स्थानीय श्रमिकों की कमी है जो श्रमिक उपलब्ध भी है वे अपने घर के निकट ही कार्य करना चाहते है। इस दिशा में मैदानी श्रमिकों पर ही विशेष रूप से निर्भर रहना पड़ता है। नेपाली श्रमिक भी अक्टूबर-नवम्बर से मार्च तक ही उपलब्ध होते है तदुपरान्त वे स्वदेश लौट जाते है। इस प्रकार वर्ष के शेष भाग में कार्यों की प्रगति अवरूद्ध रहती है। अतः कार्यों की प्रगति तीव्र करने की दिशा में श्रम संगठनों संस्थाओं का सूत्रपात करना लाभदायक सिद्ध होगा।

पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक सहायक अभियन्ता को वितरण अधिकारी घोषित किया जाय। सार्वजनिक निर्माण विभाग के उन समस्त कर्मचारियों को उनके वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर पूरक भत्ता दिया जाय जिसका मुख्यालय मोटर मार्ग से 8 कि०मी० दूरी पर स्थित हो। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान की जाय।

पर्वतीय क्षेत्र में मोटर मार्गो के दोनो पार्श्वों की भूमि साधारण तथा कटाव के कारण सुरक्षित नहीं रहती अतः यह सुझाव दिया जाता है कि मार्ग के दोनों पार्श्वों में 100 मीटर चौड़ी पट्टी वन विभाग के क्षेत्राधिकारी को वन के रूप में विकसित करने हेतु सौंप दी जाय।

यातायात

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 में परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाख रू० में)

क्रमांक मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अवशेष कार्यः-			
1- वरिकण्डा-स्याल्दे मार्ग	कि०मी०	-	8-000
2- मानिला-स्याल्दे-देघाट मार्ग	,,	4-00	15-000
3- चिमटाखाल-मौनखाल-मतरौजखाल मार्ग		3-00	6-000
4- शिशिवासेण-विनायक मार्ग	,,	3-00	8-000
5- द्वाराहाट-बिमाण्डेश्वर मार्ग	,,	-	0-900
6- रानीखेत-जालली-मासी मार्ग	,,	10-00	20-000
7- वाडेछीना-कनाई-बेरीनाग मार्ग	,,	0-3	
8- ढौरा-पौधार मार्ग	,,	0-5	
9- पौधार-लमगड़ा मार्ग	,,	0-2	
10- पौधार-अल्मोड़ा को अल्मोड़ा सोमेश्वर से जोड़ने वाला मार्ग	,,	0-4	
11- अल्मोड़ा कोसी लिंक मार्ग	,,	1-15	
12- मोरनौला-देवीधूरा मार्ग	,,	3-00	
पुलों का निर्माण			
1- वरिकण्डा-स्याल्दे मार्ग में रामगंगा पर	सं०	1	3-50
प्रस्तावित मार्ग (नये)			
1- शिशिवासेण-विनायक-कपोलछीना जालीखान-द्वाराहाट मार्ग	,,	60-00	96-000
2- रनमन-पाणानौला-ताकुला मार्ग	,,		
3- दोफाड़-वनलेख-धरमघर मार्ग	,,		

5(19) पर्यटन

प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर होने और उपयुक्त जलवायु होने पर भी जिले में पर्यटन उद्योग अविकसित है जिसका मुख्य कारण पर्यटकों की सुविधा का अभाव है। जिले में पर्यटक गृहों का अभाव है । अतः यह आवश्यक है कि सभी रमणीय स्थानों में इनका तथा लोगकेबिन्स का प्रबन्ध किया जावे।

अल्मोड़ा में पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्याप्त साधन नहीं है । कसारदेवी, बिनसर, जागेश्वर, कौसानी, कोशी नदी घाटी, गरुड़-बैजनाथ, बागेश्वर, पिण्डारी ग्लेशियर आदि रमणीय स्थानों को पर्यटकों के लिये विकसित किया जा सकता है। इस हेतु सबसे पूर्व अल्मोड़ा में कम से कम 200 व्यक्तियों के आवास के लिये कौसानी में 50 व्यक्तियों के आवास हेतु टूरिस्ट होटल बनाने के लिये धन की तुरन्त आवश्यकता है और इस हेतु प्राविधान जिस प्रकार भी सम्भव हो, किया जावे। साथ-साथ बिनसर, कसारदेवी, जागेश्वर एवं पिण्डारीग्लेशियर मार्ग में सभी पड़ाव के स्थानों पर टूरिस्टों के लिये आवास, साधन एवं छोटे छोटे भवनों का रहने के लिये निर्माण होना परमआवश्यक है जिसके लिये धन का प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में किया जाय।

पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के बनाने तथा यातायात की सुविधा पहुंचाने का उल्लेख यथास्थान किया है। मुख्य स्थानों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का सुझाव तथा जनता को इधर-उधर जाने की सुविधा के लिये कतिपय पुलों के निर्माण की भी संस्तुति की गई है। इन सड़कों के निर्माण में भी जनता के प्रतिनिधियों का यह आग्रह है कि लिंक सड़कों को प्राथमिकता दी जावे।

रमणीय स्थानों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि स्वायत्त शासन अभियंन्त्रण विभाग योजनाओं का शीघ्र सर्वेक्षण करके उनको क्रियान्वित करें और बनाई गयी योजनाओं की देख-रेख का समुचित प्रबन्ध करें।

अल्मोड़ा जनपद में कई रमणीय प्राकृतिक स्थान हैं परन्तु पर्यटकों को आवास व अन्य सुविधा न होने से यहाँ उनका जाना सीमित रहता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुझाव हैः-

1- बिनसर मार्ग का सुधार तथा इसे वर्ष भर चालू रहने वाला मोटर मार्ग बनाया जाय। (लगभग 6किमी०)

2- कपकोट से पिण्डारी ग्लेशियर तक मार्ग का सुधार ।

3- रानीखेत पर्यटक गृहों का निर्माण (मध्य आय वर्गीय व निम्न आय वर्गीय पर्यटकों के लिये)

4- कौसानी में मध्य आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय पर्यटकों गृह निर्माण ।

5- बागेश्वर में एक यात्री शैड का निर्माण ।

6- बिनसर में एक मध्य आय वर्गीय और एक निम्न आय वर्गीय पर्यटक गृह का निर्माण ।

7-अल्मोड़ा में एक पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।

8- लोहाघाट में एक निम्न आय वर्गीय पर्यटक गृह का निर्माण ।

9- चम्पावत में एक निम्न आय वर्गीय पर्यटक गृह का निर्माण ।

10-जागेश्वर में एक यात्रा शैड का निर्माण ।

11-जागेश्वर में एक निम्न आय वर्गीय पर्यटक गृह का निर्माण ।

12-अल्मोड़ा में दो शय्याओं वाले लौगकैबिनों का निर्माण ।

13-पर्यटक हौस्टिल का निर्माण ।

14-प्रस्तावित पर्यटक गृहों के प्रबन्ध कर्मचारियों हेतु आवास व्यवस्था।

15-बसन्तोत्सव, शारदोत्सव एवं दूसरे मेले ही उत्सवों का आयोजन।

16-गोल्फ जैसे खेलकूदों का बढ़ावा देना तथा पर्यटक बंगलों पर इन्डोर गेमों का आयोजन।

17-पर्यटक साहित्य का प्रकाशन एवं पोस्टर आदि का वितरण ।

18-शीतकालीन क्रीड़ाओं का आयोजन।

19-पद यात्राओं एवं पर्वतारोहण हेतु सामग्रियों का क्रय किया जाना।

20-सौन्दर्य स्थलों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास एवं सुधार ।

21-राजकीय रोडवेज एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से कन्डक्टेड टूर्स का आयोजन।

पर्यटक विकास के लिये कौसानी कम्पलैक्स तथा कालिका कम्पलैक्स नाम दो विस्तृत योजनायें बनाई गई है जिनके पूर्ण सम्पादन के बाद पर्यटकों को सभी उचित सुविधा प्राप्त हो जायेगी और उनके आगमन से पर्यटक उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

<u>चालू योजनाओं का मूल्यांकनः-</u>

अभी तक पर्यटकों को कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त नहीं है। कुछ स्थानों में जिला परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के डाक बंगले बने है जिनमें रहने की सुविधा होती है परन्तु खाने-पीने का उचित प्रबन्ध नहीं है। नगरों में होटलों के अतिरिक्त कोई और विशेष सुविधा नहीं है। यातायात के अविकसित होने से पर्यटकों के लिये बसों में सीटों के आरक्षण का भी कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। फलस्वरूप पर्यटकों को असुविधा होती है और उनका आगमन कम होता है। पिछले वर्ष पर्वतीय विकास निगम ने कौसानी में टेन्ट कालोनी लगाकर पर्यटकों का प्रबन्ध किया जो सफल रहा। इसी तरह भविष्य में यदि पिण्डारी इत्यादि स्थानों के लिये भी टेन्ट कालोनी लगाकर गाईडेड टूर आयोजित किया जाय तो पर्यटक का विकास होगा।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये है और आशा है इनके सम्पादन से पर्यटक विकास को गति मिलेगी।

	लागत (लाख रूपों)
1- कौसानी कम्पलैक्स 200 शय्या का	
प्राविधान	36-00
पेयजल योजना	0-50
मनोरंजन	1-00

- डाईनिंगहाल एवं रेस्तोरा का निर्माण	1-50
	39-00
2- बिनसर कम्पलेक्स 100 शय्या का प्राविधान	20-00
पेयजल योजना	5-00
14 कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण कफड़खान से बिनसर।	20-00
	45-00
3- पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग में कपकोट से खाती तक 25 कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण।	35-00
4- 60 शय्याओं के आवास की व्यवस्था (ग्लेशियर मार्ग में)	48-00
पर्वतारोहण के लिये 500 पर्यटकों के लिये ट्रैकिंग इक्युपमेन्ट का मूल्य	1-93
	योग- 84-93 या 85 लाख रु०
5- अल्मोड़ा में 100 शय्या के होलिडे होम का निर्माण।	10-00
6- बैजनाथ में 24 शय्या के आवास की व्यवस्था	4-32
7- रेस्तोरा का निर्माण	0-60
	योग- 14-92 या 15 लाख रु०
8- कालिका कम्पलेक्स में 100 शय्या के आवास की व्यवस्था, मनोरंजन, गोल्फ व सड़क की मरम्मत	22-50
9- मानिला में 20 शय्या के आवास की व्यवस्था	4-25
10- द्वाराहाट में 24 शय्या के आवास की व्यवस्था जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है (यह दूनागिरी के पर्यटकों के लिये सुविधा का केन्द्र होगा)	6-15
11- दूनागिरी में 50 शय्या के आवास की व्यवस्था एवं विकास।	10-25
12- प्रचार	5-75
	योग- 48-90
	कुल योग- 232-75

पंचम पंच वर्षीय योजना काल में पर्यटन के लिए 144-35 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

5(2) सामान्य शिक्षा

पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ की विषम भौगोलिक स्थिति, जनता की गिरी हुई आर्थिक दशा एवं साधनों की कमी के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके बच्चों पर निर्भर करती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये देश के कर्णधारों ने 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में प्रविष्ट कराने का उद्देश्य रखा है और नये विद्यालय खोले परिणामस्वरूप जिले में आज लगभग शतप्रतिशत बालक तथा 65 प्रतिशत बालिकायें प्रारम्भिक स्कूलों में प्रविष्ट है। इसी प्रकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य शासन के विचाराधीन है। इसकी पूर्ति के लिए जनपद में कई नवीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी।

इसी परिपेक्ष को ध्यान में रखकर पांचवी पंच वर्षीय योजना तैयार की गई है। यह योजना इस जिले की विशाल भौगोलिक स्थिति जैसे नदी, नालों, उतार चढ़ाव जंगलों, बच्चों के घर से स्कूल की दूरी, वर्तमान आबादी, उपलब्ध साधनों एवं वर्ष 1978-79 तक बढ़ने वाली अनुमानित आबादी व बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

वर्तमान समय में जनपद में दो महाविद्यालय हैं जिनमें एक में साधा बी०एड कक्षायें है। एक जे०बी०टी०सी० एवं महिलाओं के प्रशिक्षण विद्यालय सहित चार बी०टी०सी० विद्यालय एवं एक महिलाओं की बी०टी०सी० इकाई कार्यरत है।

चम्पावत तहसील के पिथौरागढ़ जिले में विलयन के फलस्वरूप बहुत से विद्यालय इस जनपद से अलग हो गये। नीचे तालिका से इन विद्यालयों की स्थिति पर प्रकाश पड़ेगा। कोष्टों के आंकड़े चम्पावत के है। शेष आंकड़े वर्तमान जनपद के लिये है।

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
प्राइमरी विद्यालय (संख्या)	864 (157)	873 (157)	879 (158)	883 (160)	891 (अप्राप्त)
जू०हा०स्कूल (सं०)	102 (4)	102 (4)	103 (12)	107 (12)	111 (,,)
उ०मा०विद्यालय संख्या में	48 (2)	53 (2)	57 (2)	63 (3)	72 (,,)
महा विद्यालय संख्या में	1 (-)	1 (-)	1 (-)	1 (-)	2 (-)

पर्वतीय क्षेत्र की समस्त कठिनाइयों के बावजूद भी यह जनपद शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। प्रदेश की प्रति 100 व्यक्तियों में 21-64 व्यक्ति की साक्षरता के अनुपात में यहाँ के यह अनुपात निम्न प्रकार है:-

प्रति 100 व्यक्ति साक्षरता

	समस्त जनसंख्या पर	पुरुषों में	स्त्रियों में
1931	-	14-1	0-8
1951	-	29-1	2-9
1961	21-0	36-0	6-0
1971	28-77	47-87	11-37

बाल योजनाओं का मूल्यांकन:-

स्कूल भवनों के निर्माण कार्य में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र के लिये भवन अनुदान उसी दर से प्राप्त होता है जिस दर से मैदानी क्षेत्रों के लिये जबकि पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण के कार्य में मैदानी क्षेत्रों से लगभग तिगुनी कीमत लगती है। भवन निर्माण सामग्री सरलता से उपलब्ध भी नहीं हो पाती है। सामग्री उपलब्ध होने पर उसके ढुलान में कठिनाई होती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों के लिये भवन निर्माण सम्बन्धी अनुदान प्रारम्भिक स्कूलों के लिये 8,500रू० से बढ़ा कर 12,000रू० निर्धारित किया जाना चाहिये।

जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये आगामी पाँच वर्षों के अन्त तक 257 प्राइमरी स्कूल योजनाओं में प्रस्तावित किये गये है। जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 150 से भी कम जनसंख्या वाले ग्रामों में नये स्कूल खोलने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः ऐसी आबादी वाले ग्राम वर्तमान स्कूलों से काफी दूर पड़ते है। छोटे बच्चों का दुर्गम रास्तों को पार कर उन स्कूलों में जाना कठिन होता है यही नहीं जिले की इस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 55 शाखा पाठशाला भी खोलनी पड़ी है इनको भी स्वतंत्र पाठशाला बनाने की आवश्यकता है ताकि भवन बन सके और उनमें अध्यापक उपयुक्त संख्या में हो सके।

जूनियर बेसिक स्कूलों के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या भले ही 40 के कम हो कम से कम 2 अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त होने चाहिए। जिले की बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए पाँचवी पंच वर्षीय योजना में लगभग 1175 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

अतिरिक्त अध्यापकों की स्वीकृति के साथ-साथ वर्तमान स्कूल भवनों की मरम्मत, भवनों का नव निर्माण, साज सज्जा आदि उपलब्ध करने का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

बच्चों को समुचित भोजन देने तथा वस्त्र बनाने की सामर्थ्य अभिभावकों में सीमित है। अतः उनके पढ़ने के लिये पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, बालाहार तथा यूनिफार्म आदि प्रदान करने का प्राविधान योजना में किया जाता है।

प्राईमरी पाठशालाओं के पास पर्याप्त भूमि है जिसमें बागबानी का कार्य होता है परन्तु इसकी तथा स्कूलों को जो सामान दिया जाता है उसकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है। अतः स्कूलों में पूर्णकालिक चौकीदार की व्यवस्था का प्राविधान किया जावे ताकि बगीचों के उत्पादन व विधालय के सामान की सुरक्षा हो सके।

प्राइमरी स्कूलों में वृध्दि होने के फलस्वरूप जूनियर हाई स्कूल स्तर के विधालयों की संख्या में वृध्दि की आवश्यकता है। न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर बच्चों को जूनियर हाई स्कूल की स्तर की शिक्षा सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार जिले में आगामी 5 वर्षों में 35 नवीन जूनियर हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता होगी।

कतिपय जूनियर हाई स्कूलों के भवन ध्वस्त हो चुके है। कुछ स्कूलों मे भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही साज-सज्जा, क्राफ्ट सामग्री, विज्ञान सामग्री आदि के प्राविधान की आवश्यकता है ताकि ये विधालय सुचारु रूप से कार्य कर सके।

जूनियर हाईस्कूलों के लिये क्रीड़ा स्थल का होना परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जूनियर हाई स्कूलों के लिये क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता को देखते हुये दीर्घकालीन योजना में किया जाना आवश्यक है।

<u>दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य</u>:- जनता की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण जनता द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल ठीक तरह से नहीं चल पा रहे है। अतः आगामी योजना काल में जिले के सभी जूनियर हाई स्कूलों के प्रान्तीयकरण हेतु प्राविधान करने की आवश्यकता है।

जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर यहाँ नवीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों को खोलने की आवश्यकता है। वहाँ नये उच्चतर माध्यमिक विधालय खोले जाने, वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विधालय स्तर पर उच्चीकरण तथा कुछ उच्चतर माध्यमिक विधालयों को इन्टर स्तर तक उच्चीकरण किये जाने की आवश्यकता भी है ताकि बालकों को 5 से 10 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विधालय स्तर तक की शिक्षा सुलभ हो जावे।

जिले के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय तथा इन्टर कालेजों की संख्या कम है। अन्य पर्वतीय जिलों की भाँति इस जिले के कुछ वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विधालय तथा इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाना आवश्यक है। साथ ही जनता की आर्थिक दशा को देखते हुए व्यक्तिगत उच्चतर माध्यमिक विधालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देने की भी आवश्यकता है।

वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विधालयों में छात्र संख्या वृध्दि पर है

अतः अतिरिक्त कक्षों के निर्माण तथा अध्यापकों के लिये आवास गृहों के निर्माण की आवश्यकता है। प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी भवन सुधार की आवश्यकता है। साथ ही अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीडा-स्थल नहीं हैं। उनमें क्रीडास्थलों के निर्माण का प्राविधान भी किया जाना है।

जनपद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है। जिला यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से जागरूक है परन्तु जिले के अधिकांश भाग में अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण वे अपने बच्चों को क्षेत्र से बाहर डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजने में असमर्थ रहते हैं। अतः इस जिले की तीनों तहसीलों में एक-एक डिग्री कालेज का खोला जाना अति आवश्यक है। इस हेतु योजना में प्राविधान किया गया है। अल्मोड़ा व रानीखेत में महाविद्यालय खुल चुके हैं। अब बागेश्वर में खुलना है और वर्तमान महाविद्यालय में उचित प्रबन्ध किया जाना है। जिला सांस्कृतिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि लोककला एवं संस्कृति में उसका ह्रास होता जा रहा है। अतः यहाँ पर एक कुमाऊँनी लोककला संस्थान की भी परम आवश्यकता है।

<u>सामान्य शिक्षा-</u> वर्ष 1988-89 तक के लिये एक शैक्षिक योजना तैयार की जा रही है। यह योजना इस जिले की विषम भौगोलिक स्थिति तथा नदी-नालों तथा चढ़ाई-उतार व घने जंगलों, बच्चों के घर से स्कूल की दूरी, वर्तमान आबादी और 1988-89 तक होने वाली आबादी व बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है।

संलग्न तालिका प्रथम व द्वितीय में वर्ष 1960-61 से 1988-89 तक के स्कूलों की संख्या, अध्यापकों की संख्या आदि के विभिन्न स्तरों के प्रक्षेपण अंकित है। वर्तमान समय में जिले में राजकीय महाविद्यालय तथा उसके साथ बी0एड0 कक्षायें एक जे0बी0टी0सी0 एवं महिलाओं सहित 4 जे0बी0टी0सी0 प्रशिक्षण विधालय तथा एक महिलाओं की बी0टी0सी0 प्रशिक्षण इकाई है। अब तक स्कूल भवनों के निर्माण कार्य में विशेष कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिये भवन अनुदान उसी दर से प्राप्त होता है जिस दर से मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण के कार्य में मैदानी क्षेत्र से लगभग तिगुनी कीमत लगती है। भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध नही हो पाती है। सामग्री उपलब्ध होने पर उसके ढुलान में कठिनाई होती है तथा ठेकेदार भी उपलब्ध नही हो पाते। अतः सुझाव है कि भवन निर्माण सम्बन्धी अनुदान यहाँ के लिये 8,500 रूपये के स्थान पर 12,000रू0, 15,000रू0 के स्थान पर 25,000रू0, 1000 रूपये के स्थान पर 5,000रू0 तथा 300रू0 के स्थान पर 500 रू0 निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

<u>प्रारम्भिक स्तर:-</u> जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 150 से भी कम आबादी वाले भागों में नये स्कूल खोलने की आवश्यकता है।

<u>जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता:-</u> जूनियर बेसिक स्कूलों का, बेसिक स्कूलों का वर्तमान पाठ्यक्रम काफी बढ़ा है। प्रत्येक कक्षा में बच्चों को क्राफ्ट, हिन्दी, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य कृषि विज्ञान एवं कला विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाते है। अतः स्कूलों में छात्रों की 40 की संख्या पर एक अध्यापक के सिध्दान्त का पालन करना लाभकर नही है। प्रत्येक प्राईमरी स्कूल में छात्रों की संख्या भले ही 40 से कम हो उनमें प्रत्येक में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त होने आवश्यक है। जिले की बढ़ती हुई छात्र संख्या का ध्यान रखते हुए पाँचवी पंच वर्षीय योजना काल में 260 और वर्ष 1988-89 तक कुल 780 अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के सृजन की आवश्यकता होगी।

इन अतिरिक्त अध्यापकों के पद स्वीकृति के साथ साथ वर्तमान स्कूल भवनों का जीर्णोध्दार, ध्वस्त भवनों का पुर्ननिर्माण तथा अतिरिक्त अध्यापकों के लिये अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी योजना में सम्मिलित किया जाना है।

प्रायः यह अनुभव हुआ है कि स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिये टाट-पटिटयों व अन्य साज-सज्जा की न्यूनता रहती है इसके लिये प्रति वर्ष 50,000रू० की आवश्यकता होगी। ताकि 200रू० प्रति स्कूल के हिसाब से वर्ष में 250 स्कूलों को यह सुविधा दी जा सके।

गरीबी के कारण कई माता-पिता अपने बच्चों को पाठ्य पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध नही करा सकने के साथ साथ उनको उचित आहार भी नही दे सकते है। अ अतः आगामी योजना में ऐसे बालकों को बालाहार, यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री दिलवाना आवश्यक है। 2000 छात्रों को प्रतिवर्ष उक्त सुविधा देने के लिये कम से कम 60,000रू० की आवश्यकता होगी।

अधिकांश प्रारम्भिक विधालयों में क्रीडा स्थलों का अभाव है। प्रत्येक स्कूल के लिये कम से कम 50 वर्ग मीटर क्रीडा स्थल आवश्यक हैजिसमें 2,500रू० व्यय होने का अनुमान है।

अधिकांश प्रारम्भिक स्कूलों के पास पर्याप्त भूमि है जिसमें बागवानी का कार्य करवाया जाता है परन्तु उसकी देख-रेख का समुचित प्रबन्ध न होने से विशेष लाभ नही होता। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि प्रत्येक स्कूल के लिये एक पूर्णकालिक चौकीदार की नियुक्ति के लिये प्रावधान किया जावे जो स्कूल भवन, साज सज्जा तथा बगीचे की देख-रेख कर सके।

<u>सीनियर बेसिक स्तर:-</u> प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृध्दि के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जूनियर हाई स्कूल के स्तर के और विधालय खोले जायें ताकि प्राइमरी पाठशालाओं से निकलने वाले छात्रों को सुगमता से जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होने की सुविधा मिल सके।

पंचम योजना में 5 किलो० दूरी के बच्चों को जूनियर हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने का लक्ष रखा गया है। इस प्रकार जिले में आगामी 15 वर्षों में 50 नवीन जूनियर हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता है जिनमें से पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में 14 जूनियर हाई स्कूल प्रस्तावित है।

जूनियर हाई स्कूलों के लिये अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता स्कूलों में बढ़ती हुई छात्र संख्या के आधार पर आगामी 15 वर्षों में सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये 75 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता प्रतीत होती है। जिनमें से पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में 35 अतिरिक्त अध्यापकों की मांग प्रस्तुत की गई है।

कतिपय जूनियर हाई स्कूलों के भवन ध्वस्त हो गये हैं और कुछ स्कूलों में भवनों की मरम्मत की भी आवश्यकता है। नये स्वीकृत होने वाले स्कूल भवनों के निर्माण की भी आवश्यकता होगी।

वर्तमान कई जूनियर हाई स्कूलों में साज-सज्जा, क्राफ्ट सामग्री एवं विज्ञान सामग्री और छात्रों के बैठने के लिये टाट-पट्टियों का अभाव है, इस हेतु भी योजना में प्रति वर्ष 4500रू० का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान जूनियर हाई स्कूलों में पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की पुस्तकें अपर्याप्त है। अतः इन पुस्तकालयों को जूनियर हाई स्कूल स्तर तक की विभिन्न विषयों की पुस्तकों से युक्त करने के लिये धन की आवश्यकता है और इस हेतु प्रति-वर्ष 25 विद्यालयों के लिये 1-25 लाख रूपये का प्राविधान आवश्यक है।

निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक आदि देने हेतु योजना में अतिरिक्त प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों के लिये क्रीड़ा स्थल होना परमावश्यक है। अधिकांश वर्तमान जूनियर हाई स्कूलों में क्रीडा स्थल नहीं है। अतः प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल के लिये 100 मीटर लम्बे व 80 मीटर चौड़े क्रीडा स्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना में धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है और प्रतिवर्ष 10 सीनियर बेसिक विद्यालयों में इसके निर्माण हेतु 5,000रू० प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय की दर से प्रस्तावित है।

वर्तमान समय में जूनियर हाई स्कूलों में स्काउटिंग की शिक्षा उस रूप में नहीं चल पा रही है जैसी अपेक्षित है। अतः योजना में ऐसा प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है कि जिससे कम से कम प्रत्येक विकास खण्ड के लिये एक एक स्काउटिंग मास्टर की नियुक्ति हो जो जूनियर हाई स्कूलों में स्काउटिंग के कार्य को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकें। इस हेतु पांचवी पंच वर्षीय योजना में कुल 14 स्काउटिंग मास्टरों की नियुक्ति आवश्यक है।

<u>सेकेन्डरी स्कूलः-</u> जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के खोले जाने, वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उच्चीकरण किये जाने और कुछ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटर स्तर तक उच्चीकृत किये जाने की भी आवश्यकता है।

वर्तमान चल रहे असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देने की आवश्यकता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान सामग्री के अभाव से विज्ञान की शिक्षा समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। अतः प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा को उन्नत करने के लिये विज्ञान कक्षों के निर्माण व विज्ञान सामग्री देने के लिये उदारता पूर्वक अनुदान दिये जाने हेतु प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है।

जिले में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इंटर कालेजों की संख्या नगण्य है। अन्य पर्वतीय जिलों की भांति इस जिले के कुछ वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा इंटर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाना आवश्यक है और बालक बालिकाओं दोनों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने आवश्यक है।

यह भी अनुभव किया गया है कि वर्तमान वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अच्छे स्तर के पुस्तकालय नहीं है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों को विभिन्न विषयों की पुस्तकों से पर्याप्त मात्रा में सुसज्जित किया जाना आवश्यक है जिससे छात्र व अध्यापक समुचित लाभ उठा सकें।

वर्तमान राजकीय इंटर कालेज अल्मोड़ा में छात्र संख्या बहुत हो गई है। 14 अतिरिक्त सेक्शन स्वीकृति हो जाने से अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की आवश्यकता हो गई है। इसके साथ ही साथ प्रधानाचार्य के लिये आवास गृह व छात्रावास के भवन आदि का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है। इसी प्रकार राजकीय इंटर कालेज द्वाराहाट में प्रधानाचार्य का आवास गृह, विज्ञान कक्ष, छात्रावास व अध्यापक आवास गृह नहीं है जिनका निर्माण आवश्यक है। इसके साथ ही साथ प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की दशा भी अच्छी नही है। प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भवन की मरम्मत व उसके विस्तार किये जाने की आवश्यकता है।

यह जिला कृषि प्रधान जिला है। अतः इस जिले में कृषि इन्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है।

जिले के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी क्रीडा स्थल नही है। प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक क्रीडा स्थल 100 मीटर 80 मीटर का उपलब्ध किया जाना आवश्यक है।

<u>शासन के विचारणीय प्रश्नः</u>- खेलकूद एवं शारीरिक उत्थान हेतु एक स्टेडियम का निर्माण अल्मोड़ा में आरम्भ किया जा चुका है जिस हेतु 65,500 रु० केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं क्रीडा परिषद से अनुदान स्वरूप प्राप्त हुआ है।

अल्मोड़ा महाविद्यालय का प्रान्तीयकरण किया जा चुका है परन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेश, शिक्षकों की समुचित व्यवस्था एवं प्रचुर मात्रा में शिक्षण सामग्री का प्राविधान आवश्यकीय है और प्रधानाचार्य के आवास व महिला छात्रावास की आवश्यकता है।

जनपद में एक प्राविधिक शिक्षण संस्थान की स्थापना करना आवश्यक है। अल्मोड़ा में बी० एड० के शिक्षण का प्राविधान है परन्तु महिलाओं के लिये प्रशिक्षण हेतु अलग से महिला कक्षा का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है।

जनपद में महिलाओं को गृह विज्ञान और शिशु स्तर में प्रशिक्षित करने हेतु कोई प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है अतः बागेश्वर में इस प्रकार की प्रशिक्षण संस्था खोली जावे।

पर्वतीय क्षेत्रों में मान्यता की शर्तों को उदार बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के पिछड़े पन व विषमताओं के कारण भूमि, सुरक्षित निधि, की आज्ञा भवन, अनुदान की व्यवस्था एवं छात्र संख्या के वर्तमान् नियमों को शिथिल करना आवश्यक है।

आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होने के कारण इस जनपद के लिये अब तक स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ कम है। मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिये अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय। जिस प्रकार प्रथम महायुध्द के पश्चात् कुमायूँ रेन्ट-मरी स्कालरशिप प्रारम्भ किया गया उसी प्रकार राज्य सरकार वर्ष 1971 के युध्द में इस पर्वतीय क्षेत्र के सेना कर्मचारियों की वीरता के फलस्वरूप उनके आश्रित बच्चों को विदेश की शिक्षा ग्रहण करने हेतु विशेष सुविधा एवं छात्रवृति प्रदान करने की व्यवस्था पर विचार करें।

जनपदीय प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माणार्थ विभागीय अनुदान पर्याप्त नही है क्यों कि यातायात की कठिनाइयाँ, वर्तमान दशा के अनुसार मजदूरों का अभाव, सामग्री के ढुलान पर अधिक व्यय आदि समस्याओं के कारण स्वीकृति धनराशि को दुगुना करना आवश्यक है। 80 प्रतिशत पुराने भवनों की मरम्मत करना भी नितान्त आवश्यक है। साथ ही सज्जा हेतु परिषद के पास धन की कमी है अतः उदारतापूर्वक अनुदान दिया जावे।

तालिका प्रथम

शैक्षिक स्तर	1960-61	1965-66	1968-69	1970-71
1- प्राइमरी	648	1021	1021	1030
2- सीनीयर बेसिक स्कूल	68	93	106	106
3- हायर सेकेन्डरी	26	33	45	55
4- महाविद्यालय	1	1	1	1

शैक्षिक स्तर	1971-72	1972-73	1973-74	1978-79
1- प्राइमरी	1037	883	[illegible]91	933
2-सीनियर बेसिक स्कूल	115	107	111	140
3-हायर सेकेन्डरी	59	63	72	87
4- महाविद्यालय	1	1	2	3

नोट- वर्ष 1972 तक के आकड़े चम्पावत सहित दिये गये है एवं वर्ष 1972-73 से चम्पावत छोड कर दिये गये है।

शिक्षा निदत्तीय प्रपत्र (प्रक्षेपण)

क्रमांक	मद	इकाई	31 मार्च 72 तक की पूर्ति	31 मार्च 74 तक की पूर्ति	1974-75
1	2	3	4	5	6
1-	प्राइमरी स्कूल	संख्या	1037	691	915
2-	जूनियर हाई स्कूल	,,	115	111	114
3-	डिग्री कालेज	,,	1	2	3
4-	हायर सेकेन्डरी स्कूल	,,	59	72	78
4-	छात्रों :-				
	(1) कक्षा 1 से 5 तक	,,	125120	101000	109000
	आयु वर्ग 6 से 11 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत				
	(1) बालक	प्रतिशत	100	100	100
	(2) बालिकायें	,,	65	70	75
	कक्षा 6 से 8 तक में कुल छात्र (संख्या)		22979	26690	28288
	आयु वर्ग 11 से 14 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत				
	(1) बालक (2) बालिकायें	प्रतिशत ,,	40	42	44
3-	कक्षा 9 से 12 में कुल छात्र (संख्या में)		9571	10475	11175
	आयु वर्ग 14 से 16 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत				
	(1) बालक	प्रतिशत	8	10	12
	(2) बालिकायें	,,	1/2	2	4
4-	प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	संख्या में	2905	2534	2879
	,,,	प्रतिशत में	100	100	100
5-	माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	संख्या में	453	438	473
6-	,,	प्रतिशत	73	80	85

क्रमांक मद	इकाई	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	पांचवी योजना (74-79)
		7	8	9	10	11
1-प्राइमरी स्कूल	संख्या	930	-	-	933	42
2-जूनियर हाई स्कूल	,,	122	-	-	140	29
3-डिग्री कालेज	,,	3	3	3	3	1
4- हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,,	79			87	15
4- भर्ती :-						
(1) कक्षा 1 से 5 तक	,,	122115	124109	126113	128172	10975
आयु वर्ग 6 से 11 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत						
(1) बालक	प्रतिशत	100	100	100	100	-
(2) बालिकायें	,,	80	85	90	100	-
कक्षा 6 से 8 में कुल भर्ती	संख्या	29183	30000	31000	32000	5310
आयु वर्ग 11 से 14 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत						
(1) बालक } (2) बालिकायें }	प्रतिशत ,,	46	48	50	52	- / -
3-कक्षा 9 से 12 में कुल भर्ती	संख्या	11975	12775	13579	14375	-
आयु वर्ग 14 से 18 में कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत						
(1) बालक	प्रतिशत	15	20	25	30	-
(2) बालिकायें	,,	6	8	10	15	-
4- प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या		3224	3559	3894	4329	1795
,,	प्रतिशत	100	100	100	100	-
5- माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या		508	543	578	613	-
,,	प्रतिशत	90	95	100	100	-

नोट- 31-3-72 तक की सूचना में चम्पावत तहसील जो अब जनपद पिथौरागढ़ में विलीन हो चुकी है, की सूचना भी सम्मिलित है परन्तु उसके बाद की सूचना केवल जनपद अल्मोड़ा की है ।

5(21) प्राविधिक शिक्षा

तकनीकी सुविधाः- अल्मोड़ा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एक पोलीटेक्निक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक कुटीर उद्योग संस्थान के अन्तर्गत कताई-बुनाई कार्यशाला कार्यरत हैं जहाँ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर जीविकोपार्जन के लिये कार्य में लगाने की सुविधा दी जाती है। ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों को छोटे उद्योग सफलतापूर्वक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जनपद की प्राविधिक शिक्षा की इन चार संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है।

1- जनार्दन पोलिटेक्निक जहाँ कारपेन्ट्री, शाल बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2- इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जहाँ प्रशिक्षार्थियों को विविध उद्योगों के लिये प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 1972-73 से इस संस्था द्वारा आशु लिपिकों को प्रशिक्षण दिया जाना आरम्भ कर लिया गया है।

3- ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत रानीखेत में प्रशिक्षार्थियों को प्लास्टिक पदार्थ बनाने व अन्य प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

4- खादी ग्रामोद्योग परिषद के अन्तर्गत कताई बुनाई, शाल बनाना एवं रंगाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन संस्थाओं से प्रशिक्षण दिये जाने के बाद यदि प्रशिक्षार्थियों को स्वतः निजी उद्योग स्थापित करने को कच्चा माल, मशीन व अन्य सुविधाओं के लिये उचित धन की व्यवस्था न की जाय तो प्रशिक्षण का ध्येय ही समाप्त हो जाता है।

प्रशिक्षार्थियों को बैंक द्वारा उचित ऋण दिलवाकर उनके निजी उद्योग स्थापित करवाने में उप निदेशक, उद्योग गतिशील रहते हैं। वे प्रशिक्षित तथा इच्छुक व्यक्तियों से उनके आवेदन पत्र भरवाकर व योजना का परीक्षण कर उसे कानपुर उद्योग निदेशालय से स्वीकृति दिलवाते हैं और तब लीड बैंक से उद्योग की स्थापना को उचित ऋण की व्यवस्था करवाते हैं।

स्टेट बैंक के अनुबन्धों के कारण प्रायः ऋण मिलने में कठिनाई होती है अथवा ऋण मिलने में विलम्ब होता है या प्राविधिक कठिनाई के कारण ऋण नहीं मिल पाता जिससे कुछ व्यक्ति उत्साह खो बैठते हैं। यह उचित होगा कि इच्छुक व्यक्तियों को सुगमता से ऋण मिल सके और वे अपने स्वतः उद्योग स्थापित कर सकें।

जनपद में अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में उद्योग स्थापित नहीं हुये हैं कि श्रमिकों के कल्याण(welfare) की कोई समस्या उठे। बिरौली मैगनासाइड कारखाने में पिछले वर्ष कुछ असंतोष फैला था पर शीघ्र ही उचित समाधान हो गया। बिरौली में मैगनासाइड फैक्ट्री के श्रमिकों के कल्याण का श्रम कानूनों के अन्तर्गत उचित प्रविधान है फिर भी पिछले वर्ष कुछ श्रमिकों ने अधिक वेतन माँग करके कुछ समय हड़ताल की थी परन्तु यह कोई असाधारण स्थिति नहीं है।

शीघ्र ही गोंडा में कृषि उद्योग निगम द्वारा कल पुर्जे बनाने की फैक्ट्री कार्य करने लगेगी तथा कुछ अन्य उद्योग भी जिले में स्थापित हो जायेंगे जिससे फलस्वरूप श्रमिकों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। इसके साथ-साथ श्रमिकों के कार्य करने के स्थान, आवास, वेतन और चिकित्सा के लिये समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी ताकि श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।

5(22) स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

<u>वर्तमान स्थिति</u>:- सन् 1961 व 1971 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की जनसंख्या निम्न प्रकार है जिसके अन्तर्गत 14 विकास क्षेत्र स्थित हैं:-

	1961	1971
(अ) ग्रामीण क्षेत्र——	5,25,599	6,[illegible],218
(ब) शहरी क्षेत्र —	27,244	39,112

इस समय जिले के अन्तर्गत 66 ग्रामीण चिकित्सालय और औषधालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला परिषद तथा आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक चिकित्सालयों सहित) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निम्न लिखित चार चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं:-

(1) हरगोविन्द पंत चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(2) विक्टर मोहन जोशी महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(3) नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत।
(4) महिला चिकित्सालय, बागेश्वर।

शहरी क्षेत्रों में ही निम्न लिखित विशेष रोगों से संबंधित चिकित्सालय भी स्थित हैं:-

(1) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(2) ,, ,, रानीखेत।
(3) कुष्ठ रोग केन्द्र, अल्मोड़ा।
(4) टी०बी० चिकित्सालय, अल्मोड़ा।

इन सभी ग्रामीण तथा शहरी चिकित्सालयों में शैय्याओं की कुल संख्या 767 है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्राविधान किया गया है तथा जनता को चिकित्सा सुविधा हेतु पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 4 ग्रामीण नये एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव हैं।

इस योजना काल में 20,000 तक की आबादी के लिये कम से कम 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5,000 की आबादी पर उसका एक उप केन्द्र खोलने की संस्तुति की जाती है तथा दीर्घकालीन योजना काल में 2 हजार से 5 हजार तक की आबादी के लिये एक उप केन्द्र खोलने का प्राविधान किया जाना चाहिये।

जन स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये दीर्घकालीन योजना काल में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों एवं साज-सज्जा आदि की भी व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी इलाज हेतु ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकों की भी नियुक्ति करने का प्राविधान रखा जाये जिन्हें 4 से 6 माह का प्रशिक्षण देकर ग्राम में नियुक्त किया जाय। साथ ही साथ उन्हें दवा आदि क्रय करने के लिये 2,000 रू० स्वीकृत किया जाय ताकि वे उक्त धनराशि से दवा खरीद कर ग्रामीण जनता का उचित उपचार कर सकें।

दो शहरी परिवार नियोजन केन्द्र (अल्मोड़ा तथा रानीखेत) स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक विकास खण्ड पर एक-एक उप केन्द्र भी है।

<u>स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन-</u> चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में जिले में पंचायत सहित 56 चिकित्सालय एवं औषधालय थे। वर्ष 73-74 के अन्त में कुल 71 चिकित्सालय एवं औषधालय इस जनपद के अन्तर्गत रह गये जिनमें 767 शैयायें हैं। एक क्षय रोग कक्ष तथा दो नेत्र चिकित्सालय भी कार्यरत हैं। एक कुष्ठगृह का भी निर्माण किया जाना आवश्यक है।

जब से चेचक व मलेरिया उन्मूलन चलाया गया तब से इन रोगों का प्रकोप बहुत ही कम हो गया। कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिये जनपद में 5 सर्वे एसटेन ट्रीटिंग यूनिट कार्य कर रही हैं। फाइलेरिया रोग से मुक्त होने के लिये आयोडाइड नमक वितरण की योजना प्रगति पर है। नेत्र चिकित्सा के लिये सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की दो शाखायें इस जनपद में कार्यरत हैं। एक क्षय रोग निवारण केन्द्र (टी0बी0 क्लिनिक) भी कार्यरत है। कीटाणुओं के फैलाव को रोकने सम्बन्धी कोई भी जनपद में नहीं की गई है।

<u>चालू योजनाओं का मूल्यांकनः-</u> इस जनपद में 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा प्रत्येक केन्द्र पर कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

1- मेडिकल आफिसर इन्चार्ज — 1
2- कम्पाउण्डर — 1
3- वार्ड बॉय — 1
4- स्वीपर कम चौकीदार — 1
5- स्वास्थ्य निरीक्षक — 1
6- हेल्थ विजिटर — 2
7- पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर — 6

कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुये दो मेडिकल आफिसर एक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त किया जाना चाहिये। चूंकि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास खण्ड की पूर्ण जनसंख्या की सेवा के लिये अपर्याप्त है। अतः प्रत्येक 20 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिये।

जिला परिषद के अधिकांश औषधालयों में चिकित्साधिकारी नहीं रहते हैं क्योंकि उनका वेतन कम है। अतः यह आवश्यक है कि वेतन मान बढ़ा कर एक स्तर पर होना चाहिये ताकि किसी भी औषधालय पर चिकित्साधिकारी की कमी न होने पाये। आशा है कि प्रत्येक डिस्पेन्सरी के लिये एक वर्ष के अन्दर चिकित्साधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे।

परिवार नियोजन के क्षेत्र में पिछले वर्षों की प्रगति सामान्य रही है। वर्ष 1972-73 में विशाल परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन अल्मोड़ा, रानीखेत तथा बागेश्वर में किया गया। चूंकि इन शिविरों में नसबन्दी के लिये विशेष सुविधायें दी गई थीं। इससे डेढ़ माह की शिविर अवधि में 3,667 आपरेशन किये गये थे जो सामान्य प्रगति से छः गुने थे।

1968-69			1969-70			1970-71		
नसबन्दी	लूप	कण्डोम वितरण (रु०)	नसबन्दी	लूप	कण्डोम वितरण (रु०)	नसबन्दी	लूप	कण्डोम वितरण (रु०)
1665	675	-	738	364	1931	563	320	3520

नसबन्दी, बन्ध्याकरण तथा लूप लगाने के लिये जो लोग उपयुक्त हैं उन्हें प्रोत्साहित करने में निम्न कठिनाईयाँ हो रही हैः-

1- उन व्यक्तियों द्वारा विपरीत प्रचार जिनका आपरेशन पूर्णतया सफल नहीं हुआ।

2- लोगों में इन्सेन्टिव बढ़ाने की माँग।

दीर्घकालीन परिप्रेक्षः- इस समय प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 से 60 हजार तक की आबादी तक के लिये ही उपलब्ध है। जिले में इनका अनुपात 43 हजार व्यक्तियों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आता है। योजना का जो प्रारूप तैयार करना है उसमें 20 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना तथा उसमें 4 उपकेन्द्र होने चाहिये।

इस प्रकार इस जनपद में कुल 16 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 48 उप केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिये। यह कहना अनुचित न होगा कि सभी नये एवं पुराने प्राथमिक केन्द्र एवं उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाये क्योंकि जनपद में उचित भवन चिकित्सालय/उपलब्ध नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खंड में मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक एक्स-रे, दन्त सेवा तथा महिला चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इनका भी प्राविधान रखा जाये। जो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे उनमें लेबोरेटरी का भी प्राविधान आवश्यक होगा।

जनपद से श्री बद्रीनाथ-धाम पैदल यात्रा मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस यात्रा मार्ग में आवश्यक बाजारों में काफी गन्दगी रहती है, जिसके कारण आये दिन संक्रामक रोग फैलने का भय रहता है। इस यात्रा मार्ग को सुव्यवस्थित करके निम्न स्थानों में एक एक पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालय, 4 सीटों को बनवाने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

(1) पनुवानौला (2) लोदुड़िया (3) महाकालेश्वर (4) द्वाराहाट (5) मकड़ा गाँव (6) गजवाली (7) मासी (8) भिकियासैन (9) घाटी (10) भतरोजखान (11) पनुवाधोखान।

इसके अतिरिक्त पिण्डारी-ग्लेशियर मार्ग पर भी निम्न स्थानों पर 4 सीटों के पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालय बनाये जायें।

(1) जोलेश्वर (2) कौसानी (3) बैजनाथ (4) बागेश्वर (5) कपकोट (6) लोहारखेत (7) खाती (8) द्वाली तथा (9) फुरकिया।

<u>श्री बद्रीनाथ यात्रा लाइन तथा पिन्डारी ग्लेशियर पर्यटक मार्गः-</u> यह यात्रा लाइन पनुवानौला से प्रारंभ होती है तथा इसकी एक शाखा रामनगर तथा दूसरी शाखा हल्द्वानी से मिलन होती है तथा कौसानी, बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट, द्वाली,

खाती, धाकुड़ी एवं फुरकिया होते हुये पिन्डारी ग्लेशियर तक जाती है।

उपरोक्त यात्रा मार्गों में सीजन के समय यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक चिकित्सा इकाईयों की अति आवश्यकता है। इसके लिये दो मार्गों हेतु दो युनिटों की आवश्यकता है(बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से चौखुटिया और पिन्डारी ग्लेशियर मार्ग पर व दाली पर)इन चल इकाईयों के लिए निम्न कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।

(1) चिकित्साधिकारी (2)

(2) स्वच्छता निरीक्षक (2)

(3) स्वीपर (4)

<u>वर्तमान आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में सुधार</u>:- वर्तमान आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में साज-सज्जा तथा उपकरण आदि के लिये 3 हजार रूपया प्रति औषधालय स्वीकृति किया जाय तथा वर्तमान औषधालय 4 शैययओं युक्त किया जाय और औषधि के मद में 2 हजार रूपया प्रति औषधालय का प्राविधान रखा जाय।

मुख्यालय पर 25 शैय्या युक्त आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की जावे।

विशेष चिकित्सा हेतु एक आरोग्य केन्द्र की स्थापना जनपद में की जावे।

<u>स्टेट फार्मेसी की शाखा की स्थापना</u> :- इस निर्माण शाला की शाखा की स्थापना रानीखेत में कोअपरेटिव ड्रग फैक्टरी के साथ ही खोल दी जाय।

<u>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (परिवार नियोजन सहित) का योजना काल का परिव्यय/व्यय निम्न प्रकार है :-</u>

(लाख रु0 में)

	पाँचवी योजना का परिव्यय	1974-75 परिव्यय	1974-75 व्यय	1975-76 परिव्यय
राज्य आयोजनागत	34-81	5-11	3-60	5-87
केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	100-21	16-16	11-70	13-71
योग:-	135-02	21-27	15-30	19-58

5(23) आहार

खाद्यान्न की कमी के साथ साथ यह निर्विवाद है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का आहार असंतुलित है और उतना पौष्टिक नही है जितना की इन दुर्गम भागों में कार्य करने वाले तथा रहने वाले लोगों का होना चाहिये। यदि आहार पौष्टिक हो तो मात्रा भी कम होगी और खाद्यान्न की कमी भी उतनी नही रहेगी जितनी कि अभी है।

ग्रामीण जनता का मुख्य आहार चावल, गेहूँ, मडुवा व मादिरा है। घी, दूध दही मास, मछली एवं अण्डों का उपयोग न्यून है फलस्वरूप से निवासी प्रोटीन आहार से वंचित रहते है। तरकारी व फलों के कम उपयोग से इन्हें विटामिन भी नही मिल पाते जिस कारण शरीर दुर्बल पड़ जाता है और संक्रामक रोगों का प्रकोप हो जाता है। यहाँ दालों का उत्पादन भी सीमित है जिससे कुछ अन्य पौष्टिक तत्वों से यहाँ के निवासियो को वंचित रहना पड़ता है।

पहाडी नदियों में मत्स्य उत्पादन की कोई योजना नही है और न जनपद में कोई ऐसे जलाशय ही है जहाँ मत्स्य पालन किया जा सके। दिनभार भी मेहनत से यदि कोई व्यक्ति नदियों से मछलियाँ इकटठा भी करे तो यह भी एक दो परिवारों के लिये भी पर्याप्त होती है।

चारे की कमी तथा घटिया किस्म के मवेशी होने के कारण प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकतानुसार दुग्ध उत्पादन नही कर सकता है। जब तक स्थानीय गाय/भैंसों को उन्नत दुधारू गाय, भैंसों से न बदल दिया जावे तब तक श्वेत क्रान्ति सम्भव नही है। भारत- जर्मन परियोजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम अपनाया जा रहा है परन्तु जबतक इसका सारे जनपद में विस्तार कर इसे व्यापक रूप न दिया जावेगा तब तक प्रगति संतोषप्रद नहीं कही जा सकेगी। फलोधान विकास, सब्जी व सोयाबीन क्षेत्र के विस्तार के बाद स्थानीय जनता को आवश्यकता के अनुरूप प्रोटीन व विटामिनयुक्त आहार मिलना सम्भव हो सकेगा।

पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ष में तीन विकास खण्ड चुने जाते है जहाँ शिशुओं और माताओं को कुछ सुविधा दी जाती है परन्तु जबतक यह योजना उस विकास खण्ड में पूर्ण रूप से विकसित होने को आती है तब वह विकास खण्ड इस योजना के आधीन नहीं रह जाता और इसका उतना लाभ नही होने पाता जितनी कि आशा की जाती है।

5(24) पेयजल व्यवस्था

पेयजल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सारा पर्वतीय क्षेत्र ही अभावग्रस्त क्षेत्र में आता है एवं अन्य पर्वतीय जनपदों की भांति अल्मोडा जनपद में भी पेयजल पेयजल का अभाव है। यह अभाव सामान्यतया ग्रामों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सम्पूर्ण ग्रामीण जनता के पेयजल के स्रोत आरक्षित हैं एवं उनकी अन्यत्र प्राप्ति कठिन है। ग्रामीण जनता द्वारा इन अपर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल स्रोतों से प्रयोग किया जाने वाला जल अधिकतर दूषित होता है एवं इसका परिणाम पानी के फैलने वाली बिमारियों के रूप में सामने आता है अतः ग्रामीण जनजीवन शुध्द एवं पर्याप्त पेयजल के अभाव में कठिन एवं कष्ट प्रद हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जबकि स्थानीय स्रोतों का स्राव बहुत कम एवं कभी-कभी लुप्त प्रायः हो जाता है, ग्रामवासियों को पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूर-दूर एवं सैकड़ों फिट की ऊँचाई या नीचाई पार करनी होती है।

जनपद का कुल क्षेत्रफल 5,46,097 हैक्टेयर है। कुल 2,967 आबाद ग्राम है जिनकी कुल जनसंख्या 6,08,218 है। इन ग्रामों में से स्वा०शा०अभि०विभाग की ओर से वर्ष 1973-74 के अन्त तक 262 ग्राम जिनकी कुल जनसंख्या 60,604 है ही पेयजल से लाभान्वित हो पाए है। इस प्रकार अभी 2705 ग्रामों में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल प्रबन्ध करना है। इन 2705 ग्रामों में से 1300 ग्राम अभाव ग्रस्त माने जा चुके है।

शासन द्वारा पेयजल की व्यवस्था को भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार ऐसे सभी ग्राम जिनके पेयजल के स्रोत 0-8 की०मी० से दूर या 150 मीटर ऊँचाई या नीचाई से अधिक है, अभाव ग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में लिये गये है एवं इन सभी ग्रामों के पेयजल के क्षेत्र में 100 प्रतिशत व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु पंचम पंच वर्षीय योजना काल में धनाभाव के कारण उपरोक्त 1300 ग्रामों में से केवल 250 ग्रामों को पेयजल सुविधा प्राप्त करवाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष ग्रामों को यह सुविधा दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकेगी।

ग्रामों में वर्षवार पेयजल व्यवस्था हेतु प्राथमिकता सूची बनाते समय उनमें पेयजल की समस्या के रूप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आधार पर सभी ग्रामों को निम्न श्रेणियों में बाटा जा सकता है:-

1- अभावग्रस्त ग्राम-

(अ) जिनके स्रोत 2 कि०मी० से 2-5 की०मी० या अधिक दूरी पर या 400 से 500 मीटर तक या अधिक ऊँचाई या अधिक नीचाई पर स्थित है ।

(ब) जिनके स्रोत 1-5 कि०मी० से 2 कि०मी० या 300 मीटरसे 400 मीटर की ऊँचाई या नीचाई पर स्थित है।

(स) जिनके स्रोत 1 कि०मी० से 1-5 कि०मी० की दूरी पर या 200

में 300 मीटर की ऊंचाई या नीचाई पर स्थित है।

2-ऐसे ग्राम जो उपरोक्तानुसार अभाव ग्रस्त नहीं है।

3-इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी है कि वर्षवार कार्यक्रम बनाते समय जहाँ तक सम्भव एवं क्रियाशील हो ग्राम की आवश्यकता, अभाव की तीव्रता एवं जल की स्वच्छता को ध्यान में रखा जावे।

<u>काल योजनाओं का मूल्यांकनः</u>- अब तक पेयजल योजनाओं की उपलब्धि नगण्य ही है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक भी इन योजनाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि 2967 ग्रामों में से लगभग केवल 1667 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध है। पहिले से पेयजल योजनाओं का निर्माण नियोजन विभाग द्वारा किया जाता था। उस समय बनी कई योजनायें उचित रख-रखाव के अभाव में एवं जल स्रोत के विवाद ग्रस्त होने के फलस्वरूप अब ध्वस्त हो चुकी है अथवा कार्यशील नहीं है। इन पेयजल योजनाओं के सफल होने में क्याऊं वाटर रूल्स बाधक है। इन रूलों में आमूल परिवर्तन शासन के विचाराधीन है। इस परिवर्तन के बाद बनी योजनायें अथवा भविष्य में बनने वाली योजनायें अधिक लाभदायक सिध्द होंगी।

चतुर्थ योजना काल से स्वायत्त शासन अभियंन्त्रण विभाग जनपद की इन योजनाओं का निर्माण करता है। क्षेत्र समितियों की संस्तुति पर जिला परिषद पेयजल योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित कर उक्त विभाग के पास भेजता है जो पानी के स्राव, उपयुक्तता व विवाद के आधार पर इसका सर्वेक्षण करवाता है और तब योजनाओं का निर्माण सम्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप चतुर्थ योजना काल से स्वायत्त शासन अभियंन्त्रण विभाग जनपद की इन योजनाओं का निर्माण करता है। क्षेत्र समितियों की संस्तुति पर जिला परिषद पेयजल योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित कर उक्त विभाग के पास भेजता है जो पानी के स्राव, उपयुक्तता व विवादों के आधार पर इनका सर्वेक्षण करवाता है और तब योजनाओं को निर्माण सम्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप कभी निम्न प्राथमिकता की योजना (पहले पूरी होजाती हैं और उच्च प्राथमिकता की योजना) कार्यान्वित नहीं होती जिससे असंतोष/विफलता है। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं को ग्राम सभाओं को सौंप देने पर उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे पूर्ण लाभ नहीं हो पाता। ग्राम सभाओं से जल कर लेकर इन योजनाओं के रख-रखाव के सुझावों पर कोई ठोस कार्य न हो पाने से अभी यह समस्या बनी है। यदि स्वा०शा०अभियंन्त्रण विभाग की इन योजनाओं का रख-रखाव अपने पास ही रखे तो भी जल कर से आवश्यक रूपया एकत्रित कर देख-रेख सम्भव हो सकेगी।

<u>दीर्घकालीन पर्यप्रेक्षः</u>- जैसा कि ऊपर वर्णित है अभी तक बहुत कम पेयजल योजनाओं का ही कार्यान्वयन हो पाया है। सभी ग्रामों को तुरन्त पेयजल प्रदान करने की आवश्यकता पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि यह सर्वविदित ही है कि समस्या सभी जगह एक ही प्रकार नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि सभी अभावग्रस्त ग्रामों को पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक स्वच्छ पेयजल प्रदान कर दिया जावे।

जनपद के सभी 1300 अभावग्रस्त गाँवों में पाईप द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचने के कार्यक्रम धनाभाव के कारण सम्भवतः पंचम पंच वर्षीय काल में पूर्ण न किये जा सके। इस कारण योजना के अन्त में बचे अभाव ग्रस्त ग्रामों को दीर्घकालीन योजना काल में यह सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव होगा। अभी तक साधारणतया छोटी-छोटी पेयजल योजना बनती रही जिस कारण जहाँ धन अधिक व्यय होता था वहाँ लाभान्वित ग्रामों की संख्या कम रहती थी। चतुर्थ पंच वर्षीय-योजना के अन्तिम चरणों में दो बड़ी योजनायें नैथानादेवी तथा रानीखेत-ताडीखेत पेयजल योजनाओं का शुभारम्भ हुआ जिसके पूर्ण होने पर प्रायः 157 गाँवों तथा रानीखेत कटक पालीका को पानी मिलने लगेगा। यदि जनपद में इसी प्रकार की बड़ी योजनायें ली जावेगी तो एक ही श्रोत अथवा पम्पिंग स्टेशन से कई ग्राम लाभान्वित हो सकेंगे।

जल सम्पूर्ति योजनाओं का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)

क्रमांक	विवरण	1960-61	1965-66	1968-69	1971-72
1-(क)	ग्रामों की कुल संख्या	3139	3139	3139	3139
(ख)	ग्रामों की कुल जनसंख्या	525599	570275	592706	610000 (प्रोक्षप्त)
2-(क)	पेयजल लाभान्वित ग्रामों की संख्या	-	-	7	167
(ख)	पेयजल से लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या	-	-	3137	40419
3-(क)	शहरों की कुल संख्या	2	2	2	3
(ख)	शहरों की कुल जनसंख्या	27244	32000	33399	40000 (प्रोक्षप्त)
4-(क)	पेयजल द्वारा लाभान्वित शहरों की संख्या	-	1	2	2
(ख)	पेयजल द्वारा लाभान्वित शहरों की जनसंख्या	-	19000	33399	39919

क्रमांक	विवरण	1972-73	1973-74	1978-79	1983-84
1-(क)	ग्रामों की कुल संख्या	3139	3139	3139	3139
(ख)	ग्रामों की कुल जनसंख्या	627000	636000	684000	739000 (प्रोक्ष
2-(क)	पेयजल लाभान्वित ग्रामों की संख्या	201	262	762	2962
(ख)	पेयजल से लाभान्वित ग्रामों जन संख्या	48419	60604	185000	700000

क्रमांक	विवरण	1972-73	1973-74	1978-79	1983-84
3- (क)	शहरों की कुल संख्या	3	3	3	3
(ख)	शहरों की कुल जनसंख्या	42,000	43,000	51,000	60,000 (प्रोक्षप्त)
4-(क)	पेयजल द्वारा लाभान्वित शहरों की संख्या	3	3	3	4
(ख)	पेयजल द्वारा लाभान्वित शहरों की जनसंख्या	42,000	43,000	51,000	60,000 (प्रोक्षप्त)

पेयजल योजनायें

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाख रु0में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5
1-	कपकोट ग्राम समूह -कपकोट			2-00
2-	जोशी ग्राम-ताकुला			1-25
3-	भनोली ग्राम समूह-धौलादेवी			30-00
4-	आगर नौला- चौखुटिया			0-50
5-	सीरी- कपकोट			0-50
6-	भवानीदेवी ग्राम समूह-भिकियासैण			30-00
7-	तापनीकोट-धौलादेवी			0-80
8-	तिमली ग्राम समूह -स्याल्दे			8-50
9-	बघरोटी ग्राम समूह -स्याल्दे			20-00
10-	रोटापानी-स्याल्दे			2-00
11-	छानागाँव-लमगड़ा			1-25
12-	डोटियाल बाजार-सल्ट			0-69
13-	कुनस्यारी-द्वाराहाट			0-80
14-	अनरियाकोट-लमगड़ा			0-40
15-	विजयपुर- बागेश्वर			0-60

1	2	3	4	5
16-	डोलियाबाँज-द्वाराहाट			2-50
17-	सरसौं- स्याल्दे			2-15
18-	जाली मुहाली			0-51
19-	गलम ग्राम समूह -			0-57
20-	बच धी			0-07
21-	लाकोट			0-51
22-	रिठाड़			0-42
23-	भूलगाँव			0-26
24-	देवतोला			0-96
25-	कीरखाल			0-92
26-	व दारसौं			0-64
27-	ठोराग्राम समूह			1-46
28-	मछेडा डोरकोट			2-30
29-	पेटशाल			4-24
30-	क्षाल डुगरा			1-25
31-	पत्यूँ			4-48
32-	वाले			5-32
33-	जैयन्ती			4-14
34-	चौरा ग्राम समूह			1-24
35-	अगासपुर			1-16
36-	पत्थारखोली			3-10
37-	स्चट स्वं डूगोली			2-03

पेयजल योजनायें - स्वा० शा० अभि० विभाग - रानीखेत

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य
(लाख रुपयों में)

क्रमांक	मद		इकाई	लाभान्वित होने वाले ग्राम	अवशेष धनराशि जिसका उपभोग वर्ष 1974-75 में किया जाना है।
1	2		3	4	5
1-	अन्नलोहार चौड़ा	-गरुड	संख्या	14	1-510
2-	गनीगाँव	,,	,,	-	0-370
3-	सुजाली	,,	,,	5	0-719
4-	तल्ली रियूनी	द्वाराहाट	,,	1	0-018
5-	वग्णीवाला	,,	,,	-	0-242
6-	पलेरगाँव	,,	,,	1	0-003
7-	असगोली	,,	,,	1	(-) 0-257
8-	विद्यापीठशोर	ताड़ीखेत	,,	4	0-718
9-	कड़ाकोट	,,	,,	-	0-165
10-	काड़गाँव	,,	,,	-	0-151
11-	कृषि विद्यालय के 26 ग्राम चौखुटिया		,,	6	3-874
12-	खारकीसुरना	चौखुटिया	,,	-	0-319
13-	आदिग्राम फुलोरिया	,,	,,	-	0-286
14-	असेटी	,,	,,	-	0-235
15-	दुवारकरमी	कपकोट	,,	-	0-303
16-	चिलकाना	,,	,,	-	0-096
17-	ग्वारमेलकोट	बागेश्वर	,,	-	0-010
18-	सिमकूना	,,	,,	-	0-114
19-	बागेश्वर नौटि० शरिया		,,	4	0-390
20-	नेवाना	सल्ट	,,	-	(-) 0-044
21-	गुलम	कपकोट	,,	1	0-057
22-	मूलगाँव	,,	,,	2	0-036
23-	उत्तरोड़ा	,,	,,	1	0-40
24-	वचचीगाँव	बागेश्वर	,,	1	0-73
25-	चौंरा	,,	,,	3	1-24

1	2	3	4	5
26- देवतोली	बागेश्वर	संख्या	4	0-96
27- देवलचौरा	,,	,,	1	0-49
28- लोबोट	भिकियासैण	,,	1	0-51
29- नैकाना (पुनरीक्षित) सल्ट		,,	13	4-65
30- पैसिया	,,	,,	3	0-31
31- रीठाड़	गरुड	,,	1	0-42
32- ऐचर उगोलो	,,	,,	6	2-03
33- वीरसाल	स्याल्दे	,,	2	0-93
34- आसपुर	,,	,,	3	1-16
35- पत्थारखोला	,,	,,	8	3-10
36- नहलगैर	,,	,,	1	0-25
37- कलसियारज्वार	,,	,,	2	0-64
38- चिचोन	,,	,,	1	0-83
39- ऐराड़ीविष्ट	,,	,,	1	0-82
40- कुमलेश्वर	,,	,,	2	0-99
41- कदारसौं	द्वाराहाट	,,	1	0-64
42- मल्ली रिग्नी	,,	,,	1	2-20
43- भाटोरा	,,	,,	1	0-80
44- नागर- चौखुटिया	चौखुटिया	,,	12	9-97

परियोजनावार परिव्यय (जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता)

(लाख रु० में)

परियोजना	पाँचवीं योजना	1974-75 परिव्यय	1974-75 व्यय	1975-76 परिव्यय
1	2	3	4	5
1- जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता	758-400	40-42	67-14	37-50
2- पेयजल (सामुदायिक विकास		0-50	0-50	0-60

5(25) आवास एवं नगरीय विकास

अभी तक जनपद में व्यक्तिगत आवास गृहों के तथा कुछ ऊँचे बंगलों व होटलों के अतिरिक्त आवास की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। चतुर्थ योजना काल में अल्मोड़ा में सरकारी कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण आरम्भ हो चुका है। शीघ्र ही स्थानान्तरित हो कर आने वाले सरकारी कर्मचारियों की यह कठिनाई दूर हो जायेगी। जिला परिषद ने, तथा लोक निर्माण विभाग व वन विभाग ने अपने विश्राम भवनों में पर्याप्त वृद्धि एवं सुधार किये हैं परन्तु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है।

अल्मोड़े में पर्यटक भवन के पंचम पंच वर्षीय योजना काल में निर्माण की आशा है। नगरपालिकाओं ने अस्वच्छ कार्य करने वालों की अभी तक आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की है। नगरपालिका के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिसमें यह जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर इन व्यक्तियों के आवास के लिये गृह निर्माण की योजना बना रही है।

नगरपालिका के कार्यालय में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप उनके पास अब उचित भवन नहीं है। अतः नगरपालिका 1.5 लाख रुपये का ऋण लेकर कार्यालय भवन व दुकानें बनाने का प्रस्ताव कर रही है। इसके साथ ही अल्मोड़ा नगर में एक 'विजिटेबल' मार्केट बनाने की व्यवस्था कर रही है। अल्मोड़े नगर में सभी बसों व ट्रकों के शहर की एक मात्र सड़क से चलने के कारण यहाँ स्थान की कमी हो रही थी। अब शीघ्र ही अल्मोड़ा बाई पास के पूर्ण होने पर समस्त अतिरिक्त बस व ट्रकें बिना शहर आये ही अन्यत्र जा सकेंगी।

नगरीय विकास के अन्य सुझाव निम्न प्रकार है :-

अल्मोड़ा नगर पालिका:-

(1) अल्मोड़ा नगरपालिका द्वारा सीवेज स्कीम, शौचालय, मुत्रालय एवं कूड़ादानों की व्यवस्था।

(2) शहर में उचित पेयजल व्यवस्था।

(3) शहर में आधुनिक छविगृह निर्माण, मार्गों एवं वाटिकाओं का सुन्दर बनाना। प्रमुख मार्गों में पेड़ लगाना, एवं सिमतोला में उप नगर निर्माण करना।

(4) नगर में सब विद्युत गृह का निर्माण।

(5) नगरपालिका द्वारा पुस्तकालय भवन निर्माण, संग्रहालय निर्माण नरसरी स्कूल निर्माण, नन्दा देवी में सार्वजनिक भवन निर्माण।

(6) नगर में प्रत्येक वार्ड में बाल वाटिका का लगाया जाना।

(7) नगर में स्टेडियम व स्केटिंग हाल का निर्माण।

(8) नगर में टाउन हाल, मलीन बस्तियों एवं कर्मचारियों के आवास गृहों का निर्माण।

(9) सिनतोला में पार्क का निर्माण।

(10) नगर में भिक्षुकों एवं वृद्धों के लिये आश्रय व्यवस्था तथा शरणालय गृह का निर्माण।

(11) नगर पालिका द्वारा नये बाजार, मीट मार्केट तथा सब्जी मार्केट का निर्माण।

(12) कोसी एवं सुआल नदी में बाँध योजना।

(13) नगर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था।

(14) कचहरी के निकट नई दो मंजिली बाजार का निर्माण।

(15) नगर में मोटर स्टेशन का निर्माण।

(16) सिनतोला उपनगर में एक होटल, एक पार्क तथा पर्यटकों के लिये 100 कॉटेज बनाना।

(17) सिनतोला से अल्मोड़ा तक रोप वेज का निर्माण।

(18) नगर के पूर्व और पश्चिमी मार्गों को जोड़ने हेतु एक लिंक रोड तथा चारों ओर आवागमन के लिये रिंग रोड निर्माण।

(19) एक शरणालय निर्माण, 12 आधुनिक शौचालय, 50 मूत्रालय 100 कूड़ेदानों की व्यवस्था करना।

(20) बजार देवी कालीमठ की ओर लाग-केबिन बनाना।

(21) नगरपालिका द्वारा पर्यटकों के लिये गाड़ी व्यवस्था करना।

(22) कूड़ा गाड़ी के लिये 50,000 रू० के ऋण की व्यवस्था की जा रही है।

<u>बागेश्वर नगरपालिका</u>

(1) 6 किलोमीटर नालियों, 8 कि०मी० सीवेज स्कीम, 60 शौचालय, 10 मूत्रालय एवं 30 मैले के गड्ढों का निर्माण तथा एक चिकित्सालय भवन का निर्माण।

(2) नगर में पानी के दो टैंक एवं 20 धारों का निर्माण।

(3) एक किलोमीटर बाढ़ नियंत्रण योजना।

(4) नगर में पर्यटक भवन का निर्माण तथा सराय निर्माण।

(5) नगर में विद्युत विस्तार 60 पोल्स लगाना।

(6) नगर में पुस्तकालय एवं वाचनालय, 3 प्राइमरी स्कूल, 2 जूनियर हाईस्कूल एक इन्टर कॉलेज तथा एक कन्या हाई स्कूल का निर्माण।

(7) नगर में व्यायाम शाला, क्रीडा स्थल तथा स्टेडियम का निर्माण।

(8) नगरपालिका द्वारा कार्यालय भवन, टॉल्सघार, स्वीपर क्वॉटर एवं ~~स्लाटर~~ स्लाटर हाउस का निर्माण।

(9) नगर में मीट मार्केट, सब्जी व मछली मार्केट का निर्माण।

(10) नगर में फायर ब्रिगेड की स्थापना करना।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये आवास निर्माण हेतु कुल 7.52 ला० रू० नगर ग्राम नियोजन वि० द्वारा व्यय करने के प्रस्ताव हैं जिससे 44 भवनों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन भवनों में अल्प आय, मध्यम आय तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी प्रकार के भवन सम्मिलित हैं।

5(26) पिछड़े वर्गो का उत्थान

वर्तमान परिस्थितिः- भारत वर्ष के स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षा, वर्गहीन व समाजवादी समाज स्थापित करने के लिये वचन वध्द है। सदियों से सताये गये अनुसूचित जाति, जनजाति की शोचनीय दशा किसी से छिपी नहीं थी। अतः यह परम आवश्यक समझा गया कि किसी भी समाज के सर्वांगीर्ण उन्नति के लिए उसके हर वर्ग को क्रियाशील व उपयोगी अंग बनाना तभी सम्भव है जबकि उस वर्ग को भी दूसरे वर्गो के भांति समाज में उचित स्थान मिले। केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता देना ही प्रजातंत्र में पर्याप्त नहीं है बल्कि उनको सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सुविधायें सुलभ कराके समानता के स्तर पर लाना भी अधिक आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर जिले के अनुसूचित तथा जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर को उठाने के लिये शासन ने विभिन्न योजनायें चालू की हैं तथा इन वर्गो के लिए ऐसी अनेक सुविधायें प्रदान की है जिससे यह वर्ग उन्नति की ओर अग्रसर हो कर समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके। सरकार द्वारा संचालित इन विभिन्न योजनाओं का संचालन जिला स्तर में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार सम्भावित छोड़ कर इस जिले की कुल जन संख्या 6,48,330 थी जिसमें से 1,20,461 अनुसूचित जाति के और 2429 अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति थे। अनुमान है कि 1979, 1984 तथा 1989 में क्रमशः अनुसूचित जाति के लोगो की जन संख्या 1,37,480, 1,49,166 तथा 1,61,865 हो जावेगी। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगामी योजनायें बनाई गई है। अनुसूचित जाति के लोगों में इस जिले में प्रमुख स्थान शिल्पकारों का है और कुछ संख्या में चमार, धोबी, बाल्मिकी आदि भी है। यह जातियाँ जिले के प्रायः सभी भागों में रहती है। अनुसूचित जन जातियों में इस जिले में केवल भोटिया लोग ही रहते है जो मुख्यरूप से विकास खण्ड कपकोट तथा बागेश्वर में बसे है। इसके कुछ परिवार विकास खण्ड ताकुला तथा हवालबाग में भी बसे है।

चूंकि यह जिला पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में फैला है और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की कमी है और वह भी अधिकांश सवर्ण व्यक्तियों के स्वामित्व में है। इससे यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगो के लिए भूमि की समस्या और भी जटिल है। यद्यपि अनुसूचित जाति के सदस्यों के पास बहुत थोडी मात्रा में अपनी भूमि है किन्तु इसमें उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है। फलतः वे लोग आस पास के गाँवों में शिल्पकला कार्य जैसे लोहारगिरी, सिलाई, बढईगिरी, अर्टीजन कार्य, टोकरी बनाना आदि से अपने परिवार का भरण पोषण करते है। जनजाति के लोगों के पास अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षा स्वंय कृषि योग्य भूमि कुछ अधिक है। कृषि के साथ साथ ये लोग ऊनी कारोबार, स्वेटर बिनना, ऊन कातना, थुल्में बनाना, ऊनी कपडे बिनना, गलीचे बनाना तथा चटाई बनाना आदि भी औद्योगिक स्तर पर करते

है। इस प्रकार जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक स्तर अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षा कुछ अच्छा है। सदियों से इन लोगों के व्यवसाय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। पहिले से तिब्बत से व्यापार सम्बन्ध होने के कारण ऊन का पर्याप्त व्यापार होता था परन्तु अब तिब्बती सीमायें बन्द हो जाने से यह व्यापार शिथिल पड़ गया है।

<u>पिछड़े हुए समुदाय की समस्यायें</u> :- अनुसूचित जातियों की जिले में जनसंख्या 1,43,694 है तथा जन जातियों की संख्या 2,066 है जिसमें केवल भोटिया लोग ही आते है। अनुसूचित जाति के लोगों में सबसे अधिक शिल्पकार है। कृषि भूमि की कमी के कारण आर्थिक समस्या इन जातियों के लोगों के लिये और भी जटिल है। इन्हें पेयजल तथा रहने के मकानों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए पेयजल गृह निर्माण तथा कुटरी उद्योग व कृषि विकास के लिये प्राविधान रखा जाना आवश्यक है। वर्तमान योजना में अल्मोड़ा में एक छात्रावास भवन का निर्माण और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना का सुझाव रखा गया है। इन जनजातियों व अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शुल्क मुक्ति, छात्रवृति तथा पुस्तक सहायता दी जाती है। चूंकि शिक्षा विभाग की छात्रवृतियों की सीमा प्रतिवर्ष उसी स्तर पर कई वर्षों तक एक ही सीमा में बनी रहती है इससे प्रत्येक विद्यार्थियों को छात्रवृति देना कठिन होता है। अतः आगामी वर्षों में छात्रों की सम्भावित वृध्दि को ध्यान में रख कर छात्रवृतियों को बढाने का सुझाव है। वर्तमान समय में जिले में केवल दो सुपरवाइजरों के पद स्वीकृत है। जिन्हें केवल निर्धारित यात्रा भत्ता मिलता है जिस कारण जिले की समस्त योजनाओं की देखरेख व कार्यान्वयन में कठिनाई होती है अतः सुझाव है कि दो विकास खण्डों में एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाये और उनको नियमित यात्रा भत्ता दिया जावे।

<u>चालू योजनाओं का मूल्यांकन</u>:- अभी तक इस जिले में इन जातियों के शैक्षिक, व्यवसायिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। रूढ़ीगत उद्योगों के सुधार व उत्थान की ओर इनका ध्यान अभी नही गया है जिसका प्रमुख कारण इनकी आर्थिक दशा कमजोर होना है।

सामान्यतया सहकारी क्षेत्रों की सुविधाओं से इन जातियों के लोगों को विशेष लाभ नही मिल पाया है क्योंकि इनकी आर्थिक परिस्थिति सामान्य जनता की अपेक्षा कमजोर होने से ये लोग इस प्रकार की सुविधाओं से सामान्य नियमों का प्रतिपालन नही कर पाते। पंचायती राज संस्थाओं में इन जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त है है किन्तु सहकारिता विभाग के संस्थाओं में इस प्रकार का कोई आरक्षण का प्राविधान नही है। चूंकि इन जातियों के पास अपनी भूमि की कमी है, अतः इस समस्या का समाधान करने के लिये यह उचित होगा कि सरकार द्वारा भविष्य में जो भूमि आवंटित की जाय उसका 50प्रतिशत भाग इन जातियों को दिया जाय। सरकार द्वारा इस जिले में जमींदारी कानून लागू होने से इस जाति के लोगों को सामान्य भूमि का यथोचित लाभ मिल सकता है। वन सम्पदा का पूरा लाभ इन लोगों को देने के लिए आवश्यक है कि इनको इनके विपणन के समय प्राथमिकता दी

जाय और जमानत की धनराशि भी कम की जाय।

अभी तक हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के लिए पेयजल योजनायें निर्मित की जाती है। इन जनजातियों के गांवों में अच्छी पेयजल सुविधा देने के लिए यह उचित होगा कि 100 जनसंख्या की अधिक आबादी वाले गावों में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा यह पेयजल योजनायें निर्मित कराई जाँय और ग्राम के अन्दर भी छोटी योजनाओं को हरिजन कल्याण विभाग से निर्मित कराया जाय। इन लोगों के विकास के लिये यह भी उचित होगा कि इन्हें विभिन्न प्रकार की ऋणों की सुविधायें सरल नियमों के आधीन उपलब्ध कराई जाँय। आर्थिक दशा कमजोर होने से इन लोगों को विभिन्न मामलों में कानूनी सलाह की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाय।

इन जातियों के उत्थान के लिए आगामी वर्षों की जो योजना जिला स्तर से बनाई गई है उसमें उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और प्रयत्न किया गया है कि इन जातियों का स्तर अन्य क्षेत्रों में ऊँचा हो सके। इसके लिए जो प्रमुख बातें ध्यान में रखी गई हैं उनमें अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधा कुटीर उद्योग अनुदान, भवन निर्माण अनुदान, व पेयजल हेतु अनुदान और कृषि विकास आदि योजनायें हों।

हरिजनों की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा चालू योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिये जिले में नियुक्त दो सुपरवाइजर कार्य करते है जिन्हें माह में निर्धारित यात्रा भत्ता ही देय होता है। इस कारण ये लोग सम्पूर्ण कार्यों की देख भाल नही कर पाते। अतः इनकी संख्या बढ़ाना और उचित यात्रा भत्ता का प्राविधान करना आवश्यक है।

<u>पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम</u> - अल्मोडा जनपद का प्रमुख शिक्षा केन्द्र है। यहाँ पर 9 शिक्षण संस्थायें छात्रों के लिए चल रही है, किन्तु यहाँ पर कोई विभागीय छात्रावास न होने से अनुसूचित जाति तथा जन जाति के छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा उनको व्यय भी अधिक करना होता है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा में छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता है जिसको विभाग ही संचालित करता रहेगा।

इस जिले के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह प्राइमरी शिक्षा भी अपने बच्चों को कठिनाई से दे सकते है। ऐसी दशा में इस जिले में एक आश्रम पध्दति विधालय को शीघ्र खोला जाना नितान्त आवश्यक समझा गया और उसका प्राविधान भी प्रस्तावित योजना में रखा गया है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक मात्र उपाय यही है कि उनके दस्तकारी जैसे सिलाई, बढ़ईगीरी, लोहारगिरी, ऊनी कपड़ों की बनाई आदि के क्षेत्रों में अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतया सभी जगह पेयजल की कठिनाई है। इन जातियों की तो यह समस्या और भी विकट है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये लोग अपने स्वयं के साधनों से इसका समाधान नहीं कर पाते।

भवन निर्माण की कठिनाईयों को आंशिक रूप से दूर करने के लिये प्रस्तावित योजना में प्राविधान किया गया है। वर्तमान में केवल नये भवनों के निर्माण के लिये ही अनुदान दिये जाने का प्राविधान है लेकिन बहुत से हरिजन तथा जनजाति के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपने स्वयं के मकान तो है किन्तु वह जीर्ण अवस्था में पड़े हैं। अतः ऐसे प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है जिनमें कि जीर्ण मकानों की मरम्मत के लिये भी अनुदान दिया जा सके।

जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास जीविकोपार्जन के लिये अपनी स्वयं की कृषि-योग्य भूमि उपलब्ध है किन्तु इनकी भी आर्थिक दशा कमजोर होने तथा भूमि से केवल परिवार की गुजर के लायक ही अन्न उपलब्ध होने से ये लोग अपनी कृषि योग्य भूमि का अधिक विकास नहीं कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति के बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है और ये लोग अन्य लोगों के टूटे-फूटे मकानों में रहते हैं तथा मजदूरी आदि करके अपना पोषण करते हैं। ऐसे लोगों को आवास की प्राथमिक सुविधा प्रदान करने के विचार से प्रस्तावित योजना में भवन निर्माण के लिये स्थान खरीदने के लिये भी प्राविधान रखा गया है।

हरिजन कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को दशमोत्तर पूर्व तथा दशमोत्तर कक्षाओं में यथाचित छात्रवृत्तियाँ और अनावृत्तियाँ सहायता की धनराशि स्वीकार की जाती है जिन्हें खजाने से निकालने और उनका भुगतान छात्रों में करने का अधिकार संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को होता है किन्तु अधिकांश विद्यालय दूर क्षेत्रों में स्थित रहने और बहुत से विद्यालयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रधानाचार्य छात्रवृत्तियों की धनराशि का भुगतान छात्रों को प्रतिमाह नहीं कर पाते जिससे छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है तथा छात्रों को असुविधा होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिये यह पद्धति अपनाई जा सकती है कि जिले में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करदी जाय तथा छात्रवृत्तियों की धनराशि का भुगतान मनीआर्डर द्वारा सीधे उक्त कार्यालय से ही किया जावे।

<u>दीर्घकालीन योजना में विकास कार्यक्रम:-</u>

<u>शैक्षिक सुविधा-</u> उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 6 तक के सभी जातियों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान कर रखी है किन्तु अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के लोगों को कक्षा 7 व उससे आगे भी स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों तक की सभी शिक्षा निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार गैर सरकारी विद्यालयों को जो हानि होती है उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की

जाती है इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप में छात्रों तथा उनके अभिभावकों को मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी वर्षों में छात्रों की 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रख कर योजना बनाई गई है।

छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान कर देने मात्र से इनका शैक्षिक स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। अतः सरकार ने कक्षा 10 तक कुछ निर्धारित संख्या में 250 रुपया मासिक आय तक और दशमोत्तर कक्षाओं में सभी छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 400 रुपये तक है, को छात्रवृत्ति देने की सुविधा प्रदान कर रखी है। कक्षा 10 तक की दी जाने वाली छात्रवृत्ति केवल 30 प्रतिशत छात्रों को ही मिल पाती है जिसके वास्तव में कुछ गरीब छात्र इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः भविष्य के लिये जो योजना बनाई गई है उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि 45 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले और 150 रुपये मासिक से कम आय वाले सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा पूर्व दशम कक्षाओं में दी जाय। इन जातियों के छात्रों का शिक्षा स्तर ऊँचा उठाने के विचार से भारतसरकार द्वारा पुरनिर्धारित दशमोत्तर कक्षा में यह प्राविधान भी किया गया है कि किसी भी बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डेढ़ गुनी दर से छात्रवृत्ति दी जायेगी।

शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत जो तीसरी सुविधा इन जातियों के छात्रों को उपलब्ध है वह है निःशुल्क छात्रावास की सुविधा। यद्यपि वर्तमान में यह सुविधा केवल अल्मोड़ा नगर में ही उपलब्ध है किन्तु आगामी वर्षों में रानीखेत तथा बागेश्वर में एक एक छात्रावास की स्थापना हेतु संस्तुति की जाती है।

अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विकास के लिये विकास खण्ड कपकोट में एक आश्रम पद्धति स्कूल खोलना है क्योंकि जनजाति के करीब 80 प्रतिशत लोग इसी विकास खण्ड में रहते हैं। इस विद्यालय का आकार प्रारम्भ में एक प्राइमरी विद्यालय का होगा जो शनैः शनैः जूनियर हाई स्कूल और फिर हाईस्कूल में परिणित हो जायेगा।

<u>आर्थिक विकास संबंधी सुविधा</u>- इस योजना के अन्तर्गत इन जातियों को उनके कुटीर उद्योगों के विकास तथा स्थापना और कृषि विकास के लिये 500 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान दिया जाता है। जिले की अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय शिल्पकला ही है जो कि एक कुटीर उद्योग के रूप में अधिकांश परिवारों में प्रचलित है। इन लोगों के पास कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये विभिन्न कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना आवश्यक है।

<u>स्वास्थ्य एवं आवास संबंधी सुविधायें</u>- इस योजना के अन्तर्गत इन जातियों के लोगों को पेयजल सुविधा तथा मकान बनाने की सुविधा प्रदान की जाती है। यद्यपि विगत वर्षों में भी इन मदों में कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी किन्तु इस जिले की जनसंख्या तथा इन लोगों की आर्थिक दशा को देखते हुये बहुत कम रही है। यह दोनों ही समस्यायें इन जातियों के लोगों के लिये विकट हैं जिनहें

राज्यस्तर से हल किया जाना है। भवन निर्माण अनुदान हेतु केवल 182 हजार रुपया तथा पेयजल योजनाओं में भी 21,000रु० सरकारी अनुदान का प्राविधान है जो कि वर्तमान महंगाई के समय में बहुत कम है।

भवन निर्माण के मद में अनुदान देने के अतिरिक्त वर्ष 1971-72 के 3-5 प्रतिशत ब्याज की दर से कर्ज देने की एक नई योजना भी विभाग द्वारा आरम्भ की गई है। आशा है भविष्य में इस योजना से अनुसूचित जाति के अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उन अनुसूचित जाति के लोगों को होगा जो अपने नीजी श्रोतों से एक साथ धन नहीं लगा सकते परन्तु उनकी आमदनी इतनी है कि वे पूरे मकान की कीमत को धीरे-धीरे अदा कर सकते हैं।

अस्वच्छ पेशों में लगे अनुसूचित जाति के लोगों के पास मकान बनाने के लिये अपने नीजी भूमि की कमी है। अतः ऐसे अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय व्यवस्था सुलभ कराने के लिये इन लोगों को भवन स्थल खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

<u>राज्य सरकार के विचारणीय प्रश्नः-</u> यह आवश्यक है कि इन जातियों के दशमोपूर्व कक्षाओं के 200रु० मासिक आय वाले सभी छात्रों को और दशमोत्तर कक्षाओं के 400रु मासिक आय वाले सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्तियों का भुगतान मनीआर्डर द्वारा सीधे जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के के कार्यालय से किया जाय। क्योंकि जिला विद्यालयों के प्रधानाचार्य इन छात्रवृतियों का भुगतान छात्रों को समय पर नहीं कर पाते हैं। इसके लिये यह भी आवश्यक हो कि इस कार्य के लिये निम्नांकित कर्मचारी भी दिये जायँः-

(1) अतिरिक्त जिला हरजन तथा समाज कल्याण अधिकारी(राजपत्रित)———	एक
(2) मुख्य लिपिक—	एक
(3) सहायक लिपिक—	तीन
(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी —	तीन

व्यवसायिक सुविधा देने का सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि इन जातियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों को अनिवार्यतः विभाग से अनुदान दिया जाय ताकि वह अपना स्वतः व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। साथ ही आवश्यकतानुसार उन लोगों को आसान शर्त पर कर्ज की सुविधा भी दी जाय ताकि वह अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।

<u>सलाह</u>- यह भी आवश्यक है कि विभिन्न वैधानिक मामलों में इनको सलाह देने हेतु निःशुल्क वकील की व्यवस्था की जाय जो कि न्यायालयों में भी इन जातियों के लोगों की निःशुल्क पैरवी करे।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष (रूपये में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5
1-	अनुसूचित जातियों के भवन निर्माण	संख्या	6	6,000
2-	अनुसूचित जातियों के लिये कुटीर उद्योग विकास सहायता	,,	8	4,000
3-	अनुसूचित जातियों के लिये कृषि विकास सहायता	,,	4	4,000
4-	अनुसूचित जन जातियों के लिये भवन निर्माण	,,	1	1,600
5-	अनुसूचित जन जातियों के लिये कुटीर उद्योग सहायता	,,	2	1,000
6-	अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि विकास सहायता	,,	1	500

पंचम पंच वर्षीय योजना काल में हरिजन कल्याण के लिये 12-78 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 1974-75 में 55 हजार के परिव्यय के विपरीत 1-53 लाख रूपये का व्यय किया गया और वर्ष 1975-76 के लिये 2-50 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

परियोजनावार परिव्यय

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग

(हजार रू० में)

परियोजना	पाँचवी योजना	1974-75	1975-76
हरिजन कल्याण	860	40	132
समाज कल्याण	482	5	5

परियोजनावार परिव्यय

शिल्पकार प्रशिक्षण

(हजार रू० में)

1-विभागीय		
(क) सीटों में वृध्दि	22	-
(ख) प्रशिक्षण एवं कार्यालयों का सुदृढीकरण	1	-
(ग) आधुनिक मशीनों का क्रय	2	-

5(27) समाज कल्याण

वर्तमान स्थिति- समाज सेवा:- समाज सेवाओं के अन्तर्गत अल्मोड़ा में 5 एस०ई०टी० केन्द्र(कुष्ठ) हैं। जहाँ कुष्ठ रोग का निदान और रोगियों के पुनर्वास का कार्य किया जाता है। अल्मोड़ा व रानीखेत में स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है और अल्मोड़ा में क्षय रोग चिकित्सालय भी खोला जा चुका है। कौसानी में समाज कल्याण के लिये लक्ष्मी आश्रम के नाम से एक संस्था महिला उत्थान के लिये कार्यरत है जिसका शुभारम्भ सुश्री सरला बहिन द्वारा किया गया था।

वर्तमान समय में गुरुड़, बागेश्वर, ताड़ीखेत(रानीखेत), हवालबाग (अल्मोड़ा), द्वाराहाट, चौखुटिया, लमगड़ा तथा भिकियासैन विकास खण्ड मुख्यालयों में बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

पहिले अल्मोड़ा के महाविद्यालय के अतिरिक्त और कोई महाविद्यालय जिले में नहीं था अब रानीखेत में महाविद्यालय खुल चुका है। अल्मोड़ा महाविद्यालय का माह जुलाई, 1972 से राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। सभी विकास खण्डों में प्राईमरी, जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल है।

बागेश्वर एवं हवालबाग में सहकारी गोदाम हैं।

गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, चौखुटिया, द्वाराहाट, हवालबाग, ताड़ीखेत (रानीखेत), भैंसियाछाना, धौलादेवी व लमगड़ा विकास खण्डों में तार घर की सुविधायें उपलब्ध हैं तथा जनता को टेलीफोन की सुविधा है। जिले में 17 तार घर व 316 डाकखाने हैं।

गरुड़, बागेश्वर, द्वाराहाट, भिकियासैन, हवालबाग, धौलादेवी, ताड़ीखेत एवं चौखुटिया विकास खण्डों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है परन्तु शेष विकास खण्डों में अभी इसकी सुविधा नहीं है।

सभी विकास खण्डों में चिकित्सालय, जच्चा-बच्चा व पशु सेवा केन्द्रों की सुविधा है परन्तु प्रायः इन चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी नहीं रहते। इसके लिये यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सालय दूर स्थित हैं वहाँ चिकित्साधिकारियों को शासन से उनके वेतन के 50 प्रतिशत तक भत्ता कम से कम कुछ वर्षों तक स्वीकृत किया जाय। तत्पश्चात स्थिति को देखते हुये अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित होगी।

अल्मोड़ा तथा रानीखेत नगरों को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर सिनेमाघर नहीं है।

ताकुला एवं स्याल्दे विकास खण्डों के मुख्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विकास खण्ड मुख्यालय मोटर मार्ग से जुड़े हुये हैं। पर इन सभी स्थानों के लिये मोटर मार्ग का निर्माण प्रगति पर है।

सरकार ने जहाँ एक ओर अनुसूचित जाति और जन जातियों के कल्याण के लिये विभिन्न प्रकार की योजनायें चला रखी है वहाँ दूसरी ओर समाज के असहाय, अनाथ, उपेक्षित तथा दुराचार की ओर भटके लोगों की सहायता के लिये भी विभिन्न

प्रकार की योजनायें चला रही है। इनमें जो योजनायें इस जिले में चल रही हैं उनका समावेश भी असली योजना में किया गया है और आवश्यकतानुसार उपयोगी मदों को उचित स्थान भी दिया गया है।

चालू योजनाओं का पुनर्वलोकन - (1) निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण अनुदान की यह योजना वर्ष 1971-72 से ही प्रारम्भ की गई है और वर्ष 1971-72 में जितने अनुदान विभाग द्वारा दिये गये उसमें यह जनपद प्रथम स्थान पर रहा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि समाज की निराश्रित विधवायें चाहे वह किसी भी जाति की हों, को मासिक रूप से अनुदान दिया जाय ताकि वह अपना जीवनयापन कर सकें। जिन महिलाओं को यह अनुदान एक वर्ष में मिल जाता है उसे भविष्य में भी मिलते रहने की आशा की जाती है। अतः ऐसी महिलाओं की संख्यायें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये आगामी योजना में इनका लक्ष्य 1 हजार रखा गया है जिसके लिये 20 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

(2) निराश्रित विधवाओं को साज-सज्जा अनुदान की योजना भी वर्ष 1971-72 से प्रारम्भ की गई है। भरण पोषण अनुदान तो केवल एक वर्ष के लिये जीवन-यापन मात्र का सहारा होता है किन्तु उनमें से कुछ महिलायें ऐसी भी होती हैं जो कुछ कुटीर उद्योग चलाकर भविष्य के लिये अपनी जीविका कमाने का साधन स्वयं जुटा सकती हैं। अतः इस प्रकार की महिलाओं की उनकी योग्यता, अनुभव तथा रुचि के अनुसार साज-सज्जा जैसे सिलाई मशीन, बुनाई, करघा आदि देने के लिये भी विभाग से 500रु० प्रति महिला की दर से अनुदान दिया जायेगा। इस श्रेणी की महिलाओं को यह अनुदान केवल एक ही बार दिया जायेगा। अतः इसके लिये आगामी वर्षों की योजना में 550 महिलाओं हेतु [illegible] लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

(3) स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान:- समाज में कुछ ऐसी स्वैच्छिक संस्थायें भी कार्य करती हैं जिनका उद्देश्य समाज के लिये कल्याणकारी कार्य करना होता है। इसीलिये उन संस्थाओं को जो महिलाओं एवं बच्चों के लिये कल्याणकारी कार्य में लगी होती हैं, समाज कल्याण विभाग से अनुदान दिये जाने का प्राविधान रखा गया है। यद्यपि वर्तमान में इस जिले में इस प्रकार की केवल 2 ही संस्थायें (1) कुमाऊँ सेवा संस्थान बागेश्वर तथा (2) बाल सेवा निकेतन [illegible] क्रियाशील हैं किन्तु योजना में इस प्रकार की दो और संस्थाओं के लिये अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की और संस्थाओं की स्थापना होने की संभावना है।

(4) अपंग छात्रों को छात्रवृत्ति:- समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत बिना किसी जातिय प्रतिबन्ध के ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति दिये जाने का भी प्राविधान उपलब्ध है जो कि किसी न किसी रूप में अपंग है। यद्यपि इस प्रकार के छात्रों की संख्या बहुत कम रहती है फिर भी ऐसे छात्रों को शिक्षा की ओर आकर्षित करके उन्हें जीविकोपार्जन हेतु पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने के लिये से इस प्रकार की छात्रवृत्ति

का काफी महत्व है। अतः इसके लिये भी योजना में 45 छात्रों के लिये 13-5 हजार रूपये के प्राविधान की आवश्यकता होगी।

(5) विकलांगों को कृत्रिम अंग लगाने हेतु अनुदानः- समाज कल्याण विभाग से समाज के ऐसे लोगों को जो अपने शरीर का कोई अंग खो चुके हैं तथा जिसे कृत्रिम रूप से फिर से लगाया जा सकता है, यथोचित अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। पूर्व में इस प्रकार के अंग केवल पूना में ही लगाये जाते थे, वहाँ तक जाने में अनुदानग्राही को पर्याप्त व्यय करना पड़ता था किन्तु अब कृत्रिम अंग लगाने की यह सुविधा बरेली और लखनऊ में भी उपलब्ध हो गई है और आशा की जाती है कि इस योजना से अधिक से अधिक विकलांग व्यक्ति लाभ उठायेंगे। आगामी योजना में प्रति वर्ष 5 अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिस हेतु कुल 12-5 हजार रूपये की आवश्यकता होगी।

(6) महिला संरक्षणः- समाज की ऐसी महिलाओं को जो किन्हीं कारणों से नैतिक पतन का ग्रास बन चुकी हैं अथवा जिनहें नैतिक पतन का भय है, की सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा अल्मोड़ा में विगत चार वर्षों से एक राजकीय महिला संरक्षण गृह की स्थापना की गई है जिसमें उक्त श्रेणी की महिलाओं को आश्रय दिया जाता है और इसके साथ ही उन महिलाओं को भी संरक्षण में रखा जाता है जिनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोपों पर किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो। समाज द्वारा तिरस्कृत इस प्रकार की महिलाओं को संरक्षण देना तथा उनकी समुचित देख-रेख करना प्रजातांत्रिक सरकार के कर्तव्यों में से है। अतः इस योजना को सरकार द्वारा भी विशेष महत्ता दी गई है। इस प्रकार के संरक्षण गृह में रख कर उन महिलाओं के भरण-पोषण का पूरा-पूरा व्यय तो सरकार वहन करती ही है साथ ही साथ इन महिलाओं को शिक्षा तथा सिलाई, कढ़ाई, बिनाई आदि के प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं और योग्यतानुसार इस प्रकार की आश्रमवासिनियों के विवाह की व्यवस्था करने का प्राविधान है तथा रोजगार दिलाकर पुनर्वास किया जाता है। इस प्रकार पुनर्वास एवं विवाह से संबंधित प्रारम्भिक व्यय भी विभाग द्वारा ही वहन किये जाते हैं। यह योजना महिला समाज के लिये काफी उपयोगी है। अतः आगामी योजनाओं में इसको बनाये रखने का प्राविधान किया गया है जिस पर पाँचवीं योजना में कुल 3-50 लाख रूपया व्यय होने का अनुमान है।

(7) समाज सेवा कार्यक्रमों में भी ग्रामों के दूर-दूर बसे होने तथा छोटे-छोटे होने के कारण पूर्ण सुविधायें सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं।

समाज कल्याण

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (लाख रुपये में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5
1-	निराश्रित एवं असहाय विधवाओं को सिलाई मशीन क्रय हेतु अनुदान	संख्या	10	0-050

5(28) शिल्पियों का प्रशिक्षण तथा श्रमिक कल्याण

रुढ़ीगत शिल्प कार्य करने वाले श्रमिकों के प्रशिक्षण का कार्य जनार्दन पोलीटैक्नीक तथा आई०टी०आई० द्वारा किया जा रहा है। पूर्व से चले आ रहे उद्योग जैसे बढ़ईगीरी, लोहार, कताई-बुनाई, रीठल व बाल्टी बनाने के कार्यों का आधुनिक तरीकों से उत्पादन के लिये उक्त संस्थाओं में अन्य व्यवसायों के साथ-साथ उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तांबे के बर्तन बनाने का कार्य जिले के कुछ भागों में एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये लोग तांबे की गागरी इत्यादि कलात्मक ढंग से बनाने में दक्ष होते हैं पर इस व्यवसाय के लिये किसी प्रशिक्षण का कोई उचित प्रविधान नहीं है।

उक्त दो संस्थाओं के अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद के द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। और आर०आई०पी० स्कीम के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षित व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री एवं ऋण देकर अपने स्वतः उद्योगों के प्रारम्भ करने की प्रेरणा दी जाती है।

जनपद में अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी जहाँ बड़ी मात्रा में श्रमिक कार्य करते हों और इनके अभाव में श्रमिकों की कोई संगठित समितियाँ भी नहीं थीं। 1972 में झिरोली मैगनासाईट फैक्ट्री की स्थापना के फलस्वरूप बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता हुई है और बड़ी मात्रा में श्रमिकों के कार्य करने से उनमें संगठन होना और नई माँग होना स्वाभाविक था। पिछले वर्ष मैगनेसाईट कारखाने में कुछ समय तक मालिकों में असंतोष भी रहा पर शीघ्र ही यह समस्या सुलझा ली गई।

श्रम कल्याण के लिये जनपद में श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं जो आधुनिक श्रम कल्याण प्राविधानों का पूर्ण परिपालन करवाकर श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं।

परिच्छेद-6

आर्थिक परिस्थिति एवं ऋण संस्थाओं का योगदान

अभी तक ऋण संस्थाओं का यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारने में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। पूर्व में ऋणों की व्यवस्था केवल पूँजीपतियों द्वारा ही सम्भव होती थी जो कानून की आड़ में कृषकों का पूर्ण शोषण कर लेते थे और उनका आर्थिक स्तर पीढ़ियों तक गिराने में सक्षम थे। ये पूँजीपती व ब्याजखोर अब लुप्त प्रायः हो चुके हैं और इनकी पूर्ति सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा की जाने लगी है। इन संस्थाओं से ऋण देकर आर्थिक व्यवस्था सुधारने के प्रयासों के फलस्वरूप कृषकों को पूर्व की अपेक्षा सुगम ब्याज की दरों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध होने लगे हैं।

विशेष व्यवस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>सहकारी ऋण</u>- कृषकों की हैसियत और आवश्यकतानुसार सहकारी बैंक से उन्हें कृषि कार्यों के सामयिक सम्पादन के लिये अल्पकालीन ऋण नकद व सामग्री के रूप में दिलवाने का प्राविधान है। सामग्री के रूप में वे रसायनिक खाद व बीज ले सकते हैं और फसल कट जाने के बाद अपना ऋण चुका सकते हैं। हल, बैल, पम्पिंग सेट व अन्य उपकरण खरीदने के लिये वे मध्यकालीन ऋण भी नकद रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भूमि क्रय इत्यादि के लिये दीर्घकालीन ऋण की भी सुविधा प्राप्त हो जाती है।

अल्पसिंचाई कार्यों के निर्माण के लिये कृषकों को विभागीय ऋण व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों के लिये भी दिये जाते हैं। कार्यों की सामयिक पूर्ति पर 50% अनुदान भी प्राप्त हो जाता है। सामूहिक कार्यों के पूर्ण किये जाने पर बिना ऋण लिये ही अनुदान दिये जाने का प्राविधान भी है।

फलोद्यान विकास के लिये भी ऋण व्यवस्था की जाती है जिससे इच्छुक उद्यानपति ऋण प्राप्त कर नीजी अथवा सामूहिक उद्यान लगा सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा खाद व बीज के लिये तकावी ऋण की भी व्यवस्था की जाती है।

पिछले दो वर्षों से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋणों के लिये अधिक उदार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत बैंक शाखाओं से कृषकों को छोटी-छोटी राशि पर ऋण मिल जाता है। इस जनपद में डिफरेंशियल रेट आफ इन्ट्रेस्ट योजना लागू है जिसके अन्तर्गत 13 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर विशिष्ट कार्यों के लिये ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं। अभी तक बैंक शाखायें सीमित हैं और बैंकों के अनुबन्धों के कारण शाखा मुख्यालय की 10 मील की परिधि के अन्दर ही ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसके फलस्वरूप कई इच्छुक व्यक्ति कृषि, बागवानी, पशुपालन अथवा उद्योग स्थापना के लिये वांछित धन

नहीं प्राप्त कर सके। बैंक अभी अपनी ऋण योजना के लिये सर्वेक्षण करवा रहा है और निकट भविष्य में लीड बैंक भी और शाखायें तथा पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के जनपद में स्थापित होने के फलस्वरूप और अधिक सुगमता पूर्वक ऋण व्यवस्था हो जाने की सम्भावना है।

इन ऋणों के अतिरिक्त लीड बैंक उद्योगों और यातायात के साधनों के लिये भी ऋण उपलब्ध कराने लगा है जिसके फलस्वरूप कुछ लोग टैक्सी ले सके हैं और ऋण लेकर स्वतः अपना कारोबार चला चुके हैं। उद्योग स्थापना के लिये भी लीड बैंक कई उद्योगपतियों को ऋण देकर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करवा चुका है जिनमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन का कारखाना तथा कार्डबोर्ड के डिब्बे बनाने का लघु उद्योग, आरा मिलें तथा तारपीन तेल बनाने के कारखाने उल्लेखनीय हैं। इस समय लीड बैंक के पास प्रायः 30 उद्योगों की स्थापना के लिये ऋण के आवेदन पत्र हैं जिनकी उप निदेशक, उद्योग (ग्रामीण परियोजना) द्वारा विधिवत् जाँच कर उपयुक्तता की अनुमति दी जा चुकी है। उद्योग निदेशालय, कानपुर की स्वीकृति के बाद लीड बैंक इनकी स्थापना के लिये साधन उपलब्ध करवाकर उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सफल हो सकेगा जिसके फलस्वरूप जनपद का औद्योगिक विकास होगा और एक बड़े समुदाय को रोजगार मिल सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम भी ऋण सुविधा देता है। इसके ऋण प्रायः भवन निर्माण के लिये मिलते हैं। नगर पालिका अल्मोड़ा का भवन व कार्यालय पिछले वर्षों एक अग्निकाण्ड में ध्वस्त हो गया था जिसके पुनर्निर्माण के लिये शासकीय ऋण नहीं मिल पाया है। अतः नगरपालिका भवन निर्माण के लिये उक्त निगम से 10 लाख रुपये की ऋण की याचना कर रही है। इसी प्रकार नगरपालिका, अल्मोड़ा एक मार्केट काम्पलेक्स तथा अस्वच्छ पेशे के व्यक्तियों के लिये आवास गृह निर्माण के लिये ऋण लेने की व्यवस्था कर रही है।

नगरीय क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिये नगरीय गृह विकास निगम से भी ऋण प्राप्त हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन व रिफाइनेन्स कारपोरेशन से भी कृषि विकास हेतु ऋण मिल सकते हैं परन्तु अभी तक जनपद में इन ऋणों को नहीं लिया गया है।

उक्त विवरण से इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक है कि यहाँ की गरीब जनता को अपना आर्थिक स्तर सुधारने तथा उद्योग धन्धों के विस्तार के लिये सुगमता पूर्वक कई साधन उपलब्ध हैं और वे स्वयं संकल्प कर अपनी उन्नति कर सकते हैं।

परिच्छेद आठ

सामग्री की आवश्यकतायें

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये प्रस्तावित विभिन्न उप योजनाओं को पूर्ण करने के लिये सामग्री की पूर्ति करना आवश्यक होगा। इन सामग्रियों से कुछ तो स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सकती है पर बहुत सी सामग्री बाहर से आयात करनी पड़ेगी।

स्थानीय ढंग से प्राप्त होने वाली सामग्री में इमारती पत्थर तथा लकड़ी है। वनों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये व निर्माण कार्यों के लिये लकड़ी, लीसा इत्यादि है। पहिले से यहाँ समस्त इमारतें स्थानीय पत्थरों से बनाई जाती थी परन्तु अब मजदूरी बढने और चुनाई कार्य उत्तरोत्तर कठिन होने से ईंटों और सीमेन्ट का अधिक उपयोग होने लगा है। ईंटों और सीमेन्ट का उत्पादन यहाँ नहीं होता अतः इन दोनों के लिये बाहरी आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ईंटें तो हल्द्वानी से बाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है परन्तु सीमेन्ट इतनी सुगमता से प्राप्त नहीं होता। वर्ष 1974 में जनता से पंचायती उद्योग द्वारा 20,000 बोरी सीमेन्ट मंगवाया गया जिससे निर्माण के कुछ अधूरे कार्य पूर्ण किये गये। यदि यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप सीमेन्ट उपलब्ध करवा दिया जावे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के, सिंचाई, पेयजल, रास्ता तथा व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के पूर्ण करने में अवरोध दूर हो जायगा।

सीमेन्ट के अतिरिक्त निर्माण कार्यों के पूर्ण करने को जिस लोहे, टेलपाइप व नल इत्यादि की आवश्यकता होती है वह भी आयात किया जाता है जिस कारण उसके दाम भी अधिक होते हैं और उसका समय से मिलना भी कठिन होता है।

विद्युत वितरण के सभी उपकरण एवं ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पोल इत्यादि भी बाहर से आयात किये जाते है क्योंकि यहाँ इनको 'सीजन' करने की व्यवस्था नहीं है।

पशुपालन के लिये वीर्य परिरक्षण के लिये लिक्विड नाइट्रोजन भी आयात किया जाता है। पंचम योजना काल में जनपद में लिक्विड नाइट्रोजन का प्लांट लग जायेगा और यह कमी दूर हो जायेगी।

वनों पर आधारित उद्योगों के विकास व प्रसार के लिये यहाँ प्रचुर मात्रा में साधन है। इस प्रकार लकड़ी का सामान बनाने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। लीसा भी स्थानीय उपलब्ध है फलस्वरूप तारपीन तेल व बिरोजा बनाया जा रहा है और पेन्ट्स व वार्निश भी बनाये जाते है। जड़ी बूटी संग्रहण कर उसे दवा बनाना यहाँ सहकारी ड्रग फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है।

फलों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये जहाँ फल उपलब्ध है वहाँ इस जनपद में टिन की कमी है और बनाये गये आचार, मुरब्बों व पल्प के पैकिंग के लिये टिन के डिब्बों का भी आयात करना पड़ेगा।

कृषि रक्षा व प्रसार के लिये भी प्रायः सभी वस्तुओं का आयात ही होगा। रासायनिक खाद, किटाणुनाशक दवाओं, उन्नत बीजों व यंत्रों का तथा डिजिल पम्पों, हाईड्रामों व स्प्रिंकलर्स का भी आयात करना होगा।

विवेकानन्द अन्वेषणशाला में कुछ उन्नत बीजों का उत्पादन व प्रसार किया जाता है तथा हवालबाग एग्रीकल्चर वर्कशॉप में कुछ कृषि उपकरण बनाये जाते है। शेष कृषि वस्तुओं का आयात ही होगा।

इस प्रकार जनपद की प्रायः सारी अर्थ व्यवस्था आयात पर ही आधारित है। हमारा कृषि उत्पादन अपर्याप्त होने के कारण जनपद को खाद्य सामग्री, तेल, नमक इत्यादि के लिये आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

जनपद से वनों से उत्पादित लीसे का निर्यात होता है और सीमित मात्रा में फलों एवं आलू का निर्यात किया जाता है परन्तु विपणन की उचित व्यवस्था के अभाव से जनता को इस निर्यात से अधिक लाभ नहीं होता है।

परिच्छेद -०

रोजगार कार्यक्रम

सेवा योजनः- सेवायोजन कार्यालय की सक्रिय पंजिका पर निम्न अवधि तक विभिन्न व्यवसायों में निम्न संख्या पंजीयन थाः-

	वर्ष 1971	वर्ष 1972	अनुमानित वर्ष 74
व्यवसायिक प्राविधिक एवं तत्सम्बन्धी कार्यकर्त्ता	158	682	900
प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रबन्धकीय कर्मचारी	2	1	5
लिपिक तथा विक्रय सम्बन्धी कार्यकर्त्ता	73	144	200
कुक्कुट, मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यकर्त्ता	16	20	30
खानें खनीज कर्मचारी	-	-	-
यातायात तथा संचार सम्बन्धी कर्मचारी	65	114	150
शिल्पकार तथा उत्पादक प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यकर्त्ता	140	335	400
सेवा एवं मनोरंजन सम्बन्धी कार्यकर्त्ता	24	10	15
अनुभवी मजदूर	5	34	40
स्नातक आर्ट	93	135	200
स्नातक विज्ञान	42	107	130
स्नातक कामर्स	2	7	10
हाई स्कूल एवं इन्टर तक	849	1409	1600
जूनियर हाई स्कूल	335	500	700
शिक्षित	403	890	1200
अकुसल श्रमिक	605	1463	2520
योग-	2812	5861	8100

उपरोक्त सांख्यकीय विवेचन से स्पष्ट है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जून 1971 की अपेक्षा जून 72 में बढ़कर दुगुनी से भी अधिक हो गई और इसमें उत्तरोत्तर वृध्दि हो रही है जो बढ़ती हुई बेरोजगारी का द्योतक है। प्राविधिक व्यवसायों में तथा तत्सम्बन्धी कार्यकर्त्ता जैसे वैक्सिनेटर, कम्पाउन्डर, विभिन्न स्तर के अध्यापक एवं शिल्पकार तथा उत्पादन सम्बन्धी कार्यकर्त्ता आई0टी0आई0 पास अभ्यार्थी बारबर, कटर एवं टेलर इत्यादि की अधिक संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सेवा योजना सेवा के अन्तर्गत रोजगार बाजार सूचना संकलन कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ों से इस जनपद के विभिन्न उद्योगों में सेवा रत कर्मचारियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:-

उद्योग समूहानुसार रोजगार में उतार- चढ़ाव की तालिका

सार्वजनिक क्षेत्र

	31 मार्च, 1971	31 मार्च 1972	वर्ष 1972 में कमी अधिकता
कृषि, पशुपालन वन आदि	1959	1771	(-) 112
उत्पादन	194	216	(+) 22
निर्माण	2707	3069	,, 362
विद्युत जल व स्वास्थ्य	400	467	,, 67
वाणिज्य एवं व्यापार	70	96	,, 26
परिवहन संचार आदि	1200	1209	,, 9
सेवायें	8090	8417	,, 327
योग	14320	15245	(धन) 7.1

निजी क्षेत्र

	मार्च 1971	मार्च 1972	वर्ष 1972 में कमी व अधिकता
कृषि, पशुधन वन आदि	305	252	(-) 53
उत्पादन	355	242	(,,) 113
निर्माण	662	515	,, [illegible]
विद्युत, जल व स्वास्थ्य	-	-	-
वाणिज्य व व्यापार	149	146	,, 3
परिवहन संचार आदि	144	17	,, 127
सेवायें	1186	1306	(धन) 120
योग-	2801	2578	(ऋण) 223

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 71 की तुलना में 31 मार्च 72 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र की अपेक्षा बढ़े है। सार्वजनिक क्षेत्र में 31 मार्च 71 के अन्त तक 14320 कर्मचारी सेवारत थे जिनकी संख्या 31 मार्च 72 के अन्त तक 15245 हो गई। इस प्रकार 701 अधिक रोजगार का सृजन हुआ। निजी क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक नहीं रही।

सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति

पंजीकृत			नौकरी पा सके			कमी वाले व्यवसाय
1966/	1968/	1974	1966/	1968/	1974	
9197	8579	16000	1674	1478	2000	मिडवाइफ, फारमासिस्ट, प्रशिक्षित लेखाकार, हिन्दी अंग्रेजी टंकन आशुलिपिक हिन्दी अंग्रेजी आदि।

विभिन्न योजनाओं के सम्पादन से जो रोजगार मिलेगा उसका विवरण यथा स्थान प्रत्येक खण्ड में आवश्यकतानुसार अलग-अलग दर्शाया जा रहा है।

सेवा योजन

पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 के परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य (परिव्यय लाख रूपये में)

क्रमांक	मद	इकाई	भौतिक / आर्थिक
1	सेवा योजन कार्यालय के लिए उपस्कर		0-01

परिच्छेद नौ

न्यूनतम आवश्यकताओं की राष्ट्रीय योजना

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनपद के प्रत्येक अभाव ग्रस्त ग्राम को स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जानी है। पूर्व में पेयजल योजनाओं का निर्माण नियोजन विभाग द्वारा होता था और उस समय बनाई गई बहुत सी योजनायें या तो विवाद ग्रस्त होने से बेकार पड़ी है अथवा उचित देखरेख न होने के कारण बेकार पड़ी हैं। चतुर्थ योजना काल में इन योजनाओं का कार्यान्वयन स्वा० शासन अभियन्त्रण विभाग को सौंप दिया गया है जो क्षेत्र समिति की संस्तुति पर आधारित और जिला परिषद द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार जलस्रोतों का सर्वेक्षण करवाते है और पर्याप्त जल होने तथा स्रोत के विवादग्रस्त न होने पर योजना पूर्ण कर उसे ग्राम सभाओं को सौंपते है। जिसके बाद उनके रख-रखाव का उत्तरदायित्व ग्राम सभा पर आ जाता है। अभी तक उक्त विभाग 262 ग्रामों को यह सुविधा दिलवा सका है और जिला परिषद उनको प्राय 1139 योजनायें सर्वेक्षण हेतु भेज चुका है। चतुर्थ योजना के अन्त तक जनपद में 1300 ग्राम पेयजल योजना के लिये अभाव ग्रस्त इंगित हो चुके है इन सबों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। पंचम योजना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण केवल 500 ग्रामों को पेयजल सुविधा मिल सकेगी।

अनुभव से यह देखा गया है कि छोटी-छोटी पेयजल योजनाओं के निर्माण से व्यय के अनुपात में लाभ नहीं होता अतः यह निश्चय किया गया ह कि बड़ी-बड़ी योजनायें कार्यान्वित कर कुछ ग्राम समूहों को एक साथ लाभान्वित किया जावे। इस निर्णय के अनुरूप जनपद में दो बडी योजनायें (1) रानीखेत-ताडीखेत योजना तथा (2) नैथानादेवी पेयजल योजना बनाई जा रही है जिनसे क्रमशः 60 व 111 ग्राम लाभान्वित होगें। उपरोक्त के अतिरिक्त त्वरित योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिए 65 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया गया।

न्यूनतम आवश्यकताओं के अन्तर्गत पहाडी क्षेत्र के 500 से उपर की आबादी के गाँव अथवा ग्राम समूह को सड़क सुविधा मिलनी चाहिए। जनपद में इस प्रकार के गाँवों की संख्या अत्यधिक है और गाँवों के उत्पत्यकाओं के बीच बसे होने के कारण तथा सड़क निर्माण में अत्यधिक व्यय होने से इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 32-87 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र समितियों ने तथा जिला परिषद के सदस्यों ने कुछ और आवश्यक मोटर तथा पैदल सड़को और पुलों की माँग की है जिसके लिये प्रायः 6-00 करोड़ रूपये की और आवश्यकता होगी।

इसी कार्यक्रम में दो और विषय है जिनमें पहिला शिक्षा और दूसरा चिकित्सा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक गाँव के 1-5 किलोमीटर के अन्तर्गत एक

प्राथमिक स्कूल और प्रत्येक गाँव के 5 किलोमीटर के अन्तर्गत एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित करना है जिससे छात्रों को पढ़ने के लिए बहुत दूर न चलना पड़े। हर तहसील केन्द्र पर एक महा विद्यालय की स्थापना, स्कूलों के भवन निर्माण व सुधार, साज-सज्जा का प्रबन्ध, वाचनालय, पुस्तकालय व क्रीड़ास्थलों के निर्माण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने पर जिले की मूल प्रस्तावित योजना का अनुमानित व्यय 10.18 करोड़ आंका गया है।

स्वास्थ्य के लिये अभी तक प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है अब प्रत्येक 20,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना के फलस्वरूप जिले को 14 के स्थान पर 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक तहसील के मुख्यालय के अस्पतालों को आधुनिक साज-सज्जा देने तथा प्रत्येक 2,000 की जनता को किसी न किसी प्रकार चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचम पंच-वर्षीय योजना काल का चिकित्सा का मूल परिव्यय 95 लाख रुपया रखा गया था।

परिशिष्ट

विवरण पत्र-1

जिले के आधार भूत आंकड़े

क्रमांक (1)	मद (2)	इकाई (3)	हवालबाग (4)	बागेश्वर (5)	कपकोट (6)
	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ष 1974)				
1-	कुल क्षेत्र	हैक्टर	40712	45000	129082
2-	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	23920	12991	95471
3-	फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	1210	1018	1050
4-	शुध्द बोया गया क्षेत्र	,,	7777	6995	10930
5-	परती भूमि (कुल)	,,			
	(1) वर्तमान परती भूमि	,,	-	-	-
	(2) अन्य परती भूमि	,,	-	-	-
6-	कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	656	1924	2215
7-	भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है। (चारागाह)	,,	3323	5942	13572
8-	बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है	,,	2614	15012	5442
9-	भूमि जो कृषि से भिन्न, प्रयोजन के लिये काम में लाई जा रही है	,,	1212	1118	402
10-	जोतों की संख्या तथा (वर्ष 1972 की कृषि गणना के आधार पर) उसके अन्तर्गत क्षेत्र				
	(1) 1 हैक्टर तक संख्या	संख्या	5927	5573	8011
	क्षेत्रफल	हैक्टर	2434-43	2219-33	3480-43
	(2) 1 और 3 है० के बीच				
	संख्या	संख्या	1392	1105	936
	क्षेत्रफल	हैक्टर	2119-86	1673-43	1349-70
	(3) 3 और 5 हैक्टर के बीच				
	संख्या	संख्या	16	55	19
	क्षेत्रफल	हैक्टर	56-00	203-78	64-35
	(4) 5 है० और उसके ऊपर				
	संख्या	संख्या	8	-	5
	क्षेत्रफल	हैक्टर	42-97	-	27-58
	(5) कुल जोत				
	संख्या	संख्या	7343	6733	8971
	क्षेत्रफल	हैक्टर	4653-26	4096-54	4922-06

1		चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत	द्वाराहाट	धौलादेवी
2	3	7	8	9	10	11
1-	हैक्टर	18217	17181	23310	31618	78760
2-	,,	4840	1608	2677	14789	65345
3-	,,	563	482	1631	1344	1545
4-	,,	7738	9510	10895	10096	7526
5-	,,	-	-	-	-	-
(1)	,,	-	-	-	-	-
(2)	,,	-	-	-	-	-
6-	,,	870	1566	631	355	65
7-	,,	418	1094	1639	3184	934
8-	,,	3460	2545	4713	1438	2288
9-	,,	328	376	1124	412	466
10-						
(1)	संख्या	6806	6145	7898	6872	834[illegible]
	हैक्टर	2604-40	3182-28	2645-74	2810-43	3024-00
(2)	संख्या	1139	2054	2421	2168	2176
	हैक्टर	1713-45	3284-11	3594-34	3378-93	3498-78
(3)	संख्या	37	71	113	132	26
	हैक्टर	118-87	255-00	417-94	506-23	102-72
(4)	संख्या	-	-	22	8	14
	हैक्टर	-	-	121-73	91-74	96-73
(5)	संख्या	7982	8270	10454	9180	10565
	हैक्टर	4436-72	6721-39	7979-75	6787-33	6722-23

2	3	भैसियाछाना 12	गरुड-बैजनाथ 13	स्याल्दे 14	तल्ट 15
1-	हैक्टर	12022	29204	25712	30337
2-	,,	3441	17372	4749	5740
3-	,,	421	936	523	406
4-	,,	5215	7590	10267	13286
5-	,,				
(1)	,,	-	-	-	-
(2)	,,	-	-	-	-
6-	,,	553	571	1756	1563
7-	,,	1364	1062	1722	4980
8-	,,	774	1361	6321	3854
9-	,,	254	372	374	508
10-					
(1)	संख्या	3114	6172	5790	6275
	हैक्टर	1465-12	2373-02	2986-51	3707-12
(2)	संख्या	942	1366	2351	4252
	हैक्टर	1424-49	2012-05	3078-94	7010-53
(3)	संख्या	19	120	155	529
	हैक्टर	62-91	396-66	753-75	1898-65
(4)	संख्या	-	39	26	195
	हैक्टर	-	268-80	186-37	1226-93
(5)	संख्या	4075	7697	8322	11251
	हैक्टर	2952-52	5070-53	7005-57	13843-22

		ताकुला	लमगड़ा	जिला योग
2	3	16	17	18
1-	हैक्टेयर	29269	35593	546097
2-	,,	14160	21850	288953
3-	,,	1344	3061	15534
4-	,,	8850	7090	123765
5-	,,			
(1)	,,	-	-	-
(2)	,,	-	-	-
6-	,,	797	353	14466
7-	,,	1533	1033	41800
8-	,,	2163	1830	53835
9-	,,	422	376	7744
10-				
(1)	संख्या	7994	5023	89949
	हैक्टेयर	2504-00	2474-97	39111-78
(2)	संख्या	992	1688	24982
	हैक्टेयर	603-77	2380-75	37123-13
(3)	संख्या	-	76	1368
	हैक्टेयर	-	241-00	5077-86
(4)	संख्या	16	8	341
	हैक्टेयर	887-71	38-35	3008-91
(5)	संख्या	9002	6795	11,6640
	हैक्टेयर	3995-48	5135-07	84322-00

11 जनसंख्या वर्ष 1971 -नगरीय

	अल्मोड़ा	रानीखेत	बागेश्वर
(1) पुरुष	12418	9445	2331
(2) स्त्रियाँ	8463	4472	1983
(3) योग :-	20881	13917	4314

12- कर्मियों की संख्या - नगरीय

	अल्मोड़ा	रानीखेत	बागेश्वर
(1) पुरुष	5661	6236	1177
(2) स्त्रियाँ	397	189	158
(3) योग:-	6058	6425	1335

13(अ)- जन संख्या वर्ष 1971 -ग्रामीण

	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत
(1) पुरुष	19895	23916	25129	18635	16803	24355
(2) स्त्रियाँ	22289	25448	26431	22326	20976	26773
(3) योग-	42184	49364	51560	40961	37779	51128

13(ब)- योग:- *

	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत
(1) पुरुष	32393	26247	25129	18635	16803	33800
(2) स्त्रियाँ	30752	27431	26431	22326	20976	31245
(3) योग :-	63065	53678	51560	40961	37779	65045

14- कर्मियों की संख्या वर्ष 1971 -ग्रामीण

	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत
(1) पुरुष	9063	10025	13195	10103	7331	10764
(2) स्त्रियाँ	7618	5919	9663	10322	5801	7832
(3) योग -	16681	15944	22858	20425	13132	18596

15- पिछड़े समुदायों की जनसंख्या वर्ष 1971

	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत
(1) अनुसूचित जाति	8972	9494	10021	7115	6242	10312
(2) अनुसूचित जन जाति	35	209	1221		-	19
(3) योग-	9007	9703	11242	7115	6242	10331

16- जन संख्या का घनत्व (वर्ग किलोमीटर)

	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया	भिकियासैण	ताड़ीखेत
जन संख्या का घनत्व (वर्ग किलोमीटर)	154-9	119-2	79-9	124-8	219-9	280-8

* नगरीय सम्मिलित कर ।

क्र.	द्वाराहाट	धौलादेवी	भैंसियाछाना	गरुड़ बैजनाथ	ह्याल्दे
(1)	23744	21738	12526	20013	18868
(2)	28735	23081	12685	21209	23297
(3)	52479	44819	25211	41222	42165
(1)	23744	21738	12526	20013	18868
(2)	28735	23081	12685	21209	23297
(3)	52479	44819	25211	41222	42165
(1)	10275	11050	6130	9408	9414
(2)	10376	2449	303	469	14741
(3)	20651	13499	6 33	9877	24155
(1)	12398	8657	5925	10157	5367
(2)	5	-	5	83	-
(3)	124[illegible]	8657	5930	10240	5367
	165-9	56-9	209-7	140-8	163-8

13(अ)-	सल्ट	ताकुला	लमगड़ा	जिला योग
(1)	23205	21739	16012	286578
(2)	27720	24596	17074	322640
(3)	50925	46335	33086	609218
13(ब)-				
(1)	23205	21739	16012	310772
(2)	27720	24596	17074	337558
(3)	50925	46335	33086	648330
14-				
(1)	11279	9036	7776	147923 *
(2)	4853	5968	2056	89114 *
(3)	16132	15004	9832	237037 *
15-				
(1)	8918	11342	5541	120461
(2)	-	744	8	2429
(3)	8918	12086	5549	122890
16-	167-8	158-3	92-9	118-8

* केवल 'जिला योग' में नगरीय सम्मिलित है ।

सतत प्रवाह शील नदियाँ- नाम

रामगंगा

सरयू

कोसी

गोमती

पिण्डार

गगास

स्वाल

मिट्टी की मुख्य किस्म- एलयूवीयल

औसत वर्षा- 52इंच से 62 इंच तक

साधनों द्वारा सिंचित शुद्ध (है0) क्षेत्र-	(1969)	(1974)
1- राजकीय नहरों द्वारा-	1699-4	1893-4
2- गाल की नहरों द्वारा-	4261-6	4261-6
3- व्यक्तिगत-		
(अ) गूलों द्वारा-	2986-0	3198-0
(ब) हौजों द्वारा-	1153-0	2063-0
(स) पम्पिंग सेटों द्वारा-	19-0	110-0
कुल सिंचित क्षेत्र-	10129-0	11526-0
(क) शुद्ध	10129-0	11526-0
(ख) सकल	17129-0	22628-0

महत्वपूर्ण फलों के नाम- सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू, खुमानी, अखरोट, आम आदि।

उत्पादन(क्वि0) -	90000	155000

महत्वपूर्ण वन उपज- इमारती लकड़ी, लीसा, जड़ी-बूटी, ईंधन आदि।

व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम- मैगनासाइड, सोप स्टोन, लाइम स्टोन आदि।

महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादन- ऊनी कपड़ा, शाल, थुलमें आदि।

सड़कों की लम्बाई- (कि०मी०)	1969	1974
(क) समतल-	952	797
(ख) असमतल-		432

बिजली की लाइनों की संख्या: (कि०मी०)		
(1) एच०टी० लाइनें-	अप्राप्त	299
(2) एल०टी० लाइनें-		259

पशु संख्या-	1966	1973-74 (प्रक्षेपण)
(क) दुधारु पशु- (संख्या)	210654	226751
(ख) अदुधारु पशु- ,,	217751	234444
(ग) बकरियाँ व भेड़ें- ,,	240038	258388
(घ) अन्य- ,,	155831	167749
योग- ,,	824274	887332
कुक्कुट- ,,	32266	33500
ग्रामों की संख्या ,,	3139	

जन संख्या सहित नगरों/शहरों की संख्या (केवल विकास खण्ड के लिये)

	(1969)	(1974)
10,000 तक--	1	1
10,000से 20,000 तक	1	1
20,000से 50,000तक	1	1
50,000से 1,00,000तक	-	-
1,00,000 से ऊपर	-	-
जिनमें बिजली है नगर/ग्राम (संख्या)	3/13	3/214
जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है — नगर/ग्राम	2/40	3/246

विद्यालयों (स्कूलों) की संख्या:-		
(1) प्राथमिक- (संख्या)	864	891
(2) जूनियर हाईस्कूल ,,	102	111
(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ,,	55	72
(4) डिग्री कालेज ,,	1	2

	1969	1974
प्राविधिक शिक्षण संस्थायें-		
(1) आई०टी०आई० (संख्या)	1	1
(2) जनार्दन पालिटेक्निक ,,	1	1
अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या	4	9
वृहताकार समितियों की संख्या	134	128
सहकारी यूनियन- ,,	23	22
क्रय विक्रय समितियों की संख्या	1	1
सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या	5	8
विनियमित बाजारों की संख्या	-	-
गोदाम -(अ) सरकारी ,,	9	13
संग्रहण क्षमता (मै० टन हजार)	0-185	33'000
(ब) सहकारी ,,	14	14
संग्रहण क्षमता (मै० टन हजार)	0-500	0-750
उर्वरक डीपो संख्या(कृषि विभाग)	170	363
संग्रहण क्षमता (मै० टन में)	3000	3890
राजकीय बीज भण्डार संख्या	2	2
पशुचिकित्सालय/औषधालय संख्या	19	20
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	2	22
पशु सेवा केन्द्र ,,	51	53
चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या-		
नगरीय-	9	10
ग्रामीण-	34	42
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	14	14
चिकित्सालयों/औषधालयों में शैयाओं की संख्या -		
नगरीय-	292	323
ग्रामीण-	158	190

प्रमुख खाद्यान्न वाली फसलों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) वर्ष 1974	हवालबाग	बागेश्वर	कपकोट	चौखुटिया
	1	2	3	4
(1) धान	2261	4765	4465	3669
(2) मक्का	266	225	268	214
(3) गेहूँ	2266	2071	3017	1792
(4) चना	-	-	-	-
(5) जौ	370	400	525	312
(6) मडुवा	~~2434~~ 4234	1777	5997	3472

	भिकियासैण	ताड़ीखेत	द्वाराहाट	धौलादेवी
	5	6	7	8
(1) धान	2013	3189	4199	3034
(2) मक्का	445	214	354	464
(3) गेहूँ	3042	2878	3839	2430
(4) चना	-	-	-	-
(5) जौ	402	397	513	363
(6) मडुवा	6793	6269	4632	2546

	भैसियाछाना	पूरुछ पंजनाडा	स्याल्दे	सल्ट	ताकुला	लमगड़ा
	9	10	11	12	13	14
(1) धान	3525	3625	4166	4215	4357	2484
(2) मक्का.	243	170	229	203	224	331
(3) गेहूँ	1241	1701	5090	4458	1801	2022
(4) चना	-	-	-	-	-	-
(5) जौ	240	295	657	495	360	348
(6) मडुवा	3816	4313	4541	7064	4123	2662

	1968-69			1973-74		
	कुल क्षेत्र	कुल उत्पादन (कुन्तल)	उपज प्रति हे० (कि० ग्रा०)	कुल क्षेत्र	कुल उत्पादन (कुन्तल)	उपज प्रति हे० (कि० ग्रा०)
	15	16	17	18	19	20
(1) धान	44422	524100	1180	47967	425467	887
(2) मक्का	3795	30360	800	3850	36459	947
(3) गेहूँ	34409	286627	833	39000	415740	1066
(5) चना	-	-	-	-	-	-
(5) जौ	5000	45300	906	5677	59608	1050
(6) मडुवा	69000	316500	450	62239	336090	540

रूपपत्र-1

पाँचवी योजना परिव्यय — हजार रूपये

क्रमांक	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय: राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगमों/प्राधिकरणों इत्यादि द्वारा पूँजी निवेश	अनुयोगित	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	कृषि							
(क)	कृषि विभाग	22773	-	-	-	-	-	22773
(ख)	बागवानी तथा फलोपयोग	15062	700	-	-	-	458	16220
(ग)	भण्डारण एवं विपरण	-	-	-	-	-	-	-
2-	लघु सिंचाई							
(1)	निजी	5175	-	-	-	-	-	5175
(2)	राजकीय	14000	-	-	-	-	-	14000
3-	भूमि एवं जल संरक्षण	5601	-	-	-	-	-	5601
4-	पशुपालन	10249	-	-	-	-	-	10249
5-	दुग्ध विकास	2391	-	-	-	-	-	2391
6-	मत्स्य	57	-	-	-	-	-	57
7-	(1) वन-वानिकी	29963	-	-	-	-	-	29963
	(2) भूमि संरक्षण	3500	-	-	-	11830	-	15330
8-	सामुदायिक विकास:- कार्यक्रम							
(क)	पंचायत राज	231	-	-	-	-	-	231
(ख)	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	280	-	-	-	-	-	280
(ग)	प्रादेशिक विकास दल	65	-	-	-	-	-	65
(घ)	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें *							

* क्रम संख्या 8(घ) का परिव्यय क्रम संख्या 8(ख) में सम्मिलित है।

1974-75 परिव्यय

क्रमांक/	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य नियमों/ प्राधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	केन्द्र द्वारा पुनर्योजनित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	10	11	12	13	14	15	16
1-							
(क)	2910	-	-	-	19	-	2929
(ख)	913	700	-	-	85	-	1698
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
2-							
(1)	555	-	-	-	-	-	555
(2)	910	-	-	-	-	-	910
3-	1498	-	-	-	-	-	1498
4-	615	-	-	-	-	-	615
5-	320	-	-	-	-	-	320
6-	8	-	-	-	-	-	8
7- (1)	1027	-	-	-	-	-	1027
(2)	165	-	-	-	2160	-	2325
8-							
(क)	14	-	-	-	-	-	14
(ख)	15	-	-	-	-	-	15
(ग)	4	-	-	-	-	-	4
(घ)	*						

* क्रम संख्या 8(घ) का परिव्यय क्रम संख्या 8(ख) में सम्मिलित है।

व्यय

1	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगमों/प्राधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	17	18	19	20	21	22	23
1-							
(क)	2415	-	-	-	12	-	2427
(ख)	650	9	-	-	93	-	752
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
2-							
(1)	624	-	-	-	-	-	624
(2)	-	-	-	-	-	-	-
3-	1285	-	-	-	-	-	1285
4-	276	-	-	-	-	-	276
5-	324	-	-	-	-	-	324
6-	-	-	-	-	-	-	-
7- (1)	850	-	-	-	-	-	850
(2)	153	-	-	-	1401	-	1554
8-							
(क)	13	-	-	-	-	-	13
(ख)	17	-	-	-	-	-	17
(ग)	4	-	-	-	-	-	4
(घ)							

* क्रम संख्या 8(घ) का परिव्यय क्रम संख्या 8(ख) में सम्मिलित है।

1975-76 का परिव्यय

1	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगमों प्राधिकरणों द्वारा पूँजी निवेश	जन पोषित	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	24	25	26	27	28	29	30
1-							
(क)	2337	-	-	-	24	-	2 361
(ख)	805	500	-	-	100	-	1 405
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
2-							
(1)	440	-	-	-	-	-	440
(2)	1220	-	-	-	-	-	1220
3-	1110	-	-	-	-	-	1110
4-	693	-	-	-	-	-	693
5-	156	-	-	-	-	-	156
6-	10	-	-	-	-	-	10
7- (1)	992	-	-	-	-	-	992
(2)	500	-	-	-	2260	-	2760
8-							
(क)	26	-	-	-	-	-	26
(ख)	195	-	-	-	-	-	195
(ग)	5	-	-	-	-	-	5
(घ)	* क्रमांक 8(घ) का परिव्यय क्रम संख्या 8(ख) में सम्मिलित है।						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] एवं सम्बन्धित कार्यक्रम	109347	700	-	-	11830	458	122335
	सहकारिता	1232	-	-	-	-	225	1457
	सिंचाई	4700		-	-	-	-	4700
	(...वृहत एवं मध्यम) बाढ़ नियंत्रण	125	-	-	-	-	-	125
	(क) विद्युत	14900	-	-	-	-	-	14900
	(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण							
	योग ...ल एवं विद्युत विकास	14900	-	-	-	-	-	14900
13)	उद्योग (वृहत)							
	खनिज एवं धातु उद्योग	2500	-	-	-	-	-	2500
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	3155				5599	4000	12754
	खादी ग्रामोद्योग	-	2595	-				2595
	[illegible]	467	-	-	-	-	-	467
	योग उद्योग / धातु उद्योग	6122	2595	-	-	5599	4000	18316
	सड़क एवं सेतु	50646	-	-	-	-	-	50646
	सड़क एवं सड़क परिवहन							
18)	पर्यटन	14435	-	-	-	-	-	14435
	योग परिवहन एवं संचार	65081	-	-	-	-	-	65081
	शिक्षा	3261	-	-	-	-	-	3261
	प्राविधिक शिक्षा	2500		-	-		-	2500
21)	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	-	-		-	-	-	-

	10	11	12	13	14	15	16
योग-	8948	700	-	-	2264	-	11912
9-	227	-	-	-	-	-	227
10-	1500	-	-	-	-	-	1500
11-	38	-	-	-	-	-	38
12-(क)							
(ख)							
योग-	-	-	-	-	-	-	-
13-							
14-	450	-	-	-	-	-	450
15-	364	-	-	-	400	667	1511
(1)	-	605	-	-	-	-	605
(2)	83	-	-	-	-	-	83
योग-	897	605	-	-	400	667	2649
16-	6820	-	-	-	-	-	6820
17-							
18-	805	-	-	-	-	-	805
योग-	7625	-	-	-	-	-	7625
19-	138	-	-	-	-	-	138
20-							
21-	-	-	-	-	-	-	-

	17	18	19	20	21	22	23
योग-	6611	9	-	-	1506	-	8126
	-	-		-	-	-	-
10-							
11-							
	34	-	-	-	-	-	34
12- (क)	3211	-	-	-	-	-	3211
(ख)							
योग-	3211	-	-	-	-	-	3211
13-							
14-							
	550	-	-	-	-	-	550
15-	364	-	-	-	503	-	867
[illegible]	-						अप्राप्त
([illegible])	70	-	-	-	-	-	70
योग-	984	-	-	-	503	-	1487
16-							
	7903	-	-	-	-	-	7903
17-							
18-							
	805	-	-	-	-	-	805
योग-	8708	-	-	-	-	-	8708
19-							
	256	-	-	-	-	-	256
20-							
21-	—	—	—	—	—	—	—

1	24	25	26	27	28	29	30
योग-	8689	500	-	-	2384	-	11573
9-	247	-	-	-	-	-	247
10-	—	—	—	—	—	—	—
11-	-	-	-	-	-	-	-
12-(क)	4060	-	-	-	-	-	4060
(ख)							
योग-	4060	-	-	-	-	-	4060
13-							
14-	500	-	-	-	-	-	500
15-	156	-	-	-	392	833	1381
(1)	-	457	-	-	-	-	457
(2)	60	-	-	-	-	-	60
योग-	716	457	-	-	392	833	2398
16-	6450	-	-	-	-	-	6450
17-							
18-	1670	-	-	-	-	-	1670
योग-	8120	-	-	-	-	-	8120
19-	427	-	-	-	-	-	427
20-	1000	-	-	-	-	-	1000
21-	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22- चिकित्सा		3481	-	-		10021	-	13502
23- जन स्वास्थ्य								
24- जल सम्पूर्ति								
25- आवास		75840	11125	-	-	-	-	86965
(क) भवन निर्माण		-	752	-	-	-	-	752
(ख) अन्य		-		-	-		-	
26- शहरी विकास								
27- सूचना एवं प्रचार								
28- श्रम एवं श्रम कल्याण			-	-	-	-	-	-
29- पिछड़ी जातियों, जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		860	-	-	-	418	-	1278
30- समाज कल्याण		482	-	-	-	-	-	482
31- पौष्टिक आहार		766	50	-	-	374	-	1190
32- अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें (पेय-जल)		-	-	-	-	-	-	-
योग-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें		87190	11927	-	-	10813	-	109930
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (अर्थ एवं संख्या प्रभाग)		133	-	-	-	-	-	133

1	10	11	12	13	14	15	16
22-	511	-	-	-	1616	-	2127
23-							
24-							
25-	4042	-	-	-	-	-	4042
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)							
26-							
27-							
28-							
29-	40	-	-	-	15	-	55
30-	5	-	-	-	-	-	5
31-	-	6	-	-	45	0-4	51-4
32-	50	-	-	-	-	-	50
योग	4786	6	-	-	1676	0-4	6468-4
33-	26	-	-	-	-	-	26

	17	18	19	20	21	22	23
22-	360	=	-	-	1170	-	1530
23-							
24-	6714	-	-	-	-	-	6714
25-							
(क)	—	—		—	—	—	—
(ख)							
2[illegible]-							
[illegible]-							
[illegible]-	—	—	—	—	—	—	—
2[illegible]	153	-	-	-	-	-	153
30-	7	-	-	-	-	-	7
[illegible]-	-	6	-	-	45	0-4	51-4
32-	50	-	-	-	-	-	50
योग-	7540	6	-	-	1215	0-4	8761-4
3[illegible]-	31	-	-	-	-	-	31

1	24	25	26	27	28	29	30
22–23	587	-	-	-	1371	-	1958
24	3750	3063	-	-	-	-	6813
25							
(ক)	–	–	–	–	–	–	–
(খ)							
26							
27							
28	–	–	–	–	–	–	–
29	132	-	-	-	118	-	250
30	5	-	-	-	-	-	5
31	-	7	-	-	60	-	67
32	60	-	-	-	-	-	60
মোট	5961	3070	-	-	1549	-	10580
33	33	-	-	-	-	-	33

उपपत्र-2

जिला -अल्मोड़ा — पाँचवी योजना का वर्षवार भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	मद	इकाई	31-3-69 की स्थिति	31-3-74 की स्थिति
1	2	3	4	5
1- कृषि				
(1)	भौगोलिक क्षेत्रफल (Reporting)	000 हेक्टेयर	546-097	546-097
(2)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	123-765	123-765
(3)	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	44-698	49-041
(4)	कुल बोया गया क्षेत्र	,,	168-463	172-806
(5)	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	288-953	288-953
(6)	कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	16-952	14-466
(7)	ऊसर और कृषि से अयोग्य भूमि	,,	56-325	53-635
(8)	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	7-744	7-744
(9)	अन्य उद्यानों /वृक्ष की फसलों का क्षेत्र	,,	13-558	15-534
(10)	स्थाई चारागाह और अन्य चारागाह	,,	41-800	41-800
(11)	वर्तमान परती भूमि	,,	-	-
(12)	अन्य परती भूमि	,,	-	-
(13)	खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	123-765	123-765
(14)	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	44-698	49-041
(15)	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	-	-

क्रमांक	मद	इकाई	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	6	7	8
1-	कृषि				
(1)	भौगोलिक क्षेत्रफल (Reporting)	ह०है०	546-097	546-097	546-097
(2)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	123-765	123-765	123-765
(3)	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	62-282	52-500	54-700
(4)	सकल बोया गया क्षेत्र	,,	185-567	176-265	178-465
(5)	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	288-953	288-953	288-953
(6)	कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	9-476	13-570	12-670
(7)	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	,,	53-825	53-825	53-825
(8)	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	7-744	7-744	7-744
(9)	अन्य उद्यानों/वृक्षों की फसलों का क्षेत्र	,,	20-534	16-440	17-340
(10)	स्थाई चरागाह और अन्य चरागाह	,,	41-899	41-800	41-800
(11)	वर्तमान परती भूमि	,,	-	-	-
(12)	अन्य परती भूमि	,,	-	-	-
(13)	खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	123-765	123-765	123-765
(14)	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	62-282	52-500	54-700
(15)	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	-	-	-

1	2	3	4	5
(16)	फसल सघनता	ह0हैक्टेयर	168-463	172-806
(17)	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	10-129	11-526
(18)	रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	7-000	11-102
(19)	जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	-	-
(20)	सकल सिंचित क्षेत्र	,,	17-129	22-628
(21)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	10-129	11-526
(22)	सिंचाई की सघनता	%		
(1)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	8-1	9-2
(2)	कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	10-1	13-1
(2,3)	कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	25-3	24-4
(24)	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	22-6	22-6
(25)	विभिन्न स्रोतों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र	ह0हैक्टेयर		
(1)	नहरों	,,	5-961	6-155
(2)	राजकीय नलकूपों	,,	-	-
(3)	निजी नलकूपों	,,	-	-
(4)	अन्य	,,	4-161	5-371

1	2	3	6	7	8
(16)	फसल सघनता	हैक्टेयर	105-967	176-265	178-465
(17)	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	15-064	11-822	12-392
(18)	रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	14-633	11-733	12-344
(19)	जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	-	-	-
(20)	सकल सिंचित क्षेत्र	,,	29-697	23-555	24-736
(21)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	15-064	11-822	12-392
(22)	सिंचाई की सघनता % में				
(1)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	11-8	9-8	10-2
(2)	कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	15-7	13-5	14-1
(23)	कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	23-5	24-2	24-1
(24)	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	22-6	22-6	22-6
(25)	विभिन्न स्रोतों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र	हैक्टेयर			
(1)	नहरों	राज्य	7-435	6-265	6-575
(2)	राजकीय नलकूपों	,,	-	-	-
(3)	निजी नलकूपों		-	-	-
(4)	अन्य		7-629	5-557	5-817

2	3	4	5
(26) अधिक उन्नतशील किस्मों के बीजों का वितरण	(कुन्तल)		
(1) एक्जोटिक किस्में	,,	454-71	345-00
(2) स्थानीय किस्में	,,	161-53	165-75
(27) अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हेक्टेयर		
(क) एक्जोटिक किस्में			
(1) धान	,,	0-907	4-040
(2) मक्का	,,	0-098	0-384
(3) बाजरा	,,	-	-
(4) गेहूँ	,,	1-757	7-208
(ख) स्थानीय किस्में			
(1) धान	,,	3-161	5-096
(2) मक्का	,,	1-222	1-765
(3) बाजरा	,,	-	-
(4) गेहूँ	,,	1-311	6-478
(5) ज्वार	,,	-	-
(28) महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र			
(क) खाद्यान्न			
(1) धान	,,	44-422	47-967
(2) ज्वार	,,	-	-
(3) बाजरा	,,	-	-
(4) मक्का	,,	3-795	3-850

1	2	3	6	7	8
(26)	अधिक उन्नत शील किस्मों के बीजों का वितरण	कुन्तल			
(1)	स्वजोटिक किस्में	,,	350-00	478-60	320-00
(2)	स्थानीय किस्में	,,	388-000	147-50	530-00
(27)	अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	ह0 है0			
(क)	स्वजोटिक किस्में				
(i)	धान	,,	9-000	6-469	8-000
(ii)	मक्का	,,	0-665	0-493	0-550
(iii)	बाजरा	,,	-	-	-
(4)	गेहूँ	,,	15-000	11-416	14-000
(ख)	स्थानीय किस्में				
(i)	धान	,,	12-000	8-216	10-000
(ii)	मक्का	,,	2-000	1-990	2-000
(iii)	बाजरा	,,	-	-	-
(4)	गेहूँ	,,	9-000	8-250	8-500
(5)	ज्वार	,,	-	-	-
(28)	महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,			
(क)	खाद्यान्न				
(i)	धान	,,	50-293	48-102	48-292
(ii)	ज्वार	,,	-	-	-
(iii)	बाजरा	,,	-	-	-
(4)	मक्का	,,	4-000	3-850	3-850

1	2	3	4	5
(5)	गेहूँ	हे० हैक्टेयर	34-409	39-000
(6)	जौ	,,	5-000	5-677
(7)	मडुवा	,,	69-000	62-239
योग :-			156-626	158-733
(ख) दाल				
(1)	उर्द	,,	4-000	4-000
(2)	मूँग	,,	1-000	1-000
(3)	चना	,,	-	-
(4)	मटर	,,	0-200	0-200
(5)	अरहर	,,	-	-
(6)	अन्य	,,	0-800	0-830
योग-		,,	6-000	6-030
(ग) वाणिज्यिक फसल				
(1)	मूँगफली	,,	-	-
(2)	लाही/सरसों	,,	0-400	0-532
(3)	सूरजमुखी	,,	-	0-065
(4)	सोयाबीन	,,	-	1-591
(5)	अन्य तिलहन	,,	0-150	0-233
(6)	गन्ना	,,	-	-
(7)	आलू	,,	1-800	2-000
(8)	तम्बाकू	,,	-	-

1	2	3	5	7	8
(5) गेहूँ		ह0 है0	43-000	39-500	40-000
(6) जौ		,,	7-000	5-800	5-900
(7) मडुवा			44-619	60-934	53-634
योग		,,	148-912	158-266	151-676
(ख) दाल					
(1) उर्द		,,	4-300	4-150	4-150
(11) मूँग		,,	1-050	1-030	1-030
(111) चना		,,	-	-	-
(4) मटर		,,	1-250	0-420	0-620
(5) अरहर		,,	-	-	-
(6) अन्य		,,	1-418	0-900	1-000
योग		,,	8-018	6-500	6-800
(ग) वाणिज्यिक फसल					
(1) मूँगफली		,,	-	-	-
(11) लाही/सरसों		,,	2-100	0-940	1-100
(111) सूरजमुखी		,,	0-500	0-144	0-500
(4) सोयाबीन		,,	15-000	2-782	6-000
(5)	अन्य तिलहन	,,	2-600	0-700	1-100
(6) गन्ना		,,	-	-	-
(7) आलू		,,	4-000	2-300	2-500
(8) तम्बाकू		,,	-	-	-

2	3	4	5
(1) अन्य	ह० हैक्टेयर	-	-
योग	,,	2-350	4-421
(20) मुख्य फसलों का उत्पादन	,, ००० टन में		
(क) खाद्यान्न			
(1) धान	,,	52-418	42-547
(2) ज्वार	,,	-	-
(3) बाजरा	,,	-	-
(4) मक्का	,,	3-036	3-646
(5) गेहूँ	,,	28-663	41-574
(6) जौ	,,	4-530	5-961
(7) मडुआ	,,	31-050	33-609
योग	,,	119-697	127-337
(ख) दाल			
(1) उर्द	,,	4-000	6-480
(2) मूँग	,,	1-000	1-000
(3) चना	,,	-	-
(4) मटर	,,	0-200	0-200
(5) अरहर	,,	-	-
(6) अन्य	,,	0-400	0-415
योग	,,	5-600	8-095

1 2	3	6	7	8
(9) अन्य	ह0है0	-	-	-
योग-	,,	24-200	6-866	11-200
(29) मुख्य फसलों का उत्पादन	ह0लीटन			
(क) खाद्यान्न				
(i) धान	,,	60-352	42-737	42-835
(ii) ज्वार	,,	-	-	-
(iii) बाजरा	,,	-	-	-
(4) मक्का	,,	4-400	3-646	3-646
(5) गेहूँ	,,	56-330	42-107	42-640
(6) जौ	,,	7-350	6-090	6-195
(7) मडुवा	,,	33-464	33-600	33-600
योग	,,	161-896	128-180	128-916
(ख) दाल				
(i) उर्द	,,	6-966	6-723	6-723
(ii) मूँग	,,	1-050	1-030	1-030
(iii) चना	,,	-	-	-
(4) मटर	,,	1-250	0-420	0-620
(5) अरहर	,,	-	-	-
(6) अन्य	,,	0-851	0-450	0-500
योग	,,	10-117	8-623	8-873
(ग) वाणिज्यिक फसलें				
(i) मूँगफली	,,	-	-	-

1	2	3	4	5
(ग)	वाणिज्यिक फसलें			
(I)	मूँगफली	हजार मी०टन	-	-
(II)	लाही/सरसों	,,	0-120	0-160
(III)	सूरजमुखी	,,	-	0-032
(4)	सोयाबीन	,,	-	2-068
(5)	अन्य तिलहन	,,	0-045	0-070
(6)	गन्ना	,,	-	-
(7)	आलू	,,	13-500	15-000
(8)	तम्बाकू	,,	-	-
(9)	अन्य	,,	-	-
(घ)	कुल खाद्यान उत्पादन	,,	125-297	135-432
30-	पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है०	8-000	14-000
31-	भूमि संरक्षण	,,		
(I)	कृषि भूमि में	,, (राज्य)	0-053	2-098
(II)	रेवाइन्स में	,, (राज्य)	-	-
32-	चकबन्दी	,, (राज्य)	-	-
33-	रसायनिक उर्वरकों का वितरण	हजार मी०टन (राज्य)		
(I)	नत्रजन(N)			
(क)	कृषि विभाग	,, ,,	0-196	0-309
(ख)	सहकारिता विभाग	,, ,,	-	-
(ग)	एग्रो	,, ,,	-	-
(घ)	गन्ना सहकारी समितियाँ	,, ,,	-	-
(ङ)	प्राइवेट एजेन्सीज	,, ,,	-	-

1	2	3	6	7	8
(ii) लाही/सरसों	ह0मी0टन		0-632	0-283	0-331
(iii) सूरजमुखी	,,		0-250	0-072	0-250
(4) सोयाबीन	,,		19-500	3-617	7-800
(5) अन्य तिलहन	,,		0-783	0-211	0-331
(6) गन्ना	,,		..	-	-
(7) आलू	,,		36-000	17-250	18-750
(8) तम्बाकू	,,		-	-	-
(9) अन्य	,,		..	-	-
(क) कुल खाद्यान्न उत्पादन	,,		172-013	136-803	137-789
(10) पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	ह0 है0		55-255	30-298	45-786
(11) भूमि संरक्षण	,,				
(i) कृषि भूमि में	,,	राज्य	5-700	0-900	1-200
(ii) रेवाइन्स में	,,	,,	..	-	-
(12) चकबन्दी	,,	,,	..	-	-
(13) रसायनिक उर्वरक का वितरण	ह0मी0टन	राज्य			
(i) नत्रजन (N_2)	,,				
(क) कृषि विभाग	,,	,,	0-868	0-280	0-565
(ख) सहकारिता विभाग	,,	,,	..	-	-
(ग) स्टो	,,	,,	..	-	-
(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,,	,,	..	-	-
(ङ) प्राइवेट ऐजेन्सीज	,,	,,	-	-	-

2	3	4	5
(ii) फास्फेटिक (P_2O_5-)	हजार मे०टन (राज्य)		
(क) कृषि विभाग	,, ,,	0-117	0-189
(ख) सहकारिता विभाग	,, ,,	-	-
(ग) एग्रो	,, ,,	-	-
(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,, ,,	-	-
(ङ) प्राइवेट ऐजेन्सीज	,, ,,	-	-
(iii) पोटास (K_2O)			
(क) कृषि विभाग	,, ,,	0-049	0-142
(ख) सहकारिता विभाग	,, ,,	-	-
(ग) एग्रो	,, ,,	-	-
(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,, ,,	-	-
(ङ) प्राइवेट ऐजेन्सीज	,, ,,	-	-
(4) कम्पोस्ट खाद का उत्पादन	,,	889-000	1213-773
(5) हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है०	0-126	0-463
34- नियंत्रित बाजार	संख्या (राज्य)		-
35- उपलब्ध संग्रहणक्षमता	हजार मे०टन (राज्य)		
(क) उर्वरक			
(i) कृषि विभाग	,, ,,	3-000	3-890
(ii) सहकारिता विभाग	,, ,,	-	-
(iii) अन्य	,, ,,	-	-
योग-	,, ,,	3-000	3-890
(ख) खाद्यान्न	,, ,,		
(i) सहकारिता विभाग	,, ,,	0-500	0-750
(ii) खाद्य निगम	,, ,,	-	-

1	2	3	6	7	8
(ii) फास्फेटिक (P_2O_5)		हजार टन राज्य			
(क) कृषि विभाग	,,	,,	0-515	0-173	0-282
(ख) सहकारिता विभाग	,,	,,	–	–	–
(ग) एग्रो	,,	,,	–	–	–
(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,,	,,	–	–	–
(ङ) प्राइवेट एजेन्सीज	,,	,,	–	–	–
(iii) पोटाश (K_2O)					
(क) कृषि विभाग	,,	,,	0-332	0-091	0-265
(ख) सहकारिता विभाग	,,	,,	–	–	–
(ग) एग्रो	,,	,,	–	–	–
(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,,	,,	–	–	–
(ङ) प्राइवेट एजेन्सीज	,,	,,	–	–	–
( ) कम्पोस्ट खाद का उत्पादन	,,	,,	1343-950	1270-430	1271-550
(5) हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हैक्टेयर		0-700	0-533	0-550
34- नियंत्रित बाजार	संख्या	राज्य	–	–	–
(35) उपलब्ध भंडारण क्षमता	हजार मैट्रिक टन	राज्य	–	–	
(क) उर्वरक					
(i) कृषि विभाग	,,	,,	7-000	4-600	5-200
(ii) सहकारिता विभाग	,,	,,			
(iii) अन्य	,,	,,	–	–	–
योग	,,	,,	7-000	4-600	5-200
(ख) खाद्यान्न					
(i) सहकारिता विभाग	,,	,,	0-800	0-800	0-800

1	2	3		4	5
(iii)	अन्य	हजार मै०टन (राज्य)		–	–
36-	औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण	संख्या	,,		
(i)	पम्प सेट	,,	,,	–	–
(ii)	शक्ति चालित टिलर्स	,,	,,	–	–
(iii)	ट्रैक्टर्स	,,	,,	–	–
(4)	अन्य (विवरण दीजिए)	,,	,,	–	–
37-	कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या				
(i)	कृषि उद्योग निगम	संख्या			–
(ii)	सहकारिता	,,		–	–
(iii)	कृषि विभाग द्वारा	,,		—	
(4)	अन्य	,,		—	—
2-	<u>बागवानी क्षेत्र, पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र</u>				
(1)	फल	हजार हैक्टेयर		10-558	15-534
(2)	साग भाजी	,,		0-861	1-648
(3)	कीटाणु रोकथाम	,,		14-453	23-715
(4)	फल उत्पादन	हजार मै०टन			
(क)	सेब	,,			
(ख)	आम	,,		9-000	15-500
(ग)	अन्य	,,			

1	2	3	6	7	8
(ii) खाद्य निगम		कु०मी०टन राज्य			
(iii) अन्य		,, ,,			
(36) कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण		संख्या ,,			
(i) पम्प सेट		,, ,,	—	—	—
(ii) शक्ति चालित टिलर्स		,, ,,	—	—	—
(iii) ट्रैक्टर्स		,, ,,	—	—	—
(4) अन्य (विवरण दीजिये)		,, ,,	—	—	—
(37) कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या		संख्या			
(i) कृषि उद्योग निगम		,,	—	—	—
(ii) सहकारिता		,,	—	—	—
(iii) कृषि विभाग		,,	—	—	—
(4) अन्य		,,	—	—	—
2- बागवानी क्षेत्र, पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र					
(1) फल		ह०है०	20.534	16-440	17-340
(2) शाक भाजी		,,	2.248	1-900	2-090
(3) कीटाणु रोकथाम		,,	30.915	26-285	28-785
(4) फल उत्पादन		,, मी०टन			
(क) सेब		,,	19-000	13-000	15-000
(ख) आम		,,			
(ग) अन्य					

1	2	3	4	5
	पशु पालन			
	(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या (राज्य)	2	22
	(2) कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	,, ,,	अप्राप्त	19898
	(3) कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	,, ,,	1	1
	(4) स्टाक-मैन सेन्टर (पशु सेवा केन्द्र)	,,	51	53
	(5) राजकीय कुक्कुट फार्म	,, ,,	2	3
	(6) सहकारी कुक्कुट फार्म	,, ,,	-	-
	(7) पशु चिकित्सालय/औषधालय	,, ,,	19	20
	(8) भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र	,, ,,	7	8
	(9) सघन पशु विकास खण्ड	,, ,,	-	-
	(10) चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हैक्टेयर में (राज्य)	-	-
	(11) पशुओं की बीमारियों की रोकथाम			
	(i) एच०एस०	संख्या	अप्राप्त	66741
	(ii) बी०क्यू०	,,	,,	9704
	(iii) रिण्डर पेस्ट	,,	,,	17576
4-	**मत्स्य**			
	(1) नावों का मशीनीकरण	,, (राज्य)		-
	(2) श्रमिक मछुआ सहकारी समितियाँ	,, ,,	-	-
	(3) अंगुलिकाओं का वितरण	लाख ,,	-	-
	(4) मत्स्य बीज फार्म	संख्या ,,	-	-
	(5) मत्स्योत्पादन	मी०टन०	-	-

3. पशुपालन

1	2	3	6	7	8
(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	रा०	38	38	38
(2) कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	,,	,,	अनिर्धारित	5541	अनिर्धारित
(3) कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	,,	,,	31	6	6
(4) स्टाक मैन सेन्टर (पशु सेवा केन्द्र)	,,	,,	65	53	53
(5) राजकीय कुक्कुट फार्म	,,	,,	-	-	-
(6) सहकारी कुक्कुट फार्म	,,	,,	-	-	-
(7) पशु चिकित्सालय/औषधालय	,,	,,	1	20	20
([illegible]) भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र	,,	,,	10	-	-
([illegible]) सघन पशु विकास खण्ड	,,	,,	[illegible]	-	-
([illegible]) चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हे०	हे०	6-810	0-072	0-165
(11) पशुओं की बीमारियों की रोकथाम	संख्या				
(i) एच०एस०पू०	,,		-	22672	-
(11) बी० क्यू०	,,		-	6612	-

2	3	4	5
5. वन			
(1) वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	हजार है0में (राज्य)	174-910	174-910
(2) वर्क प्लान क्षेत्र	,, ,,	174-910	174-910
(3) आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र	,, ,,	1-101	अप्राप्त
(4) जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	,, ,,	-	-
(5) ईंधन वृक्षों का क्षेत्र	,, ,,	-	-
(6) भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र	,, ,,	4-770	16-970
(7) सड़कों की लम्बाई कि0मी0में	कि0मी0,,		
(1) सरफेस्ड	,, ,,	-	-
(2) अनसरफेस्ड	,, ,,	36	36
(8) रेवाइन रिक्लेमेशन	हजार है0में (राज्य)	-	-
(9) वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र	,, ,,	-	-
6. सिंचाई			
(1) लघु सिंचाई			
(क) निजी लघु सिंचाई			
(1) पक्के कुयें	संख्या	-	-
(2) कूप बोरिंग	,,	-	-
(3) रहट	,,	-	-
(4) नलकूप	,,	-	-
(5) पम्प सेट	,,	11	21

1	2	3	6	7	8
(iii) रिण्डर पेस्ट		संख्या	-	2166	-
4- मत्स्य					
(1) नावों का मशीनीकरण		संख्या रा0	-	-	-
(2) श्रमिक मछुआ सहकारी समितियाँ		,,	-	-	-
(3) अंगुलिकाओं का वितरण		लाख ,,	-	-	-
(4) मत्स्य बीज फार्म		संख्या		-	-
(5) मत्स्योत्पादन		मे0टन	-	-	-
5- वन					
(1) वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र		ह0हे0 रा0	174-910	174-910	174-910
(2) वर्क प्लान क्षेत्र		,, ,,	174-910	174-910	174-910
(3) आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र		,, ,,	1-000	0-240	0-150
(4) जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र		,, ,,	-	-	-
(5) ईंधन वृक्षों का क्षेत्र		,, ,,	-	-	-
(6) भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र		,, ,,	87-000	0-700	0-800
(7) सड़कों की लम्बाई		की0मी0 ,,			
(i) सरफेस्ड		,, ,,	-	-	-
(ii) अन सरफेस्ड		,, ,,	20	-	[illegible]
(8) रेवाइन रिक्लेमेशन		ह0हे0 ,,	-	-	-
(9) वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र		,, ,,	-	-	-

1	2	3	4	5
(6)	बंधी	हैक्टेयर	-	-
(7)	पहाड़ी क्षेत्र में नालियाँ	कि0मी0 राज्य	1322	1579
(8)	पहाड़ी क्षेत्र में हौज निर्माण	संख्या ,,	1453	2548
(9)	सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हैक्टेयर	10-129	11-526
(ख)	राजकीय लघु सिंचाई			
(1)	नलकूप	संख्या राज्य	-	-
(2)	गूल निर्माण	कि0मी0 ,,	निजी लघु सिंचाई के मद 7 में सम्मिलित है ।	
(3)	अन्य (विवरण दीजिये)	,, ,,	-	-
(4)	सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हैं0 ,,	5-961	6-155
(ग)	मौजूदा सिंचन क्षमता में ह्रास		-	-
(1)	निजी लघु सिंचाई	,, ,,	-	-
(2)	राजकीय लघु सिंचाई	,, ,,	-	-
	योग-	,, ,,	-	-
(घ)	कुल उपलब्ध शुद्ध क्षमता			
(1)	निजी लघु सिंचाई	,,	4-168	5-371
(2)	राजकीय लघु सिंचाई	,,	5-961	6-155
	योग-	,,	10-129	11-526

1	2	3	6	7	8
6- सिंचाई					
(1) लघु सिंचाई					
(क) निजी लघु सिंचाई					
(1) पक्के कुएं		संख्या	-	-	-
(2) कूप बोरिंग		,,	-	-	-
(3) रहट		,,	-	-	-
(4) नलकूप		,,	-	-	-
(5) पम्प सेट		,,	71	31	41
(6) बंधी		हे०	-	-	-
(7) पहाड़ी क्षेत्र में नालियाँ		किमी० रा०	1832	1647	1697
(8) पहाड़ी क्षेत्र में हौज निर्माण		सं०	3705	2016	3050
(9) सिंचन क्षमता का सृजन		ह०हे०	15-064	11-822	12-392
(ख) राजकीय लघु सिंचाई					
(1) नलकूप		सं० रा०	-	-	-
(2) गूल निर्माण		किमी० ,,	निजी लघु सिंचाई के मद 7 में सम्मिलित है।		
(3) अन्य (विवरण दीजिये)		,, ,,	-	-	-
(4) सिंचन क्षमता का सृजन		ह०हे० ,,	6-935	6-265	6-325
(ग) मौजूदा सिंचन क्षमता में ह्रास			-	-	-
(1) निजी लघु सिंचाई		,, ,,	-	-	-
(2) राजकीय लघु सिंचाई		,, ,,	-	-	-
योग		,, ,,	-	-	-
(घ) कुल उपलब्ध सृजित क्षमता					

1	2	3	4	5
2- **वृहत एवं मध्यम सिंचाई**				
(1) सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हैक्टयर राज्य		-	-
(2) नहर निर्माण (नहरों का विवरण दीजिये)	कि0 मी0,		-	-
3- **सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग**				
(1) निजी लघु सिंचाई	हजार है0 ,,		4-168	5-371
(2) राजकीय लघु सिंचाई	,, ,,		5-961	6-155
(3) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	,,		-	-
योग-	,,		10-129	11-526
7- **उद्योग-**				
(1) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना	संख्या			
(क) संगठित	,,			
(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत	,,		3	6
(2) अन्य	,,		-	-
(ख) असंगठित	,,		अप्राप्य	158
(11) रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या	,,			
(क) संगठित क्षेत्र में	,,			
(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों में	,,		77	74 ×
(11) अन्य	,,		-	-
(ख) असंगठित क्षेत्र में	,,		अप्राप्य	454 *

* उप निदेशक उद्योग से प्राप्त ।

× अल्मोड़ा मैग्नेसाइट व रोडवेज वर्कशाप रानीखेत के कर्मकर व उत्पादन की सूचना सम्मिलित नहीं है ।

1	2	3	6	7	8
(1) निजी लघु सिंचाई		इ0है0	7-629	5-557	5-817
(2) राजकीय लघु सिंचाई		,,	6-935	6-265	6-325
योग		,,	14-564	11-822	12-142

नोट- स्तम्भ 6,7 व 8 के आंकड़े उस वर्ष के अन्त की स्थिति दर्शाते हैं एवं कुल सिंचन क्षमता में राजकीय व निजी लघु सिंचाई के आंकड़े सम्मिलित हैं।

1	2	3	6	7	8
2- वृहत एवं मध्यम सिंचाई					
(1) सिंचन क्षमता का सृजन		,, रा0	0-500	-	0-250
(2) नहर निर्माण (नहरों का विवरण दीजिये)		,, ,,	अप्राप्त	-	अप्राप्त
3- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग					
( ) निजी लघु सिंचाई		,, ,,	7-629	5-557	5-817
(2) राजकीय लघु सिंचाई		,, ,,	6-935	6-265	6-325
(3) वृहद एवं मध्यम सिंचाई		,,	0-500	-	0-250
योग		,,	15-064	11-822	12-392
7- उद्योग					
(1) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना संख्या					
(क) संगठित					
(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत		,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(2) अन्य		,,	—	—	—
(ख) असंगठित		,,	250	30	50
(11) रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या		,,			
क- संगठित क्षेत्र		,,			
(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों में		,,	—	—	—

1	2	3	4	5
(iii)	उत्पादित वस्तुओं का मूल्य	हजार रु० में		
(क)	संगठित क्षेत्र	,,	1325	3374 x
(ख)	असंगठित क्षेत्र	,,	अप्राप्य	1958
(4)	औद्योगिक आस्थान	राज्य		
(i)	संख्या	,,	1	1 *
(ii)	शेडों का निर्माण	,,	12	12 *
(iii)	कार्यरत इकाइयाँ	,,	-	-
(5)	हस्थ करघा उद्योग			
(क)	हस्तकरघों की संख्या	,,	-	-
(ख)	सहकारी क्षेत्र में हस्तकरघों की संख्या	,,	-	-
(ग)	बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन	संख्या	-	-
(घ)	हैन्डलूम कपड़ो का उत्पादन	(लाख मी०)	-	-
6-	रेशम उद्योग			
(अ)	कूकून का उत्पादन	टन	0-67	0-25
(ब)	टसर कोया उत्पादन	सं० लाख में	0-08	0-04
7-	ऊन उद्योग			
क-	हस्तकरघों की संख्या	संख्या	50	50
ख-	सहकारी क्षेत्र में हस्तकरघों की संख्या	,,	5	5
ग-	बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन	,,	13	13
घ-	ऊनी वस्त्र का उत्पादन	(मी०/टन०)	70	100

* पूरा आस्थान कृषि विभाग इगाडा को ... हस्थानान्तरित कर दिया गया है ।

1 2	3	6	7	8	
(ii) अन्य	संख्या				
ख- असंगठित क्षेत्र में	,,	1250	108	250	*
(iii) उत्पादित वस्तुओं का मूल्य	ह0 रू0 में				
(क) संगठित क्षेत्र	,,	–	–	–	
(ख) असंगठित क्षेत्र	,,	50000	अप्राप्त	–	
(4) औद्योगिक आस्थान	राज्य	–	–	–	
(i) संख्या शेडों	,,	–	–	–	
(ii) शेडों का निर्माण	,,	–	–	–	
(iii) कार्यरत इकाइयाँ	,,	–	–	–	
(5) हस्तकरघा उद्योग					
क- हस्तकरघों की संख्या	,,	–	–	–	
ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	,,	–	–	–	
ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन	संख्या	–	–	–	
घ- हैन्डलूम कपड़ों का उत्पादन	(ला0मी0)	–	–	–	
6- रेशम उद्योग					
(अ) कून का उत्पादन	(टन)	6-00	0-36	1-00	
(ब) शहतूत कोया उत्पादन	सं0लाख में	1-25	0-07	0-18	
7- ऊन उद्योग					
क- हस्तकरघों की संख्या	संख्या	अप्राप्त	50	–	
ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	,,	,,	7	3	
ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन	,,	10	1	2	

* उप निदेशक उद्योग से प्राप्त ।

1 2	3	4	5
6 वृहत मात्रा में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ	संख्या		
(क) चीनी मिल			
(i) संख्या	संख्या राज्य	–	–
(ii) उत्पादन	टन हजार में राज्य	–	–
(iii) रोजगार में लगे व्यक्ति	संख्या ,,	–	–
(ख) वस्त्र मिल			
(i) संख्या	संख्या ,,	–	–
(ii) उत्पादन	लाख मीटर ,,	–	–
(iii) कार्यरत व्यक्ति	संख्या ,,	–	–
8- सहकारिता			
(i) बैंक			
(क) जिला सहकारी बैंकः-			
(1) बैंकों की संख्या	संख्या राज्य	1	1
(ii) शाखाओं की संख्या	,, ,,	4	7
(iii) अंश पूँजी	हजार रू० ,,	1768	2268
(4) चालू पूँजी	,, ,,	14674	16219
(5) जमा धनराशि	,, ,,	1457	1221.7
(6) ऋण वितरण			

1	2	3	6	7	8
घ- ऊनी वस्त्र का उत्पादन		मी0टन	अप्राप्य	104	122
6- वृहत मात्रा में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ		संख्या	—	—	—
(क) चीनी मिल					
(i) संख्या		,, राज्य	—	—	—
(ii) उत्पादन		टन ह0,,	—	—	—
(iii) रोजगार में लगे व्यक्ति		संख्या ,,	—	—	—
(ख) वस्त्र मिल					
(i) संख्या		संख्या ,,	—	—	—
(ii) उत्पादन		लाख मी0 राज्य	—	—	—
(iii) कार्यरत व्यक्ति		संख्या ,,	—	—	—
8- सहकारिता					
(1) बैंक					
(क) जिला सहकारी बैंक:-					
(i) बैंकों की संख्या		संख्या ,,	1	1	1
(ii) शाखाओं की संख्या		,, ,,	12	9	10
(iii) अंश पूँजी		ह0रु0 में रा0	2566	2355	2405
(4) चालू पूँजी		,, ,,	17700	20886	26156
(5) जमा धनराशि		से0 ह0रु0 रा0	2600	480	300
(6) ऋण वितरण		ह0रु0 में,,			
(क) अल्प कालीन		,, ,,	4600	500	920
(ख) मध्यकालीन		,, ,,			

1	2	3	4	5
(ख) अल्पकालीन	हजार रुपये में राज्य			
(ग) मध्यकालीन	,,	,,	5300	1368
(ग) भूमि विकास बैंक				
(i) शाखा की संख्या	संख्या	,,	1	1
(ii) दीर्घकालीन ऋण वितरण	हजार रु0	,,	400	721
(2) प्राथमिक ऋण समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या	संख्या		219	130
(ii) सदस्यता	हजार	में	15	65
(iii) अंश पूँजी	,,	रु0 में	1350	2588
(4) चालू पूँजी	,,		10065	11250
(5) जमा धनराशि	,,		300	470
(6) अल्पकालीन ऋण वितरण	,,			
(क) नकद	,,		5362	6282
(ख) वस्तु के रूप में	,,			
(7) मध्यकालीन ऋण वितरण	,,			
3- क्रय-विक्रय समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या	संख्या		1	1
(ii) सदस्यता	संख्या हजारों		1	1
(iii) निजी पूँजी	हजार रुपये में		75	75
(4) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,			

1	2	3	6	7	8
(ग) भूमि विकास बैंक					
(1) शाखा की संख्या		संख्या ,,	1	1	1
(11) दीर्घकालीन ऋण वितरण		ह0रू0 ,,	अप्राप्य	610	175
(2) प्राथमिक ऋण समितियाँ					
(1) समितियों की संख्या		संख्या	120	128	128
(11) सदस्यता		हजार में	60	68	71
(111) अंश पूँजी		,,	2008	2737	2781
(4) चालू पूँजी		,,	15200	4280	4990
(5) जमा धनराशि		,,	570	507	527
(6) अल्पकालीन ऋण वितरण		,,			
(क) नकद		,,	11220	3742	4400
(ख) वस्तु के रूप में		,,			
(7) मध्यकालीन ऋण वितरण		,,			
3- क्रय-विक्रय समितियाँ					
(1) समितियों की संख्या		संख्या	2	1	2
(11) सदस्यता		संख्या हजारों	2	1	2
(111) निजी पूँजी		ह0रू0में	225	75	225
(4) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य		,,			
(क) उर्वरक		,,			
(ख) बीज		,,			

1	2	3	4	5
(क) उर्वरक		ह0रु0		
(ख) बीज		,,		
(ग) खाद्यान्न		,,	2000	2000
(घ) अन्य		,,		
4- सहकारी विपणन समितियाँ		संख्या		
(i) समितियों की संख्या		,,		
(ii) सदस्यता		हजार में		
(iii) निजी पूँजी		ह0रु0में		
(iv) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य		,,		
5- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या		संख्या	1	16
(ii) सदस्यता		हजार में	1	5
(iii) निजी पूँजी		ह0रु0में	206	402
(iv) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य		,, ,,	1223	1632
6- सहकारी दुग्ध समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या		संख्या	2	16
(ii) सदस्यता		हजार में	1	1
(iii) निजी पूँजी		ह0रु0में	38	228
(iv) विपणन की गई दुग्ध की मात्रा (प्रति दिन)		ह0ली0में	0-110	0-156
7- अन्य समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या		संख्या	3	67
(ii) सदस्यता		हजार में	1	10
8- गन्ना समितियाँ				
(i) समितियों की संख्या		संख्या	-	-
(ii) सदस्यता		हजार में	-	-

1	2	3	6	7	8
(ग) खाद्यान्न }		ह0 रू0 में	2500	910	500
(घ) अन्य }		,,			
4. सहकारी विधायन समितियाँ		संख्या			
(i) समितियों की संख्या		,,			
(ii) सदस्यता		हजार में			
(iii) निजी पूँजी		,, रू0 में			
(4) विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य		,,			
5- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ					
(i) समितियों की संख्या		संख्या	16	16	16
(ii) सदस्यता		हजार में	5	5	5
(iii) निजी पूँजी		हजार रू0 में	402	402	402
(4) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य		,,	3000	510	600
6- सहकारी दुग्ध समितियाँ					
(i) समितियों की संख्या		संख्या	50	50	50
(ii) सदस्यता		हजार में	3	3	3
(iii) निजी पूँजी		हजार रू0 में	300	300	270
(4) विपणन की गई दुग्ध की मात्रा		ह0 ली0 में (प्रतिदिन)	–	0 – 309	[illegible]
7- अन्य समितियाँ					
(i) समितियों की संख्या		संख्या	67	71	71
(ii) सदस्यता		हजार में	20	11	11
8- गन्ना समितियाँ			–	–	–
(i) समितियों की संख्या		संख्या	–	–	–
(ii) सदस्यता		हजार में	–	–	–
(iii) अंश पूँजी		ह0 रू0 में	[illegible]	–	–
(4) चालू पूँजी		,,	–	–	–
(5) जमा धनराशि		,,	–	–	–

1	2	3	4	5
(iii) अंश पूँजी		हजार रू० में	-	-
(4) चालू पूँजी		,,	-	-
(5) जमा धनराशि		,,	-	-
9- व्यवसायिक बैंक				
(i) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या		संख्या	4	9
(ii) प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या		,,	155500	75222
(iii) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में जमा धनराशि		लाख रू० में	125	290
(4) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण		लाख रू०,,	15	28
(5) प्रति व्यक्ति जमा धनराशि ,,		,,	20	43
(6) प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण ,,			2	4

9-विद्युत

1- विद्युत का उपभोग	10 लाख किलोवाट राज्य घंटा		
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग	,, ,,		
(i) घरेलू एवं वाणिज्यिक	,, ,,	999	1538
(ii) औद्योगिक	,, ,,	844	2970
(iii) कृषि, सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुए	,, ,,	2	10
(4) अन्य	,, ,,	1027	1236
3- उपरोक्त मदों (1-4) में प्रति व्यक्ति उपभोग	,, ,,		

1	2	3	6	7	8
9- व्यवसायिक बैंक					
(1) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या		संख्या	16	10	14
(ii) प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या		,,	43633	69100	50071
(iii) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में जमा धनराशि		ला० रु० में	441	356	420
(4) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण		,,	127	146	111
(5) प्रति व्यक्ति जमा धनराशि		,,	60	52	60
(6) प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण		,,	17	21	16
9- विद्युत					
1- विद्युत का उपभोग		हु० किलोवाट घंटा			
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग		,, ,,			
(1) घरेलू एवं वाणिज्यिक		,, ,,	लक्ष्य निर्धारित	771	लक्ष्य अनिर्धारित
(ii) औद्योगिक		,, ,,	,,	2506	,,
(iii) कृषि, सिंचाई कार्य को सम्मिलित करते हुये		,, ,,	,,	65	,,
(4) अन्य		,, ,,	,,	2436	,,
3- उपरोक्त मदों (1-4) में प्रति व्यक्ति उपभोग		,, ,,	,,	0-75	,,

1	2	3	4	5
5- विद्युतीकृत ग्राम				
(i) संख्या	संख्या	,,	12	214
(ii) कुल ग्रामों से प्रतिशत	%	,,	0-0	6-8
6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	,,	-	48
7- औद्योगिक कनेक्शन	,,	,,		[illegible]
(i) ग्रामीण	,,	,,	-	32
(ii) शहरी	,,	,,	-	11
8- विद्युतीकृत ट्यूब वेल/पम्प सेटों की संख्या	,,	,,		
(i) राजकीय	,,	,,	-	2
(ii) निजी	,,	,,	-	1
(iii) अन्य	,,	,,	-	-
10- सड़क				
1- रेलवे लाइनों की लम्बाई	कि0मी0	राज्य	-	-
2- पक्कीतल सड़कों की लम्बाई	,,	,,		
(i) राष्ट्रीय राज मार्ग	,,	,,	-	-

1 2	3	6	7	8
5- विद्युतीकृत ग्राम				
(i) संख्या	संख्या ,,	470	15	80
(ii) कुल ग्रामों से प्रतिशत	% ,,	40	7.0	
6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण संख्या	,,	250	2	80
7- आद्योगिक कनेक्शन	,, ,,			
(i) ग्रामीण	,, ,,	208	21	30
(ii) शहरी	,, ,,		22	
8- विद्युतीकृत ट्यूब वेल/ पम्प सेटों की संख्या	,, ,,			
(i) राजकीय	,, ,,		1	
(ii) निजी	,, ,,		-	
(iii) अन्य	,, ,,		-	
10- सड़क				
1- रेलवे लाइनों की लम्बाई	कि0मी0 ,,	-	-	-
2- समतल सड़कों की लम्बाई	,, ,,			
(1) राष्ट्रीय राज मार्ग	,, ,,	-	-	-
(2) प्रादेशिक राज मार्ग	,, ,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(3) मुख्य जिला सड़कें	,, ,,			
(4) अन्य जिला सड़कें	,, ,,	113-00	53-00	20-000
(5) ग्रामीण सड़कें	,, ,,			
3- समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या	संख्या ,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

1 2	3		4	5
(2) प्रादेशिक राज मार्ग	कि0मी0	राज्य	221-69	329-52
(3) मुख्य जिला सड़कें	,,	,,		
(4) अन्य जिला सड़कें	,,	,,	730-31	899-48
(5) ग्रामीण सड़कें	,,	,,		
3- समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या	संख्या	,,	अप्राप्त	1570
4- ग्रामों की संख्या जो समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े नहीं हैं लेकिन 3 कि0मी0 की समस्त ऋतु कालीन सड़कों के अन्दर है।	संख्या	,,	अप्राप्त	678
5- सड़कों की लम्बाई जिन पर बसें चलती हैं				
(i) निजी	कि0मी0	,,	,,	अप्राप्त
(ii) राज्य की रोडवेज बस	,,	,,	,,	,,
6- प्रचलित बसें			-	,,
(i) निजी बसें	संख्या	,,	,,	,,
(ii) राज्य की रोडवेज बसें	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त

11- शिक्षा

(i) विद्यालयों की संख्या

(क) नगरीय

(i) बेसिक स्कूल	संख्या	राज्य	11	11
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,,	,,	1	2

1	2 - 3	6	7	8
4- ग्रामों की संख्या जो समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े नहीं हैं लेकिन 3 कि0मी0 की समस्त ऋतु कालीन सड़कों के अन्दर हैं।	संख्या	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
5- सड़कों की लम्बाई जिस पर बसें चलती हैं		,,		
(I) निजी	कि0मी0 रा0	,,	,,	,,
(II) राज्य की रोडवेज बस	,, ,,		,,	,,
6- प्रचलित बसें				
(I) निजी बसें	संख्या ,,	,,	,,	,,
(II) राज्य की रोडवेज बसें	,, ,,	,,	,,	
11- शिक्षा				
(I) विद्यालयों की संख्या				
(क) नगरीय				
(1) बेसिक स्कूल	संख्या रा0	4	2	-
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,, ,,	6	1	-
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,, ,,	10	3	4
(4) डिग्री कालेज	,, ,,	3	1	-
(5) विश्वविद्यालय	,, ,,	-	-	-
(ख) ग्रामीण				
(1) बेसिक स्कूल	,, ,,	38	22	15
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,, ,,	23	5	5
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,, ,,	5	3	-
(4) डिग्री कालेज	,, ,,	-	-	-

1	2	3	4	5
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	संख्या राज्य	9	18
(4) डिग्री कालेज	,, ,,	1	2
(5) विश्वविद्यालय	,, ,,	-	-
(आ) ग्रामीण			
(1) बेसिक स्कूल	,, ,,	853	880
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,, ,,	101	109
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,, ,,	46	54
(4) डिग्री कालेज	,, ,,	-	-
(5) विश्वविद्यालय	,, ,,	-	-
(2) छात्रों			
(क) योग			
(1) बेसिक स्कूल	लाख में ,,	1-06	1-01
आयु वर्ग का प्रतिशत	% ,,	87-5	82-6
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	लाख में ,,	0-22	0-2.7
आयु वर्ग का प्रतिशत	% में ,,	40	42
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	लाख में ,,	0.09	0.10
आयु वर्ग का प्रतिशत	% ,,	7	9
(4) डिग्री कालेज	लाख में ,,	0-01	0-01
(2) (ख) बालिकायें			
(1) बेसिक स्कूल	लाख में राज्य	0-43	0-40
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,, ,,	0-03	0-04
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,, ,,	0-01	0-02

1	2	3	6	7	8
(5) विश्वविद्यालय		सं० रा०	–	–	–
(2) छात्रा					
(क) योग					
(1) बेसिक स्कूल		लाख में रा०	1–28	1–09	1–10
आयु वर्ग का प्रतिशत		% ,,	90–9	90	91 0
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		लाख रा०	0–32	0–28	0–29
आयु वर्ग का प्रतिशत		% ,,	52	44	46
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल		लाख में रा०	0–14	0–11	0–12
आयु वर्ग का प्रतिशत		% ,,	17	11	13
(4) डिग्री कालेज		लाख रा०	0–02	0–01	0–01
(2) (ख) बालिकायें					
(1) बेसिक स्कूल		लाख रा०	0–48	0–44	0–45
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,, ,,	0–06	0–04	0–05
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल		,, ,,	0–03	0–02	0–02
(4) डिग्री कालेज		,, ,,	0–01		
(5) विश्वविद्यालय		,, ,,	–	–	–
(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति					
(1) बेसिक स्कूल		,, ,,	0–19	0–16	0–17
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,, ,,	0–02	0–02	0–02
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल		,, ,,	–	0–01	0–01
(4) डिग्री कालेज		,, ,,			
(5) विश्वविद्यालय		,, ,,	–	–	–

1	2	3		4	5
(4) डिग्री कालेज		लाख में	राज्य	0.00	0.00
(5) विश्वविद्यालय		,,	,,	–	–
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति					
(1) बेसिक स्कूल		,,	,,	0-15	0-15
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,,	,,	0-02	0-02
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल		,,	,,	0-01	0-01
(4) डिग्री कालेज		,,	,,	0-00	0.00
(5) विश्वविद्यालय		,,	,,		
(3) शिक्षक शिष्य अनुपात					
(1) बेसिक स्कूल		अनुपात	,,		1:30
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,,	,,		1:26
(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल		,,	,,		
12- प्राविधिक शिक्षा					
1- (1) इन्जीनियरिंग/प्राविधिक संस्थाओं की संख्या		संख्या	,,		–
(2) डिप्लोमास्तर की संस्थाओं की संख्या		,,	,,	–	–
(3) सार्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या		,,	,,	–	–
2- भर्ती					
(1) डिग्री		संख्या	राज्य	~~1~~	~~1~~
(2) डिप्लोमा		,,	,,	–	–
(3) सार्टीफिकेट		,,	,,	–	–

1	2	3	6	7	8
(3)	शिक्षक शिष्य अनुपात				
(1)	बेसिक स्कूल	अनुपात रा०	-	1:34	-
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,, ,,	-	1:27	-
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,, ,,	-	-	-
12-	प्राविधिक शिक्षा				
1- (1)	इन्जीनियरिंग/प्राविधिक संस्थाओं की संख्या	संख्या ,,,	—	—	
(2)	डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की संख्या	,, ,,		—	1
(3)	सर्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या	,, ,,	—	—	—
2-	भर्ती				
(1)	डिग्री	संख्या,,	—	—	
(2)	डिप्लोमा	,, ,,	-	-	12
(3)	सर्टीफिकेट	,, ,,	...	—	
13-	जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन				
1-	ऐलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या	,, ,,			
(क)	राजकीय				
(1)	नगरीय	,, ,,	-	-	-
(2)	ग्रामीण	,, ,,	5	5	
(ख)	अन्य				
(1)	नगरीय	,, ,,	3	-	-

1	2	3	4	5
13- जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन				
1- एलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालयों की संख्या		संख्या राज्य		
(क) राजकीय				
(1) नगरीय		,, ,,	6	7
(2) ग्रामीण		,, ,,	10	16
(ख) अन्य				
(1) नगरीय		,, ,,	3	3
(2) ग्रामीण		,, ,,	7	7
2- आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल/ औषधालयों की संख्या		,, ,,		
(क) राजकीय		,, ,,		
(1) नगरीय		,, ,,	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	15	17
(ख) अन्य		,, ,,		
(1) नगरीय		,, ,,	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	-	-
3- होम्योपैथिक अस्पताल एवं औषधालयों की संख्या				
(क) राजकीय				
(1) नगरीय		संख्या राज्य	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	2	2
4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		,, ,,	14	14
5- शैय्याओं की संख्या		,, ,,		[illegible]

1	2	3	6	7	8
(2) ग्रामीण		संख्या रा.	7	-	-
2- आयुर्वैदिक एवं यूनानी अस्पताल/ औषधालय की संख्या		,, ,,			
(क) राजकीय		,, ,,			
(1) नगरीय		,, ,,	-	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	2	2	1
(ख) अन्य					
(1) नगरीय		संख्या रा.	-	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	-	-	-
3- होम्योपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या					
(क) राजकीय					
(1) नगरीय		,, ,,	-	-	-
(2) ग्रामीण		,, ,,	2	2	1
4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या		संख्या ,,	-	-	-
5- शैय्याओं की संख्या		,, ,,	-	-	-
(क) नगरीय					
(1) एलोपैथिक		,, ,,	-	-	-
(2) आयुर्वैदिक/यूनानी		,, ,,	-	-	-
(3) होमियोपैथिक		,, ,,	-	-	-
(ख) ग्रामीण					
(1) ऐलोपैथिक		,, ,,	-	20	-
(2) आयुर्वैदिक/यूनानी		,, ,,	8	28	4

1	2	3	4	5
	(क) नगरीय			
	(1) एलोपैथिक	संख्या राज्य	292	323
	(2) आयुर्वेदिक/यूनानी	,, ,,	-	-
	(3) होमियोपैथिक	,, ,,	-	-
	(ख) ग्रामीण			
	(1) ऐलोपैथिक	,, ,,	130	154
	(2) आयुर्वेदिक/यूनानी	,, ,,	28	36
	(3) होमियोपैथिक	,, ,,	-	-
	6- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों की संख्या	,, ,,		
	(1) टी0बी0	,, ,,	1	1
	(2) फाइलेरिया	,, ,,	-	-
	(3) छूत की बीमारी	,, ,,	-	-
	(4) कुष्ठ रोग	,, ,,	1	1
	7- परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	,, ,,	84	61
	8- मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की संख्या	,, ,,	56	57
	9- ए0एन0एम0 उप केन्द्रों की संख्या	,, ,,	84	87
	10- मेडिकल कालेजों की संख्या	,, ,,	-	-
	11- प्रवेश क्षमता	,, ,,	-	-
	12- सरकारी अस्पताल/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या	,, ,,	55	78

परिवार नियोजन

	1- बन्ध्याकरण			
	(1) पुरुष } (2) स्त्री }	संख्या राज्य	7253	13255

1	2	3	6	7	8
(3) होमियोपैथिक	संख्या	रा०	-	-	-
6- विभिन्न बीमारियों से संबंधित अस्पतालों की संख्या			-	-	-
(1) टी०बी०	संख्या	रा०	-	-	-
(2) फाइलेरिया	,,	,,	-	-	-
(3) छूत की बीमारी	,,	,,	-	-	-
(4) कुष्ठ रोग	,,	,,	-	-	-
7- परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	,,	,,	75	61	61
8- मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की संख्या	,,	,,	अप्राप्त	57	57
9- ए०एन०एम० उप केन्द्रों की संख्या	,,	,,	101	87	87
10- मेडिकल कालेजों की संख्या	,,	,,	-	-	-
11- प्रवेश क्षमता	,,	,,	-	-	-
12- सरकारी अस्पताल/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या	,,	,,	117	84	91

<u>परिवार नियोजन</u>

1	2	3	6	7	8
1- बन्ध्याकरण					
(1) पुरुष } (2) स्त्री }	संख्या	रा०	13094	346	1694
2- आई० यू०डी०	,,	,,	11218	1909	2820

1	2	3	4	5
	संख्या राज्य			
2- आई०यू०सी०डी०	,,	,,	2911	4715
14- आवास				
	संख्या	राज्य		
गृह निर्माण	,,	,,		
(1) मध्यम आयु वर्ग	,,	,,	-	-
(2) अल्प आयु वर्ग	,,	,,	-	-
(3) दुर्बल वर्ग	,,	,,	-	-
	,,	,,		
15- पिछड़ी जातियों का कल्याण				
1- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ				
(क) सामान्य कोर्स				
(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	,,	129	318
(2) अनुसूचित जन जातियाँ	,,	,,	-	42
(ख) प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स				
(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	,,	-	-
(2) अनुसूचित जन जातियाँ	,,	,,	-	-
16- संस्थागत वित्त				
1- स्वीकृत ऋण	हजार रू० में			12393
2- वितरित ऋण	,,			
(1) कृषि	,,			8260
(2) उद्योग	,,			

1	2	3	6	7	8
14- आवास					
गृह निर्माण-(1) मध्यम आयु वर्ग		संख्या	2	-	-
(2) अल्प आयु वर्ग		,,	3	-	-
(3) दुर्बल वर्ग		,,	16	-	-
15- पिछड़ी जातियों का कल्याण					
1- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ		संख्या रा0			
(क) सामान्य कोर्स					
(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	,,	2500	360	500
(2) अनुसूचित जनजातियाँ	,,	,,	500	50	100
(ख) प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स					
(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	,,	-	-	-
(2) अनुसूचित जन जातियाँ	,,	,,	-	-	-
16- संस्थागत वित्त					
1- स्वीकृत ऋण		ह0रू0	20545	24143	16029
2- वितरित ऋण		,,			
(1) कृषि		,,	7237	7574	6330
(2) उद्योग		,,			
(क) वृहत		,,	-	-	-
(ख) मध्यम		,,	3024	11238	2706
(ग) लघु		,,	1734	842	1524
(3) अन्य		राज्य	8550	4489	7469
17- जल सम्पूर्ति					

1	2	3	4	5
(क) वृहत		हजार रु० में		-
(ख) मध्यम		,,		-
(ग) लघु		,,		191
(3) अन्य		,,राज्य		3942
17- जल सम्पूर्ति				
(क) नगरीय जल सम्पूर्ति		,,		
(1) नगरों की संख्या		संख्या ,,	2	3
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार ,,	33	43
(ख) ग्रामीण जल सम्पूर्ति पाइप द्वारा		,,		
(1) ग्राम		संख्या ,,	40	246
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार राज्य	8	175
(ग) हैंड पम्पस तथा कुंयें (सामुदायिक विकास विभाग)			-	-
(1) ग्राम		संख्या	138	138
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार	25	25
(घ) नगरीय जल निस्तारण				
(1) जल निस्तारण		संख्या राज्य	-	-
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार राज्य	-	-

1	2	3	6	7	8
(क) नगरीय जल सम्पूर्ति					
(1) नगरों की संख्या		संख्या सं०	-	-	-
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार ,,	-	-	-
(ख) ग्रामीण जल सम्पूर्ति					
पाइप द्वारा					
(1) ग्राम		संख्या सं०	250	43	40
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार ,,	163	16	26
(ग) हैंडपम्पस तथा कुयें (सामुदायिक विकास विभाग)			-	-	-
(1) ग्राम		संख्या	-	-	-
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार	-	-	-
(घ) नगरीय जल निस्तारण					
(1) जल निस्तारण		संख्या सं०	-	-	-
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार सं०	-	-	-